वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2017-2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

www.centralcoalfields.in

भारत का सशक्तिकरण ..... जीवन समर्थीकरण

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2017–18

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

(सीआईएन : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची – 834 029, झारखंड

भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

1.1 संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन करना।

1.2 ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय :

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना ।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनीकिकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिक निकासी हेतु वैज्ञानिक खोज से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस–पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सी एस आर क्रियाकलाप विशेषकर आस–पास के गाँवों में स्वास्थ्य, सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ाना।

विषय – सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबन्धन	1
2.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	3
3.	सूचना – वार्षिक आम बैठक	4
4.	संचालनात्मक आँकड़े	7
5.	वित्तीय स्थिति	8
6.	निदेशक प्रतिवेदन	17
7.	निगमित प्रशासन पर प्रतिवेदन	67
8.	निदेशकगणों का पार्श्वदृश्य	78
9.	सांविधिक अंकेक्षक द्वारा निगमित प्रशासन पर प्रमाण पत्र	84
10.	सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	85
11.	कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	92
12.	निदेशक प्रतिवेदन से संबंधित अनुलग्नक	94
13.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	119
14.	स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणाम पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन (सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसरण में)	125
15.	स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणाम	127
16.	31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन तुलन पत्र	130
17.	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन लाभ एवं हानि लेखा	133
18.	वर्ष 2017–18 के लिए स्टैण्डअलोन नकद प्रवाह विवरण	136
19.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	139
20.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	203
21.	स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट – 1 सहित)	225
22.	समेकित वित्तीय परिणाम पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन (सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसरण में)	243
23.	समेकित वित्तीय परिणाम	245
24.	31 मार्च, 2018 को समेकित तुलन पत्र	248
25.	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा	250
26.	वर्ष 2017–18 के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण	252
27.	समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	255
28.	समेकित वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	318
29.	फॉर्म एओसी – 1	340
30.	समेकित वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट – 1 सहित)	341

निदेशक मण्डल

(07 अगस्त, 2018 के अनुसार)

श्री गोपाल सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

निदेशकगण

श्री डी. के. घोष
निदेशक (वित्त)

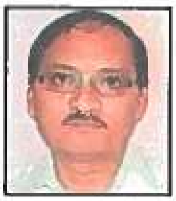

श्री ए. के. मिश्रा
निदेशक (तक./संचा.)

श्री आर. एस. महापात्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री वी. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तक./यो. परि.)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

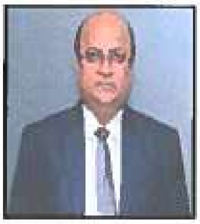

श्री आर. पी. श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल
भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत)

श्री अशोक गुप्ता
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

स्थायी आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा
मुख्य संचालन प्रबंधक, ई. सी. रेलवे, हाजीपुर

श्री एस. के. बर्णवाल
सचिव (खान एवं भू गर्भ), झारखण्ड सरकार

श्री रवि प्रकाश
कम्पनी सचिव

वर्तमान प्रबंधन

07 अगस्त 2018 को

(अर्थात् 62वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह

कार्यकारी निदेशकगण

श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त)
श्री अवध किशोर मिश्र	:	निदेशक (तक./संचा.)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तक./यो. एवं परि.)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से.	:	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	निदेशक (का./औ.सं.), सीआईएल

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल	:	भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) डी/ओ एक्सपेण्डिचर
श्री अशोक गुप्ता	:	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

स्थायी आमंत्रित गण

श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे
श्री एस. के. बर्णवाल	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखण्ड सरकार, राँची

कम्पनी सचिव

श्री रवि प्रकाश

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.03.2012 से प्रभावी)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री डी. के. घोष	:	निदेशक (वित्त) (06.07.2013 से प्रभावी)
श्री सुबीर चन्द्रा	:	निदेशक (तकनीकी/संचालन) (09.06.2015 से 31.03.2018 तक)
श्री आर. एस. महापात्र	:	निदेशक (कार्मिक) (08.06.2015 से प्रभावी)
श्री अवध किशोर मिश्रा	:	निदेशक (तक./यो. परि.) (01.10.2016 से प्रभावी)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आर. पी. गुप्ता, भा.प्र.से.	:	संयुक्त सचिव, (15.04.2015 से 09.08.2017 तक) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री सी. के. डे	:	निदेशक, (वित्त) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (19.09.2017 से 19.02.2018 तक)
श्री आशीष उपाध्याय, भा.प्र.से.	:	संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (05.02.2018 से प्रभावी)
श्री आर. पी. श्रीवास्तव	:	निदेशक (का./औ.सं.), सीआईएल (19.02.2018 से प्रभावी)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल	:	भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) डी/ओ एक्सपेण्डिचर (14.11.2015 से प्रभावी)
श्री अशोक गुप्ता	:	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (14.11.2015 से प्रभावी)

स्थायी आमंत्रित गण

श्री एस. के. वर्णवाल	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखण्ड सरकार, राँची (16.11.2016 से प्रभावी)
श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे (24.05.2016 से प्रभावी)

कम्पनी सचिव — श्री रवि प्रकाश (13.07.2017 से प्रभावी)

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आन्ध्रा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
देना बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स एस. के. सिंघानिया एण्ड कं.
217, कचहरी रोड, पंचवटी प्लाजा,
द्वितीय तल, राँची – 834001, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स जे. एन. अग्रवाल एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

मेसर्स कदमावाला एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

मेसर्स एल. के. सराफ एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एण्ड कं.
राँची – 834001, झारखण्ड

लागत अंकेक्षक

मेसर्स एस सी मोहन्ती एण्ड एशोसिएट्स
प्लॉट नं. : 370/186/2157
शक्ति भवन, टोयटा शोरुम के बगल में
पटिया, पो. : केआइआइटी, भुवनेश्वर – 751024

शाखा लागत अंकेक्षक

मेसर्स मनी एण्ड कम्पनी
अशोका बिल्डिंग,
111, सादर्न एवन्यू,
कोलकाता – 700029

मेसर्स के. बी. सक्सेना एण्ड एसोशिएट्स
तीसरा तल्ला, शगुन पैलेस सप्रु मार्ग,
हजरतगंज, लखनऊ – 226001

मेसर्स मुसीब एण्ड कम्पनी
नं. 204, गजराज मैंसन,
द्वितीय तल्ला, डायगोनल रोड,
बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड

मेसर्स के, जी, गोयल एण्ड एसोशिएट्स
4ए, पॉकेट 2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोण्डली,
मयूर विहार – III, नई दिल्ली – 110096

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स प्रतिभा खण्डेलवाल एण्ड एसोशिएट्स
एफ – 2/14, एलआइसी फ्लैट्स, सेक्टर – 2, विद्याधर नगर,
जयपुर – 302039 (राजस्थान)

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखण्ड)

सूचना

सं.: सचिव/3(4)/AGM-62/2018/992 दिनांक : 06.08.2018

62वीं आम वार्षिक बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की 62वीं आम बैठक दिन मंगलवार, 7 अगस्त, 2018 को 1.00 पूर्वाह्न स्कोप काम्प्लेक्स, सीआईएल, नई दिल्ली में निम्नलिखित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

ए. सामान्य व्यवसाय :

1. विचारार्थ एवं अंगीकरण हेतु :

   ए. 31 मार्च 2018 के अंकेक्षित तुलन–पत्र, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणी, वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीतियों के साथ कैश–फ्लो विवरण, सांविधिक अंकेक्षक के प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन एवं निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को स्वीकार करना, उस पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना।

   बी. 31 मार्च 2018 के समेकित अंकेक्षित तुलन–पत्र, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लाभ–हानि लेखा, सभी टिप्पणी, वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीतियों के साथ कैश–फ्लो विवरण, सांविधिक अंकेक्षक के प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन एवं निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को स्वीकार करना, उस पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर दो अंतरिम लाभांशों के किए गए भुगतान को अन्तिम भुगतान के रूप में सुनिश्चित करना।

3. श्री ए. के. मिश्र (डीआईएन–07646542), पूर्णकालीक निदेशक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 152 (6) के तहत नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत होते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना तथा योग्य होने के आधार पर स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

4. श्री आर. एस. महापात्र (डीआईएन–07248972), पूर्णकालिक निदेशक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 152 (6) के तहत नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत होते हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना तथा योग्य होने के आधार पर स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

बी. विशेष व्यवसाय :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लागत अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का पुष्टिकरण

   निम्नलिखित स्वीकृत प्रस्तावों को साधारण प्रस्ताव के स्तर पर विचार करना एवं यदि सही पाया गया तो उन्हें संशोधन (नों) सहित या उसके बिना पारित करना :

   "संकल्प किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 146(3) एवं कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 एवं अधिनियम अन्य प्रावधानों के अनुसरण में, 28.09.2016 को हुई 430 वीं बोर्ड बैठक में मुख्य लागत अंकेक्षक मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर और शाखा लागत अंकेक्षकगण मनी एण्ड कं., कोलकाता, मेसर्स मुसीब एण्ड कं., जमशेदपुर, मेसर्स के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स, लखनउ एवं मेसर्स के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को सीसीएल मुख्यालय एवं सीसीएल के संबंधित क्षेत्रों की वित्त वर्ष 2018–19 में लागत अंकेक्षण के संबंध में किए गए फुटकर खर्च का पारिश्रमिक एवं प्रतिपूर्ति अनुमोदित है एवं एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

   उपरोक्त विशेष व्यवसाय के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
ह./–
(रवि प्रकाश)
कम्पनी सचिव

वार्षिक आम बैठक का स्थल : सीआईएल, 6/6 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली।

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस
राँची – 834029
(झारखण्ड)
सीआईएन सं. : U10200JH1956GOI000581

टिप्पणी :

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 101 (1) के प्रावधान के अनुसरण में अल्प अवधि पर बुलाये गये वार्षिक आम बैठक के लिये अपनी सहमति लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दें।

कोई भी सदस्य, जो आम वार्षिक बैठक में भाग लेने या वोट देने के हकदार हैं, वे अपने बदले में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिपत्री का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 171(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान आवश्यक पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखा जाता है, जो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक के दौरान उपलब्ध रहेगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 101(1) के अन्तर्गत अल्प अवधि सूचना पर बैठक के आयोजन पर अपनी सहमति प्रदान करें।

सेवा में,

ए. कोल इंडिया लिमिटेड (अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा), कोलकाता

बी. श्री अनिल कुमार झा, अध्यक्ष, सीआईएल, कोलकाता

सी. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल, कोलकाता

डी. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल, राँची

ई. श्री अशोक गुप्ता, सीए. अध्यक्ष, अंकेक्षण समिति, सीसीएल

एफ. मेसर्स एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी, राँची, सांविधिक अंकेक्षक

जी. मेसर्स एस. सी. मोहंती एण्ड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर, लागत अंकेक्षक

एच. मेसर्स प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर, सचिविक लेखा परीक्षक

आई. सभी निदेशकगण, सीसीएल

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक की सूचना का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए लागत अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का पुष्टिकरण :

कंपनी (लागत अंकेक्षक प्रतिवेदन) नियम, 2011 को दिनांक 03 जून, 2011 को संसूचित किया गया था। इन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम. सी. ए.) के द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप निर्गत किया गया था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एम. सी. ए.) ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुपालन प्रतिवेदन तथा 2012–13 एवं उसके आगे से लागत अंकेक्षण की दाखिल को आवश्यक कर दिया है।

सीसीएल की यह लागत लेखा नीति कोल इंडिया लिमिटेड की समग्र लागत लेखा नीति का अंश रहा है।

सीसीएल बोर्ड के दिनांक 28/09/2016 को हुए 430वें बैठक में अनुमोदन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए सीसीएल मुख्यालय एवं इसके विभिन्न क्षेत्रों के लागत अंकेक्षण का कार्य पूरा करने हेतु, अंकेक्षण समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित लागत अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई।

क्र. सं.	लागत अंकेक्षक	विवरण	अंकेक्षण शुल्क (₹)
1.	मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स	मुख्यालय (अग्रणी लागत अंकेक्षक), बरकासयाल, सी. डब्लू. एस., अरगडा, रजरप्पा, कोलकाता के लिए	2,57,438.00
2.	मनी एण्ड कम्पनी	कथारा, ढोरी के लिए	95,625.00
3.	मुसिब एण्ड कम्पनी	एन. के., पिपरवार, मगध व आम्रपाली के लिए	85,613.00
4.	के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स	चरही एवं कुजू के लिए	75,875.00
5.	के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स	बी. एण्ड के., गिरिडीह के लिए	75,875.00

भ्रमण एवं फुटकर खर्च, दस्तावेज साक्ष्य के प्रस्तुत करने के शर्त पर अंकेक्षण फीस का 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

लागू दरों के अनुसार करों का नगदीकरण भी उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित पंजीकरण संख्या के प्रस्तुत करने के आधार पर होगा।

बोर्ड के निदेशकों ने विचार किया कि उपरोक्त लागत अंकेक्षकों की पृष्ठभूमि तथा अनुभवों के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के लिए मुख्यालय तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों का लागत अंकेक्षण संचालन करने हेतु लागत अंकेक्षकों की नियुक्ति अनुमोदित है जो कि उपरोक्त वर्णित लागत अंकेक्षकों की पारिश्रमिक के आधार पर, आम बैठक में नियुक्ति की पुष्टिकरण के अधीन है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 148 के अनुसार, कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षकों) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, उपरोक्त लागत अंकेक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 28/09/2016 को हुए 430वें बैठक में हुआ था और उसका पुष्टिकरण कम्पनी के द्वारा आम बैठक में किया जाना है।

इस स्वीकृत प्रस्ताव में कोई भी निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके सम्बन्धी का कोई लगाव अथवा सम्बन्ध नहीं है। बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन हेतु स्वीकृत प्रस्ताव की अनुशंसा की।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह./–
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

संचालनात्मक आंकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन (मि. टन)							
भूमिगत	0.405	0.74	0.85	0.84	0.96	1.02	1.09
खुली खदान	63.000	66.31	60.47	54.81	49.06	47.04	46.91
योग	63.405	67.05	61.32	55.65	50.02	48.06	48.00
(ख) ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर)	95.622	102.63	106.78	97.38	59.02	63.31	65.68
2. ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)							
स्टील	0.00	0.03	0.34	0.65	0.32	1.07	4.04
बिजली	42.22	37.24	33.52	33.41	32.10	31.56	33.68
सीमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
उर्वरक	0.15	0.22	0.24	0.24	0.27	0.64	0.95
अन्य	15.73	10.83	12.40	10.23	9.00	8.98	9.25
वाशरी को कोल आपूर्ति	9.41	12.61	13.09	10.81	10.43	10.63	0.00
कोलियरी खपत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
योग	67.51	60.93	59.59	55.34	52.12	52.89	48.04
3. औसत श्रमशक्ति	41467	42919	44346	45849	47406	49076	51156
4. उत्पादकता :							
(क) प्रति व्यक्ति / प्रति वर्ष औसत (टन)	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81	1055.14	979.30	938.32
(ख) प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस) :							
(i) भूमिगत (टन)	0.194	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33	0.32
(ii) खुली खदान (टन)	9.372	9.81	8.91	7.56	6.26	6.09	5.79
(iii) समग्र (टन)	7.195	7.23	6.51	5.46	4.64	4.42	4.19
5. लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना							
(i) प्रति मानव पाली अर्जन (₹)	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87	2377.57	2174.95	1862.96
(ii) निबल / शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्य (₹प्रति टन)	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43	1079.17	1020.42	1038.67
(iii) निबल / शुद्ध बिक्री योग्य कोयले क उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (₹प्रति टन)	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90	1414.86	1423.22	1258.70

वित्तीय स्थिति (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष विवरण	2018	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
	परिसंपत्ति			
ए.	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ			
	(ए) संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	2424.41	2426.40	2541.98
	(बी) प्रगतिशील पूँजी कार्य	1649.32	1141.23	303.40
	(सी) आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	260.67	237.16	201.14
	(डी) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	2.16	3.59	5.25
	(ई) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निवेश	32.00	32.00	—
	(ii) ऋण	0.47	0.59	0.92
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	839.46	723.05	1533.01
	(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	1047.58	771.88	725.03
	(जी) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1679.39	1269.85	119.38
	कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)	**7935.46**	**6605.75**	**5430.11**
बी.	चालू परिसंपत्तियाँ			
	(ए) भंडारसूची	1349.23	2096.26	1491.26
	(बी) वित्तीय परिसंपत्ति			
	(i) निवेश	—	—	—
	(ii) व्यापार प्राप्य	1745.31	1673.79	1359.93
	(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	161.98	325.07	1968.58
	(iv) अन्य बैंक शेष	1194.23	1349.08	2090.19
	(v) ऋण	—	—	—
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	717.99	367.89	383.26
	(सी) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	55.50	—	—
	(डी) अन्य चालू परिसंपत्ति	2093.56	1525.93	1258.73
	कुल चालू परिसंपत्ति (बी)	**7317.80**	**7338.02**	**8551.95**
	कुल परिसंपत्ति (ए + बी)	**15253.26**	**13943.77**	**13982.06**
	इक्विटी और देयता			
ए.	इक्विटी			
	(1) निर्गत, अभिदत्त एवं पेड–अप इक्विटी शेयर पूँजी	940.00	940.00	940.00
	(2) पूँजी प्रतिदान शेष			
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	—	—	—
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीद	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—
	अंतिम शेष	—	—	—
	(3) पूंजीगत संचय	—	—	—
	(4) सामान्य संचय			
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	2029.00	1958.94	1863.20
	सामान्य संचय से/को अंतरण	39.48	70.06	95.74
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीद	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—
	अंतिम शेष	2068.48	2029.00	1958.94

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष विवरण	2018	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
	(5) प्रतिधारित उपार्जन			
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	215.71	3272.50	3505.07
	समायोजन	—	—	—
	वर्ष के लिए लाभ	789.54	1387.11	1923.38
	विनियोजन :			
	सामान्य संचय से / को अंतरण	(39.48)	(70.06)	(95.74)
	अन्य संचयों में अंतरण	—	—	—
	अंतरिम लाभांश	(531.10)	(3634.04)	(1711.74)
	अंतिम लाभांश	—	—	—
	निगमित लाभांश कर	(108.12)	(739.80)	(348.47)
	वापसी खरीद पर कर	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—
	अंतिम शेष	**326.55**	**215.71**	**3272.50**
	(6) अन्य विस्तृत आय			
	पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	52.39	40.66	—
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निबल कर)	91.43	11.73	40.66
	अंतिम शेष	**143.82**	**52.39**	**40.66**
	(7) अन्य इक्विटी	**2538.85**	**2297.10**	**5272.10**
	(8) कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी	**3478.85**	**3237.10**	**6212.10**
	(9) गैर नियंत्रित ब्याज	—	—	—
	(10) कुल इक्विटी	**3478.85**	**3237.10**	**6212.10**
	देयता			
B.	गैर–चालू देयताएं			
	(ए) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	—	1200.00	—
	(ii) व्यापार देयताएं	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	60.09	60.20	49.05
	(बी) प्रावधान	3202.35	2305.81	2344.82
	(सी) आस्थगित कर देयताएं (निबल)	—	—	—
	(डी) अन्य गैर–चालू देयताएं	438.46	183.83	165.43
	कुल गैर–चालू देयताएं (बी)	**3700.90**	**3749.84**	**2559.30**
सी.	चालू देयताएं			
	(ए) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	150.00	1103.78	929.00
	(ii) व्यापार देयताएं	163.45	134.22	178.60
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	565.98	834.99	173.50
	(बी) अन्य चालू देयताएं	4902.62	3004.96	2461.59
	(सी) प्रावधान	2291.46	1878.88	1467.97
	कुल चालू देयताएं (सी)	**8073.51**	**6956.83**	**5210.66**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए + बी + सी)	**15253.26**	**13943.77**	**13982.06**

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

आय एवं व्यय का विवरण
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष	2018	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
ए.		से आय			
1.		सकल विक्रय (कोयला)	15965.12	14899.71	13658.81
		घटाव : एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवियां	4910.91	4470.83	3106.59
2.		निबल विक्रय	11054.21	10428.88	10552.22
3.	(i)	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चार्ज	—	—	—
	(ii)	बालू भराई एवं संरक्षी कार्य हेतु सब्सिडी	1.05	1.42	0.49
	(iii)	परिवहन और लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	428.62	344.52	280.65
	(iv)	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निबल)	102.55	—	—
	(v)	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निबल)	—	—	—
3.		अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	532.22	345.94	281.14
4.	(i)	निवेश एवं जमा का ब्याज	264.81	258.76	332.00
	(ii)	म्युचुअल फंडों से लाभांश	10.59	23.25	31.38
	(iii)	अन्य गैर–संचालन आय	233.56	279.44	101.71
4.		अन्य आय	508.96	561.47	465.09
		कुल (ए)	12095.39	11336.29	11298.45
बी.		के लिए प्रदत्त / प्राक्व्यवस्थित			
1.	(i)	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	3765.90	3442.45	3133.76
	(ii)	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान	382.34	383.91	376.39
	(iii)	ग्रेच्युटी	1014.03	161.84	158.84
	(iv)	अवकाश नकदीकरण	66.38	202.39	106.23
	(v)	अन्य	261.66	211.14	234.70
1.		कर्मचारी लाभ व्यय	5490.31	4401.73	4009.92
2.		उपभुक्त सामान की लागत	731.26	799.50	807.63
3.		तैयार माल भंडार में बदलाव / प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	512.66	(612.61)	(135.99)
4.		बिजली एवं ईंधन	277.35	290.92	294.40
5.		सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व में व्यय	37.90	30.29	212.90
6.		मरम्मती	327.15	205.39	233.38
7.		संविदात्मक व्यय	1304.07	1320.99	1158.07
8.		वित्त लागत			
		छूट का अनवाईन्डिंग	68.41	68.11	64.88
		अन्य वित्त लागत	103.60	3.77	12.38
9.		मूल्यह्रास / अमूर्तिकरण / क्षति	355.72	372.63	400.59
10.		स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	284.51	91.03	(225.83)
11.		प्रावधान एवं राइट ऑफ	238.05	471.50	280.72
12.		अन्य व्यय	1020.80	1521.74	1082.82
		कुल (बी)	10751.79	8964.99	8195.86
13.		कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (ए – बी)	1343.60	2371.30	3102.59
14.		अपवादात्मक वस्तु	—	—	—
15.		कर पूर्व लाभ	1343.60	2371.30	3102.59
16.		घटाव : कर व्यय	554.06	984.19	1179.21
17.		वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ	789.54	1387.11	1923.38
18.		समाप्त संचालनों से लाभ / (हानि) (कर पश्चात)	—	—	—
19.		संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के लाभ / (हानि) में अंश	—	—	—
20.		वर्ष के लिए लाभ	789.54	1387.11	1923.38
21.		अन्य विस्तृत आय			
		ए. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	155.59	20.05	65.49
		(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	64.16	8.32	24.83
		बी. (i) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—
		(ii) लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—
22.		अन्य कुल विस्तृत आय	91.43	11.73	40.66
		वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ / (हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	880.97	1398.84	1964.04
23.		आरोप्य लाभ :			
		कंपनी के स्वामी	789.54	1387.11	1923.38
		गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—
			789.54	1387.11	1923.38
24.		अन्य आरोप्य विस्तृत आय			
		कंपनी के स्वामी	91.43	11.73	40.66
		गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—
			91.43	11.73	40.66
25.		कुल आरोप्य विस्तृत आय :			
		कंपनी के स्वामी	880.97	1398.84	1964.04
		गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—
			880.97	1398.84	1964.04

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2018	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
(ए)	परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित			
(1)	(i) ₹ 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरधारकों की निधि			
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00	940.00
	(बी) आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	2068.48	2029.00	1958.94
	(सी) संचित लाभ/हानि	470.37	268.10	3313.16
	निबल संपत्ति	3478.85	3237.10	6212.10
	(डी) पूँजीगत शेष	—	—	—
	शेयरधारकों की निधि	3478.85	3237.10	6212.10
(2)	(i) चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	1500.00	—
	(ii) चालू परिपक्वता छोड़ सकल उधारी	—	1200.00	—
(3)	(i) सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3535.85	3190.10	2940.32
	(ii) संचित मूल्यह्रास/क्षति	1111.44	763.70	398.34
	(iii) निबल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2424.41	2426.40	2541.98
(4)	(i) चालू परिसंपत्ति	7317.80	7338.02	8551.95
	(ii) चालू देयताएं	8073.51	6956.83	5210.66
	(iii) निबल चालू परिसंपत्तियाँ/कार्यशील पूँजी	(755.71)	381.19	3341.29
(5)	(i) नियोजित पूँजी (3 (iii) + 4 (iii))	1668.70	2807.59	5883.27
	(ii) निबल पूँजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	1912.15	1381.98	509.79
	(iii) सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूँजी (5 (i) + 5 (ii))	3580.85	4189.57	6393.06
(6)	(i) व्यापार प्राप्य	1745.31	1673.79	1359.93
	(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	161.98	325.07	1968.58
	(iii) अन्य बैंक जमा	1194.23	1349.08	2090.19
(7)	(i) कोयले का अंत स्टॉक (निबल)	1206.37	1925.17	1313.62
	(ii) भंडार एवं कलपुर्जो का अंत स्टॉक (निबल)	137.92	164.78	172.54
	(iii) अन्य अंत स्टॉक (निबल)	4.94	6.31	5.10
(बी)	लाभ/हानि संबंद्ध			
(1)	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1871.33	2815.81	3580.43
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	1515.61	2443.18	3179.85
	(iii) कर पूर्व लाभ	1343.60	2371.30	3102.59
	(iv) वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	789.54	1387.11	1923.38
	(v) निबल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	258.44	(2246.93)	211.64
	(vi) कुल विस्तृत आय	880.97	1398.84	1964.04
(2)	(i) कोयले का सकल विक्रय	15965.12	14899.71	13658.81
	(ii) निबल विक्रय	11054.21	10428.88	10552.22
	(iii) उत्पादन का विक्रय मूल्य	10541.55	11041.49	10688.21
(3)	बेचे गए सामान का मूल्य (निबल विक्रय – पीबीटी)	9710.61	8057.58	7449.63
(4)	कुल व्यय	10751.79	8964.99	8195.86
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	5490.31	4401.73	4009.92
	(ii) उपभुक्त सामान की लागत	731.26	799.50	807.63
	(iii) बिजली एवं ईंधन	277.35	290.92	294.40
	(iv) वित्तीय व्यय एवं मूल्यह्रास	527.73	444.51	477.84
(5)	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	60.94	66.63	67.30
(6)	(i) वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	41466.50	42918.50	44346.00
	(ii) सीएसआर व्यय	37.90	30.29	212.90
	(iii) प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय ('000)	9.14	7.06	48.01
(7)	अभिवृद्धित मूल्य	9532.94	9951.07	9586.18
	(i) प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (` '000)	2298.95	2318.60	2161.68

संचालनात्मक आँकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2018	2017 (पुनर्लिखित)	2016 (पुनर्लिखित)
ए.	लाभकारिता अनुपात			
1.	% के रूप में निबल विक्रय			
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	16.93	27.00	33.93
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	13.71	23.43	30.13
	(iii) कर पूर्व लाभ	12.15	22.74	29.40
2.	% के रूप में कुल व्यय			
	(i) कर्मचारी लाभ व्यय	51.06	49.10	48.93
	(ii) उपभुक्त सामान की लागत	6.80	8.92	9.85
	(iii) बिजली एवं ईंधन	2.58	3.25	3.59
3.	% के रूप में निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)			
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	112.14	100.29	60.86
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	90.83	87.02	54.05
	(iii) कर पूर्व लाभ	80.52	84.46	52.74
4.	% के रूप निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)			
	(i) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	52.26	67.21	56.00
	(ii) सकल लाभ (पीबीआईटी)	42.33	58.32	49.74
	(iii) कर पूर्व लाभ	37.52	56.60	48.53
5.	कार्यसंचालन अनुपात (निबल विक्रय – पीबीटी / निबल विक्रय)	0.88	0.77	0.71
बी.	तरलता अनुपात			
	1. चालू अनुपात(चालू परिसंपत्तियाँ / चालू देयताएँ)	0.91	1.05	1.64
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियाँ / चालू देयताएँ)	0.74	0.75	1.36
सी.	टर्नओवर अनुपात			
	1. पूँजीगत टर्नओवर अनुपात			
	(i) (निबल विक्रय / सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूँजी)	6.62	3.71	1.79
	(ii) (निबल विक्रय / सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूँजी)	3.09	2.49	1.65
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निबल)			
	(i) सकल विक्रय	1.31	1.35	1.19
	(ii) निबल विक्रय	1.89	1.93	1.55
	3. निबल विक्रय के अनुपात के रूप में			
	(i) व्यापार प्राप्य	0.16	0.16	0.13
	(ii) कोयले का भंडार	0.11	0.18	0.12
	4. कोयले का भंडार			
	(i) माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	1.37	2.09	1.47
	,पपद्ध माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.49	2.87	2.12
	(iii) माह की संख्या अनुसार निबल बिक्री	1.31	2.22	1.49
डी.	संरचनात्मक अनुपात			
	1. दीर्घकालिक ऋण : इक्विटीगत शेयर पूँजी	—	1.28	—
	2. दीर्घकालिक ऋण : निबल संपत्ति	—	0.37	—
	3. निबल संपत्ति : इक्विटी	3.70	3.44	6.61
	4. निबल अचल संपत्ति : निबल संपत्ति	0.70	0.75	0.41
ई.	शेयरधारकों का ब्याज			
	1. शेयर का अंकित मूल्य (₹) (निबल संपत्ति / इक्विटी की संख्या)	3700.90	3443.72	6608.62
	2. प्रति शेयर लाभांश (₹)	565.00	3866.00	1821.00

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(क)	स्वामित्व वाली :				
	सकल अचल सम्पत्ति	5459.57	5116.32	4805.64	4778.18
	घटाव : अवक्षयण एवं क्षति	3705.82	3502.93	3407.82	3290.34
(1)	निबल अचल सम्पत्ति	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
(2)	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	583.38	509.71	321.96	259.15
(3)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	620.47	566.31	579.37	502.51
(4)	गैर–चालू निवेश	0.00	9.43	18.85	28.27
(5)	लम्बी अवधि के ऋण और अग्रिम	111.58	70.75	208.66	171.16
(6)	अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	810.05	520.05	0.00	0.00
(6)	चालू परिसम्पत्तियाँ				
	(i) (क) कोयला, कोक आदि की भंडार	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ख) भण्डार और स्पेयर की भंडार	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ग) अन्य सम्पत्ति सूची	5.73	4.87	5.74	4.95
	(ii) प्राप्य राशियाँ (निवल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(iii) नकद और नकद के समान	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
	(iv) चालू निवेश	403.79	605.10	109.42	9.42
	(v) कम अवधि के ऋण और अग्रिम	827.17	729.48	577.04	576.65
	(vi) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	526.01	434.77	439.54	370.68
	कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (6)	**8521.30**	**7680.77**	**7478.95**	**7553.11**
(7)	घटाव चालू देयताएँ और प्रावधान	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
	व्यापार भुगतान योग्य	108.46	91.32	78.99	74.39
	अन्य चालू देयताएँ	2662.20	2774.77	2362.29	2468.81
	अल्पकालिन के प्रावधान	1410.84	1384.58	1576.17	1808.78
	अल्पकालिन के ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल चालू परिसम्पत्तियाँ (6 – 7)	4339.80	3430.10	3461.50	3201.13
	कुल (क)	8219.03	6719.74	5988.16	5650.06
(ख)	देनदारी				
	(1) दीर्घकालीन ऋण	0.00	0.00	69.92	87.54
	(2) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	34.34	32.37	17.09	3.26
	(3) दीर्घकालीन प्रावधान	2372.31	2184.42	1893.07	2121.88
	कुल (ख)	**2406.65**	**2216.79**	**1980.08**	**2212.68**
	निवल मूल्य (क – ख)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	द्वारा प्रतिनिधित्व				
1	ईक्विटी पूँजी	940.00	940.00	940.00	940.00
2	संचय	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
3	लाभ/हानि (+)/(-) (अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निवल मूल्य (1 से 3)	**5812.38**	**4502.95**	**4008.08**	**3437.38**
	लगाई गई पूँजी	**6093.55**	**5043.49**	**4859.32**	**4688.97**

आय तथा व्यय का विवरण

वर्ष 2012 से 2014 के लिए पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(₹ in Crore)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए) से आय					
	सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	घटाव : लेवी (एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य लेवी)	2306.44	1937.36	2023.86	1473.22
1	निवल बिक्री	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
2	अन्य आय (ए से डी)	597.54	624.94	681.64	565.28
	(ए) सैंड स्टोइंग और सुरक्षात्मक कार्य की सहायिकी	0.35	1.74	2.01	2.53
	(बी) परिवहन से वसूली और लोडिंग खर्च	252.98	228.56	199.47	203.89
	(सी) बैंक जमा पर ब्याज	251.47	300.47	359.81	293.31
	(डी) अन्य गैर संचालित आय	92.74	94.17	120.35	65.55
	कुल (क)	**10072.53**	**9180.95**	**9237.88**	**8097.40**
(बी) को भुगतान/के लिए प्रावधान					
1	कर्मचारी लाभ खर्च	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ए) वेतन, वेजेज़, भत्ते, बोनस आदि	2777.98	2669.31	2454.02	2244.21
	(बी) पीएफ में अंशदान और अन्य निधि	366.87	340.44	383.30	245.80
	(सी) ग्रैच्युटी	101.53	67.46	177.06	481.61
	(डी) छुट्टी का नगदीकरण	168.36	23.97	102.43	167.69
	(ई) अन्य	482.45	408.02	405.66	353.19
2	स्टॉक में एक्रीशन/डिक्रीशन	(112.07)	36.74	275.71	(86.50)
3	कल्याण खर्च*	0.00	76.73	63.31	24.56
4	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च	48.87	0.00	0.00	0.00
5	उपभोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
6	ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
7	ठेकेदार (मरम्मत सहित)	1166.96	724.06	669.13	638.37
8	वित्तीय खर्च	1.08	7.98	7.55	3.58
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	312.55	254.10	235.21	220.80
10	प्रावधान और राइट–ऑफ	170.98	182.66	279.36	183.37
11	ओवर बर्डन हटाने का समायोजन	(44.77)	241.66	(43.53)	188.59
12	अन्य खर्च	742.46	632.71	584.23	659.66
13	पिछली अवधि का समायोजन	33.11	(11.27)	(23.67)	(40.49)
	कुल (बी)	**7332.19**	**6655.08**	**6554.32**	**6127.16**
	वर्ष के लिए लाभ (ए–बी)	**2740.34**	**2525.87**	**2683.56**	**1970.24**
	लाभ पर कर	969.73	854.11	797.95	650.69
	लाभांश (अंतरिम और प्रस्तावित)	354.74	1003.05	1131.37	791.74
	लाभांश पर कर	71.85	173.84	183.54	128.44
	सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	274.03	252.59	268.36	197.02
	सीएसआर के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	27.26	24.00	23.76
	एस डी के लिए रिजर्व को स्थानांतरित	0.00	2.28	1.72	0.00
	बी/एफ पिछले वर्ष से	1973.78	1761.04	1484.42	1305.83
	प्रतिधारण आय में समायोजन**	34.59	-	-	-
	तुलन पत्र पर संचित लाभ/हानि स्थानांतरित	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	संचित लाभ और हानि (रिजर्व में स्थानांतरित से पहले)	3283.21	2255.91	2055.12	1705.20

* कम्पनी एक्ट 2013 के शिड्यूल III के अनुपालन के लिए, सीएसआर खर्चों का वित्तीय विवरण को नोट – 25 में अलग से दिया गया है और कल्याण खर्चों को उनकी प्रकृति–अनुसार नोट – 24 अर्थात् कर्मचारी लाभ खर्च और नोट – 31, अन्य खर्चों में डाला गया है।

2014–15 वित्तीय वर्ष के पहले सीएसआर के खर्चों को कल्याण खर्च के शीर्ष में डाला जाता था।

** 01.04.2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल II के अनुपालन, जो मूल्यह्रास से संबंधित है, वर्ष 2014–15 में प्रतिधारित आय को 34.59 करोड़ कम दर्शाया गया है।

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 की पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(ए) वित्तीय सूचना

(₹ In Crore)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए)	**परिसंपत्ति एवं देयताओं से संबंधित**				
(1)	(i) प्रत्येक 1000/– के इक्विटी शेयर की संख्या	9400000	9400000	9400000	9400000
	(ii) शेयरहोल्डर निधि				
	(क) इक्विटी	940.00	940.00	940.00	940.00
	(ख) आरक्षित	1863.20	1589.17	1307.04	1012.96
	(ग) जमा हुई लाभ/हानि (+)/(-) (अतिरिक्त)	3009.18	1973.78	1761.04	1484.42
	निवल मूल्य	5812.38	4502.95	4008.08	3437.38
(2)	(क) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता सम्मिलित	0.00	0.00	86.90	104.32
	(ख) लम्बी अवधि के ऋण चालू परिपक्वता के अलावा	0.00	0.00	69.92	87.54
(3)	लगाई गई पूँजी	6093.55	5043.49	4859.32	4688.97
(4)	(i) निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	1753.75	1613.39	1397.82	1487.84
	(ii) चालू परिसम्पत्तियाँ	8521.30	7680.77	7478.95	7553.11
	(iii) चालू देयताएँ	4181.50	4250.67	4017.45	4351.98
(5)	(क) व्यापार प्राप्य (निवल)	1465.57	1875.72	1533.87	1078.66
	(ख) नकद और नकद समतुल्य	3947.62	2816.37	3560.44	3986.20
(6)	क्लोजिंग स्टॉक :				
	(क) भण्डार और स्पेयर्स (निवल)	166.87	147.18	149.67	146.87
	(ख) कोयला और कोक आदि (निवल)	1178.54	1067.28	1103.23	1379.68
	(ग) अन्य सामग्री सूची (निवल)	5.73	4.87	5.74	4.95
(7)	भण्डार और स्पेयर्स के औसत स्टॉक (निवल)	157.03	148.43	148.27	145.22
(बी)	**लाभ हानि से संबंधित**				
(1)	(क) सकल मार्जिन	3053.97	2786.55	2924.86	2192.89
	(ख) सकल लाभ	2741.42	2532.45	2689.65	1972.09
	(ग) कर से पहले लाभ	2740.34	2525.87	2683.56	1970.24
	(घ) निवल लाभ (कर के बाद)	1770.61	1671.76	1885.61	1319.55
	(ङ) निवल लाभ (कर और लाभांश के बाद)	1344.02	494.87	570.70	399.37
(2)	(क) सकल बिक्री	11781.43	10493.37	10580.10	9005.34
	(ख) निवल बिक्री (लेवी के बाद)	9474.99	8556.01	8556.24	7532.12
	(ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	9587.06	8519.27	8280.53	7618.62
(3)	बेचे गए सामान का मूल्य (निवल बिक्री – लाभ)	6734.65	6030.14	5872.68	5561.88
(4)	(क) कुल खर्च	7332.19	6655.08	6554.32	6127.16
	(ख) कर्मचारी लाभ खर्च	3897.19	3509.20	3522.47	3492.50
	(ग) उपयोगित सामग्री का मूल्य	837.64	733.93	625.73	577.27
	(घ) ऊर्जा एवं ईंधन	278.19	266.58	358.82	265.45
	(ङ) वित्तीय मूल्य और मूल्य ह्रास	313.63	262.08	242.76	224.38
(5)	भण्डार और स्पेयर्स की औसत उपयोगिता (सकल) प्रति माह	69.80	61.16	52.14	48.11
(6)	(क) वर्ष के दौरान लगाई गई औसत श्रमशक्ति	45849	47406	49076	51156
(7)	(क) मूल्य जुड़ाव	8471.30	7519.02	7296.51	6776.45
	(ख) मूल्य जुड़ाव प्रति कर्मचारी (₹ '000)	1847.67	1586.09	1486.78	1324.66

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं सापेक्षिक अनुपात

वर्ष 2012 से 2014 की पुनरीक्षित सूची VI के अनुसार तथा वर्ष 2015 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सूची III के अनुसार

(बी) वित्तीय अनुपात/प्रतिशतता

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012
(ए)	लाभकारिता अनुपात				
(1)	निवल बिक्री के % अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	32.23	32.57	34.18	29.11
	(ख) सकल लाभ	28.93	29.60	31.43	26.18
	(ग) कर से पहले लाभ	28.92	29.52	31.36	26.16
(2)	कुल खर्च के % अनुसार				
	(क) कर्मचारी लाभ खर्च	53.15	52.73	53.74	57.00
	(ख) उपयोगित सामग्री का मूल्य	11.42	11.03	9.55	9.42
	(ग) ऊर्जा एवं ईंधन	3.79	4.01	5.47	4.33
	(घ) ब्याज एवं मूल्यह्रास	4.28	3.92	3.68	3.63
(3)	लगाई गई पूँजी के % अनुसार				
	(क) सकल मार्जिन	50.12	55.25	60.19	46.77
	(ख) सकल लाभ	44.99	50.21	55.35	42.06
	(ग) कर से पहले लाभ	44.97	50.08	55.23	42.02
(4)	संचालन अनुपात (बिक्री–लाभ/बिक्री)	0.71	0.70	0.69	0.74
(ए)	तरलता अनुपात				
	(1) चालू अनुपात (चालू परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	2.04	1.81	1.86	1.74
	(2) द्रुत प्रभावी अनुपात (द्रुत प्रभावी परिसम्पत्तियाँ/चालू देयताएँ)	1.71	1.52	1.55	1.38
(सी)	कारोबार अनुपात				
	(1) पूँजी टर्नओवर अनुपात (निवल बिक्री/लगाई गई पूँजी)	1.55	1.70	1.76	1.61
	(2) व्यापार प्राप्य, माह की संख्या अनुसार				
	(क) सकल बिक्री	1.49	2.15	1.74	1.44
	(ख) निवल बिक्री	1.86	2.63	2.15	1.72
	(3) निवल बिक्री के अनुपात अनुसार				
	(क) व्यापार प्राप्य	0.15	0.22	0.18	0.14
	(ख) कोयला, कोक, धुला कोयला आदि का स्टॉक	0.12	0.12	0.13	0.18
	(4) भण्डार और स्पेयर्स का स्टॉक				
	(क) औसत स्टॉक/वार्षिक खपत	0.19	0.20	0.24	0.25
	(ख) मासिक खपत की संख्या पर अंतिम स्टॉक	2.39	2.41	2.87	3.05
	(5) कोयला, कोक, धुले कोयले आदि का स्टॉक				
	(क) माह की संख्यानुसार उत्पादन मूल्य	1.48	1.50	1.60	2.17
	(ख) माह की संख्यानुसार बिके माल का मूल्य	2.10	2.12	2.25	2.98
	(ग) निवल बिक्री माह की संख्यानुसार	1.49	1.50	1.55	2.20
(डी)	संरचनात्मक अनुपात				
	(1) ऋण : इक्विटी	0.00	0.00	0.07	0.09
	(2) ऋण : निवल मूल्य	0.00	0.00	0.02	0.03
	(3) निवल मूल्य : इक्विटी	6.18	4.79	4.26	3.66
	(4) निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ : निवल मूल्य	0.30	0.36	0.35	0.43
(ई)	शेयरधारकों का ब्याज				
	(1) शेयर की बुक वैल्यु (₹) (निवल मूल्य/इक्विटी की संख्या)	6183.38	4790.37	4263.91	3656.79
	(2) प्रति शेयर लाभांश (₹)	377.38	1067.07	1203.59	842.28

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारकगण,
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सज्जनों,

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशक मण्डल की ओर से अंकेक्षित वित्तीय विवरण सहित कम्पनी के 62वीं वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अंकेक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर प्रबंधन के जवाब के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंकेक्षित लेखा पर समीक्षा, इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

1. उत्पादन

वर्ष 2017–18 के उत्पादन और उत्पादकता तथा 2017–18 के वास्तविक उत्पादन का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	2018–19		2017–18	प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एमटी)	70.050	63.000	66.310	-4.992
भूमिगत खदान से (एमटी)	0.450	0.405	0.737	-45.010
कुल (एमटी)	**70.500**	**63.405**	**67.047**	**-5.431**
ओबीआर (एमएम³)	**105.000**	**95.622**	**102.630**	**-6.828**
धुला कोयला (कोकिंग)(एमटी)	1.285	1.115	1.139	-2.080
धुला कोयला (नॉन कोकिंग)(एमटी)	6.746	6.076	8.942	-32.044
उत्पादकता (ओएमएस–टीई)				
खुली खदान	8.710	9.372	9.808	
भूमिगत खदान	0.400	0.194	0.294	
कुल	**7.700**	**7.195**	**7.235**	

कोयला उत्पादन (एम.टी. में)

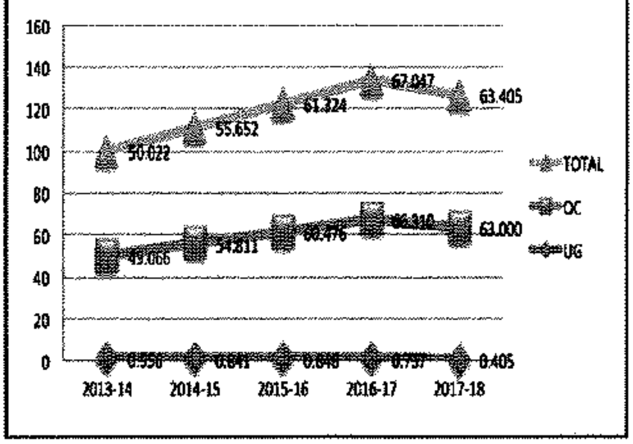

उत्पादकता (ओ.एम.एस.–टी.ई.)

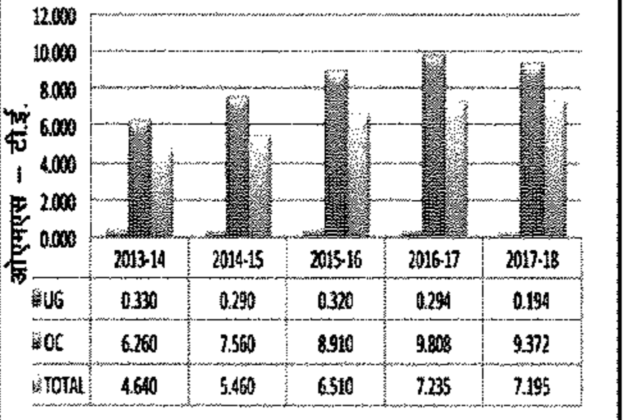

2. वाशरी की उपलब्धियाँ

आपकी कम्पनी सीसीएल, कोकिंग कोयले के साथ गैर कोकिंग कोयले के वाशिंग के व्यवसाय में है। कोकिंग कोल की वाशिंग/बेनीफिशिएशन हेतु चार एवं गैर कोकिंग कोयले के लिए दो गैर–कोकिंग कोल वाशरियाँ यहाँ अवस्थित है।

- वर्ष 2017–18 में सीसीएल के कुल लाभ में वाशरियों का योगदान 450.43 करोड़ रुपये रहा।

वर्ष 2017–18 की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2017–18 के दौरान कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोल वाशरियाँ वर्धित उत्पादक प्रतिशतता पर संचालित हुई। गत वर्ष 34.41 प्रतिशत की उत्पादकता के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में 35.69 प्रतिशत की उत्पादकता वृद्धि कोकिंग कोल वाशरियों द्वारा प्राप्त की गई। उसी प्रकार, गैर कोकिंग कोल वाशरियों में विगत वर्ष की 96.1 प्रतिशत उत्पादकता की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 96.7 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि दर्ज की गई।
- कोकिंग कोल वाशरियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस्पात–संयंत्रों को 11.15 लाख टन कोयला उत्पादन के सापेक्ष 11.45 लाख टन धुले कोयले का प्रेषण किया गया।
- गैर–कोकिंग कोल वाशरियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में विद्युत–संयंत्रों को 68.93 लाख टन कोयला उत्पादन के सापेक्ष 68.76 लाख टन धुले कोयले का प्रेषण किया गया।
- उसी प्रकार, कोकिंग कोल वाशरियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में विद्युत–संयंत्रों को 12.22 लाख टन कोयला उत्पादन के सापेक्ष 13.35 लाख टन धुले कोयले का प्रेषण किया गया।
- अलग–अलग वाशरियों में बड़ी मात्रा में कच्चे कोयले के पुराने भंडारों (4.06 लाख टन) का निपटान किया गया (दिनांक 01.04.2017 को कच्चे कोयले का भण्डार 10.898 लाख टन था और दि. 31.03.2018 को 6.833 लाख टन)।

- धुले कोकिंग कोयले का प्रेषण सख्त गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार किया गया। कट ऑफ लिमिट के परे रेकों के संख्या के अनुसार में धुले हुए कोकिंग कोयले के ग्रेड स्लिपेज में कमी आई, जो कि 2016–17 में 3.542 प्रतिशत थी और 2017–18 में 1.515 प्रतिशत है।

अनुकरणीय कार्य

- केदला वाशरी में जल संतुलन और बारीक कोयले के प्रबंधन के लिए स्थैतिक थिकनर की विभागीय मरम्मती और मजबूतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
- केदला वाशरी में मोबाइल क्रशर की स्थापना और परिचालन किया गया है ताकि इस संयंत्र का सुचारू रूप से संचालन हो सके।

कोकिंग कोल वाशरीज

- 2017–18 के दौरान 11.15 लाख टन धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया।
- 2017–18 में कोकिंग कोल वाशरियों का लाभ में योगदान रु. 103.10 करोड़ का है।
- गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में वाशरीवार उत्पादन और धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है :

वाशरी	उत्पादन (लाख टन में)		उत्पादन प्रतिशत	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
कथारा	0.451	0.778	12.98%	16.98%
स्वांग	0.901	0.714	19.47%	14.90%
रजरप्पा	5.668	5.922	44.295%	42.46%
केदला	4.133	3.948	39.932%	40.67%
करगली	—	0.028	—	39.01%
कुल	11.153	11.390	35.693%	34.41%

गैर–कोकिंग कोल वाशरियाँ

- 2017–18 के दौरान 11.15 लाख टन धुले गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया।
- 2017–18 में गैर–कोकिंग कोल वाशरियों का लाभ में योगदान रु. 103.10 करोड़ रहा।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में वाशरीवार उत्पादन और धुले गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है :

वाशरी	उत्पादन (लाख टन में)		उत्पादन प्रतिशत	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
पिपरवार	59.897	88.097	98.03	97.13
गिदी	0.866	1.319	50.00	56.26
कुल	60.763	89.416	96.71	96.10

नई प्रस्तावित वाशरियों/सीटीएल परियोजना की उपलब्धियाँ

1. कोयला मंत्रालय द्वारा नियत कार्यक्रम अनुसार मार्च '18 में बी.डी.ओ. अवधारणा अनुसार 4.0 मिलियन टन/वर्ष की तापिन और 3.0 मिलियन टन/वर्ष की नई कथारा कोकिंग कोल वाशरी के लिए निविदाएँ जारी की गई।
2. कोयला मंत्रालय द्वारा नियत कार्यक्रम अनुसार मार्च '18 में बी.डी.ओ. अवधारणा अनुसार 7.0 मिलियन टन/वर्ष की कोनार गैर–कोकिंग कोल वाशरी के लिए निविदा जारी की गई।
3. सीसीएल बोर्ड अपने 442वीं बैठक में (दि. 27.04.2017 की सं. 9) कोयले से मेथनॉल बनाने की परियोजना के लिए रूचि प्रकटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

   इसके अलावा बोर्ड ने कोयला से अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए भी संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया।
4. झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के कमान क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड (प्रयोगात्मक) में प्रस्तावित कोयला आधारित मिथनॉल/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट (सीटीएल) संयंत्र हेतु रूचि प्रकटन (ईओआई) आमंत्रित की गई।
5. यद्यपि एम.ओ.यू. की तिथि 28.02.2018 थी परन्तु प्रस्तावित कोयला आधारित मेथनॉल/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट (सीटीएल) संयंत्र की पूर्व–व्यवहार्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) तैयार करके नियत समय सीमा के भीतर 26.02.2018 को जमा किया गया।

अतः आपकी कम्पनी ने "विशिष्ट परियोजना : विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड में प्रस्तावित कोयला आधारित मेथनॉल/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट (सीटीएल) संयंत्र की पूर्व–व्यवहार्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) एवं बिजनेस–तैयारी की बहुरूपता" में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की। 28 फरवरी, 2018 के उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष 26 फरवरी, 2018 को ही यह उपलब्धि हासिल कर ली गई।

3. ऑफटेक (उठाव)

वर्ष 2017–18 में कच्चे कोयले का कुल ऑफटेक (उठाव) 67.510 मिलियन टन था। गत वर्ष की तुलना में उठाव का साधन अनुसार विवरण निम्नलिखित है :

(आँकड़े मिलियन टन में)

साधन	2017-18	2016-17	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	32.740	30.260	8.20 %
सड़क	25.362	18.059	40.43 %
वाशरी फीड	9.408	12.614	(–) 25.42 %
कोलियरी में उपयोग	0.0003	0.001	—
कुल उठाव	67.510	60.934	10.79 %

सड़क माध्यम से, वर्ष 2017–18 के दौरान, सीसीएल ने 40.43 प्रतिशत कोयला उठाव की वृद्धि दर्ज की है। विगत वर्ष की तुलना में सीसीएल ने 10.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल डिस्पैच 68.844 मिलियन टन रहा। क्षेत्रवार कोयले एवं इसके विभिन्न उपोत्पाद का प्रेषण वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित है :

खंडवार कोयले का प्रेषण (एम.टी. में)

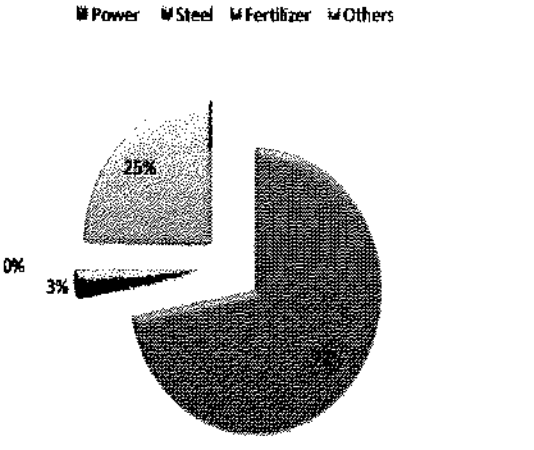

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	धुला कोयला	धुला कोयला (ऊर्जा)	गैर कोकिंग धुला कोयला	स्लरी	रिजेक्ट्स	कुल
ऊर्जा	42.224	0.000	0.554	6.811	0.000	0.000	49.589
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	0.000	1.145	0.781	0.102	0.000	0.000	2.027
उर्वरक	0.148	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.148
अन्य*	15.729	0	0	0	0.279	1.071	17.080
कुल	**58.101**	**1.145**	**1.335**	**6.913**	**0.279**	**1.071**	**68.844**

* *अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई–ऑक्शन, पुराने गैरकोर ग्राहक, स्पंज लोहा, सी.पी.पी., एवं राज्य एजेंसियाँ।*

4. कोयले का स्टॉक

31 मार्च, 2018 तक कच्चे कोयले* का भण्डार 13.469 मिलियन टन था जबकि 31.03.2017 को कोयले का भण्डार 17.573 मिलियन टन था।

(सभी उत्पादक ईकाइयों, वाशरियों एवं कोक संयंत्रों में कच्चे कोयले का भण्डार)*

5. टर्नओवर और विक्रय–प्राप्ति

वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी का टर्नओवर 15,965.12 करोड़ रुपये एवं विक्रय–प्राप्ति 18,433.17 करोड़ रुपये रही (सभी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि सहित)। 31 मार्च, 2018 तक कर्जदारों (कुल) की क्षेत्रवार सारणी नीचे दी गई है :

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	31.03.2018 तक (₹)	31.03.2017 तक (₹)
ऊर्जा	923.07	1186.38
इस्पात	984.48	943.10
अन्य	58.93	40.33
कुल	**1966.48**	**2169.81**

6. एचइएमएम की संख्या और उपलब्धियाँ

सीसीएल के मशीनीकृत खुली खदानों में एचईएमएम की 31.03.2017 की तुलना में 31.03.2018 संख्या निम्नवत है :

एचईएमएम	तिथि तक संख्या	
	31.03.2018	31.03.2017
शॉवेल	116	116
डम्पर	429	416
डोजर	142	133
ड्रिल	105	113
कुल	792	779

एचईएमएम	प्रतिशत उपलब्धता			प्रतिशत उपयोगिता		
	मानक	वास्तविक		मानक	वास्तविक	
		2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
शॉवेल	80	79.9	82.7	58	40.4	40.2
डम्पर	67	77.2	79.7	50	36.1	37.0
डोजर	70	67.1	67.2	45	21.2	21.5
ड्रिल	78	83.7	84.4	40	28.3	27.9

7. प्रणाली धारिता उपयोगिता

वर्ष 2017–18 में 01.04.17 को आकलित प्रणाली धारिता (एमएम³)	खुली खदान से उत्पादन की प्राप्ति (2017–18)			प्रतिशत धारिता उपयोग	
	कोयला (एमटी)	ओबीआर (एमएम³)	संयुक्त (एमएम³)	2017-18	2016-17
173.53	63.001	95.622	135.75	78.20	103.11

8. कोयला विपणन

8.1 एएपी के अनुसार मांग पूर्ती

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	मांग (एएपी)	प्रेषण	प्रतिशत संतुष्टि	मांग (एएपी)	प्रेषण	प्रतिशत संतुष्टि	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	2017-18	2017-18	2017-18	2016-17	2016-17	2016-17	
इस्पात (स्टील सीपीपी सहित)	3.810	2.027	53.20	3.860	2.639	68.26	(-) 23.19
ऊर्जा	45.000	49.589	110.20	44.800	45.550	101.67	8.87
उर्वरक	0.250	0.148	59.20	0.300	0.221	73.66	(-) 33.03
अन्य	21.440	17.080	79.66	18.040	12.165	68.06	40.40
कुल	**70.500**	**68.844**	**97.65**	**67.000**	**60.575**	**90.41**	**13.65**

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में प्रेषण की कुल वृद्धि 13. 65 प्रतिशत रही।

8.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2017–18 एवं 2016–17 में कोल फील्ड वार लोडिंग की स्थिति निम्न सारणी में दी गयी है :

(आंकड़े रेक/दिन में)

रेलवे प्रक्षेत्र	2017-18	2016-17	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
दक्षिणी कर्णपुरा	7.3	4.1	78
उत्तरी कर्णपुरा	16.3	16.6	(-) 2
उप कुल कर्णपुरा	**23.6**	**20.7**	**14**
झरिया	6.7	8.6	(-) 22
कुल ई. सी. रेलवे	**30.3**	**29.3**	**3**
गिरीडीह	0.6	0.3	100
कुल पूर्व रेलवे	**0.6**	**0.3**	**100**
राँची	0.7	1.0	(-)30
कुल एस. ई. रेलवे	**0.7**	**1.0**	**(-) 30**
कुल सीसीएल	**31.6**	**30.5**	**3.61**

8.3. कोयले की ई–नीलामी

वर्ष 2017–18 के दौरान स्पॉट ई–नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार है :

अवधि	स्पॉट ई-निलामी योजना	पेशकश की मात्रा (मिटन)	बुक्ड मात्रा (मि. टन)	अधिसूचित मूल्य पर लाभ (रु. लाख में)	अधिसूचित मूल्य पर अधिक लाभ प्रतिशत
2017-18	रेल	0	0	0	0
	रोड	19.702	9.751	75274	61
	स्लरी	1.027	0.244	1948	42
	रिजेक्ट्स	1.440	1.179	4699	53
कुल		**22.169**	**11.174**	**81921**	**60**

वर्ष 2017–18 के दौरान प्रस्तावित कच्चे कोयले की स्पॉट ई–नीलामी में कोयले की मात्रा कोयला उत्पादन का लगभग 31.1 प्रतिशत था।

9. कोयले की साइजिंग एवं क्रशिंग

सीसीएल के स्वामित्व में 31 मार्च, 2018 तक 26 फीडर ब्रेकर और तीन सीएचपी, गिद्दी – ए, सिरका (अरगडा क्षेत्र) एवं भुरकुंडा(बरका–सयाल क्षेत्र) है, जो कोयले को (–) 100 एमएम के आकार में क्रश करने की क्षमता रखते हैं। ये एक वर्ष में 24.46 मिलियन टन कोयले की सिएजिंग/क्रशिंग करने की क्षमता रखते हैं। इनके अलावा इनपित क्रशर के द्वारा आरओएम कोयले की (–) 200 एमएम आकार में क्रशिंग की जा रही हैं, जिसको सेकंड्री क्रशर के द्वारा (–)100 एमएम आकार में क्रशिंग करके पिपरवार वाशरी में अग्रेसित किया जा रहा है। इसके साथ डंप हॉपर से फीड किये कोयले को प्राइमरी क्रशर से (–200) एमएम आकार में क्रश किया जाता है, जिसको उसके बाद सेकेंड्री क्रशर से (–) 100 एमएम में क्रश किया जाता है। 2017–18 के दौरान करीब 9.21 मिलियन टन कोयले की विभागीय फीडर ब्रेकर, इन–पिट क्रशर एवं डंप हॉपर के जरिये क्रशिंग की गयी।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2018 तक, 23 फीडर ब्रेकर अनुबंध के अंतर्गत सीसीसी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है जिनकी सालाना क्रशिंग की क्षमता कुल 29.14 मिलियन टन है। अनुबंधित क्रशर्स भी कोयले को आरओएम कोयले को (–)100 एमएम आकार में क्रश करते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी मात्रा में कोयले की क्रशिंग अनुबंधित सरफेस माइनर के द्वारा की जाती हैं जो सफलता पूर्वक मगध आम्रपाली क्षेत्र, पिपरवार क्षेत्र एवं बरका सयाल क्षेत्र में संचालन में हैं। 2017–18 के दौरान करीब 18.24 मिलियन टन कोयला सरफेस माइनर द्वारा क्रश किया गया।

10. तुलन सेतुओं का प्रदर्शन

वर्ष 2017–18 में, डिस्पैच से पूर्व कोयले का वजन 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने की हरसंभव कोशिश की गयी हैं। वर्तमान में रेल द्वारा डिस्पैच कोयले का वजन करने के लिए 32 रेलवे तुलन सेतु संचालन में हैं। इन 32 रेल तुलन सेतुओं में 9 स्टैंड बाई तुलन सेतु भी शामिल हैं जो आरसीएम, केडीएच, मैक्लुसकीगंज, केडी ओल्ड, एन. आर., तारमी, स्वांग वाशरी, कथारा वाशरी एवं जारंगडीह में कार्यरत हैं। 2017–18 में स्थैतिक तुलन सेतु और अपलिखित तुलन सेतुओं की प्रतिस्थापना के योजना अनुसार चार नये 120 टन चल –रेल तुलन गृह पिपरवार क्षेत्र अंतर्गत राय–बचरा, कथारा क्षेत्र के अंतर्गत स्वांग वाशरी, एन के क्षेत्र के अंतर्गत मैक्लुस्किगंज एवं ढोरी क्षेत्र के अंतर्गत अमलो चालू किये गए। 2017–18 में तारमी (ढारी क्षेत्र), कुजू नई साइडिंग (2–कुजू क्षेत्र), कथारा वाशरी, स्वांग वाशरी और जारंगडीह (कथारा क्षेत्र), रजरप्पा वाशरी (रजरप्पा क्षेत्र), आरसीएम और राजधर साइडिंग (पिपरवार क्षेत्र), केडीएच एवं के डी ओल्ड (एन के क्षेत्र), पतरातू (बरका–सयाल क्षेत्र) हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन (हजारीबाग क्षेत्र) और सीपी साइडिंग गिरिडीह (बी एण्ड के क्षेत्र) में 14 नये इन मोशन रेल तुलन सेतु स्थापित किये जायेंगे। हालांकि अभी गिरिडीह, कुजू न्यू साइडिंग (लाइन 5) और पतरातू के लिए रेलवे द्वारा साईट की अनुमोदन की प्रतीक्षा है। उपभोक्ता और रेलवे की संतुष्टि हेतु सही मापी के लिए माप तौल विभाग, झारखंड सरकार और रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में रेलवे तुलन घरों की नियमित रूप से एफ आई ओ परीक्षण किया जाता है। 6 नये 140 टन के इन–मोशन रेल तुलन सेतुओं की खरीद अंतिम अवस्था में हैं।

वर्तमान में सड़क द्वारा प्रेषित किये जाने वाले कोयले के मापन हेतु 60 टन की क्षमता वाले 150 सड़क तुलन गृह हैं। वर्तमान में 11 नए 60 टन की क्षमता वाले सड़क तुलन गृह को लगाने का कार्य चल रहा है और अगस्त, 2018 तक इनके प्रारंभ होने की संभावना है। 31 नए सड़क तुलन गृहों की आपूर्ति आदेश मई, 2018 तक देने की संभावना है।

अतिरिक्त तुलन गृहों का क्रय शत प्रतिशत तुलन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की ओर इंगित करता है।

10.1 चुरी–बेनती खदान, एन. के. क्षेत्र में मैन–राइडिंग सिस्टम की स्थापना

मैन–राइडिंग सिस्टम की जगह ट्रैक लेस मैन एंड मेटेरियल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव सीसीएल बोर्ड के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

10.2 विद्युत उपभोग में कमी

वर्ष 2017–18 में, बिजली के उपभोग में कमी दर्ज की गयी। वर्ष 2016–17 में सीसीएल द्वारा बिजली की खपत 755.51 मेगा किलोवाट प्रति घंटा दर्ज की गयी थी जो की 2017–18 में घट कर 735.51 मेगा किलोवाट प्रति घंटा हो गयी।

11. उपभोक्ता संतुष्टि

सीसीएल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता–संतुष्टिकरण है। प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक मात्रा में शत प्रतिशत क्रश किया हुआ कोयला एवं उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार मात्रा में उच्च गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाये गये है। एम. ओ. सी. के निर्देशानुसार सीसीएल (–100 एमएम) आकार के कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सीसीएल के मुख्यालय एवं क्षेत्रों में गुणवत्ता–प्रबंधन विभाग के प्रशिक्षित अधिकारी हैं। प्रयोगशालाओं में जी. सी. वी. के निर्धारण हेतु 12 स्वचालित बॉम्ब कैलोरीमीटर संचालित है। मुख्यालय एवं पिपरवार क्षेत्र की प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. प्रमाणित हैं। एम.ओ.सी. के निर्देशानुसार, एफ.एस.ए. के अन्तर्गत विद्युत गृहों को डिस्पैच की जाँच हेतु सी.आई.एम.एफ.आर. थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में सैम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु कार्यरत है। फॉरवर्ड ऑक्शन (पावर), लिंकेज ऑक्शन (नन–पावर) एवं अन्य ऑक्शन के तहत् डिस्पैच हेतु आई.आई.टी–आई.एम.एम. एवं क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया को भी सैम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उपभोक्ताओं के शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु उपयुक्त प्रणाली है। गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

12. सी.सी.एम.सी. विभाग का वर्ष 2017–18 में प्रदर्शन एवं उपलब्धियाँ

(i) सी.एम.पी.डी.आई.एल. के सहयोग से सीसीएल के अंतर्गत 31 खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग का कार्य सम्पादित किया गया और उनके अनुपालन हेतु अनुमोदित सुझाओं को ईंधन संरक्षण से सभी सम्बद्धों को प्रेषित किया गया।

(ii) परियोजनाओं में डीजल खपत की निरंतर एवं सख्त निगरानी से सकल डीजल खपत एवं विशिष्ट डीजल खपत में काफी कमी आई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में एचईएमएम में एचएसडी की खपत 54268 किलोलीटर दर्ज की गई, जो कि विगत वर्ष 2016–17 में 58804 किलोलीटर थी। अतः विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4536 किलोलीटर डीजल की कम खपत हुई। इसके अलावा, 2017–18 में एसडीसी 1.03 ली./घ.मी. प्राप्त हुई एवं विगत वर्ष की तुलना में 2.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि बेंचमार्क एवं विगत वर्ष की 1.05 ली./घ.मी. की उपलब्धि से ज्यादा है।

(iii) विभिन्न परियोजनाओं से ईंजन और ट्रांसमिशन के 174 उपयोगित तेल नमूनों (ल्यूब तेल) का आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एल. और बी.पी.सी.एल. द्वारा परीक्षण के पश्चात इनके रिपोर्टों को संबंधित खदानों में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

(iv) सीसीएल के रजरप्पा, कथारा और केडीएच परियोजनाओं में तीन वाइब्रेशन एनालाईजर्स की आपूर्ति एवं सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया गया है ताकि किसी भी आसन्न खराबी का पूर्वानुमान लगाया जा सके। विद्युत शॉवेलों में उक्त उपस्कर के प्रयोग से कई बार प्रारंभिक अवस्था में ही समस्या की पहचान एवं मरम्मती हो जाती है जिससे मरम्मती–लागत एवं डाउन टाइम में कमी आई है।

(v) वर्ष 2016–17 की वार्षिक ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट संकलित कर नवंबर माह में प्रकाशित की गई एवं सभी संबद्धों को प्रेषित किया गया।

(vi) सीसीएल के उरीमारी एवं अशोक परियोजना में डीजल डिस्पेंसिंग मशीन (सीपी) का स्वचालन किया गया है और उक्त कार्य समापन की अंतिम अवस्था में है।

(vii) तीन क्षेत्रीय कर्मशालाओं के कन्डीशन मॉनिटरिंग प्रयोगशालाओं के लिए टेस्टिंग उपकरणों के क्रय का कार्य विभिन्न चरणों में है।

13. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग

डिजिटल इंडिया के इस युग में, ईएंडटी वस्तुतः किसी संगठनात्मक निकाय का ई एन टी (आंख, नाक, गला) के समान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाये गए हैं जो दैनिक संचार को सुगम बनाते हुए दूरस्थ क्षेत्रों को करीब लाते हैं और कोयला प्रेषण और परिवहन में पारदर्शिता लाते हैं। कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

ए. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में आरएफआईडी युक्त सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली और जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम :

सुरक्षित खानें उत्पादक होती हैं और सीसीएल ने जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और आर.एफ.आई.डी. निगरानी प्रणाली की सहायता से अपनी खानों को सुरक्षित, उत्पादक और प्रभावी बनाने की पहल की । कोयला मंत्रालय ने जी.पी.एस. (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) के माध्यम से सीआईएल के सभी खदानों के भीतर एवं खादानों से रेलवे साइडिंग या वाशरी जाने वाले सभी कोयले की निगरानी करने का निर्देश दिया है ।

सी.आई.एल. उत्पादन के पर्यावरणानुकूल तकनीकों के उपयोग को निरंतर महत्व दे रहा है, इसके साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कोयला–उत्पाद की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है । सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा सीसीएल में 36.31 करोड़ की कुल लागत से एकीकृत सिस्टम लगाया गया हैं। कार्य–आदेश में 2150 की संख्या में (विभागीय ट्रक, डंपर्स और प्राइवेट टिपर्स) की ट्रैकिंग शामिल है, 112 रोड वेब्रिजों में सीसीटीवी के साथ आर.एफ.आई.डी. निगरानी प्रणाली, 52 परियोजना कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में 24X7 नियंत्रण कक्ष जिसमे निगरानी के लिए केंद्रीय नियंत्रण–कक्ष सीसीएल (मुख्यालय), रांची में होगा । परियोजना 5 वर्ष के लिए किराये के आधार पर है। दो चरणों में परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है :

प्रथम चरण : उत्तरी कर्णपुरा और पिपरवार क्षेत्र

द्वितीय चरण : अन्य सभी क्षेत्र (अरगडा, बोकारो–करगली, बरका सयाल, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, कुजू, रजहरा और रजरप्पा)

यह परियोजना चोरी रोकने में सहायक सिद्ध होगी और साथ ही साथ संपूर्ण डिस्पैच के परिचालन की दक्षता में सुधार होगा । आर.एफ.आई.डी आधारित आधारभूत संरचना युक्त जी.पी.एस/जी.पी.आर.एस. आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली जैसे कि स्वचालित बूम–बैरियर आदि और वेब्रिजों के नियंत्रण/निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू किया गया है। इस प्रणाली को लागू करने से श्रमिकों और खानों के आसपास काम करने वाले लोगों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है, ट्रक चालकों द्वारा ड्राइविंग नियमों का पालन करने में सुधार और अनियंत्रित गाड़ी चलाने से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना, ट्रक का गतिनियंत्रण और ओवरलोडिंग से बचाव होता है। इस वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली के माध्यम से खानों से सीएचपी/रेलवे साइडिंग तक ट्रक परिचालन के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली प्रदान करती है। इस प्रणाली का लक्ष्य निर्धारित मार्ग के अनुसार कोयला ट्रकों की आवाजाही की निरंतर निगरानी और रास्ते में होने वाली चोरी को रोकना है।

सीसीएल ने अब तक विभिन्न कोयला परिवहन वाहनों में 2150 जी.पी.एस. डिवाइस स्थापित किए हैं।

सीसीएल कमान क्षेत्रों में आरएफआईडी और सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। आर.एफ.आई.डी. सिस्टम के साथ वी.टी.एस. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एकीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और सीसीएल कमान क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य कर रहा है। सी.सी.टी.वी. सिस्टम के साथ आर.एफ.आई.डी. सीसीएल के सभी 117 वेज ब्रिज स्थलों पर स्थापित किया गया है।

बी. सीसीएल हेतु "क्लोज्ड यूजर ग्रुप" (सीयूजी) नेटवर्क

सुरक्षित, उत्पादक और कुशल खनन गतिविधियों के लिए संचार अत्यंत आवश्यक है। आज मोबाइल संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए सीसीएल ने 03.01.2018 को एफसीटी के साथ मोबाइल फोन के सीयूजी नेटवर्क हेतु 3993 कनेक्शन के लिए मैसर्स बीएसएनएल को एक कार्य आदेश जारी किया था। इस कार्य–आदेश में, पर्याप्त डेटा, एसएमएस और असीमित वॉयस कॉल सुविधा प्रदान की जाती है।

सीसीएल के ईपीएबीएक्स में प्राथमिक दर इंटरफेस (पीआरआई) कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। सभी कमांड एरिया, प्रोजेक्ट्स, वेब्रिज, केंद्रीकृत इकाइयां इस सीयूजी नेटवर्क द्वारा कवर की जाती हैं। सीयूजी सुविधा पूरे सीसीएल में विभिन्न परिचालन/प्रबंधकीय अधिकारियों के बीच मुफ्त कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है। अब यह सीयूजी सीसीएल की वाणी एवं डेटा संचार का मेरुदंड बन गई है और संचार में काफी सुधार हुआ है। व्हाट्सएप और एसएमएस सीयूजी कनेक्शन को सीयूजी उपयोगकर्ताओं को सीधे किसी भी प्रबंधन से संबंधित या उत्पादन से संबंधित या मीटिंग से संबंधित जानकारी के लिए भेजा जा रहा है।

सी. सीसीएल के वैन/लैन नेटवर्क

वर्तमान में सीसीएल रांची में अपनी केंद्रीकृत इकाइयों और मुख्यालय के साथ 12 क्षेत्रों में परिचालन कर रहा है। वैन/लैन की कनेक्टिविटी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालय, वेब्रिजों (सड़क और रेल), क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाइयों में प्रदान की जाती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित हैं, ताकि सभी इकाइयों, परियोजनाओं, सड़क तुलन गृहों तथा रेल से सीसीएल के क्षेत्र के सीसीएल (मुख्यालय) और केंद्रीय इकाइयों के वजन और क्षेत्रीय भंडार को डेटा ट्रांसफर सुविधा हो सके। । 5 साल के लिए किराये के आधार पर सीसीएल में वैन स्थापित करने के लिए मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के द्वारा लागू किया गया । मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एमपीएलएस, वीएसएटी और आईएलएस के लिए बैंडविड्थ सेवा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक कमान क्षेत्र, क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीकृत इकाई को ओएफसी या आरएफ लिंक के माध्यम से 2 एमबीपीएस अनावश्यक एमपीएलएस दिया जाता हैं। सीसीएल (मुख्यालय) में 10 एमबीपीएस अनावश्यक एमपीएलएस और 10 एमबीपीएस आईएलएल लिंक है। वैन पॉइंट 176 स्थानों पर दिया गया है और क्षेत्रीय कार्यालय के सभी वैन पॉइंट में लैन पोर्ट के न्यूनतम 20 पोर्ट है और सभी परियोजना कार्यालयों में लैन के 5 पोर्ट दिये जाते हैं। किसी भी डेटा आधारित नेटवर्क का भविष्य का विकास लैन/वैन प्लेटफॉर्म के संचार नेटवर्क पर होगा।

यह प्रणाली पहले से ही स्थापित है और सितंबर,2015 से

परिचालित कराई गई है। यह वास्तविक समय पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोर, परियोजना कार्यालयों, केंद्रीय अस्पताल, माइन रेस्क्यू स्टेशन आदि विभिन्न स्थानों के बीच ऑनलाइन डेटा एक्सचेंज सुनिश्चित करेगा। इस कनेक्टिविटी का उपयोग जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आरएफआईडी द्वारा सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ सीसीएल में सुरक्षा, दक्षता और चोरी रोकने के लिए किया जाएगा। यह प्रणाली सभी परियोजना कार्यालयों, क्षेत्र कार्यालय और सीसीएल, मुख्यालय से वास्तविक समय के आधार पर वाहनों की निगरानी प्रदान करती है।

क्षेत्र का इन्टरएक्टिव मानचित्र

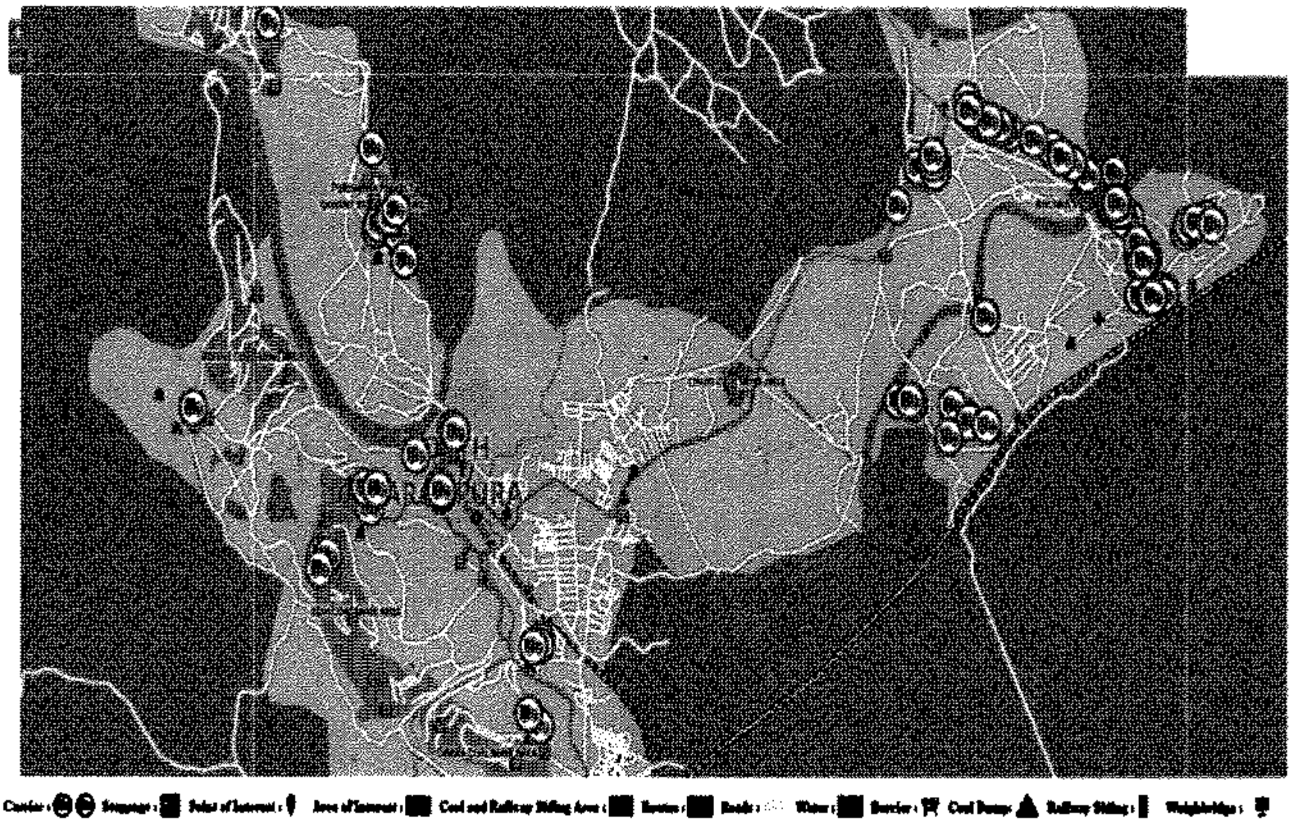

वीटीएस डैशबोर्ड

डी. सेकेंडरी वैन नेटवर्क

सेकेंडरी नेटवर्क के लिए, सीसीएल कमान क्षेत्रों में बेहतर वैन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 26.02.2018 को मैसर्स बीएसएनएल को कार्य–आदेश जारी किया गया है। इस नेटवर्क के अंतर्गत कुल 57.0 9 करोड़ रुपये की लागत के साथ 5 साल के किराये पर 279 लिंक शामिल हैं। 100 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक सीसीएल मुख्यालय और एमआरएस, रामगढ़ में स्टैंडबाय सर्वर के लिए 40 एमबीपीएस एमपीएलएस वीपीएन लिंक प्रस्तावित है। 10 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन लिंक का उपयोग सीसीएल मुख्यालय से सभी क्षेत्र, मुख्यालय, केंद्रीय इकाइयों और क्षेत्रीय स्टोर को जोड़ने के लिए किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों और सेल्स ऑफिस, सीसीएल, कोलकाता से पीओ ऑफिस, यूनिट्स, सड़क और रेल वेब्रिज से ऑनलाइन आवेदनों के लिए 2 एमबीपीएस लिंक का उपयोग किया जाएगा। इसे दिसंबर, 2018 तक लागू किया जाएगा

ई. सीसीटीवी आधारित कोयला डिस्पैच निगरानी प्रणाली

सीसीएल ने कोयला चोरी से बचने के लिए कोयला मंत्रालय और सीवीओ, सीआईएल आदेश के निर्देश के अनुसार सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है। सीवीओ(सीआईएल) के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से कवर किया जा रहा है। भण्डारों, विस्फोटक मैगजीन, प्रवेश–निकास बिंदु, रेल वेब्रिज और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है।

सीसीएल कमांड क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 798 सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं और परिचालित कराए गए हैं। सीसीएल कमान क्षेत्रों में सीसीटीवी के माध्यम से रेलवे साइडिंग और कोयला डंप की निगरानी की जा रही है।

एफ. इंटरनेट लीज्ड लाइन

सीसीएल ने विभिन्न इन्टरनेट प्रदाताओं के माध्यम से सीसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों में इंटरनेट लीज्ड लाइन्स की विभिन्न बैंडविड्थ प्रदान की है। सीसीएल मुख्यालय में प्रदान किया गया इंटरनेट भी वैन/लैन के माध्यम से केंद्रीकृत इकाइयों और सभी जरूरतमंद स्थलों तक बढ़ाया गया है। इंटरनेट लीज्ड लाइनों का व्यापक उपयोग वाईफाई, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, वीटीएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–खरीद/ई–निविदा, वेब ब्राउजिंग इत्यादि में हैं।

जी. स्मार्ट–क्लास

सीसीएल और बीसीसीएल के "मेरे लाल" और "मेरी लाडली" के लिए मेसर्स बीएसएनएल को वीडियो इंटरैक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट–क्लास के लिए 2,21,57,477.00 की राशि का कार्य–आदेश दिया गया। वीडियो इंटरएक्टिव सुविधा सहित स्मार्ट क्लास समाधान सफलतापूर्वक सीसीएल और बीसीसीएल के 08 स्थानों पर स्थापित किया गया है। सीआईएल,कोलकाता से 09.09.2017 को माननीय रेल एवं कोयला मंत्री श्री पियूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया ।

चरण–1 में, इस सिस्टम का केंद्रीय सर्वर सहित मुख्य स्टूडियो गांधीनगर, रांची में है जो मैसर्स बीएसएनएल के 20 एमबीपीएस के एमपीएलएस बैंडविड्थ के माध्यम से सीसीएल और बीसीसीएल के 07 स्थानों (ढोरी (सीसीएल), बरकाकाना (सीसीएल), डकरा (सीसीएल), ब्लॉक – 2 (बीसीसीएल), कतरास (बीसीसीएल), लोदना (बीसीसीएल), कल्याण भवन (बीसीसीएल)) बीएसएनएल के 02 एमबीपीएस एमपीएलएस बैंडविड्थ के माध्यम से से जुड़ा हुआ है ।

स्मार्ट–क्लास समाधान छात्रों के अध्ययन सामग्री से संबंधित डेटा वास्तविक समय में साझा करने के लिए एक स्मार्ट–बोर्ड से लैस है। स्मार्ट क्लास समाधान ने इंजीनियरिंग और बोर्ड स्तर परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों तक पहुंचने की कवायद की है।

एच. सीसीएल और इसके क्षेत्रों में वीसी सिस्टम

नवंबर,2017 से सीसीएल,रांची के सभी 12 क्षेत्रों में, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल,मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित और परिचालित है। केंद्रीय स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग सर्वर के साथ मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू),सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थापित है । सभी दूरस्थ स्थानों में 01 की संख्या में वीडियो एंडपॉइंट है जिसमे एक सार्वजनिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट से दिया गया हैं। वीसी सिस्टम की कनेक्टिविटी के लिए सभी दूरस्थ स्थानों पर 04 एमबीपीएस की आईएलएल और सीसीएल मुख्यालय, रांची में 30 एमबीपीएस का आईएलएल प्रदान किया गया है। यह प्रणाली आईएलएल पर काम करती है, जिससे हमारे पास सीआईएल कोलकाता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के एमसीयू और सार्वजनिक आईपी रखने वाले किसी भी वीसी सिस्टम से कनेक्ट करने का प्रावधान है।

I. ***अतः आपकी कंपनी ने "मास्टर कोडिफिकेशन और एकीकरण हेतु सीआईएल को इनपुट प्रदान करना" पैरामीटर के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। 31 मार्च, 2018 तक 100% के उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि।***

II. ***अतः आपकी कंपनी ने "28 फरवरी 2018 तक किसी भी दिन ई–ऑफिस में लॉग इन" पैरामीटर के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है । (उस तारीख के कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रतिशतता के रूप में)। 31 मार्च, 2018 तक 75% की उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 89% रही।***

14. सुरक्षा

सुरक्षा, सदैव कम्पनी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और शून्य–क्षति के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 2013 और 2014 में कम्पनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करके सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त किया है। विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	खदान का प्रकार	श्रेणी	खदान का नाम	निर्णय
2013	खुली खदान	दुर्घटना रहित सर्वाधिक अवधि	उरीमारी खुली खदान	विजेता
	भूमिगत खदान	दुर्घटना रहित सर्वाधिक अवधि	गोविन्दपुर भूमिगत खदान	उप विजेता
2014	खुली खदान	प्रति लाख मैन शिफ्ट में न्यूनतम चोट की आवृत्ति दर	उरीमारी खुली खदान	उप विजेता

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा विभाग द्वारा कई कदम उठाये गए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सीसीएल सुरक्षा बोर्ड बैठक

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक रोटेशन के आधार पर प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार किसी एक क्षेत्र में आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता निदेशक (तक./संचालन) और त्रिपक्षीय सुरक्षा बोर्ड के सदस्यगण करते हैं। इसमें क्षेत्रों के महाप्रबंधक, सीसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और आईएओ अधिकारी शामिल होते हैं।

सुरक्षा बोर्ड के सदस्य उस क्षेत्र की खदान में जाते हैं, तदनन्तर सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत चर्चा की जाती है, जिम्मेदारियाँ तय की जाती है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है।

II. सुरक्षा समिति का सुदृढ़ीकरण

खदान में पिट सुरक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की जाती है और एक बैठक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक भाग लेते हैं। त्रिपक्षीय समिति के ट्रेड यूनियन सदस्य भी आमंत्रित किये जाते हैं एवं उनके सुझावों को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

III. आईएसओ का सुदृढ़ीकरण

एक वरिष्ठ भूविज्ञानी एवं दो सिम्टार्स (SIMTARS) प्रशिक्षित अधिकारियों के पदस्थापन से आईएसओ को सुदृढ़ बनाया गया है। स्ट्रेटा कंट्रोल सेल की स्थापना आईएसओ, सीसीएल मुख्यालय में की गई है जिसका नेतृत्व ई-8 रैंक के एक अधिकारी दो वरिष्ठ खनन अधिकारियों की सहायता से कर रहे हैं।

IV. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक

निदेशक (तक./संचालन) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रत्येक माह सीसीएल मुख्यालय में की जाती है।

V. सुरक्षा कार्यशाला

जनवरी, 2018 में सभी क्षेत्र एवं कॉरपोरेट स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अधिकारीगण, ट्रेड यूनियन सदस्यों के साथ विभिन्न कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई एवं सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा की गई।

सुरक्षा प्रबंधन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला विचार मंच, सीसीएल मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों के साथ-साथ क्षेत्रों और मुख्यालय के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

VI. सुरक्षा प्रबंधन योजना

सभी ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों में होने वाले गतिविधियों को ध्यान में रख कर, उनसे सम्बद्ध खतरों से बचाव हेतु डीजीएमएस अधिकारियों, खान कर्मियों और आईएसओ द्वारा सिमटार्स (SIMTARS) प्रशिक्षित विशेषज्ञों के समेकित प्रयास से एक सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। सम्बद्ध कर्मियों को सुरक्षित संचालन प्रक्रिया का वितरण किया गया है। यह समय समय पर पुनरीक्षित किया जाता है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

VII. अन्तर कम्पनी सुरक्षा लेखांकन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बहुविषयी सुरक्षा लेखा टीम द्वारा सभी ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों का सुरक्षा लेखा परीक्षण किया गया और उनकी अनुशंसाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है।

VIII. वाह्य सुरक्षा लेखांकन

मेसर्स सर्टिफिकेशन सर्विसेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा सभी ओपन कास्ट और भूमिगत खानों का वाह्य लेखा परीक्षण किया गया।

IX. क्षेत्रीय खान रेस्क्यू प्रतियोगिता

(क) 29.10.2017 को आरआरआरटी, कथारा में क्षेत्रीय खान रेस्क्यू प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 9 विभिन्न टीमों ने भाग लिया। अरगडा टीम को समग्र रूप से प्रथम पुरस्कार मिला एवं एन. के. क्षेत्र के टीम को द्वितीय श्रेष्ठ टीम घोषित किया गया।

(ख) 12 से 15 दिसम्बर, 2017 को जामाडोबा में मेसर्स टाटा स्टील द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2017 में सीसीएल की दो टीमों (ए और बी) ने भाग लिया जिसमें सीसीएल की बी टीम ने प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

X. केन्द्रीयकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीआईएसएस) पोर्टल

एक सीआईएसएस पोर्टल को शुरू किया गया है जहाँ खान प्रबंधन द्वारा सभी रिपोर्ट, आंकड़े, जैसे सांविधिक श्रमशक्ति,

सांविधिक दस्तावेज, प्रशिक्षण निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना/घटनाएं आदि को अपलोड किया जाता है।

XI. 2017–18 में निम्नलिखित सुरक्षा अभियान आयोजित किए गये :

ए. 22.05.2017 से 30.05.2017 तक ओपन कास्ट खानों में मानसून की तैयारी के लिए सुरक्षा अभियान चलाया गया।

बी. 12.06.2017 से 25.07.2017 तक ओसीपी के प्रकाशन और कोल डिपो प्रबंधन पर सुरक्षा अभियान चलाया गया।

सी. 17.07.2017 से 21.09.2017 तक भूमिगत खानों में मानसून की तैयारी और स्वच्छता से संबंधित सुरक्षा अभियान चलाया गया।

डी. 18.09.2017 से 21.09.2017 तक भूमिगत खानों में विस्फोटन से संबद्ध सुरक्षा अभियान चलाया गया।

ई. 04.12.2017 से 15.12.2017 तक प्रक्रिया–कोड (सीओपी) एवं सुरक्षा परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संबद्ध सुरक्षा अभियान चलाया गया।

XII. मॉक रिहर्सल

भूमिगत खदानों में आपातकालीन स्थिति के निपटान की तैयारी को परखने के लिए निम्नलिखित मॉक रिहर्सल किये गए :

ए. उरीमारी भूमिगत खदान – 19.05.2017

बी. गोबिंदपुर भूमिगत खदान – 06.09.2017

सी. ढोरी खास भूमिगत खदान – 08.09.2017

XIII. सुरक्षा उपकरणों की खरीद

2017–18 में निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण खरीदे गये :

ए. अशोक और आम्रपाली ओपन कास्ट खदान में दो थ्रीडी लेजर स्कैनर खरीदे गये।

बी. ब्रैटिस कपड़ा : 3200 मीटर

सी. खोखले वर्ग ट्यूब : 50 एम.टी.

डी. कैनवास जूते : 38900 (जोड़े)

ई. पानी की बोतल : 7669 (संख्या)

XIV. सांविधिक श्रमशक्ति

सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रमशक्ति बजट 2017.18 के अनुसार सांविधिक श्रमशक्ति की अपर्याप्तता इस प्रकार हैं :

ओवरमैन	–	17
माइनिंग सरदार	–	211
विद्युत पर्यवेक्षक	–	33
इलेक्ट्रिशियन	–	27

सांविधिक श्रमशक्ति की अपर्याप्तत के संबंध में एक्शन रिपोर्ट :

ए. जूनिया ओवरमैन – जूनियर ओवरमैन के चयन के लिए 148 पदों का विज्ञापन दिया गया। लिखित परीक्षा ले ली गई है और परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है।

बी. माइनिंग सरदार – 207 के चयन के विरूद्ध 102 माइनिंग सरदारों को विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थापित किया गया है। अन्य 105 प्रतीक्षासूचीरत उम्मीदवार की पदास्थापना प्रक्रियाधीन है।

सी. सहायक फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) – 22 सहायक फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थापित किए जा चुके हैं और शेष 17 की पदास्थपना 2–3 महीने में हो जाएगी।

डी. इलेक्ट्रिशियन (गैर–खनन) – 29 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है और उपलोगों ने सेवाभार ग्रहण कर लिया है।

XV. सुरक्षा उपलब्धियाँ

विवरण	2016-17	2017-18
जानलेवा दुर्घटनाएँ	4	5
मृत्यु	5	5
गंभीर दुर्घटनाएँ	5	6
गंभीर चोटें	6	6

दर	2016-17	2017-18
1. मृत्यु दर प्रति दस लाख क्यूबिक मीटर दर पर कुल (ओबी+कोयला) (यूजी+ओसीपी)	0.04	0.03
2. मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट दर पर (कुल)	0.17	0.16
3. गंभीर चोट प्रति दस लाख मैन शिफ्ट दर पर कुल (ओबी+कोयला) (यूजी+ओसीपी)	0.04	0.04
4. गंभीर चोट प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट दर पर कुल	0.21	0.19

15. कार्मिक प्रबन्धन और औद्योगिक सम्बन्ध

दिनांक 31.03.2018 को कम्पनी की श्रमशक्ति संख्या 40777 थी, जो कि दिनांक 31.03.2017 को 442156 के मुकाबले कम थी। दिनांक 31.03.2018 एवं 31.03.2017 का श्रमशक्ति का वर्ग–वार ब्रेक अप नीचे दिया गया है :

श्रेणी	31.03.2018	31.03.2017
अधिकारी	2401	2436
पर्यवेक्षी	3206	3274
अत्यधिक कुशल/कुशल	13448	14101
अर्ध कुशल/अकुशल (टीआर)	16078	16514
अर्ध कुशल/अकुशल (पीआर)	1261	1512
लिपिक कर्मचारी	3749	3776
अन्य	634	543
कुल	**40777**	**42156**

अतः वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी की कुल श्रमशक्ति में 1379 की कमी दर्ज की गई, संदर्भित वर्ष के दौरान 2588 कर्मचारियों की संख्या घटी, मौजूदा श्रमशक्ति में 1209 कर्मचारियों को जोड़ा गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान श्रमशक्ति : 40777

पूर्वोक्त कटौती और वृद्धि निम्नलिखित मदों के अंतर्गत की गई है :

कटौती

मदों के अंतर्गत श्रमशक्ति कटौती	कर्मचारियों की संख्या (31.03.2018)
सेवानिवृत्ति/सुपरएनुएशन	1582
वीआरएस (जीएचएस)	01
मृत्यु	448
निष्कासन/बर्खास्तगी	155
इस्तीफा	20
अन्तर कम्पनी स्थानांतरण	145
चिकित्सीय अयोग्यता	02
अन्य	235
कुल कटौती	**2588**

जोड़

मदों के अंतर्गत श्रमशक्ति वृद्धि	कर्मचारियों की संख्या (31.03.2018)
9.3.0 के तहत नियुक्ति	448
9.4.0 के तहत नियुक्ति	16
मृत अधिकारियों के आश्रितों की नियुक्ति	02
लैण्ड लूजर स्कीम के तहत नियुक्ति	172
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	98
पुनर्स्थापन	05
नयी भर्ती	352
पुरस्कार प्रकरण	00
अन्य	114
कुल जोड़	**1209**

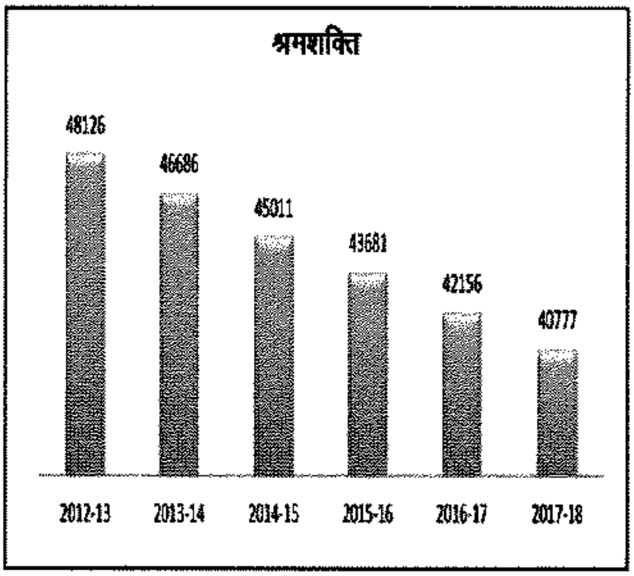

15.1. नियुक्ति

वर्ष 2017–18 में भर्ती विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

वर्ष 2017–18 में सीसीएल ने विभिन्न भर्ती गतिविधियों को सम्पन्न किया। इस साल सीसीएल ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अत्यधिक अवसर प्रदान किए और विभिन्न वैधानिक तथा गैर–वैधानिक श्रमशक्ति की भर्ती द्वारा देश के कोयला मांगों को पूरा करने के लिए योगदान दिया।

मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं

1. ओएमआर मशीन द्वारा ओएमआर शीट का पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन। ओएमआर मूल्यांकन की सेवाएं कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों को जैसे ईसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और सीएमपीडीआई और सीसीएल के विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के लिए प्रदान की जाती है। सीसीएल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट को भी ओएमआर मशीन द्वारा ओएमआर शीट को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन की सुविधा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोबेशन क्लोशर परीक्षा के लिए प्रदान करना शुरू किया है।
2. भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क की ई–भुगतान पद्धति तथा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की विधि के द्वारा सीसीएल की भर्ती प्रक्रिया को समय और लागत के मापदण्डों पर निरंतर एवं प्रभावी बनाया गया है।
3. वर्ष 2017–18 के अंत तक, निम्नलिखित पदों में भर्ती प्रक्रिया समाप्त की गयी जिससे आवश्यक कुशल श्रमशक्ति को नियुक्त किया गया।

(क)	माइनिंग सरदार	:	102
(ख)	डिप्टी सर्वेयर	:	20
(ग)	असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	:	35

(घ)	इलेक्ट्रिशियन (नॉन एक्सकावेशन)	:	16
(ङ.)	ई. पी. इलेक्ट्रिशियन	:	40
(च)	ओवरसीयर (सिविल)	:	33

इस प्रकार इस वर्ष सीसीएल के विभिन्न संवर्गों में 246 कुशल नए कर्मियों की भर्ती बाह्य भर्ती प्रक्रिया द्वारा भर्ती विभाग के द्वारा की गयी।

16. मानव संसाधन विकास विभाग

वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्धियाँ

मानव संसाधन विकास विभाग कार्यरत प्रबंधकों, कर्मचारियों, श्रमिकों, संविदात्मक श्रमिकों, हितधारकों को सिद्धांत संश्लेषित करने के कौशल के साथ उसके अनुप्रयोग के अनुशीलन की पहल करता है।

यह विभाग प्रबंधन के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, कार्यात्मक अधिकारियों को पार कार्यात्मक इनपुट को प्रदान करता है, अधिकारियों के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान करता है एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षकों एवं नए अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करता है।

गैर–अधिकारियों के लिए फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों और कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए कौशल विकास इस विभाग के कुछ केंद्रीय क्षेत्र हैं।

यह विभाग कौशल संवर्द्धन और लाभकारी रोजगार के लिए हितधारक को कौशल प्रदान करने हेतु भी जागरूक है।

उपरोक्त उद्देश्य और परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए, 2017–18 के दौरान इसकी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई है।

सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र सहायक कंपनी है जिसे बीटीटीआई, भुरकुंडा में इलेक्ट्रिक ट्रेड के आईटीआई पाठ्यक्रम की शुरूआत करने का गौरव प्राप्त है। 20 छात्रों को सत्र 2014–16 के लिए चुना गया है, जिनमें से 19 छात्रों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है। सत्र 2015–17 के लिए, 19 छात्रों का चयन किया गया है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और सभी

को कमिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोगी जैकारा टेक्नो द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है। सत्र 2016–18 के लिए, 19 छात्रों का चयन किया गया है। ये चयनित छात्र सीसीएल कमान क्षेत्र के परियोजना प्रभावित नागरिक हैं।

सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र सहायक कंपनी है जो कि सीआईएल–एसएफवीआरएस स्कीम 2015 के तहत सेवानिवृत महिला कर्मचारियों के 39 पुत्रों को इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर के आईटीआई ट्रेड में तथा 15 को माइनिंग सरदारशिप का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सीसीएल ने सीईटीआई, बरकाकाना में अपने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए कौशल विकास केन्द्र विकसित करने के लिए देश के कौशल विकास मिशन के पूरक प्रयास के रूप में शुरूआत की है। प्रशिक्षित किए जाने वाले कौशल इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड के कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक ट्रेड की अवधि छह महीने की है। चौथा बैच जो 1.3.17 से शुरू हुआ और 31.8.17 को समाप्त हो चुका, उनमें 42 को इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो 30.6.18 को पूरा हो जाएगा।

- मानव संसाधन विकास विभाग के एमटीसी, राँची, क्षेत्रों के जीवीटीसी, बीटीटीआई भुरकुंडा, सीईटीआई बरकाकाना, एसटीआई राँची में कार्यकारी के लिए प्रबंधकीय विकास और वर्ष 2017–18 के दौरान गैर–अधिकारियों के लिए कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9234 नंबर कर्मचारियों की 2017–18 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। देश के विभिन्न संस्थान/कॉलेजों के 1234 छात्रों को इंजीनियरिंग/एमबीए/बीबीए/एमसीए/बीसीए को 2017–18 के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- बड़े पैमाने पर समाज से जुड़ने के साथ–साथ उद्योग की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 471 छात्रों को माइनिंग सरदार परीक्षा के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।
- मेंटर–मेनटी कार्यक्रम में पदानुक्रम अंतराल को घटाने पारस्परिक कौशल विकास को बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए, अतिरिक्त काम करने और काम करने की दक्षता में वृद्धि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सीआईएल मेंटर मेनटी योजना के अंतर्गत 55 मेनटी को मेंटरों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम मेंटर के लिए तथा 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम मेनटी के लिए आयोजित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 192 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में

पदस्थापित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित विभागों के स्टाफ ऑफिसरों को मेंटर मनोनित किया गया है।

- मानव संसाधन विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण और सेमिनार मद के अंतर्गत प्रशिक्षण और सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रदत्त बजट राशि रू. 45735430/– में से रू. 36563964/– की राशि खर्च की गई है।

भविष्य की गतिविधियाँ

- ❖ विभिन्न ट्रेडों में लगभग 1238 अप्रेंटिसों को लगाया गया यानि संविदात्मक कर्मचारियों सहित कुल श्रम बल का 2.5 प्रतिशत
- ❖ अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए सभी क्षेत्रों का संस्थान के रूप में पंजीकरण
- ❖ जीवीटीसी में बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- ❖ मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल, राँची के बुनियादी ढांचे का विस्तार
- ❖ मगध–आम्रपाली और रजहरा क्षेत्र में जीवीटीसी की स्थापना
- ❖ मानव संसाधन विकास विभाग मुख्यालय और बीटीटीआई में प्रशिक्षणों की पोस्टिंग
- ❖ सेंटर ऑफ एक्सलेन्स की शुरूआत
- ❖ पुनः तैनात जनशक्ति का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड/ऑपरेटर तथा सुरक्षा विभाग का प्रशिक्षण
- ❖ देश के प्रमुख संस्थान में प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम

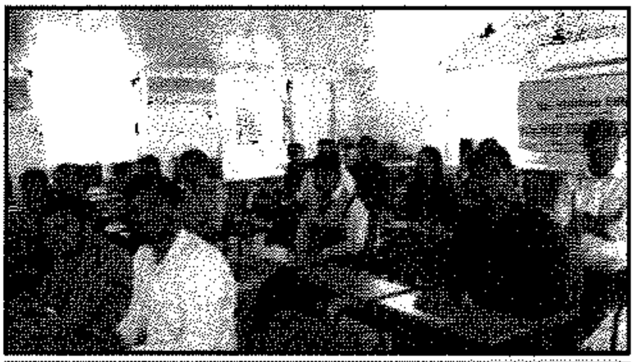

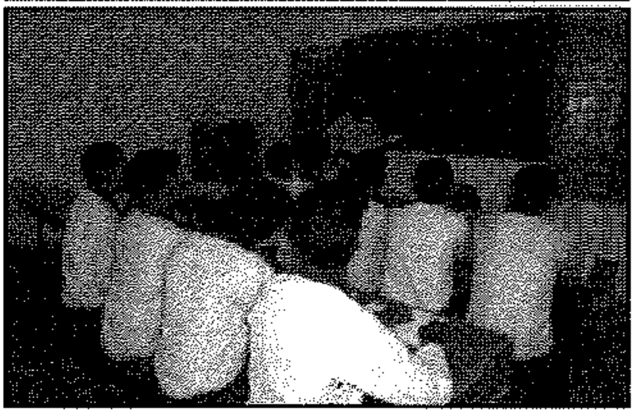

- ❖ पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम
- ❖ ई–ऑफिस, ईआरपी, ईआरएम पर प्रशिक्षण
- ❖ साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण

I. **अतः आपकी कम्पनी ने, "एसीआर/एपीएआर (अधिकारियों के संख्या का प्रतिशत) लिखने के संदर्भ में निर्धारित समय सीमा के अनुपालन में सभी अधिकारियों के संदर्भ में (ई–1 एवं अग्रेतर) एसीआर/एपीएआर का ऑन–लाइन प्रस्तुतीकरण" मानदंड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 100% की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत है।**

II. **अतः आपकी कम्पनी ने, "वरीय अधिकारियों (ए.जी.एम. तथा उससे ऊपर) (वरीय अधिकारियों के संख्या का प्रतिशत) के लिए तिमाही विजिलेंस क्लीयरेंस का ऑन–लाइन अद्यतन" मानदंड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 100% की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत है।**

III. **अतः आपकी कम्पनी ने, "प्रतिभा प्रबंधन एवं व्यवसाय प्रगति हेतु श्रेष्ठता के केन्द्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई, एएससीआई, एक्सएलआरआई, आईआईसीएम आदि (अधिकारियों का प्रतिशत) में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण" मानदंड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 5% की तुलना में उपलब्धि 11% है।**

17. कल्याण विभाग

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक मिनीरत्न कम्पनी है। सीसीएल ने हमेशा सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा है, जिसमें उत्पादन और कल्याण दोनों समाहित हैं।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कल्याणार्थ बहु–आयामी दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता शामिल है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला–उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

मुख्य क्षेत्र

- ❖ **जल आपूर्ति** : राष्ट्रीयकरण के काल से जल–आपूर्ति की स्थिति में अत्यंत सुधार हुआ है। फ़िल्टरित, स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए समेकित ठोस प्रयास किया जाता है। फिलहाल, 11 जल–उपचार संयंत्र, 200 डीप बोर–होल के अलावा 6 (छह) की संख्या में जल–उपचार संयंत्र अरगडा

– ए, बोकारो – करगली, कथारा और हजारीबाग क्षेत्र में प्रस्तावित हैं, साथ ही साथ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चरण – 2 गोविंदपुर, कथारा क्षेत्र में किया जाएगा।

❖ **चिकित्सीय सुविधाएँ** : अस्पतालों और डिस्पेंसरी के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है एवं केन्द्रीय अस्पतालों के द्वारा द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

निम्नलिखित चार केन्द्रीय अस्पताल अवस्थित है। :

- गांधीनगर अस्पताल, राँची
- सेंट्रल हॉस्पिटल, नई–सराय
- सेंट्रल हॉस्पिटल, ढोरी
- सेंट्रल हॉस्पिटल, उत्तरी कर्णपुरा

अवसंरचना

केन्द्रीय अस्पतालों में मूल्य संवर्धित सेवाएँ

(i) कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक गांधीनगर अस्पताल में शुरु किया गया है, जिसमें मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली के डॉ. राजीव राठी और यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के डॉ. पी. के. कुचलकांति ह्रदय रोग (सलाहकार) विशेषज्ञ हैं।

(ii) डॉ. अवध पंडित और एम्स के प्रोफेसर सीएस यादव, नई दिल्ली क्रमशः न्यूरोलॉजिस्ट और अस्थिरोग विशेषज्ञ (सलाहकार) हैं।

(iii) गांधी नगर अस्पताल में 17 बिस्तरों का *क्रिटिकल केयर यूनिट* निम्नानुसार हैं :

1. आई.सी.यू. 06
2. सी.सी.यू. 05
3. डायलिसिस 03
4. रिकवरी 03

क्रम सं.	चिकित्सीय अवसंरचना	संख्या
1	अस्पताल	
	• केन्द्रीय अस्पताल	04
	• एरिया अस्पताल	10
	• क्षेत्रीय अस्पताल	05
2	**बिस्तर**	892
3	**औषधालय**	63
4	**डॉक्टर (विशेषज्ञ सहित)**	170
5	**एम्बुलेंस**	85

सीसीएल द्वारा आयोजित मेडिकल कैंपों का विवरण (लाभार्थियों के साथ, वर्ष 2017–18)

चिकित्सा शिविरों की संख्या : 575

लाभार्थियों की संख्या : 203692

- **शिक्षा** : सीसीएल द्वारा कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तपूर्ण शैक्षणिक सुविधाओं प्रदान करने को विशिष्ट महत्व दिया जाता है।
- वर्ष 2017–18 में निजी प्रबंधन स्कूलों को दिया गया अनुदान :

राशि (मार्च 2018 तक)		
रु. 205395985	—	डीएवी स्कूल
रु. 8200000.00	—	निजी प्रबंधित स्कूल
रु. 34709737.00	—	केन्द्रीय विद्यालय

छात्रवृत्ति : सीसीएल निम्नलिखित योजनाओं के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देता है, विवरण निम्नानुसार है :

सीआईएल छात्रवृत्ति

क्रम सं.	विवरण	वर्ष	
		2016-17	2017-18
1	व्यय	16.30	13.52
2	बच्चों की संख्या	777	628

- **ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति** : एनसीडब्ल्यूए – X के तहत गैर–अधिकारियों के बच्चों के लिए।

क्रम सं.	विवरण	राशि (लाख में)	
		2016-17	2017-18
1	व्यय	38.31	46.65
2	बच्चों की संख्या	56	56

- सीसीईबीएफएस छात्रवृत्त योजनाएँ

क्रम सं.	विवरण	वर्ष	
		2016-17	2017-18
1	व्यय	17.04	14.41
2	बच्चों की संख्या	617	518

खेलकूद और संस्कृति (एक नजर में)

खेल–कूद कार्यक्रम (2017–18)

क्रम सं.	कार्यक्रम	
1.	बरका–सयाल क्षेत्र में कोल इण्डिया अंतर कम्पनी फुटबॉल टूर्नामेंट	
2.	बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर (महिला एवं पुरुष) (ए) बैडमिंटन	
3.	अंतर क्षेत्रीय खेल	
	वॉलीबॉल	रजरप्पा
	सांस्कृतिक सम्मेलर	बोकारो एवं करगली
	शतरंज एवं कैरम	हजारीबाग
	कबड्डी	ढोरी
	हॉकी	उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र
	क्रिकेट	कथारा
	एथलेटिक	बरका–सयाल
	बैडमिंटन एवं टी.टी. (महिला बैडमिंटन सहित)	सीआरएस
	फुटबॉल	अरगडा
	अंतर ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट	कथारा
4.	अंतर ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट	
	(ए) पिपरवार	
	(बी) सीआरएस – बरकाकाना	
	(सी) कथारा	
	(डी) हजारीबाग	
5.	सीसीएल द्वारा आयोजित कोचिंग शिविर	
	(ए) फुटबॉल	
	(बी) बैडमिंटन	
	(सी) क्रिकेट	
6.	सिमडेगा में लड़के और लड़कियों (15 वर्ष की आयु तक) के लिए जिला–स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट	
7.	राँची में कर्मचारियों और उनके बच्चों से मिलकर बनी सीसीएल क्रिकेट टीम की जिला क्रिकेट लीग में भागीदारी	
8.	गांधीनगर क्रीड़ांगण में अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट : राँची	
9.	विभिन्न स्पोर्ट्स एसोसिएशनों को वित्तीय और आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए, विशेषकर राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन हेतु "दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन" की सहायता	

आगामी वर्ष 2018–19 के कार्यक्रम		
1.	4था ग्रीष्मकालीन शिविर (लड़के एवं लड़कियाँ) – बैडमिंटन	
2.	अनुसूची कैलेंडर के अनुसार अंतर क्षेत्रीय घटनाएँ	
	वॉलीबॉल	अरगडा
	सांस्कृतिक कार्यक्रम	कथारा
	शतरंज और कैरम	सीआरएस, बरकाकाना
	कबड्डी	कुजू
	हॉकी	हजारीबाग
	क्रिकेट	पिपरवार
	एथलेटिक	एनके क्षेत्र
	बैडमिंटन और टीटी (महिला बैडमिंटन सहित)	सीसीएल : मुख्यालय
	फुटबॉल	बी एण्ड के
3.	सीआईएल अंतर कम्पनी खेल–कूद (संदर्भ : सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर 2018–19)	
4.	सीसीएल टीम के लिए कोचिंग शिविर	
5.	कर्मचारियों और ग्रामीण फुटबॉल खिलाड़ियों को मिलाकर सीसीएल फुटबॉल टीम का गठन	
6.	अंतर ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन	
7.	सिमडेगा जिला में महिला हॉकी टूर्नामेंट (स्त्री और पुरुष)	
8.	सीसीएल टीम जिसमें कर्मचारियों और उनके बच्चे शामिल थे, के द्वारा आरडीसीए झारखण्ड लीग में भागीदारी	

❖ कल्याण विभाग की विशेष उपलब्धियाँ

● सीसीएल कैन्टीन

1. मुख्यालय कैन्टीन की कार्यप्रणाली–सुधार हेतु सुझाव देने के लिये कैन्टीन सलाहकार समिति, सीसीएल मुख्यालय की बैठक।
2. कर्मचारियों हेतु कैशलेस भुगतान की सुविधा के लिए कैन्टीन में 'स्वाइप मशीन' की प्रतिस्थापना।
3. कैन्टीन का निरंतर और नियमित रख–रखाव।

● क्लब के निए अनुदान

1. कर्मचारियों की सुविधा के लिए सब्सिडी–दर पर विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यों के आयोजन हेतु क्लब बुक किए जाते हैं।
2. सीसीएल में अधिकारी–क्लब और मनोरंजन–क्लब को समान अनुदान दिया जाता है।

● सम्मान समारोह

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह के अंतिम दिन सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन देय राशि सहित पोस्ट–रिटिरल मेडिकल बेनिफिट के साथ–साथ अन्य उपहार भी दिए जाते हैं।

● 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छता पखवाड़ा'

'स्वच्छता पखवाड़ा' के तहत आवंटित थीम के अनुरुप 'स्वच्छ

भारत अभियान' से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ सीसीएल (अम्बेडकर जयंती से प्रारंभ होकर, पर्यावरण दिवस, शिक्षक और बाल दिवस आदि) में आयोजित की जाती है।

- **सीसीईबीएफएस योजना (2017–18) के तहत :** मृत्यु लाभ – 272 (राशि – 101 लाख रु.), चांदी के सिक्के – 676 (13.52 लाख रु.) को सोसाइटी के कर्मचारियों/सदस्यों के बीच वितरित किया गया था।

18. सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व

मार्च 2018 तक 2017–18 (रूपये में) में क्षेत्रवार व्यय :

क्षेत्र	व्यय (लाख रु. में)
स्वच्छता	2192.50
स्वास्थ्य	906.79
खेल एवं संस्कृति	478.85
शिक्षा	256.35
आधारभूत रचना	243.47
पेय जल	215.22
पर्यावरण एवं सतत विकास	172.48
कौशल विकास और सामाजिक क्षमता विकास	47.24
अन्य विकासात्मक कार्य/प्रशासनिक व्यय	55.46
कुल	4568.36

नोट : वित्त वर्ष 2017–18 में सीएसआर के मद में व्यय 37.90 करोड़ रूपये है।

सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, झारखंड को 7.78 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है, जो वित्त वर्ष 2017–18 का डीम्ड व्यय है। इस प्रकार, कुल राशि 45.68 करोड़ रूपये हुई।

➢ **स्वच्छता**

झारखंड के रांची, बोकारो और हजारीबाग जिलों को खुले में शौच–मुक्त (ओडीएफ) बनाने का उत्तरदायित्व सीसीएल को सौंपा गया है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2017–18 में सीसीएल सीएसआर फंड से झारखंड राज्य सरकार को 21.45 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है। निर्माण किए जाने वाले आईएचएचएल का लक्ष्य : 17462

इस मद में अधिकतम व्यय स्वच्छता संबद्ध क्षेत्र में किया गया है जिसके अंतर्गत कमान क्षेत्रों में 18 से अधिक सामुदायिक शौचालय और स्कूलों में वैयक्तिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। कमान क्षेत्र के गांवों में लगभग 3 नालियों का निर्माण किया गया। सीसीएल ने मुख्यालय और प्रत्येक कमान क्षेत्र में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया। स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी जागरूकता जाने के लिए वर्ष पर्यंत कई गतिविधियों का आयोजन किया गया।

➢ **स्वास्थ्य**

(ए) मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए रातु, राँची में केन्द्रीकृत रसोई का निर्माण :

झारखंड के लगभग 1 लाख स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है एवं सीसीएल सीएसआर फंड से 7.71 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

(बी) वर्ष 2017–18 में, सावन महोत्सव के दौरान देवघर में सीसीएल द्वारा एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया जिससे लगभग 40,000 आगुंतकों और ग्रामीणों को लाभ मिला।

(सी) नियमित स्वास्थ्य शिविर नाक–कान, हृदय, एनीमिया, दंत, रक्त–दान, मधुमेह, गुर्दा, एचआईवी आदि जैसे अन्य शिविर आयोजित किए गए, जिससे 35,000 से अधिक रोगियों को लाभ हुआ।

(डी) सीएसआर डिस्पेंसरी का परिचालन जहां कमान क्षेत्र के गांवों में लोगों को मुफ्त दवाएं वितरित की गई, कृत्रिम उपकरण ों भी वितरित किए गए, जिससे वर्ष 2017–18 के दौरान 72,000 रोगी लाभान्वित हुए।

(इ) सीसीएल ने चतरा, झारखंड के 12 स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और नैपकिन दहित्र की स्थापना करके चतरा के स्कूलों का समर्थन किया है।

(एफ) टी.बी. आरोग्यशाला में दृष्टि परीक्षण : वर्ष 2017–18 में सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत टी.बी. आरोग्यशाला में नेत्र जांच मशीन की स्थापना से लगभग 1000 मरीज लाभान्वित हुए है।

➢ **खेल–कूद और संस्कृति**

सीसीएल सीएसआर कोष और झारखंड सरकार के संयुक्त निवेश से झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) का गठन किया गया। 2024 के ओलंपिक खेलों में देश को प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से खेल अकादमी में 8–12 साल के आयु वर्ग के 400 बच्चे आवासीय सुविधाओं के साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा और खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सीएसआर के अंतर्गत स्पोर्ट्स अकादमी चलाने में 460.92 लाख रूपये खर्च किए गए।

अन्य गतिविधियों में फुटबॉल मैच, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स किट का वितरण, फुटबॉल ग्राउंड आदि के विकास मद में कुल 468.60 लाख रूपये का व्यय हुआ।

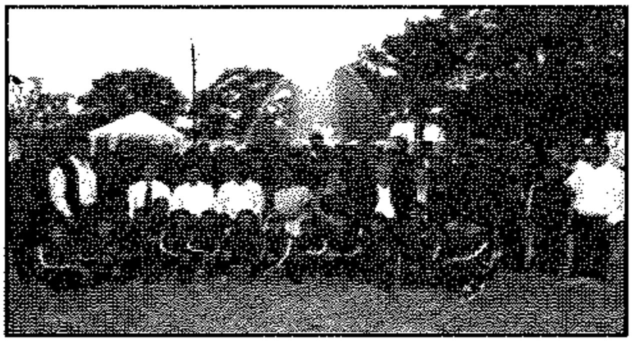

परंपरागत कला–संस्कृति के प्रचार और उत्साह प्रदान करने के लिए परंपरागत संगीत वाद्यों का वितरण सीसीएल, पिपरवार के कमान क्षेत्रों में गांव वालों के मध्य किया गया।

➢ **शिक्षा**

निम्नलिखित गतिविधियों पर 334.76 लाख रूपये खर्च किए गए:

(ए) सीसीएल के लाल और लाडली :

इस योजना के अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए झारखंड राज्य के विशेषकर कमान क्षेत्रों के गांवों से 10वीं पास मेधावी पुरूष और महिला छात्र चुने गए और विभिन्न इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयार किये गए।

चुने गए छात्रों को झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों से एक में 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली' हॉस्टल में आवासीय सुविधा और भोजन के साथ 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की स्कूली शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। वर्ष 2017–18 में राँची से शिक्षण का विस्तार वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्षाओं के माध्यम से सीसीएल और बीसीसीएल के दूरस्थ तीन स्थानों तक किया गया।

इस योजना के लिए कुल 388 छात्रों का चयन किया गया है। विगत बैच के 12वीं कक्षा के छात्रों का परिणाम उत्कृष्ट रहा, जेईई एडवांस में 12 छात्रों को और आईआईटी एडवांस में 2 छात्र सफल हुए, 12 छात्र सफल हुए, 12 वीं बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक छात्रों को 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुए।

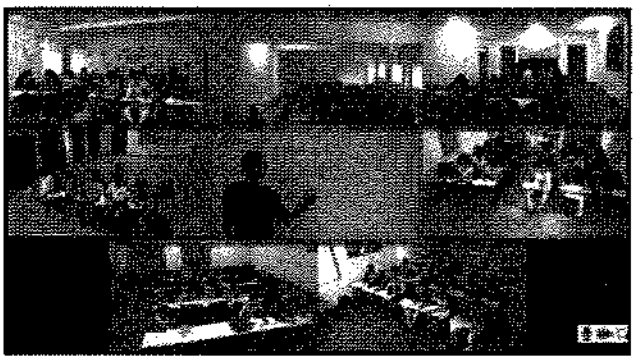

(बी) कायाकल्प पब्लिक स्कूल :

सीसीएल ने सीएसआर के अंतर्गत "कायाकल्प पब्लिक स्कूल" की शुरूआत की है, जिसमें समाज के गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले 30 छात्र हैं, जिनके परिजन कमजोर वर्ग के जैसे भीख मांगने वाले, कूड़ा–कचरा बीनने वाले इत्यादि हैं। इन छात्रों को अध्ययन सामग्री से लेकर यूनिफार्म, किताबें, पौष्टिक नाश्ता और स्कूल में दोपहर के भोजन की पूरी सुविधा दी जाती है। छात्रों को योग और शिष्टाचार सिखाया जाता है और इस तरह से ढाला जाता है कि वे आत्म निर्भर, अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

(सी) पुस्तक वितरण :

शिक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए सीसीएल ने आर के मिशन के माध्यम से नैतिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण और अन्य ज्ञानवृद्धि से संबद्ध पुस्तकों के वितरण में सहायता की उक्त गतिविधि के लिए लगभग 1.00 लाख की राशि प्रदान की गई।

(डी) शिक्षा का समर्थन

वर्ष 2017–18 में शिक्षा के विकास हेतु सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में जैसे कथारा, ढोरी, कुजू, पिपरवार, बरकासयाल, हजारीबाग, अरगडा, एन के और मुख्यालय में, स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विकास जैसे चहारदीवारी का निर्माण, लड़कियों और लड़कों के लिए कॉमन रूम का निर्माण, पिपरवार इलाके मे प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, स्कूलों में कमरों के निर्माण आदि जैसी सहायता प्रदान की गई है।

➢ आधारभूत अवसंरचना

हमारे कमान और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों के मद में 231.02 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

(ए) सड़क–गतिविधि संबंधित 11 ग्रामीण सड़कों का निर्माण/मरम्मति वर्ष 2017–18 के दौरान किया गया।

(बी) तालाब घाट : वर्ष 2017–18 में तालाबों के पास 7 की संख्या में घाटों/सीढ़ियों का निर्माण किया गया।

(सी) सामुदायिक हॉल : वर्ष 2017–18 के दौरान कमान क्षेत्रों के परिधीय गांवों में 6 सामुदायिक हॉलों का निर्माण किया गया है।

(डी) कमान क्षेत्र के गांवों में 3 चहारदीवारियों का निर्माण

(इ) वर्ष 2017–18 में हातमा बस्ती के झोपड़पट्टी क्षेत्र का भी विकास किया गया है।

➢ पेयजल

ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराना प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में से एक है। वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं जिसमें 224.33 लाख रूपये का व्यय हुआ।

कार्यकलाप	संख्या	व्यय (लाख में)	लाभुक (अनुमानित)
(ए) हैंडपंपों का प्रतिस्थापन	55	38.98	16050
(बी) कुंओं का निर्माण	25	68.12	6000
(सी) डीप बोरिंग और सबमर्सिबल पंप	21	68.39	8650
(डी) पानी पाइपलाइन का वितरण	1	3.42	10300
(इ) टैंकर के द्वारा पानी का वितरण	1	36.31	13000

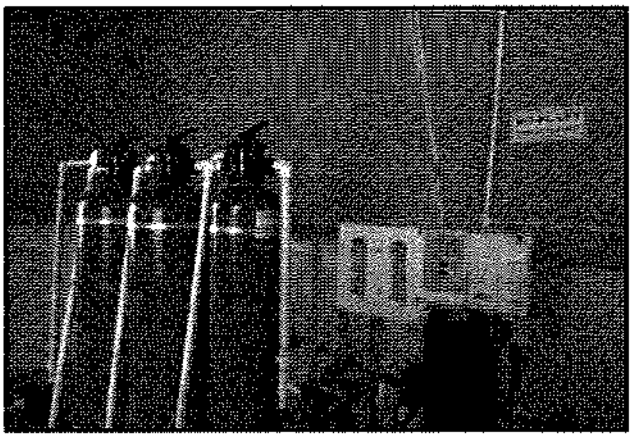

➢ पर्यावरण और सतत विकास

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण भी सीएसआर का कार्यक्षेत्र रहा है जिसमें की कई कार्य किये गए हैं जैसे :

(1) कमांड एरिया गांवों में और आसपास के क्षेत्रों में 12 तालाबों का निर्माण।

(2) पौध–रोपण कार्यक्रम और औषधीय पौधों का वितरण।

(3) मगध और आम्रपाली क्षेत्र, सीसीएल में 2 सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना।

(4) उर्जा के अक्षय–उर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कमांड एरिया के ग्रामीणों को 70 से अधिक सौर–लैंपों का वितरण।

(5) बी एंड के और हजारीबाग के कमांड क्षेत्र में बुजुर्गों और बच्चों के लिए 2 पार्क विकसित किए गए हैं।

➢ कौशल विकास/सामाजिक कल्याण

(1) भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई)

2015 से भुरकुंडा में सीसीएल अपने तकनीकि प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों

को छात्रवृत्ति के साथ 04 साल की अवधि के लिए माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

सीसीएल कमान क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को भी बीटीटीआई, भुरकुंडा में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कोर्स का दो साल का आईटीआई प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी), बरकाकाना

सीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बरकाकाना में छमाही इलेक्ट्रिक और वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 5 प्रशिक्षु बैचों का नामांकन किया गया है।

(3) महिलाओं को सिलाई–कढ़ाई और ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण

2017–18 में हमारे कमान क्षेत्रों में और आसपास की 165 गरीब महिलाओं को इस प्रकार के 04 प्रशिक्षण दिए गए।

(4) अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण

इस वित्तीय वर्ष में कमान क्षेत्र में और आसपास के बेरोजगार युवाओं को 01 कंम्प्यूटर प्रशिक्षण और 04 इलेक्ट्रिकल एवं मोबाइल मरम्मती का प्रशिक्षण के साथ 03 बहुकौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है जिससे 600 से अधिक पुरुष और महिलाएँ लाभान्वित हुए हैं।

(5) वृद्धाश्रम/पुनर्वास केन्द्रों को सहायता

सीसीएल सीएसआर के तहत वृद्धाश्रम/पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करता है, जिसमें कमांड एरिया गाँवों के आसपास लगभग 952 वृद्ध/बेसहारा व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

पुरस्कार और सम्मान

- **सीएसआर परियोजना के अंतर्गत होटवार में चल रहे स्पोर्ट्स अकादमी को संज्ञान में लेते हुए झारखण्ड सरकार ने उद्योग चैंपियंस एसडीजी पुरस्कार, 2017 में इसे "सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट पहल पुरस्कार" से सम्मानित किया।**
- **सीएसआर परियोजना के अंतर्गत सीसीएल के लाल/सीसीएल की लाडली को झारखण्ड सरकार ने उद्योग चैंपियंस एसडीजी पुरस्कार, 2017 में "सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष पुरस्कार" से सम्मानित किया।**
- **20 सितंबर, 2017 को बैंगलोर में "राष्ट्रीय सीएसआर नेतृत्व कांग्रेस और पुरस्कार" में "सीएसआर प्रथाओं में नवोन्मेष" के लिए पुरस्कार मिला।**
- **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा किए गए प्रशंसनीय काम को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व पुरस्कार समारोह के दौरान सामाजिक रूप से जिम्मेदार कम्पनी के रूप में पहचान मिली।**

19. समाधान योजना

सीसीएल के सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, उपभोक्ताओं या सीसीएल से संबंधित किसी व्यक्ति के शिकायत निवारण हेतु दिनांक 27.04.2012 को एक शिकायत केन्द्र की स्थापना की गई। शिकायत कर्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में, टोलफ्री नं. 18003456501, ऑनलाइन, वाट्सएप सेवा नम्बर 7091093753, ट्विटर, आप का दरबार या कार्यालय में सशरीर उपस्थित हो कर मौखिक रूप में कर सकते हैं। शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर क्रम संख्या दी जाती है एवं शिकायत को प्रकृति को ध्यान रखते हुए उसके निवारण हेतु एक संभावित तिथि तय कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। संबंधित विभागाध्यक्ष को फोन के माध्यम से शिकायत प्राप्ति की सूचना दी जाती है। इसके अन्ततर, संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र में शिकायत संलग्नक के रूप दे कर अनुरोध किया जाता है कि शिकायत का निवारण पत्र में दिये गये समयावधि में ही कर दें। विभागाध्यक्षों द्वारा जवाब नहीं मिलने पर उन्हें फोन द्वारा और लिखित में अनुस्मारक भेजा जाता है। विभागाध्यक्षों द्वारा दिया गया जवाब यदि संतोषजनक पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को फोन में माध्यम के साथ–साथ लिखित सूचना भी दी जाती है। अगर विभागाध्यक्ष का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस मामले को समीक्षा के लिए पुनः विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाता है और यदि जवाब पुनः असंतोष पाया जाता है तो मामला स्थाई समिति के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है। मामले के पुनरीक्षण पश्चात, स्थाई समिति एवं महाप्रबंधक समाधान उचित अनुशंसा साथ निदेशक मण्डल के पास मंत्रणा के लिए भेज दिया जाता है।

वर्ष 2017–18 में समाधान प्रकोष्ठ की उपलब्धियाँ

वर्ष 2017–18 में समाधान प्रकोष्ठ को कुल 262 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 216 शिकायतों का निवारण किया गया यानि उपलब्धि प्रतिशतता 82 प्रतिशत रही।

सीसीएल को 2223 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें कुल 2031 का निवारण कर लिया गया है, जिससे उपलब्धि प्रतिशतता 91.36 प्रतिशत रही।

20. 31.03.2018 तक सोशल ओवरहेड सम्पत्ति पर पूँजीगत खर्च

31.03.2018 तक, हमारे कम्पनी द्वारा सोशल ओवरहेड सम्पत्तियों पर खर्च किए गए संचयी राशि रु. 540.96 करोड़ है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	भवन	429.31	398.71
(ii)	संयंत्र एवं मशीनरी	63.21	61.67
(iii)	फर्नीचर एवं साज–सज्जा	22.63	19.08
(iv)	वाहन	7.33	7.49
(v)	विकास	18.48	19.20
	कुल	**540.96**	**506.15**

21. वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कम्पनी की वित्तीय परिणाम निम्नांकित है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17 (पुनर्लिखित)
(i)	संचालन से राजस्व	11787.03	11507.09
(ii)	अन्य आय	508.96	561.47
(iii)	सकल राजस्व	12295.99	12068.56
(iv)	मूल्य ह्रास, ब्याज को छोड़कर खर्चे	10424.66	9252.75
(v)	मूल्य ह्रास, ब्याज से पहले लाभ	1871.33	2815.81
(vi)	मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि	355.72	372.63
(vii)	ब्याज	172.01	71.88
(viii)	कर से पहले लाभ	1343.6	2371.3
(ix)	कर खर्चे	554.06	984.19
(x)	कर के पहले निबल लाभ	789.54	1387.11
(xi)	अन्य व्यापक आय	155.59	20.05
(xii)	अन्य व्यापक आय पर कर	64.16	8.32
(xiii)	कम्पनी के मालिकों के लिए लाभ	789.54	1387.11

आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने रु. 531.10 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (पिछले वर्ष – रु. 3634.04 करोड़) और रु. 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष – रु. 0.00 करोड़) अंतिम लाभांश की सिफारिश की। वर्ष 2017–18 की कुल लाभांश रु. 531.10 करोड़ है (रु. 1000/– के 9400,000 इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्रति इक्विटी शेयर रु. 565, पिछले वर्ष – रु. 3866)।

सीसीएल एवं सीआईएल के बीच एमओयू 2017–18 के वित्तीय एवं गैर वित्तीय मानदण्डों का श्रेणीकरण

ए. वित्तीय मानदण्ड (एमओयू मानक के अनुसार)

I. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "संचालन (कुल) से प्राप्त कारोबार राजस्व" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य रु. 11517.64 करोड़ की तुलना में प्राप्ति रु. 11586.43 करोड़ है।***

II. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "पीएटी/औसत कुल कारोबार" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 34.5 प्रतिशत की तुलना में प्राप्ति 44.68 प्रतिशत है।***

III. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "कुल संचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में संचालन लाभ (अन्य आय, असाधारण एवं अपवादात्मक अवयवों को छोड़कर कर पूर्व लाभ)" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 13.42 प्रतिशत की तुलना में प्राप्ति 17.73 प्रतिशत है।***

बी. गैर वित्तीय मानदण्ड

I. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "समग्र संचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों के संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य (कुल)" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 26 दिनों (कम दिन बेहतर) की तुलना में प्राप्ति 24.76 दिन (एमओयू मानक के अनुसार) है।***

II. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "सीपीएसई तथा अन्य के अस्वीकृत ऋणों के रूप में कम्पनी के विरुद्ध दावों में कमी" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 5 प्रतिशत की तुलना में प्राप्ति 22.56 प्रतिशत (एमओयू मानक के अनुसार) है।***

III. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "तैयार सामग्री की सूची एवं प्रगति पर काम से परिचालन राजस्व (कुल)" मानदण्ड के लिए बहुत अच्छा श्रेणी प्राप्त किया है। बहुत अच्छा एमओयू लक्ष्य 48 दिनों (कम दिन बेहतर) की तुलना में प्राप्ति 38 दिन (एमओयू मानक के अनुसार) है।***

22. पूँजी व्यय

पिछले वर्ष के रु. 1145.80 करोड़ की तुलना में वर्ष पूँजीगत व्यय रु. 898.86 करोड़ है। वर्ष 2017–18 के दौरान शीर्ष–वार पूँजीगत व्यय का विवरण निम्नप्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खर्च के शीर्ष	2017-18	2016-17
(i)	भूमि	64.39	116.26
(ii)	भवन	99.67	60.36
(iii)	संयंत्र एवं मशीनरी	190.68	111.34
(iv)	फर्नीचर एवं साज–सज्जा	2.07	2.04
(v)	कार्यालय उपकरण	10.83	5.38
(vi)	रेलवे साईडिंग'	467.60	776.35
(vii)	वाहन	0.06	2.89
(viii)	खनन के लिए अन्य बुनियादी संरचना	63.55	71.12
(ix)	सॉफ्टवेयर	0.01	0.07
	कुल	898.86	1145.80

टिप्पणी :

1. 2017–18 के दौरान रेलवे साइडिंग अन्तर्गत टोरी – शिवपुर रेलवे लाइन (सामर्थ्यकारी परिसम्पत्ति) पर खर्च हुई राशि 403.16 करोड़ रुपया सम्मिलित है।
2. उपरोक्त पूंजीगत व्यय में 803.48 करोड़ रुपया जो कि पूर्व मध्य रेलवे को टोरी – शिवपुर रेल लाइन परियोजना के लिए अग्रिम पूंजी के तौर पर दिया गया है, शामिल नहीं है।

इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "कैपेक्स" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य रु. 650 करोड़ की तुलना में प्राप्ति रु. 898.86 करोड़ है।

23. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	कायले पर रॉयल्टी	1500.54	1241.41
(ii)	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	29.92	23.38
(iii)	डीएमएफ (राज्य निधि)	424.66	659.72
(iv)	विक्रय कर/वैट	94.70	341.50
(v)	स्टोईंग एक्साइज ड्यूटी	30.74	59.42
(vi)	आय कर	966.87	1010.50
(vii)	लाभांश कर	108.12	739.80
(viii)	सेवा कर	81.53	279.54
(ix)	स्वच्छ ऊर्जा सेस	810.87	2433.23
(x)	कोयले पर सेन्ट्रल एक्साइज	114.27	365.48
(xi)	जीएसटी	2389.34	—
(xii)	अन्य	15.41	13.13
	कुल	6566.97	7167.11

24. पूंजीगत संरचना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी और पेड–अप शेयर पूँजी में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं हुई है अर्थात् क्रमशः रु.1100.00 करोड़ एवं रु. 940.00 करोड़ है। 31 मार्च, 2017 को कम्पनी की नेट वर्थ रु. 3,478.85 करोड़ (पुनर्घोषित) की तुलना में 31 मार्च, 2018 को रु. 3,237.10 करोड़ है।

24.1 ऋण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी ने बैंकों से 162 करोड़ रुपये के सावधि जमा के विरुद्ध 150 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण लिया है।

25. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 31.03.2018 तक सीसीएल में 112.85 मीट्रिक टन की स्वीकृत क्षमता के साथ वर्तमान में 21 और पूर्ण हो चुकी 34 खनन परियोजनाएँ हैं। सीसीएल की वर्तमान परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और क्षमता क्रमशः 4095.536 करोड़ और 52.51 मीट्रिक टन है। 44.37 कि.मी. लम्बी टोरी, शिवपुर रेलवे लाइन (डबल लाइन) एक गैर–खनन परियोजना है जिसकी स्वीकृत पूंजी रु. 2399.07 करोड़ है।

कुल परियोजनाओं का विवरण (वर्तमान + पूर्ण)

परियोजनाएँ	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृत क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से ऊपर	14	5553.03	75.46
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	11	1069.26	21.66
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	2	82.32	1.8
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	28	414.1344	13.89
कुल	55	7118.7444	112.85

सीसीएल की वर्तमान 21 खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएँ	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)	स्वीकृत क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से ऊपर	9	3428.13	46.21
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	5	534.44	10.71
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	1	46.78	0.80
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	6	86.186	2.63
कुल	21	4095.536	60.35

21 वर्तमान परियोजनाओं में से परेज (पूर्व) भूमिगत खदान परियोजना और हुरीलौंग भूमिगत खदान परियोजना क्रमशः वन्य स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण शुरु नहीं की जा सकीं। कल्याणी ओसीपी सीसीएल की वर्तमान परियोजनाओं में से एक है, और जिसका आरम्भ वन्य स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

शेष 18 परियोजनाओं में से आम्रपाली ओसीपी नियत समय पर है, और 17 अन्य परियोजनाओं के विलम्ब का कारण निम्नानुसार हैं :

(क) भूमि का सत्यापन।

(ख) वन्यभूमि स्वीकृति और साइट सौंपने संबंधी।

(ग) पर्यावरण स्वीकृति।

(घ) कोयला निष्कासन की समस्या।

(ङ) पुनर्वास और स्थानांतरण के मुद्दे।

(च) सुरक्षा कारण।

सीसीएल की वर्तमान गैर–खनन परियोजनाओं का विवरण

1. **टोरी – शिवपुर रेलवे लाइन (डबल लाइन)** : टोरी–शिवपुर नई ब्रॉड–गेज डबल रेलवे लाइन (लंबाई 44.37 कि.मी.) का निर्माण पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से कुल 2399.07 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर किया गया है। सीसीएल द्वारा मार्च, 2018 तक पूर्व मध्य रेलवे को 2392.13 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि दी गई है। मार्च, 2018 तक टोरी–शिवपुर रेल लाइन पर पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किए गए खर्च 1141.77 करोड़ रुपये है। यह सीसीएल की वृहत खानों यानी मगध और आम्रपाली ओसीपी से कोयले को निकालने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होगा। 9 मार्च, 2018 को बालूमाथ स्टेशन (19.3 किलोमीटर) तक एकल रेल लाइन का उद्घाटन हुआ और कोयला–प्रेषण प्रारंभ हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ : शून्य

वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ परियोजनाएँ : शून्य

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण/की गई परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजनाएँ	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रुपये)	टिप्पणियाँ
1	कुजू आरओ यूजी	भूमिगत	0.36	16.29	पुरोबंध/समापन
2	करमली यूजी	भूमिगत	0.15	4.6443	पुरोबंध/समापन
3	पिंडरा यूजी	भूमिगत	0.3	15.05	पुरोबंध/समापन
4	रोहिणी	खुली खदान	2	106.67	पूर्ण
5	पुनाडीह	खुली खदान	3	210.98	पूर्ण
6	तिसरी	भूमिगत	0.18	10.78	ड्रॉप्ड/पूर्ण

सीसीएल की 34 पूर्ण/कमीशन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएँ	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रुपये)	स्वीकृत क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
रु. 150 करोड़ से ऊपर	5	2124.9	29.25
रु. 150 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य	6	534.82	10.95
रु. 50 करोड़ से 20 करोड़ के मध्य	1	35.54	1
रु. 20 करोड़ से 2 करोड़ के मध्य	22	327.9484	11.26
कुल	34	3023.21	52.5

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं को **'सैद्धांतिक'** स्वीकृति मिली है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सामान्य/अधिकतम क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	स्थिति/टिप्पणियाँ	अनुमोदन की तिथि
1.	केडीएच एक्सटेंशन ओसी	4.50	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	19-08-2010
2.	अशोक ओसी	22/30	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	06-11-2013
3.	पिछरी ओसी	1.20/1.50	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	27-11-2010
4.	पिपरवार मंगरदाहा यूजी	1.30/1.59	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	21-01-2011
5.	गोंदो ओसी	2.00/2.30	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	03-04-2011
6.	चानो रिकबा ओसी	2.00/3.00	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	18-08-2011
7.	अरगडा ओसी	1.70/2.21	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	24-01-2012
8.	डीआरएडी ओसी	4.00/4.60	सैद्धांतिक स्वीकृति	24-01-2012
9.	पुंडी एक्सपेंशन ओसी	2.50/2.88	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	24-01-2012
10.	कुजू ओसी	1.30/1.50	प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति	24-02-2012
11.	तापिन साउथ एक्सपेंशन	2.00/2.3	सैद्धांतिक स्वीकृति	03-08-2012 & 4.08.12
12	हेसालौंग ओपनकास्ट	1.70/2.50	सैद्धांतिक स्वीकृति	01-10-2012
13	उरीमारी टोरी यूजी	0.57/0.65	सैद्धांतिक स्वीकृति	20-12-2012
14	संघमित्रा ओसी	20.0/27.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	20-12-2012
15	तोपा एक्सपेंशन ओसी	5.25/7.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	02-02-2013
16.	असवा ओसी	1.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	02-02-2013
17.	महेन्द्र ओसी	4.00/5.40	सैद्धांतिक स्वीकृति	26-04-2013
18	चन्द्रगुप्त ओसी	15.0/20.0	सैद्धांतिक स्वीकृति	26-04-2013
19	रिकास्ट ईपीआर कोनार ओसी	8.00/11.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	15.3.16/16.3.16
20.	कारो ओसी एक्सपेंशन ओसी	11.0/15.0	सैद्धांतिक स्वीकृति	21-05-2013
21.	मगध एक्सपेंशन ओसी	51.0/70.0	सैद्धांतिक स्वीकृति	21-05-2015 & 22.05.15
22	भैरवी ओसी	7.0/10	सैद्धांतिक स्वीकृति	12-04-2015
23.	नॉर्थ उरीमारी	7.50/30.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	04-11-2014
24.	आरा ओसी	2.50/3.40	सैद्धांतिक स्वीकृति	06-11-2013
25.	जीवनधारा ओसी	1.00/1.35	सैद्धांतिक स्वीकृति	19-11-2013
26.	आसनागरहा ओसी	3.00/4.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	15-04-2014
27.	ईपीआर गोविंदपुर फेज–II ओसी	3.00/4.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	04-11-2014
28.	गोंदो ओसी	3.00/4.00	सैद्धांतिक स्वीकृति	10-02-2015
29	पिपरवार फेज– I यूजीपी"	0.87/1.0	सैद्धांतिक स्वीकृति	03-08-2017
30	रिकास्ट ईपीआर आम्रपाली ओसी	25.00/35	सैद्धांतिक स्वीकृति	07-01-2018
कुल		214.97/284.68		

** पिपरवार फेज – I यूजीपी पिपरवार मंगरदाहा यूजीपी (क्रम संख्या 4) से बना है।

उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अंतिम अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारी कम्पनी का उत्पादन–स्तर इस प्रकार है :

समूह	2017-18 एमटी
मौजूदा खदान एवं पूर्ण परियोजनाएँ	40.752
वर्तमान परियोजनाएँ	22.653
कुल	**63.405**

अन्य गैर वित्तीय मानदण्ड (एमओयू 2017–18)

I. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने 'नयी कोल सीम अनावरण' मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 250 हेक्टेयर की तुलना में प्राप्ति 252.53 हेक्टेयर है।***

II. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने 'जैविक पुनरुद्धार' मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 82.85 हेक्टेयर की तुलना में प्राप्ति 83 हेक्टेयर है।***

III. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "2017–18 (किराये पर/विभागीय) के दौरान अतिरिक्त सरफेस माइनर्स की तैनाती" मानदण्ड के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है। उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्य 2 नग की तुलना में प्राप्ति 4 नग है।***

IV. ***इस प्रकार आपकी कम्पनी ने "दिये गये वर्ष के दौरान चालू/पूर्ण किए गए कैपेक्स अनुबंधों के कुल मूल्य के लागत लंघन के बिना कैपेक्स अनुबंधों/चालू परियोजनाओं के मूल्य का प्रतिशत" मानदण्ड के लिए बहुत अच्छा श्रेणी प्राप्त किया है। बहुत अच्छा एमओयू लक्ष्य 90 प्रतिशत की तुलना में प्राप्ति 94 प्रतिशत है।***

26. वन और पर्यावरण

क. पर्यावरण प्रबंधन

1. परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई : 01

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन/वर्ष में)	
	सामान्य	अधिकतम
कोनार विस्तारित ओसीपी	8	11

कोयले की क्षमता में 7.5 मिलियन टन/वर्ष की वृद्धि।

2. परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए फॉर्म – 1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया : 04

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन/वर्ष में)	
	सामान्य	अधिकतम
ढोरी ओसीएम (चुनिंदा)	8.25	11.0
तारमी ओसीपी	2.5	2.5
केदला ओसीपी एवं यूजीपी	1.18	1.57
कुजू खुली खदान	1.3	1.5

3. खानों (परियोजनाओं) की संख्या जिनके लिए सार्वजनिक सुनवाई की गई : 01

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन/वर्ष में)	
	सामान्य	अधिकतम
बलकुदरा ओसीपी	1.3	1.3

4. खानों (परियोजनाओं) की संख्या जिनके लिए ईएमपी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया : 03

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन/वर्ष में)	
	सामान्य	अधिकतम
बलकुदरा ओसीपी	1.0	1.3
सयाल – डी	1.0	1.35
तापिन साउथ	2.0	2.5

ख. वनीकरण

वर्ष 2017–18 के दौरान, 83.001 हेक्टेयर भूमि पर 2.07 लाख पौधे लगाए गए। 5.70 किमी से अधिक वीथि वृक्षारोपण किया गया। राज्य वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान ओबी डंप पर वृक्षारोपण की तस्वीरें निम्नवत संलग्न हैं :

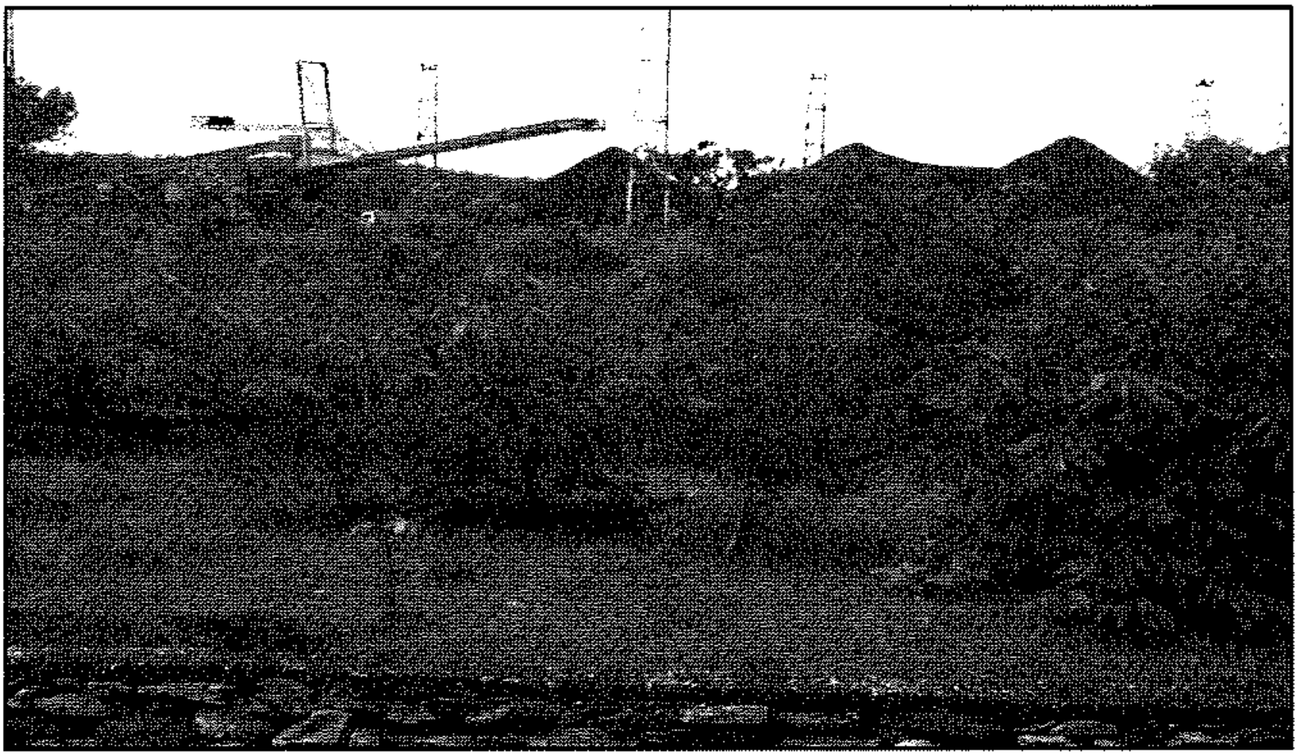

ग. पर्यावरण जाँच

सीसीएल के सभी खानों/वाशरियों की सीएमपीडीआई द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। इस वर्ष लगभग 5400 पीएम$_{10}$ (आरपीएम) केंद्र, पीएम$_{2.5}$ के 5400 केंद्र, भारी धातु विश्लेषण के 155 केंद्र, 1800 प्रदूषण जाँच केंद्र, 500 सतही जल गुणवत्ता केंद्र, 200 पेयजल गुणवत्ता नमूने, 4190 ध्वनि अनुश्रवण केंद्र और 24 डीईटीपी केन्द्रों से नमूनों की जाँच की गई।

घ. सीसीएल के खदानों में खान–जल और खान–डिस्चार्ज का आकलन

वर्ष 2017–18 के दौरान, सीसीएल के खानों की खंदकों में खान–जल की उपलब्धता एवं खान डिस्चार्ज की मात्रा का आकलन किया गया। आकलन के अनुसार खदान के खंदकों में से लगभग 25 बिलियन गैलन पानी उपलब्ध है जिसका उपयोग आसपास के गाँवों में घरेलू कार्यों के लिए और सिंचाई के लिए किया जा सकता है। दिनांक 30.10.2017 को झारखण्ड सरकार और सीसीएल के मध्य एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा भी खान–जल के गुणवत्ता की जाँच की गई।

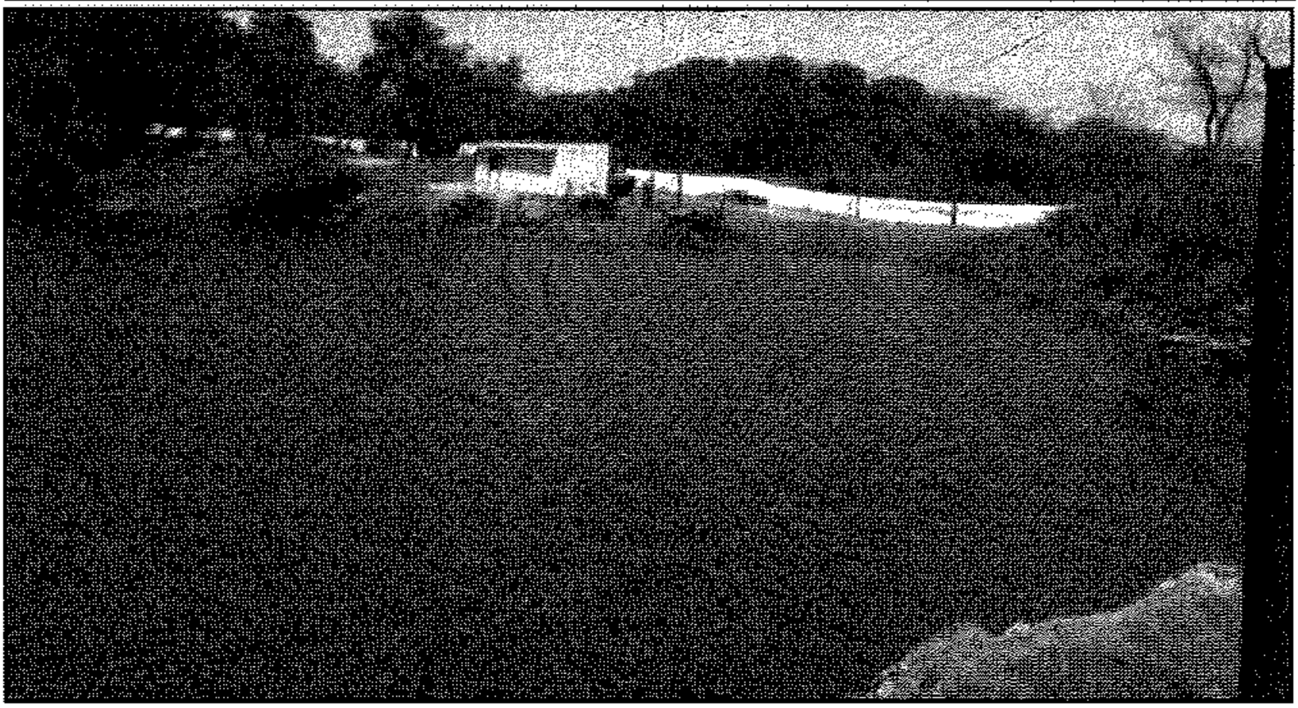

ङ. खुली खदानों के भूमि पुनरूद्धार की वस्तुस्थिति

रिमोट सेंसिंग द्वारा सीएमपीडीआई द्वारा नियमित रूप से खानों के पुनरूद्धार के वस्तुस्थिति की निगरानी की जा रही है। 5 मिलियन घन मीटर की संयोजित उत्खनन क्षमता से अधिक के परियोजनाओं की निगरानी प्रत्येक वर्ष की जाती है एवं 5 मिलियन घन मीटर से कम परियोजनाओं की निगरानी तीन वर्षों में एक बार की जाती है।

सीसीएल के 5 मिलियन घन मीटर से अधिक संयोजित उत्खनन क्षमता वाली बड़ी पाँच खुली खनन परियोजनाएँ – अशोक ओसीपी, पिपरवार ओसीपी, केडीएच ओसीपी, परेज (पूर्व) ओसीपी और रजरप्पा ओसीपी की निगरानी प्रत्येक वर्ष की जाती है। रजरप्पा ओसीपी की रिमोट सेंसिंग फोटो निम्नवत है :

5 मिलियन घन मीटर से कम संयोजित उत्खनन क्षमता वाली परियोजनाओं की जाँच 2014 एवं पुनः 2017 में की गई। ये परियोजनाएँ हैं – रोहिणी ओसीपी, पुरनाडीह ओसीपी, तापिन ओसीपी, झारखण्ड ओसीपी, तोपा ओसीपी, उरीमारी ओसीपी, न्यू गिद्दी – सी ओसीपी, गोविंदपुर ओसीपी, खासमहल ओसीपी, अमलो ओसीपी, ढोरी ओसीपी (चुनिंदा) तारमी ओसीपी।

च. वन विवरण

वन्य स्वीकृति आवेदन (ऑनलाइन/ऑफलाइन)

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	चुरी–बेंती भूमिगत परियोजना (281.17 हेक्टेयर)	461.834 हेक्टेयर/ (1141.218 एकड़)	8
2	अमलो खुली खदान परियोजना (39.64 हेक्टेयर)		
3	तारमी (97.44 हेक्टेयर)		
4	नॉर्थ उरीमारी में भूमि उपयोग परिवर्तन (2.98 हेक्टेयर)		
5	पुनरीक्षित चुरी–बेंती (16 हेक्टेयर), भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु		
6	उरीमारी ओसी (8.48), भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु		
7	कुजू ओसी (13.12 हेक्टेयर), भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु		
8	कुजू पैच (5 हेक्टेयर)		

झारखण्ड सरकार को भुगतान (रुपये में)

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	राशि (रुपये में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	रजरप्पा ओसीपी (510.82)	रु. 20,94,66,039.00	कुल वर्तमान मूल्य = रु. 20,89,43,420.00
2	मगध ओसीपी (659.05)		सुरक्षा एक = रु. 5,22,619.00
3	उरीमारी ओसीपी (35.84)		
4	तारमी ओसीपी (55.06)		अन्य = 18165107.98
5	चुरी भूमिगत (312.75)		

जीएम जेजे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	पिपरवार वार्फवाल (2.40 हेक्टेयर)	378.91 हेक्टेयर (936.30 एकड़)	4
2	डीआरडी ओसी (205.79 हेक्टेयर)		
3	चुरीबेंती भूमिगत (18.12 हेक्टेयर)		
4	पुरनाडीह (152.60 हेक्टेयर)		

एफआर (एसटी और ओटीएफडी) अधिनियम, 2006 अंतर्गत फॉर्म – II में एफआरए प्रमाण–पत्र

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	कारो (226.67 हेक्टेयर)	687.31 (1698.38 एकड़)	6
2	पिपरवार वार्फवाल (4.51 हेक्टेयर) दिनांक 22.12.2017		
3	डीआरडी ओसीपी (205.79 हेक्टेयर)		
4	पुरनाडीह (39.69 हेक्टेयर)		
5	कुजू (108.65 हेक्टेयर)		
6	चुरीबेंती (104 हेक्टेयर)		

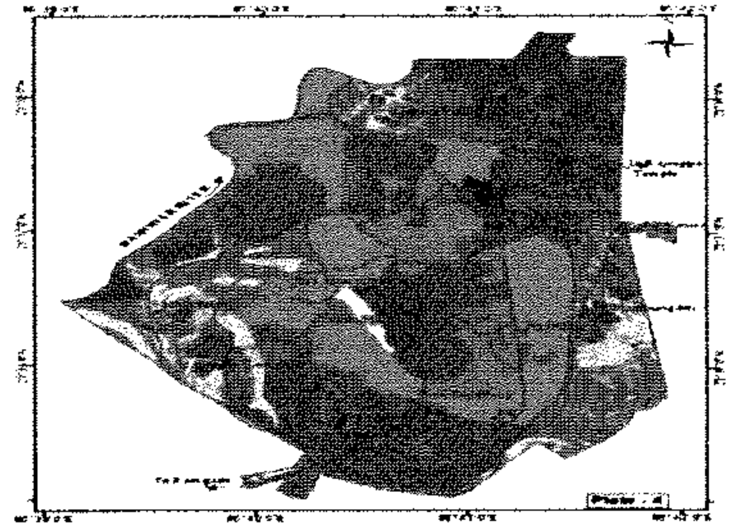

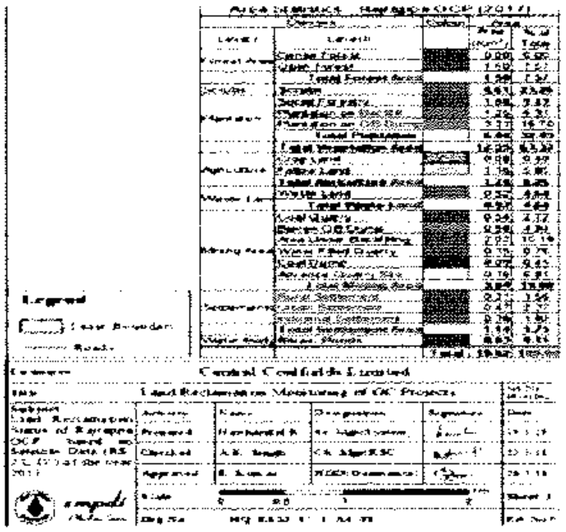

वन भूमि के लिए डीजीपीएस योजना और केएमएल फाइल

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	सयाल–डी (16.38 हेक्टेयर)	976.29 (2412.46 एकड़)	10
2	नॉर्थ उरीमारी (2.96 हेक्टेयर)		
3	उरीमारी (6.98 हेक्टेयर)		
4	चुरीबेंती (18 हेक्टेयर)		
5	कुजू (96.05 हेक्टेयर)		
6	कुजू ओसी (13.12 हेक्टेयर), भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु		
7	रजरप्पा ओसीपी (277.15 हेक्टेयर)		
8	केडीएच (126.72 हेक्टेयर)		
9	तारमी (97.44 हेक्टेयर)		
10	पुरनाडीह (323.49 हेक्टेयर)		

सी.ए. भूमि के लिए डीजीपीएस योजना और केएमएल फाइल

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	कारो (480 हेक्ट.)	2755.52 (6809.038 एकड़)	7
2	कारा बेल्ट (15 हेक्ट.)		
3	कोनार (140 हेक्ट.)		
4	उरीमारी (70 हेक्ट.)		
5	रजरप्पा (600 हेक्ट.)		
6	पुण्डी ओसी (1203.52 हेक्ट.)		
7	कुजू ओसी (250 हेक्ट.)		

धारित एफएसी की संख्या

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	कारो (226.67 हेक्ट.) [2 गुना] दिनांक 15.06.17 एवं 25.01.18	295.07 हेक्ट. (729.13 एकड़)	2
2	कोनार वाशरी (68.40 हेक्ट.) दिनांक 15.06.17		

तैयार लागत लाभ विश्लेषण की संख्या
(एमओईएफसीसी की ओएम दिनांक 01.08.2017 के अनुसार)

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्रस्ताव(वों) की संख्या
1	तारमी ओसीपी (97.44)	1868.26 (4616.57 एकड़)	7
2	कोनार वाशरी (68.40 हेक्ट.)		
3	केडीएच (126.72 हेक्ट.)		
4	चुरी बेन्ती (281.17 हेक्ट.)		
5	पुण्डी ओसी (595.53 हेक्ट.)		
6	रजरप्पा ओसी (277.15 हेक्ट.)		
7	अमलो ओसी (39.443 हेक्ट.)		

27. भूमि अधिग्रहण की वस्तुस्थिति

सीबीए (ए और डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत – वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की उपरोक्त अधिनियम के तत्वावधान में अग्रेतर प्रगति :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहण
1.	मगध विस्तार – II	13859.98	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 और 02/04.06.2017
2	आम्रपाली विस्तार – II	3941.51	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 30/31.08.2017 और 21.10.2017
3	पचरा और पचरा (दक्षिण) कोल माइन ब्लॉक	3331.5	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 25/27.07.2017
4	कोएड मनातु ब्लॉक	3061.96	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 25/27.07.2017
5	मगध विस्तार परियोजना (मगध रेलवे एस.डी.जी.)	127.35	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 03/04.08.2017 एवं 12/14.10.2017
6	अशोक विस्तार – II	741	धारा 9(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 03/04.08.2017
7	कोनार ओसीपी	9.09	धारा 9(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 03/04.08.2017
8	चैनपुर ओसीपी	58.41	धारा 9(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 31.07/01.08.2017
9	संघमित्रा ओसीपी	1557.66	धारा 4(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 14.02.2017
10	चान्हों रिकबा ओसीपी	1727.6	धारा 4(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 14.02.2017
11	पिपरी – II ओसीपी	130.95	सेक्शन – 7(1) संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय को दिनांक 01.11.16 को आवेदन भेजा गया।
12	सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान	18.41	धारा 9(1) और 11(1), पूर्ण। राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 10/18.11.2017 एवं 13.03.2018

धारा 7(1) के अंतर्गत 4087.034 एकड़ भूमि, धारा 9(1) के अंतर्गत 18756.051 एकड़ भूमि एवं धारा 11(1) के तहत 24343.28 एकड़ भूमि का अधिग्रहण के उपलब्धि स्वरूप अत्युत्तम रेटिंग मिली।

(क) मुआवजे का भुगतान

संदर्भित वर्ष के दौरान पूर्व अधिगृहित भूमि, आवास, पेड़ और अन्य का सीबीए (ए और डी) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों अंतर्गत 2,405.23 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया। मुआवजे के भुगतान के लिए 24 की संख्या में अलग–अलग भुगतान शिविर लगाये गए।

भूमि, आवास और वृक्षों (पुनर्वास लाभ सहित) के मुआवजे के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3640.1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। पुनर्वास लाभ हेतु 1796.69 लाख की राशि का संवितरण सह एकमुश्त भुगतान केडीएच, मगध, उत्तरी उरीमारी, बी. एण्ड के., भुरकुण्डा, पिपरवार (बिजन) और पुरनाडीह परियोजनाओं के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को किया गया।

(ख) रोजगार

वर्ष 2017–18 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में भूमि खोनेवाले या उनके नामांकित व्यक्तिओं को कुल 179 नए रोजगार प्रदान किया गया जिससे कम्पनी ने 358.00 एकड़ भूमि अधिगृहित की।

(ग) पुनर्वास

वर्ष 2017–18 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं (ज्यादातर केडीएच, उत्तरी उरीमारी, पिपरवार रेलवे साइडिंग और पुरनाडीह परियोजना इत्यादि में) में कुल 179 परिवार पुनर्वासित किये गए।

28. रेलवे साइडिंग

क. निर्माण के तहत नई साइडिंग

(क) पिपरवार साइडिंग वर्तमान स्थिति	पूर्व मध्य रेलवे के मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन से निकलने वाली पिपरवार साइडिंग की सरफेस लाइन (मुख्य लाइन –26.5 किमी लगभग) पूरी कर ली गई है, एवं जुलाई 2017 से मुख्य लाइन से कोयला प्रेषण शुरू किया गया है। लूप लाइन का काम (लगभग 4 किमी), ओएचई और एस एंडी टी कार्य का काम प्रगति पर है। मेसर्स राइट्स लिमिटेड को पिपरवार रेलवे साइडिंग के शेष कार्य को पूरा करने का काम जमा अवधि के आधार पर 90.61 करोड़ रूपये (लगभग) की लागत पर सौंपा गया था। परियोजना लागत को बाद में संशोधित कर दिया गया है जो 141.00 करोड़ रूपये (लगभग) है। गठन कार्य 30.5 किमी की पूरी लंबाई मे पूरा हो गया है और सरफेस लाईन/मेन लाईन को जोड़ने का ट्रैक कार्य पूरा हो चुका है और जुलाई 2017 से कोयले का प्रेषण शुरू हुआ है। इस रेल लाइन के लूप लाइन के ट्रैक लिंक का कार्य, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और दूरसंचार का कार्य मेसर्स राइट्स द्वारा प्रगति पर है। मेसर्स राइट्स के अनुरोध पर, फरवरी 2018 तक समय विस्तार दिया गया था। मेसर्स राइट्स ने शेष कार्यों यानि लूप लाइन, आएचई और एस एंड टी के पूरा होने के लिए जून 2018 तक और समय विस्तार का अनुरोध किया है। मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के जंक्शन विंदु पर पू. म. रेलवे द्वारा जमा कार्य के रूप में 1.683 किमी के लिए ट्रैक लिंकिंग किया गया है। मेन लाइन और लूप लाइन में आरओआर पुल से संबंधित कार्य पूरा होने के करीब है।
(ख) टोरी–शिवपुर और शिवपुर–कथौटिया नई बीजी रेलवे लाइन का निर्माण वर्तमान स्थिति : (i)टोरी–शिवपुर नई बीजी डबल रेल लाइन (टोरी–बिराटोली और बिराटोली–महुवामिलन रेल लाइन कनेक्टिविटी। (अनुमानित लागत – रूपये 2399. 07 करोड़ रूपये)	एमओईएफ द्वारा अप्रैल 2011 में संशोधित अलाइन्मेंट को स्टेज –1 वानिकी मंजूरी दी गई थी। उसके बाद एमओईएफ द्वारा, टोरी–शिवपुर खंड के संशोधित अलाइन्मेंट के लिए चरण –2 वानिकी मंजूरी 19. 08.2013 को दी गई थी। मार्च 2018 में बालूमाथ स्टेशन (19.3 किलोमीटर की लंबाई) तक टोरी की एकल रेल लाइन का उद्घाटन किया गया और बालूमाथ से कोयला प्रेषण शुरू हुआ। रेलवे द्वारा दिये गये समय सीमा के अनुसार, टोरी से शिवपुर तक एकल रेल लाइन जून 2018 तक पूरी की जानी है। रेलवे द्वारा टोरी–शिवपुर नई रेल लाइन पर 1141.77 करोड़ रूपये का कुल व्यय किया गया है।
(ii) शिवपुर–कथौटिया (शिवपुर–हजारीबाग के संशोधित अलाइन्मेंट) (अनुमानित लागत – 17.99 करोड़ रूपये)	शिवपुर–कथौटिया सेक्शन के लिए रेलवे द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक संरेखण के अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के पूरा होने के बाद, शिवपुर–कथौटिया सेक्शन के पहले लागत अनुमान 1983.04 करोड़ रूपये थी। भूमि की पहचान के बाद, इस खंड के लिए आवेदन अप्रैल/मई 2015 में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दायर किया गया है। शिवपुर–कथौटिया नई बीजी रेल लाइन का काम अब सीसीएल, ईरकॉन और झारखंड सरकार की नवगठित संयुक्त उद्यम कंपनी यानि "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड" (जेसीआरएल) की ओर से मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है। ईसी रेलवे ने 27 फरवरी 2018 को मेसर्स इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डीपीआर (संशोधित परियोजना लागत – 1799.64 करोड़ रूपये) पर अपनी मंजूरी दे दी है। मेसर्स ईरकॉन ने इस मामले को रेलवे के साथ बढ़ी हुई माइलेज और रियायत समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उठाया है।
(ग) कुजू रेलवे साइडिंग	लो लेवल प्लेटफॉर्म के साथ कुजू रेलवे साइडिंग को पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सीसीएल के लिए 8.22 करोड़ रूपये की लागत से जमा अवधि के आधार पर शुरू किया गया है। साइडिंग का उदघाटन किया गया है और कोयले का प्रेषण चल रहा है।
(घ) चरही रेलवे साइडिंग	सीसीएल ने चरही स्टेशन के पास एक पूर्ण समर्पित रेक साइडिंग के निर्माण के लिए पूर्व मध्य रेलवे को अनुरोध किया है। चरही रेलवे साइडिंग से हजारीबाग क्षेत्र के कोयला प्रेषण के लिए बरकाकाना–हजारीबाग खंड पर इस बीच, चरही गुड्स शेड साइडिंग लिया गया है और कोयला प्रेषण शुरू कर दिया गया है।
(ङ.) पिपराडीह रेलवे साइडिंग का निर्माण	यह कार्य पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा जमा अवधि के आधार पर किया जा रहा है। ईसी रेलवे अलाइन्मेंट में बदलाव के कारण लागत 8.88 करोड़ रूपये से 22 करोड़ (लगभग) संशोधित की गई है। सीसीएल ने लागत में वृद्धि के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने के लिए ईसी रेलवे से अनुरोध किया है।
(च) उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण	सीसीएल ने मई 2017 में मेसर्स राईट्स को उत्तरी उरीमारी साइडिंग के निर्माण के लिए 222.32 करोड़ (लगभग) कार्य सौंपा है। मेसर्स राइटर्स द्वारा कार्य शुरू किया गया है। दामोदर नदी पर बड़े पुल एवं अन्य छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर है।
(छ) पिपरवार – मैक्लुस्किगंज रेल लाइन अलाइन्मेंट के सीएच.17.000 और 18.000 के मध्य दो वार्फवाल के निर्माण हेतु एफएसआर एवं डीपीआर बनाना	यह काम मेसर्स राईट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। डीपीआर तैयार किया गया है और इसकी मंजूरी के लिए पू.म. रेलवे को सौंप दिया गया है। मेसर्स राइट्स द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर संशोधित लागत 99.80 करोड़ रूपये (मेसर्स राइट्स शुल्क और सेवा कर सहित) है – जिसमें चेनेज के 10 किमी और 11 किलोमीटर के बीच कोइलारा में क्रॉसिंग स्टेशन का प्रावधान शामिल है का कार्य प्रगति पर है।
(ज) मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण	391.01 करोड़ रूपये (मेसर्स राइट्स शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राइट्स को कार्य दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
(झ) आम्रपाली रेलवे साइडिंग का निर्माण	413.48 करोड़ रूपये (मेसर्स राईट्स के शुल्क और सेवा कर सहित) की लागत से मेसर्स राईट्स को कार्य दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ख. मौजूदा रेलवे साइडिंग का नवीनीकरण

करगली (पश्चिम) साइडिंग का नवीकरण मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है।

पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद डिवीजन द्वारा जमा अवधि के आधार पर रेल पटरियों और स्लीपरों का नवीनीकरण पूरा किया गया है: (i) ढोरी–। साइडिंग, (ii) ढोरी –।। साइडिंग (iii) तारमी साइडिंग (iv) जारंगडीह – । साइडिंग (v) जारंगडीह – ।। साइडिंग (vi) एनआर और सारूबेरा (चरण–1) (vii) एनआर और सारूबेरा (चरण –।।) (viii) न्यू सेलेक्टेड ढोरी साइडिंग (ix) डकरा साइडिंग (x) बचरा साइडिंग (xi) सौंदा – बी साइडिंग। हालांकि, पू.म. रेलवे, धनबाद द्वारा नाली, पत्थर, गिट्टी पैकिंग इत्यादि सहित कुछ सहायक कार्यों को पूरा किया जाना बाकी है। केडीएच –। साइडिंग का काम पू.म. रेलवे, धनबाद द्वारा पूरा किया जाना बाकी है।

29. भूगर्भीय सेवाएँ

(ए) ड्रिलिंग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रति माह 1132.20 मी. प्रति ड्रिल की उत्पादकता के साथ 100000 के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 67932.00 मीटर की ड्रिलिंग तोपा और लपंगा बेस स्टेशनों की

पाँच कार्यरत ड्रिलों के साथ की गई है। इसमें खनन हेतु ब्लास्ट छिद्र, जल निकासी हेतु अधिक व्यास वाले बोर–होल, पेयजल हेतु ट्यूबवेल्स एवं अन्वेषण कार्य के लिए किए गए नॉन–कोकिंग बोरहोल्स सम्मिलित हैं।

(बी) परियोजना दस्तावेजीकरण और संबंधित कार्य

(i) भूविज्ञान संबंधी

वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गई हैं। उनमें से अधिकांश उत्पादन समर्थन खनन सेवाओं और भविष्य की खनन गतिविधियों से संबंधित हैं:

1. हार्डवेयर, अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विभागीय कंप्यूटर केंद्र के डेटा की देख–रेख करना।
2. चल रहे ब्लॉकों की स्थान योजनाओं के संबंध में जीएम (एक्सप्लोरेशन), आरआई–3 के साथ परस्पर विचार विमर्श जहां सीसीएल के अधिकार क्षेत्र मे सीआईएस के ब्लॉकों का अन्वेषण, विभागीय एवं आउटसोर्सिंग माध्यम से कार्य चल रहा है (एमपीआर में भूगर्भीय सूचना एवं लंबित कोल कोर)।
3. विभागीय सह आउटसोर्सिंग माध्यम से आरआई–III, सीएमपीडीआई, राँची द्वारा सीसीएल कमान क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अन्वेषण की निगरानी।
4. 01.04.17 को सीसीएल कमान क्षेत्र में कोयले के भंडार का संकलन। सीसीएल कमान क्षेत्र में कुल 44732.13 एमटी का कोयला भंडार है। 01.04.17 को भारत में कोयले का कुल भंडार 315148.81 एमटी है।
5. विभागीय सह आउटसोर्सिंग माध्यम से सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में सीएमपीडीआई बिलों की प्रसंस्करण।

(ii) आउटसोर्सिंग प्रस्ताव

1. दो वर्ष की अवधि के लिए बी एंड के क्षेत्र के कारो (I) ओसीपी में ओबी हटाने (3.87 लाख क्यू.मी.) के लिए एचईएमएम मशीन को किराये पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन और कोयला (15.58 लाख टन) का निष्कर्षण।
2. चार वर्ष की अवधि के लिए बी एंड के क्षेत्र के एकेके ओसीपी के कोनार हिस्से के आउटसोर्सिंग में ओबी हटाने के काम के (16.09 क्यू मी) के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव के भूवैज्ञानिक अध्ययन।
3. तीन वर्ष की अवधि के लिए जारंगडीह ओसीपी आउटसोर्स पैच में 35.00 लाख क्यू ओबी हटाने के लिए एचईएमएम मशीन को किराये पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
4. 15.48 लाख क्यू मी ओबी हटाने और रोहिणी ओसीपी, एन. के. क्षेत्र सीसीएल के 10.67 लाख टन कोयले के निकासी के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव के भूवैज्ञानिक अध्ययन।
5. 1050 लाख क्यू मी ओबी हटाने और पिपरवार क्षेत्र सीसीएल अशोक ओसीपी में 975 लाख टन कोयले के निष्कर्षण के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव के भूवैज्ञानिक अध्ययन।
6. 77.00 लाख क्यू मी ओबी हटाने के लिए आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन और उरीमारी के गंधौनिया पैच में 38.20 लाख टन कोयले का निकासी और 4.03 लाख क्यू मी के ओबी को हटाने और सीसीएल के रोहिणी ओसीपी, एन के क्षेत्र से 2.6 लाख टन कोयले का निष्कर्षण।
7. 52.77 लाख क्यू मी ओबी हटाने के लिए आउटसोर्सिंग प्रस्ताव के भू–वैज्ञानिक अध्ययन (15.560 लाख क्यू मी की री–हैण्डलिंग सहित) और गोविंदपुर फेज –2 ओसीपी, (मोंटिको नाला के पश्चिम) में कथारा क्षेत्र में 3 वर्ष की अवधि हेतु 26.5 लाख टन कोयले का निष्कर्षण।
8. ढोरी क्षेत्र की एसडीओसी खान के एसडीक्यू प्रोजेक्ट में ओ. बी. हटाने एवं पैच एनेक्सेशन के लिए मेसर्स पीसीआर 7 आर आई (जेवी) को दिए गए अनुबंध में एचईएमएम को किराये पर उपलब्ध कराने के लिए, दिए गए प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
9. कथारा ओसी, कथारा क्षेत्र में 80.80 लाख टन कोयले के उत्खनन एवं परिवहन एवं 6.78 लाख टन अंतर बर्डेन ओबी हो हटाने के लिए एचईएमएम को किराये पर उपलब्ध कराने की निविदा के पुरोबन्ध के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
10. हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल के झारखंड ओसीपी ओएस–1 पैच को मेसर्स अमर इंडिया लिमिटेड को सौंपने के संबंध में ठोस ओबी के पुनः विनिमय के लिए प्रस्ताव का भू–वैज्ञानिक अध्ययन और ओबी मात्रा की री–हैण्डलिंग करना।
11. मेसर्स प्रोजेक्ट प्रा. लि. के मौजूदा अनुबंध के विरूद्ध 23.03 लाख क्यू. मी. ओबी एवं 16.68 लाख टन कोयले के आउटसोर्सिंग अनुबंध के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में पूर्व के अनुबंध का निस्तारण एवं मौजूदा नियम एवं शर्तों के अनुरूप उक्त अनुबंध के विस्तार के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
12. आम्रपाली ओसीपी में अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के पृथक 50 ला. क्यू. मीटर के ओ बी की डंपिंग साइट से कोल बियरिंग क्षेत्र पर 50 लाख क्यू मी कोयले को मेसर्स एएमपीएल–एमआईपीएल–जीटीएल (जेबी) द्वारा पूर्व अनुबंध शर्तानुसार एवं समान लीड दूरी पर डंप करने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।
13. एचईएमएम मशीन की भर्ती के लिए प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन 9.48 मीट्रिक क्यू मी (0.51 मीट्रिक क्यू मी के पुनः संचालन सहित) और पांच साल की अवधि के लिए अरगडा क्षेत्र के रेलिगरा ओ सी पी में कोयला (3.31 मीट्रिक टन) निकालना।
14. मगध ओसीपी के अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के विचलन में कोल बियरिंग क्षेत्र पर सैनिक माइलिंग एवं एलाइड सर्विसेज द्वारा क्यू. मी. ओबी डंप करने के प्रस्ताव पर जिसमें भविष्य में 30 लाख क्यू. मी. ओबी के डंपिंग साईट को बदलने की आवश्यकता के साथ लीड दूरी के पुनर्विनियोजन की आवश्यकता के साथ लीड दूरी के पुनर्विनायोगन की आवश्यकता मौजूदा नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
15. हजारीबाग क्षेत्र सीसीएल के झारखंड ओसीपी के संबंध में 44.50 लाख क्यू. मी. ओबी (16.20 लाख क्यू. मी. री–हैंडलिंग सहित) को हटाने के लिए उपकरणों की

भर्ती के लिए प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन और कोयला के 15.00 लाख टन निकालने के लिए 1 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निकासी।

16. मेसर्स एमएआर इंडिया लि. द्वारा तापीन नार्थ ओसीपी में 23.27 लाख क्यू. मी. ओबी एवं 7.52 लाख टन कोयले के निष्काशन एवं परिवहन के आउटसोर्सिंग अनुबंध के पूर्व अनुबंध शर्तों के विस्तार के प्रस्ताव का भू-वैज्ञानिक अध्ययन।

17. तेतरीयाखार ओसीपी (2.0 एमटीवाई) की अनुमोदित विस्तार परियोजना रिपोर्ट के विचलन में और 0.75 मीट्रिक क्यू मी ओबी की मात्रा के लिए डंपिंग साइट के प्रभारी के लिए तेतरीयाखार ओसीपी के कोयला असर क्षेत्र पर 0.75 मीट्रिक से अधिक बोझ के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन मेसर्स अम्बे खनन प्राइवेट द्वारा ओटीपी के भीतर तेतरीयाखार ओसीपी में लिमिटेड अनुबंध के समान नियमों और शर्तों पर सम्मानित लीड दूरी के भीतर।

18. कोनार के एकेके ओसीपी बी एण्ड के क्षेत्र में तीन वर्षों के लिए 216 लाख टन कोयले के निष्कासन एवं टिपर द्वारा परिवहन हेतु उपकरण किराये पर लेने के लिए प्रस्ताव पर जिसमें, (सर्फेस माइनर, पेलोडर एवं संवर्गी उपकरणों द्वारा)।

19. पिपरवार ओसी में तीन वर्षों के लिए 139.50 ला. टन को सर्फेस माइनर द्वारा उत्खनन एवं टिपर, पेलोडर को सीएचपी, सीपीपी, बचरा साइडिंग, आरसीएम साइडिंग एवं राजधर साइडिंग तक परिवहन के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

20. अशोक आसीपी, पिपरवार क्षेत्र में परिवहन ओबी हटाने (431 लाख क्यू. मी.) एवं कोयला उत्खनन (326.00 लाख टन) के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

21. तोपा ओसीपी के उत्तरी दिशा में पैच विनियोजन एवं आउअसोर्सिंग अनुबंध में 0.966 ला. क्यू. मी. के अतिरिक्त ओ बी निष्कासन के पूर्व नियोजित शर्तों के अनुरूप प्रस्ताव का भू-वैज्ञानिक अध्ययन।

22. बालकुदरा ओसीपी, बडकासयाल क्षेत्र में मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट लि. के आउटसोर्सिंग अनुबंध में पश्चिम दिशा की ओर अनुबंध परिसीमा में बदलाव के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

23. करकट्टा कोलियरी (केडीएच आउटसोर्सिंग पैच) के दक्षिण दिशा में मेसर्स बीपीआर माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा पैच विनियोजन का पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार आउटसोर्सिंग अनुबंध के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

24. रजहरा क्षेत्र के तेतरियाखार ओसी परियोजना में दस वर्षों के लिए ओबी निष्कासन (82.00 लाख क्यू. मी.) एवं कोयला उत्खनन (158.00 लाख टन) के लिए एचईएमएम किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

25. अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र में तीन वर्षों के लिए ओबी निष्कासन (431.00 लाख क्यू. मी.) कोयला उत्खनन (514.00 लाख टन) एवं परिवहन के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

26. एकेके ओसीपी, कोनार अंश (कोनार विस्तारण), बी एण्ड के क्षेत्र में दो वर्षों के लिए किराये पर एचईएमएम एवं अन्य संवर्गी उपकरणों को ओबी निष्कासन (6.26 मिलियन क्यू. मी.) एवं 5.06 मिलियन टन कोयले के उत्खनन हेतु सर्फेस माइनर, पेलोडर एवं अन्य संवर्गी उपकरणों एवं कोयले का परिवहन ठेकेदार के टिपिंग ट्रकों को किराये पर लेने के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

(iii) कैप्टिव खान ब्लॉक पर

1. कैप्टिव खान ब्लॉक पर विभिन्न अधिकारियों को प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

(iv) अन्य

1. वर्ष 2017-18 विभागीय एवं आउटसोर्सिंग माध्यम से सीएमपीडीआई द्वारा सीआईएल के कोल ब्लॉक के अन्वेषण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।
2. संसदीय प्रश्नों का उत्तर विभाग के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिया गया।

(सी) हाइड्रोजियोलॉजी और टेस्ट होल

1. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए गहरे ट्यूबवेल बोरहोल्स एवं कोयला और ओबी को सिद्ध करने के लिए कुल 56 की संख्या में टेस्ट होल ड्रिल किया गया।

(डी) विशिष्ट सेवाएँ और कम्प्यूटरीकरण कार्य

भूविज्ञान विभाग ने आई.आई.टी. खडगपुर, बी.आई.टी. मेसरा, सीएमपीडीआई, एमईसीएल और जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से एसकेसीएफ और डब्ल्यूबीसीएफ के जी.आई.एस. आधारित इंटरएक्टिव जियो खनन मॉडल पर सीआईएल आर एंड डी द्वारा वित्त पोषित दो प्रमुख परियोजनाएं पूरी की हैं।

अंतिम रिपोर्ट में विभिन्न एजेंसियों के सभी परिणामों के निष्कर्ष शामिल हैं।

विभाग बोरहोल और मानचित्र डेटा, संसाधित आउटपुट और दस्तावेजों सहित सभी बुनियादी डेटा को बनाए रखता है।

(ई) कोयला भंडार

दिनांक 01/04/2017 भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभिकलित एवं संकलित डाटा के अनुसार सीसीएल के अधिकार क्षेत्र में सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित श्रेणियों में कुल 44732.44 मिलियन टन कोयला (1200 मीटर की गहराई तक) अवस्थित है। कोयला भंडार का विवरण निम्नलिखित है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8137.88	9431.44	1692.92	19262.24
नॉन-कोकिंग	15999.13	6631.69	2839.07	25469.89
कुल	24137.01	16063.13	4531.89	44732.13

30. सीसीएल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सीसीएल अपने हितधारकों की संतुष्टि के लिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल किये गये हैं :

1. सीसीएल मुख्यालय में एन.आई.सी., के सहयोग से ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रारंभ की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सीसीएल के व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन में गुणात्मक सुधार, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता लाना है।

2. कोयला प्रेषण में सुधार के लिए वान (WAN) के माध्यम से सीसीएल के केन्द्रीय सर्वर से सभी वेब्रिजों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है।

3. कोल इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय सर्विस प्रदाता के सौजन्य से ई–क्रय एवं ई–विक्रय की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा सीआईएल के वेन्डर्स एवं कर्मचारियों को ई–भुगतान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार में शिकायतों के निवारण हेतु ई–फाइलिंग की सुविधा दी गई है।

4. सीसीएल के सभी अधिकारियों के लिए सीआईएल द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट ईमेल मैसेज सिस्टम को सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए लागू किया गया है।

5. सीसीएल में कोलनेट (ईआरपी का एक प्रकार सॉफ्टवेयर) में वित्त, वेतन, विक्रय, पीआईएस, सामग्री, एवं उत्पादन मॉड्यूल सफलतापूर्वक परिचालन में है।

6. सीसीएल में उपस्थिति के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को शुरू किया गया है।

7. सीसीएल के सभी अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन, सतर्कता सूचना एवं वार्षिक संपत्ति विवरण सीआईएल द्वारा प्रबंधित केन्द्रीयकृत वेब प्रणाली के द्वारा की जाती है।

8. कोलनेट के विभिन्न मॉड्यूलों में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सीसीएल के सड़क वेब्रिज में कोयला प्रेषण के जीएसटी कार्यान्वयन हेतु आंतरिक कार्यबल के द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कर प्रयोग में लाया गया है।

31. सुरक्षा प्रबंधन

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का सुरक्षा विभाग एक 24x7 कार्यकारी विभाग है जो अवैध खनन, कोयला चोरी जैसे अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए राज्य एवं सिविल प्राधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक निषेधात्मक कदम लेता है। विगत वर्ष यानी 2017–18 में सुरक्षा विभाग का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विभाग ने विभिन्न खानों/परियोजनों एवं ईकाइयों के चौबीसों घंटे निगरानी हेतु एक अति वृहत तंत्र विकसित किया है। अद्यतन सूचनओं को संकलित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) के रूप में जमा कर दिया जाता है।

सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2017–18 में अधिकतम छापेमारी की है जिसमें 12 क्षेत्रों में कुल 240 छापेमारी की एवं 536.97 मिट्रिक टन से ज्यादा कोयला बरामद किया है जिसका अनुमानित मूल्य 15,79,095.39 (पन्द्रह लाख उनासी हजार पंचान्वे रूपये एवं उनचालिस पैसे) है। सफल छापेमारी अनैतिक कार्यो की प्रभावी रोकथाम की कसौटी है। सीसीएल के लीज्डहोल्ड क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन की सूचना प्राप्त होने पर, विभाग नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाकर संबंधिक जिला टास्क फोर्स की सहायता से उपद्रिवियों को कब्जे में ले लिया जाता है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए कई रैट होलों का ध्वंस किया गया है।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा विभाग द्वारा कोयला खानों के पास अतिरिक्त चेक पोस्ट का निर्माण, रेलवे साइडिंग के पास कंटीली तारों का घेरा, रात्री पेट्रोलिंग गस्ती दल, काँटा घरों के पास सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराया गया जो कि 24x7 घंटों की रिकॉर्डिंग करती है। जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. प्रणाली व्यवस्थित की गयी है। विभाग द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कारगर सेवा ली जा रही है जो विभाग को और शक्तिशाली कर रहा है जो सभी तरह के आधुनिक गैजेट, क्यूआरटी गाड़ियाँ, रात्रि में देख पाने वाले ग्लास उपकरण एवं आधुनिक हथियारों से लैस हैं।

उपरोक्त के अलावा, एक यूनिट (55 न.) राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं (20 न.) महिला झारखण्ड गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति राजधर साइडिंग, पिपरवार में बहुत ही कम समय में कराया गया है जिससे सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है ताकि साईडिंग के समीप के गाँव की महिला कोयला चोरों के समूह पर लगाम लगाया जा सके एवं कम्पनी की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

सुरक्षा विभाग के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए सयाल 'डी' भूमिगत खदान जो बड़का सयाल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है उसमें घटित दुर्घटना में दो कामगार लापता थे एवं जिला अधिकारी से सम्पर्क बना कर खदान की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया जिससे कि बचाव कार्य में लगे बचाव दल सुचारु रूप से अपना दायित्व बगैर रोक–टोक के निभा सके।

सुरक्षा विभाग के द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति एवं उपकरणों की देख–भाल के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के मद्दे नजर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था क्षेत्रीय खदानों तथा आवासीय कॉलोनी में की गयी है जिससे कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी 24x7 रखी जा सके। विभाग द्वारा सीसीएल के कमान क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिये समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं 24x7 घंटों संपर्क में रहने के लिये सीसीएल दरभंगा हाउस परिसर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित की गया है जो प्रबंधन को सही और समय पर सूचना भेजती है।

32. राजभाषा क्रियान्वयन

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इण्डिया की अनुषंगी कम्पनी 'क' क्षेत्र में स्थित है जहाँ लगभग 90 प्रतिशत कर्मी हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान युक्त हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए

कम्पनी का राजभाषा विभाग सदैव तत्परता से कार्य करता है। चाहे गृहमंत्रालय या कोयला मंत्रालय से आए निर्देश हों या कार्यशाला – बैठकों की श्रृंखला, सभी के सहयोग से इन कार्यों को समय पर पूरा किया जाता है।

2017–18 के वित्तीय वर्ष में राजभष कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 21.07.17, 30.10.17, 12.01.18 एवं 25.04.18 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। जिनकी अध्यक्षता कम्पनी के निदेशक (कार्मिक) श्री आरत्र एस. महापात्र ने की। क्षेत्रों एवं विभागों के विभागाध्यक्ष एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया।

संयुक्त निदेशक (रा.भा.), कोयला मंत्रालय श्री सुबोध कुमार के निर्देश और उपस्थिति में मुख्यालय में सभी क्षेत्र एवं विभागों के विभागाध्यक्षों एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों के साथ निरीक्षण बैठक 19.05.2017 को आयोजित हुई। बैठक में राजभाषा के शत प्रतिशत क्रियान्वयन पर संयुक्त निदेशक द्वारा विभिन्न सुझाव एवं आदेश दिये गये जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वियन की एक दस सदस्यीय उप समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक (रा.भा.) करते हैं, इस वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु उप समिति की तीन बैठक आयोजित हुई है।

मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रति तिमाही एक कार्यशाला आयोजित करना आवश्यक है। इस वर्ष कुल पाँच कार्यशालाएँ राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय में आयोजित हुई। राजभाषा माह के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग की पहल से दो दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

01.09.2017 से 30.09.2017 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ राजभाषा माह मनाया गया। 14 सितम्बर को राजभाषा दिवस सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। शहर के एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित किया गया। सभी विजयी प्रतिभागियों को मंत्रालय के निर्देशानुसार तय की गई राशि का नकद पुरस्कार दिया गया। मुख्यालय के तीन विभागों एवं तीन क्षेत्रों को वर्ष पर्यन्त राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड प्रदान किया गया। एक क्षेत्र को राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य हेतु 'पं. दीनदयाल उपाध्याय' विशेष राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करने हेतु 57 कर्मियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

सीसीएल के सभी क्षेत्रों एवं केन्द्रीय कर्मशाला, बरकाकाना में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। क्षेत्रीय महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रति तिमाही राजभाषा बैठक का आयोजन किया जाता है। प्रति तिमाही क्षेत्रों में कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है।

नराकास के अध्यक्ष कार्यालय होने के कारण वर्ष की दोनों नराकास बैठकें जुलाई एवं दिसम्बर माह में आयोजित की गई। वर्ष पर्यन्त विभिन्न उपक्रमों द्वारा सीसीएल की सहभागिता के साथ छह प्रतियोगिताएँ की गई। सीसीएल द्वारा नराकास के तत्वावधान में सभी उपक्रमों के प्रतिभागियों की उपस्थिति में राजभाषा प्रश्न–मंच का आयोजन किया गया।

वर्ष पर्यन्त कोयला मंत्रालय, गृहमंत्रालय की तीन बैठकें दिल्ली, कोलकाता और गुआहाटी में आयोजित हुई। सभी बैठकों में राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं कम्पनी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (कार्मिक) शामिल हुए। राजभाषा के कार्यों में निरंतर सफल प्रयास के लिए सीसीएल की बैठकों में सराहना की गई।

राजभाषा विभाग की पहल से 'मानक प्रारूप संकलन' सीसीएल प्रेस के सहयोग से प्रकाशित किया गया, इसमें रोजमर्रा के कार्योपयोगी पत्र/नोटशीट/टिप्पणियों का संकलन है जिसे सभी विभागों एवं क्षेत्रों में वितरित किया गया। इसी प्रकार सभी विभागों में उपयोग में आनेवाले कठिन अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी में सरलरकरण करके (अनुवाद) एक पुस्तिका बनाई गई जिससे हिन्दी में कार्य करना सरल हो। इसे सभी विभागों/क्षेत्रों में वितरित किया गया। समय–समय पर सीसीएल के सभी क्षेत्रों, केन्द्रीय इकाइयों एवं मुख्यालय के विभागों का निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उचित सलाह दी जाती है। कार्यान्वियन की प्रतिपुष्टि भी की जाती है।

सीसीएल राजभाषा विभाग द्वारा सदैव मंत्रालयों के निर्देशों के शत–प्रतिशत अनुपालन का प्रयास रहता है जिससे कम्पनी में राजभाषा की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

33. वर्ष 2017–18 में सतर्कता विभाग की उपलब्धियाँ एवं कार्यकलाप

सतर्कता विभाग कम्पनी का एक अभिन्न अंग है, जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन 22 अधिकारी एवं 22 गैर–अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विभाग कम्पनी के संगठानात्मक लक्ष्य एवं ध्येय की प्राप्ति के लिए समुचित माहौल तैयार करने में प्रभावी रूप से अपनी सेवाएँ दे रहा है। वर्ष 2017–18 में विभाग की महत्वपूर्ण निवारक, अनुसंधानात्मक, दंडात्मक कार्यवाही संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित है :

1. अनुसंधान

वर्ष 2017–18 के दौरान, 26 आरआई मामलों के सापेक्ष में कार्यवाही विस्तृत अनुसंधान के पश्चात की गई। इसके अलावा विभाग द्वारा शिकायतों की छानबीन की गई एवं उन मामलों में समुचित कार्यवाही इस वित्तीय वर्ष प्रारंभ की गई।

2. दंडात्मक कार्यवाही

वर्ष 2017–18 के दौरान, 15 लोगों के विरूद्ध 9 विभागीय जाँच पूरी की गई। 09 मामलों में 12 लोगों का से बड़ा दण्ड एवं 20 मामलों में 41 लोगों को साधारण दण्ड दिया गया।

3. निवाराणत्मक कार्यवाही

- वर्ष 2017–18 के दौरान, सीसीएल के विभिन्न ईकाइयों में 20 औचक निरीक्षण किए गए एवं 15 आवधिक सतर्कता निरीक्षण किए गए।
- चार गहन तकनीकी परीक्षण किए गए।
- वर्ष 2017–18 के दौरान 84 सीसीएल अधिकारियों के वार्षिक सम्पत्ति विवरण की सूक्ष्म जाँच की गई।
- सीसीएल सतर्कता विभाग के अनुसंधान एवं औचक निरीक्षणें में प्रचलित कार्यप्रणाली की अनियमिताओं के

आधार पर निवारणात्मक उपाय सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसित किए गए। तकरीबन 18 कापर्यप्रणाली सुधार सुझाव वर्ष 2017–18 में दिए गए। सतर्कता विभाग द्वारा कार्य प्रणाली सुधार से संबंधित मुख्य सुझाव निम्नलिखित है :

1. एनआर साइडिंग में क्रश किए हुए कोयले के परिमाण की औचक जाँच में अनियमितता/विचलन पाया गया, कोयला मंत्रालय के निर्णयानुसार, सीआईएल की सहायक कम्पनियों को एफएसए के अंतर्गत पावर प्लांट को सिर्फ (–)100 मि.मि. क्रश कोयले की आपूर्ति देने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

   i. दिनांक 23.04.16 को सतर्कता टीम द्वारा एन आर साइडिंग में यह पुष्टि करने के लिए औचक निरीक्षण किया कि रेलवे साइडिंग से (–)100 mm परिमाप का ही कोयला पावर प्लांट को भेजा जा रहा है।

   ii. सीसीएल सतर्कता टीम एवं साइडिंग प्रबंधक, एन आर साइडिंग की संयुक्त जाँच में यह पाया गया कि आरा फीडर ब्रेकर से (–)100 मि.मि. परिमाप का कोयला एनआर साइडिंग में नहीं भेजा जा रहा था।

   iii. यद्यपि प्रोजेक्ट अफसर द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि पावर प्लांट को सिर्फ क्रश कोयला ही प्रेषित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, परंतु सतर्कता टीम एवं साइडिंग प्रबंधक, तब प्रोजेक्ट प्रबंधक की संयुक्त जाँच में यह पाया गया कि सारूबेड़ा/कुजू साइडिंग कुछ हद तक यह सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं कि मंत्रालय के निर्णयानुसार पावर प्लांट को क्रश कोयला ही दिया जाए।

   उपरोक्त मामले को निदेशक (तक./संचालन) के संज्ञान में लाया गया ताकि उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई इस कार्यालय की सूचना में की जा सके।

2. कोलियरी में एक सेवानिवृत कर्मी के द्वारा क्वार्टर (आवास) के कथित अवैध कब्जे से संबद्ध शिकायत में, कर्मी के टर्मिनल बकाये को सीसीएल सुरक्षा विभाग के आवास रिक्तता प्रमाण–पत्र के निर्गम के बाद चुकता किया गया। बहरहाल इस विषय पर एक विशिष्ट शिकायत में यह पाया गया कि कर्मी ने आवास (क्वार्टर) को सेवानिवृत्ति के बाद भी खाली नहीं किया।

   i. क्षेत्रों में कुल उपलब्ध क्वार्टरों में से लगभग 30 प्रतिशत क्वार्टर में अवैध कब्जा है, क्षेत्र इन क्वार्टरों को वापस नहीं ले पा रहे हैं।

   ii. क्षेत्रों में क्वार्टरों की संख्या कर्मियों से कहीं ज्यादा है। आवश्यकता से अधिक एवं अत्यंत पुराने क्वार्टरों को तोड़ना, वैसे क्वार्टरों में पानी एवं बिजली कनेक्शन काटना एवं सुरक्षा विभाग को क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाये जाने जैसे वृहत उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

   इस विषय पर लापरवाह सुरक्षा कर्मी पर विभागीय कार्यवाही शुरु की जा सकती है।

   यह मामला निदेशक (कार्मिक) के संज्ञान में इस कार्यालय को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु लाया गया है।

3. एक क्षेत्र में चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के मामले में कुछ अनियमितता सतर्कता विभाग की अनुसंधानात्मक कार्रवाई में नजर आई। अतः कार्य प्रणाली में निम्नलिखित सुधार किए गए :

   i. यह ध्यान दिया गया कि 'हृदय सुरक्षा' के लिए चिकित्सीय उपकरणों के इंडेण्ट को विभिन्न अस्पतालों के द्वारा कम्पनी सचिवालय, सीसीएल द्वारा बोर्ड अनुमोदन के विरुद्ध जारी किया गया था। यह सुझाव दिया गया कि सीसीएल के सभी अस्पतालों के इंडेण्ट सीएमएस, सीसीएल के द्वारा इकट्ठा किये जाने चाहिए एवं सभी क्रय सीसीएल के क्रय विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से की जानी चाहिए ताकि तकनीकी तौर पर उन्नत चिकित्सा उपकरण उचित मूल्य पर क्रय किये जा सके।

   ii. कुछ सप्लाई ऑर्डरों में यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा उपकरण सामान्यतः सीसीएल के अस्पतालो में कमिटी क्रय के माध्यम से उपार्जित किए जाते हैं। यह भी ध्यान दिया गया है कि पिपरवार में कमिटी क्रय में चिकित्सा उपकरण के क्रय में रु. 3,68,575.00 के उपकरण की खरीद में 1,14,883.00 का खर्च आया। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि क्रय समिति की प्रतिनियुक्ति में अनुमोदन प्राधिकारी यह ध्यान रखें एवं न्यायसंगत सिद्ध कर सके कि (i) इंडेण्ट सामान की तात्कालिक आवश्यकता (ii) क्रय सामग्री का कुल इंडेण्ट मूल्य (iii) समिति द्वारा किया गया खर्च।

4. 60 टन के डंपरों के क्रय के मामले में जिसका अनुमानित मूल्य 202.50 करोड़ रुपये था, सतर्कता विभाग की जाँच में यह पाया गया कि जब 18. 09.15 को तकनीकी वाणिज्य (टेक्नो कमर्शियल) बोली खुली और 10.02.16 को मूल्य बोली खुली, बीओक्यू एवं टीपीएस में अनियमितता पाई गई। अतः कार्यप्रणाली सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गये :

   i. यह ध्यान दिया गया है कि बीओक्यू को

टीपीएस के साथ संकलित करना है, अर्थात टीपीएस में मदों की संख्या बीओक्यू के मदों के समान होनी चाहिए। उपर्युक्त निविदा में, टीपीएस में एक मद है जबकि बीओक्यु में दो मद हैं। (उपस्कर की आपूर्ति एवं प्रतिपूरक वस्तु – I) जिसके कारण सिस्टम द्वारा निर्गत बीओक्यू में सिर्फ प्रथम मद पर विचार किया गया और द्वितीय मद अर्थात प्रतिपूरक वस्तु के मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया। अगर टीपीएस में एक मद के स्थान पर दो मद होते तो, सिस्टम द्वारा जारी गलत एल–1 की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती।

ii. दोषपूर्ण टीपीएस एवं बीओक्यु के कारण, सीसीएल के सामने कई समस्याएँ आई हैं। स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक (आइईएम) और सीआईएल के सलाहकार इस निविदा के निर्णय में सम्मिलित थे।

बीईएमएल, द्वारा न्यायालय में दायर इस मामले के कारण, निविदा को अंतिम रूप देने में लगभग एक साल की देरी हुई जिसके कारण 60 टन के डंपर की सुपुर्दगी में देरी हुई।

iii. भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति से बचने के लिए क्रय विभाग को यह सुझाव दिया जाता है कि वह टीपीएस एवं बीओक्यु को ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड करने के पहले अच्छी तरह से जाँच लें।

यह मामला निदेशक (तक./परि. एवं यो.) के संज्ञान में उचित कार्रवाई हेतु लाया गया।

5. एक अधिकारी के वेतन एवं चार्ज भत्ते के संदर्भ विभाग ने अनुसंधान के समय निम्नलिखित तथ्य पाए गए :

i. वेतन का भुगतान

(क) दिनांक 24.01.2012 को उक्त अधिकारी ने भुरकुंडा कोलियरी में प्रभार ग्रहण किया परंतु उनका वेतन अप्रैल, 2013 तक उनके पूर्व के योगदान के स्थान सेन्ट्रल सौंदा प्रोजेक्ट, बड़का सयाल क्षेत्र से ही बनता रहा।

(ख) उक्त अधिकारी तबादला भुरकुंडा कोलियरी से हुआ था एवं उन्होने 29.07.2013 को सौंदा डी कोलियरी में योगदान दिया परंतु उनका वेतन मार्च 2016 तक भुरकुंडा से ही बनाया गया। उपरोक्त समय के अंतराल में अधिकारी 29.07.2013 से 15.07.2015 तक सौंदा–डी कोलियरी, 16.07.2015 से 16.09.2015 तक बचरा कोलियरी, पिपरवार में, 16.09.2015 से 04.11.2015 तक भुरकुंडा कोलियरी में और 15.11.2015 से सयाल–डी कोलियरी में, परंतु उनकी वेतन भुरकुंडा कोलियरी से बना एवं भुगतान मार्च, 2016 तक हुआ।

ii. चार्ज भत्ते का भुगताना :

(अ) सीआईएल के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02/07.05.09 एवं दिनांक 05.03.2017 के अनुवर्ती शुद्धिपत्र में यह स्पष्ट परिभाषित है कि अधिकारी चार्ज भत्ते के पात्र हैं।

(ब) 16.07.2015 से 26.11.2015 एवं 14.02.16 से 14.10.16 की अवधि तक अधिकारी किसी वैधानिक पद पर नहीं पदास्थापित थे, परंतु उन्होने उक्त अवधि का पूर्ण चार्ज भत्ते की पूरी निकासी की। जब अधिकारी अनुपस्थित थे तब सक्षम अनुमोदन से अधिकारी अंशकालिक वैधानिक पद के चार्ज पर थे परंतु उक्त अवधि 15 दिनों से अधिक नही थी। इस वित्त मैनुअल खंड – I के पाठ सं. – 1 के अनुच्छेद XVII के अनुसार उपरोक्त मौद्रिक लाभ के अधिकारी नहीं थे।

(स) इसके अलावा, 13.06.15 से 16.07.15 की अवधि तक अधिकारी ने अस्वस्थता की सूचना दी थी, यद्यपि अनुपस्थिति की अवधि 15 दिनों से अधिक थी परंतु उन्होने पूरे महीने के चार्ज भत्ते का आहरण किया, जो वित्त नियमावली के उपबंधो के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

iii. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह निम्नानुसार सुझाया गया है :

(अ) उपरोक्त अनुच्छेद – 1 में उल्लिखित वेतन भुगतान की व्यवस्था बहुत तार्किक प्रतीत नहीं होती है। यह संभव है कि अन्य स्थान पर पदस्थापित होने पर संबद्ध अधिकारी भत्ते के भुगतान का अनुचित दावा कर सकता है। उपर्युक्त व्यवस्था की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए।

(ब) यद्यपि वित्त नियमावली एवं सीआईएल ओएम में क्रमशः चार्ज भत्ता एवं ऐसे भत्तों के हकदार अधिकारियों की श्रेणी स्पष्टतः परिभाषित है, परंतु इस भत्ते के गलत दावे से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर उचित हो तो प्रासंगिक उपबंधों को क्षेत्रों में प्रसारित किया जा सकता है।

(स) परिच्छेद 2(ii) एवं (iii) में उल्लिखित अवधि के लिए अधिकारी पर गलत चार्ज भत्ता के भुगतान के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों को निदेशक (वित्त) सीसीएल, के संज्ञान में लाया गया है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

6. एक क्षेत्र में गैर–अधिकारी को आवंटित आवास की शिकायत के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगत हुई :

मुख्यालय और क्षेत्रों में गैर–अधिकारियों/कर्मियों को आवास के आवंटन में कोई नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। आवास वरीयता के अनुसार आवंटन में क्षेत्रों एवं मुख्यालय में अलग–अलग प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही है। इस संदर्भ में इस कार्यालय में कई शिकायतें आई है। गैर–अधिकारियों के आवास आवंटन में समिति द्वारा बनाएं गए दिशानिर्देशें को सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्रों में

दिशा–निर्देश के रूप में विस्तारित किया जाए।

सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि इस विषय पर समुचित कार्रवाई कर इस कार्यालय को सूचित करें।

7. सीसीएल के आम्रपाली ओसीपी, मगध–आम्रपाली क्षेत्र में चार वर्षों के लिए ओ बी निस्तारण एवं अन्य सभीवर्गी कार्यों के ठेका देने संबंधी सतर्कता जाँच के निम्न बातें सामने आई :

i. उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 25.04.2013 के ई–एनआइटी सं. महाप्रबंधक (सीएमसी)/मगध आम्रपाली/2013/24 के लिए सात बिडरों ने अपनी बोली जमा की जिसमें से एक बिड करने वाले ने असमान्य मूल्य की बोली लगाई, मसलन कम स्लैब मद में (1-2 & 2-3 कि.मी.) में अत्यधिक रू.100/क्यू.मी. मान एवं उच्च स्लैब मद में (3-4 कि.मी. में अस्वाभाविक रूप से कम मान (रू. 50/क्यू.मी.) जोकि व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

ii. यद्यपि बिड कर्ता ने, 3-4 कि.मी. की लीड के अलावा, आकलन से अधिक मूल्य (1.91 से 31.85 प्रतिशत के प्रकारान्तर के साथ) एवं अधिकतर बिड करने वालों से अधिक मूल्य की बोली लगाई, परंतु कुल निविदा मूल्य के आधार पर जो कि आंकलित मूल्य से 11.33 प्रतिशत कम था, एल.1 घोषित हुआ। बहरहाल, अभी सीसीएल में आकलन तैयार करने में ओबी हटाने के लिए कोई शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) स्वीकृत नहीं है। इस मामले में पिपरवार क्षेत्र के आउटसोर्सिंग अनुबंध मूल्य के आधार पर आकलन तैयार किया गया था।

iii. उपरोक्त प्रस्ताव के साथ–साथ बिड कर्ता द्वारा लगाई गई विषम बोली के सम्बन्ध में सीसीएल बोर्ड के 397वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं कुछ शर्तों के साथ उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। चार वर्षों के ठेके के लिए 197.15 करोड़ की राशि का "कैश आउट फ्लो" अपरिहार्य रूप से विचारणीय है। यद्यपि कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर ठेकेदार एल–1 के रूप में उभरा, बट्टे दर पर (8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत) के निबल वर्तमान मूल्य के आधार पर सात अलग–अलग बिड कर्ताओं की बोलियों के मूल्यांकन से यह प्रकट होता है कि एल–1 बिड कर्ता एल–2 बिड कर्ता में परिणत हो गया एवं एल–2 बिड कर्ता एल–1 में। इस परिप्रेक्ष्य में यह सुझाव दिया जाता है कि लम्बे समय तक चलने वाली अत्यधिक नकद मूल्य की निविदाओं का आकलन एनपीवी के आधार पर हो।

iv. यह भी देखा गया कि ठेकेदार ने 3-4 कि.मी. की दूरी स्लैब पर असामान्य रूप से क्रम मूल्य की संविदा दर (रू. 50/क्यू.मी.) दी है अतः 101.80 लाख क्यू.मी. की ओबी को 3-4 कि.मी. की दूरी स्लैब पर स्वीकृत हुआ। वर्तमान में की सीएमएम में यह व्यवस्था है कि अगर सफल बिड कर्ता कुल बोली असामान्य रूप से कम या गंभीर रूप से असंतुलित है तो बिड कर्ता से "अतिरिक्त प्रदर्शन प्रतिभूति" की मांग की जा सकती है। उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, यह समझदारी होगी कि अगर बिड का मूल्यांकन प्रत्येक मद के अनुसार हो एवं ऐसे मामलों में जहाँ असामान्य रूप से कम बोली किसी 'एक मद में लगे, वहाँ "अतिरिक्त प्रदर्शन प्रतिभूति" के उपबंधों को लागू करने की संभावना कम्पनी के हितों को ध्यान में रखते हुए तलाश की जानी चाहिए।

v. योजनाओं एवं माप–विवरण के सार से यह पता ज्ञात होता है कि 2–3 कि.मी. के स्लैब में यथार्थतः 10 लाख क्यू मीटर ओबी का निस्तारण किया गया जो 1-2 कि.मी. के स्लैब के आधार पर 25/09/15 से 29.02.16 तक निकाला गया। चूंकि दोनों स्लैब की स्वीकृत दर समान थी यानि 100 रुपये प्रति क्यू मीटर तो कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। बहरहाल, मंत्रालय द्वारा यह अवलोकन किया गया है कि इन मामलों में कार्यप्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया है ताकि उपयुक्त कदम उठाया जा सके।

8. सीसीएल में दो वर्षों के लिए एक एजेंसी (डीजीआर प्रायोजक सुरक्षा एजेंसी) को तीन सुपर वाईजरों एवं साठ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से संबंधित अनुबंध की गहन तकनीकी परीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य उभर कर समाने आए :

i. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन नही लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग – प्रमुख (सुरक्षा), सीसीएल ने तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) सीसीएल के मौखिक आदेश पर कार्य किया था।

ii. डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों को सीसीएल वेबसाईट या प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए बिना एलटीई दे दिया गया।

iii. प्रस्तावों की छानबीन के पश्चात, टीसी ने सिर्फ सुपरवाईजरों और प्रहरियों के वेतन एवं सर्विस टैक्स (सेवा कर) का अनुमोदन मांगा। टीसीआर में कहीं भी सर्विस शुल्क जो वेतन बिल का 14 प्रतिशत का अनुमोदन नहीं है।

iv. यह भी देखा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने में काफी समय लगा। एजेंसी को एल.ओ. आई. दिनांक 31.12.14 को जारी किया गया था परंतु 28 मई 2015 में क्षेत्र द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंसी से समझौता बिना पी.एस.ए.आर.ए. लाईसेंस की जाँच के किया गया था।

v. यह पता चला कि उक्त एजेंसी से अनुबंध अपर्याप्त श्रमशक्ति एवं आवश्यक लाईसेंस नहीं रहने के कारण प्राप्त निरस्त किया गया था। डीजीआर दिशा–निर्देश/प्रायोजन पत्र के अनुसार, डीजीआर को निविदा के निस्तारण/अनुबंध में एजेन्सी का नाम अनुबंध के प्रारंभ से 30 दिनों के अंदर देना होता है, मगर एजेंसी की विफलता की कोई सूचना डीजीआर को नहीं दी गई।

vi. हालांकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार एजेंसी सुरक्षा संबंधी सेवाएँ देने में नाकाम हो गई, परंतु अनुबंध के उल्लंघन पर भी बीजी/सीपीजी की उदार धाराओं के कारण एजेंसी पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह संभावना तलाश की जानी चाहिए कि बैंक गारंटी की अग्रिम राशि को (मासिक वेतन बिल का 10 प्रतिशत) जमा करवा ली जाए ना कि उसे मासिक सेवा शुल्क के रूप में किस्तवार काटा जाए ताकि शर्त पूरा न करने वाली एजेंसी पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सके।

vii. डीजीआर नियमों के तहत, सुरक्षा एजेंसी को 90:10 का ई.एस.एम. एवं सुरक्षा कर्मियों (असैनिक सुरक्षा कार्मिक) को बहाल करना है। बहरहाल, नियमों के विरुद्ध इएसएम के जगह असैन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की एवं असैन्य सुरक्षा कर्मियों को वेतन उच्चतर दर/इएसएम दर पर हेर फेर की विपुल संभावनाएँ है। यह देखते हुए, डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों को क्रमशः समाप्त की जाए।

उपरोक्त तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में उचित कार्यवाही कर सतर्कता विभाग को सूचित करें।

9. कोयला परिवहन से लोडिंग एवं प्राप्ति छोर पर वजन के अंतर के मामले में अर्थदंड की अनियमितता की सतर्कता जाँच में निम्नलिखित तथ्य उभरे :

i. परिवहन अनुबंध विशिष्ट नियम एवं शर्त की धारा 18.0 में स्पष्टतः उल्लेख है – "अगर ट्रक का वजन लोड करने के छोर एवं अनलोड के छोर के दोनों के सिरों पर होता है, तो दोनों सिरों पर वजन के आँकड़ों का मिलान प्रत्येक महीने प्रत्येक ठेकेदार के साथ होगा और अगर अनलोडिंग छोर पर अगर कोयला कम है, तो जितना कोयला कम है उसके वर्तमान मूल्य की दोगुणा राशि, सभी रायल्टी, उपकर, संबद्ध ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से काट ली जाएगी या जो विशिष्टतः आदेश/समझौते में उल्लिखित हो।

ii. उपरोक्त करार अवधि के लदान एवं प्राप्ति छोर पर ट्रक के वजन की मासिक मिलान रिपोर्ट में वजन का अंतर लगभग 6512.765 टन मिला।

iii. उपरोक्त धारा के अनुसार परियोजना अधिकारी ने दिनांक 01.03.2017 को लदान एवं प्राप्ति छोर पर 6512.765 टन के वजन के अंतर से संबद्ध अर्थदंड हेतु कोयला परिवहन अनुबंध के अंतर्गत एक नोट जारी किया।

iv. अर्थदंड की कुल राशि की गणना तत्कालीन वर्तमान मूल्य से दोगुणी, सभी रॉयल्टी, उपकर सहित 2,82,39,387.14 करोड़ (दो करोड़ बेरासी लाख उनचालीस हजार तीन सौ सत्तासी रुपये चौदह पैसे) रुपये हुए जिसकी उगाही प्रतिभूति राशि (सुरक्षा जमा)/लंबित बिल से की जाएगी।

v. महाप्रबंधक (सीएमसी), सीसीएल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एसटीसी की धारा 18 (परिच्छेद सं. 2 में विहित) के अनुसार कटौती प्रतिभूति राशि से व्यवहारकि तौर पर संभव नहीं है एवं उपर्युक्त नियम में संशोधन की पहल उनके द्वारा की गई कि अर्थदंड की कटौती प्रतिभूति खाते के बजाए चालू ए/सी (खाता बिल में चलित) खाते से की जाए और सीसीएल की 445 वीं बैठक में इसे रखा गया। सीसीएल बोर्ड की कार्यवृत्त की प्राप्ति के पश्चात संशोधन प्रस्ताव को सीआईएल के पास विचार के लिए फिर भेजा जाएगा।

vi. यह देखते हुए एक दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है कि जबतक सीआईएल द्वारा संबद्ध धारा का संशोधन नहीं हो जाए, सीसीएल की सभी परियोजनाओं में जीटीसी की विशिष्ट नियम एवं शर्तों की धारा 18.0 के अनुसार मासिक/चालू ए/सी बिल (खाता बिल में चलित) से अर्थदंड की कटौती की जाए।

उपरोक्त तथ्यों का सक्षम प्राधिकारी से संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सतर्कता विभाग को सूचित करें।

10. सिविल विभाग, मुख्यालय द्वारा त्रुटि पूर्वक कार्य आदेश दिए जाने के विरुद्ध शिकायत के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि एन आई टी में वैध विद्युतीय लाईसेंस की धारा थी परंतु वैध अनुज्ञप्ति को जमा लिए बिना ही कार्यादेश दे दिया गया। उसी अनुरूप त्रुटियुक्त एनआईटी के कारण बिडकर्ता के

अनुभव एवं अन्य दस्तावेजों को मान लिया गया। निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन किया गया।

1.(ए) एनआईटी की धारा के अनुसार वैध विद्युतीय अनुज्ञप्ति की आवश्यकता थी। निविदा समिति ने व्याख्या दी की चूंकि यह एक सिविल कार्य है और जीटीई में हाँ/नहीं के चुनाव का कोई विकल्प ई–टेंडर जमा करने में नहीं था।

(बी) सत्यापन के दौरान महाप्रबंधक (सिविल), सीसीएल ने सिविल कार्य हेतु एन आई टी में जरूरी संशोधन करने की सिफारिश की जहाँ आंतरिक विद्युतीय कार्य किया जाना है। महाप्रबंधक, सिविल, सीसीएल के अनुसार धारा होगी – "ठेकेदार किसी कार्य को करने से पूर्व अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का अनुज्ञप्तिपत्र (जिसके तत्वाधान में आंतरिक विद्युतीय कार्य सम्पन्न होगा) जो किसी राज्य के विद्युत अनुज्ञप्ति बोर्ड/प्राधिकार से जो भारतीय विद्युतीय नियमों द्वारा संतुष्ट हो, से निर्गत होगा।

2. (ए) (i) 21 जनवरी 2009 को 'ए' और 'बी' (हिस्सेदार) के मध्य एक पार्टनरशिप डीड हुई और प्रतिष्ठान का नाम रखा गया 'एक्स'। इस प्रतिष्ठान ने 'ए' एवं 'बी' की साझेदारी 50:50 के अनुपात में थी।

(ii) 10.01.2017 को सिविल विभाग, मुख्यालय से लगभग तीन करोड़ की निविदा सूचना जारी हुई। यह देखा गया कि 'बी' की सेवा 'एक्स प्रतिष्ठान से 17.01.2017 (उसी दिन) समाप्त हो गई एवं प्रतिष्ठान स्व–स्वामित्व वाली प्रतिष्ठान में परिणत हो गई।

(iii) उसी दिन 'ए' और 'सी' के मध्य एक पार्टनरशिप डीड लिखी गई परंतु उन्होंने वही नाम रखा जो पुरानी पार्टनरशिप डीड 'ए' और 'बी' के मध्य थी। सहभागियों के बीच शेयर अनुपात भी 50:50 रखा गया। 'ए' एवं 'सी' के मध्य पार्टनरशिप डीड हुई और उन्होंने रिटायर होने वाले पार्टनर के विषय में इस नयी पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया।

(iv) एक संयुक्त उद्यम समझौता (27 जनवरी 2017) को दो कंपनियों 'एक्स' एवं 'वाई' के मध्य हुआ जिसमें 'एक्स' का 98 प्रतिशत हिस्सा था एवं 'वाई' का 2 प्रतिशत। इस संयुक्त उद्यम को कार्यदेश उनके मध्य समझौते के तहत दिया गया। 'वाई' का कार्य अनुभव एवं अन्य साख न्यून थे क्योंकि उसका हिस्सा मात्र 2 प्रतिशत का था।

(v) भूतपूर्व सहभागी 'एक्स' के अनुभव के आधार पर सहभागी 'ए' ने 17 जनवरी 2017 के पहले ही 50 प्रतिशत अनुभव की अभियोग्यता प्राप्त कर ली थी, जिसे टीसी द्वारा टर्नओवर एवं कार्यानुभव सहित अन्य दस्तावेजों के साथ स्वीकृत किया गया था।

(vi) एनआईटी में स्पष्ट उल्लेख है कि 'इच्छुक बिडकर्ता' के पास व्यक्तिगत रूप में या संयुक्त उद्यम के सहभागी के रूप बिड आवेदन के आमंत्रण के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन से पहले यदि बिड कर्ता के पास मुख्य ठेकेदार के रूप सात साल की कार्यानुभाव है एवं समान कार्यों के निष्पादन का अनुभव होना चाहिए।

2.(बी) निविदा समिति का एनआईटी की शर्त के संबंध में दृष्टिकोण है कि "अगर बिडकर्ता का उपार्जित अनुभव प्रोपाराईटर या पार्टनरशिप प्रतिष्ठान के सहभागी के रूप में या व्यक्तिगत तौर पर हो तो भी उसका अनुभव 100 प्रतिशत उद्यम में उसके वास्तविक हिस्से के अनुपात का अनुभव बिड की पात्रता के लिए मान्य होगा।

2.(सी) कार्य अनुभव को परखने की प्रणाली के पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि पार्टनर 'सी' जिसके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, को कार्य मिल गया। जबकि संयुक्त उद्यम में, कार्यानुभव का अनुपात, टर्नओवर और अन्य मानदंड लागू होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त उद्यम को परखने की कसौटी है उसी प्रकार पार्टनरशिप प्रतिष्ठान के संबंध में संशोधन की आवश्यकता है।

इसी अनुरूप कंपनी के अन्य संभागों में समान त्रुटियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उपरोक्त को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस विभाग को सूचना देते हुए लाने का आवश्यकता ताकि उपर्युक्त कार्यवाही की जा सके। यह सुझाव भी दिया जाता है कि इन कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए ताकि कार्य की गुणवत्ता संयुक्त उद्यम की अनुभवहीनता से प्रभावित न हो।

11. सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से संबद्ध सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से औचक निरीक्षण के दौरान कतिपय अनियमिताएँ/प्रणालीगत खामियाँ नजर आई, जो निम्नलिखित है :

(i) सुरक्षा कर्मियों की दैनिक उपस्थिति पंजी डीजीआर प्रायोजित कंपनियों के द्वारा नियंत्रित रखी जाती है परियोजना अधिकारियों द्वारा इन एजेंसियों के अलावा कोई उपस्थिति नहीं रखी जाती है।

(ii) सुरक्षा कर्मियों की तैनाती साप्ताहिक/दैनिक आवंटन चार्ट द्वारा सख्ती से नहीं की जाती है। विभिन्न चेक पोस्ट पर वैसे सुरक्षाकर्मी मिले जिनका नाम साप्ताहिक/दैनिक ड्यूटी आवंटन में नहीं था।

(iii) सुरक्षा – रक्षियों के पास कोई परिचय – पत्र नहीं पाया गया।

(iv) कुछेक परियोजनाओं में 23.08.2017 की दैनिक उपस्थिति पंजी में प्रविष्टियाँ रिक्त थी। पहले की उपस्थिति भरी हुई भी परंतु एजेंसी के सुपरवाईजर का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। पृष्ठवार कुल यह पाया गया कि संख्या एवं कर्मियों की गिनती अकों एवं शब्दों में लिखकर पूर्ण नहीं किए थे। इसके अलावा तय समय सीमा के अंदर उपर्युक्त पृष्ठों में सीसीएल सुरक्षा के द्वारा प्रतिहस्ताक्षित नहीं किया गया था।

यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान डीजीआर प्रायोजित एजेंसी की निगरानी एवं नियंत्रन समुचित तरीके से की जानी चाहिए एवं वास्तविक उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया गया है और अन्य क्षेत्रों में भी उचित कार्यप्रणाली को लागू किया जाने का प्रस्ताव किया गया।

12. कोयला परिवहन की सड़क पर धूल को रोकने (धूल को दबाना) हेतु सुझाव कोयला परिवहन के दौरान कोयले की धूल का उत्पन्न होना एक गंभीर समस्या है जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से ही धूल के उत्पन्न होने पर कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं :

1. ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा कोयला परिवहन करने पर सड़क पर वह कोयला गिरता जाता है। अन्य वाहनों द्वारा कुचल कर सड़क पर धूल उत्पन्न करता है। स्रोत से ही कोयले की ओवरलोडिंग को रोकना चाहिए।

2. कोयले से भरे ट्रक को तारपोलिन से पूरी तरह से ढांका जाना चाहिए।

3. वेब्रिज के बाद तुरंत पानी छिड़काव के सिस्टम को लगाया जाना चाहिए जिससे वजन हो जाने के बाद कोयला भींग जाए। इससे ऊपरी सतह से धूल उत्पन्न कम होगा।

4. ट्रक की बॉडी में कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, विशेषतः पिछला गेट उचित रूप से बंद होना चाहिए जिससे कोयला ट्रक के बाहर न निकले।

5. उचित धूल नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित औचक निरीक्षण होना चाहिए।

उपरोक्त बातें सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया जिससे धूल उत्पन्न होना काफी हद तक रोका जा सकता है।

13. एक क्षेत्र में अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को दिये गये गलत भुगतान के संबंध में सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आए :

बाह्य स्रोत कार्य/कार्यक्लाप को नियंत्रित और उसके अनुविक्षण के लिए जो आंतरिक पद्धति सामान्यतः किया जाता है उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। आंतरिक पद्धति निम्नलिखित है :

(अ) मरम्मत के कार्य की विशिष्ट पहचान होनी चाहिए जिससे उसे सरलता पूर्वक मरम्मत के बाद खोजा जा सके और असफलता पर इसकी वारंटी का दावा किया जा सके।

(ब) बाह्य स्रोत को कार्य केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये कार्य आदेश को बाद ही दिया जाना चाहिए जिसका कम्पनी गेट पास में उचित रेकॉर्ड हो और उसी को बाह्य स्रोत एजेन्सी को दिया जाए। विवरण को मरम्मत पंजिका में दर्ज कर प्रभारी के पास रखा जाए।

(स) मरम्मत कार्य फोरमैन स्तर के कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किये जाएँ और मरम्मत पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए।

(द) कार्य मरम्मती के पश्चात् मशीन चलाकर उनके कार्य प्रदर्शन की संतुष्टि के बाद जाँच कर बिलों पर भुगतान के लिए हस्ताक्षर करके रिलिज करना चाहिए।

(इ) किसी भी असेंबली की त्रुटी को लॉग बुक में दिनांक के साथ ब्रेकडाउन को उचित तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। ब्रेकडाउन का पूरा समय और मशीन तैयार होने के दिनांक और समय भी दर्ज किये जाएँ। लॉग बुक में जिसने मरम्मत की है उस पार्टी का नाम, कार्य आदेश संख्या साथ में मरम्मत कार्य का मूल्य भी दर्ज किया जाना चाहिए। लॉग बुक में त्रुटि वाले मशीन के लिए किये गये मरम्मत कार्य का विवरण भी होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों को सक्षम अधिकारी के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया गया जिससे प्रणाली में सुधार कर इस कार्यालय को सूचना दें।

14. एक क्षेत्र के 4.2 कि.मी. लम्बे प्रवेश सड़क के लिए गहन तकनीकी जाँच की गई।

मामले की विस्तृत जाँच के बाद प्रणाली में निम्नलिखित सुधार सलाह दिये गये :

(क) कोयला परिवहन के सड़क के घुमावों को सेपरेटर्स द्वारा सही तरीके से, कोयला टिप्परों के सहज, गतिशील और सुरक्षित चलन के

लिए बनाया जाए। तीव्र घुमावों में भरे टिप्परों से कच्चा कोयला गिरता है जो बड़ा नुकसान होता है। टिप्परों की ओवर लोडिंग को रोकना चाहिए जिससे सड़क को सही और चालन के लिए सुरक्षित रख सके साथ ही प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सके।

(ख) कोयला परिवहन के सड़क के मामले में सड़क की मरम्मत के साथ सड़क की सफाई के लिए भी एएमसी बनायी जानी चाहिए।

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सीसीएल मुख्यालय की बनी टीम द्वारा नियमित उच्च मूल्य के कार्यों का निरीक्षण होना चाहिए और उनके अवलोकन का रिकॉर्ड होना चाहिए। अनुपालन का भी रिकॉर्ड होना चाहिए।

(घ) नियमित अन्तराल पर निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्रियों के साथ उपयोग में आनेवाले जल का भी परीक्षण उनके मानक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है।

(ड.) ठेकेदारों के बिलों की जाँच से पता चला है कि अधिकतर बिल हस्तलिखित हैं, टाइप किये हुए नहीं हैं। अतः हाथ से लिखे बिलों में बाद के दिनों में हेरफेर की संभावना रहती है। इसलिए सभी बिल टाइप किये जाने चाहिए।

(च) ऐसा देखा गया है 10वीं और 11वें मेजरमेंट बुक में हस्ताक्षर करने में सिविल अधिकारियों द्वारा बहुत देरी की गई है । विवरण निम्नलिखित हैं :

10वीं लेखा बिल में नपाई का दिन 27.05.2015 है। वास्तविक कार्य पूर्ण होने का कॉलम खाली है और सबोर्डिनेट अभियंता द्वारा 03.12.2015 और सीएम (सिविल) द्वारा लगभग सात माह के बाद 09.12.2015 को हस्ताक्षर किया गया।

11वें लेखा बिल में नपाई का दिन 10.12.2015 है और सबऑर्डिनेट अभियंता द्वारा 24.09.2016 को और सीएम (सिविल) द्वारा करीब–करीब दस माह के बाद 24.09.2016 को हस्ताक्षर किया गया।

ठेकेदार ने सिविल अभियंताओं द्वारा विलम्ब से हस्ताक्षर होने की शिकायत नहीं की, इससे यह संदेह होता है कि नपाई के नियत दिन तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। हस्ताक्षर बाद में किए गये हैं। यह देर से कार्य पूर्ण करने पर लगाए जाने वाले दंड से बचने के लिए हो सकता है। इसलिए महाप्रबन्धक (सिविल) को सलाह दी जाती है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में न हो उसके लिए दिशानिर्देश दें।

(छ) सामान्यतः यह देखा गया कि कार्यपूर्ण होने में देरी के कारण ठेकेदारों पर दंड नहीं लगाया जाता है, कारण क्षेत्र में उत्पन्न बाधा बताई जाती है। कुछ–एक में ऐसा प्रतीत होता है कि बधाएँ ठेकेदारों के पक्ष में रिकॉर्ड की जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि साइट पर हुई बाधाओं को रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाए साथ ही बाधा को दूर करने का दिनांक को भी दर्ज करना चाहिए जिससे सभी कार्यालयीन उद्देश्य के लिए वास्तविक देरी को सही तरीके से अकलित किया जा सके। यदि प्रबंधन की गलती से बाधा है तो प्रबंधन गलती का कारण बताए, यदि बाह्य कारणों जेसे बंद, दुर्घटना आदि से बाधा आई है तो इसे पेपर कटिंग, फोटो आदि द्वारा औचित्य दिखाना चाहिए।

(ज) सिविल विभाग द्वारा कोलनेट में सिविल मॉड्युल का प्रावधान होना चाहिए। सिविल मॉड्युल में साइट आदेश बुक, बाधाएँ, एमबी आदि से संबंधित ऑनलाइन एन्ट्री होनी चाहिए।

उच्च मूल्यों के निर्माण साइटों में सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए जिससे ठेकेदारों की कार्य–कलाप को रिकॉर्ड किया जा सके।

15. एक क्षेत्र में कोयला परिवहन हेतु ठेके की सतर्कता जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई अतः प्रणाली गत सुधार हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं :

1. एनआईटी में क्रशर लगाने और परिवहन करार के आरंभ के लिए उपयुक्त समय अवधि डाली जानी चाहिए।
2. एनआईटी में स्टॉक यार्ड में कोयले के डबल हैंडलिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए।
3. क्रशर के आसपास उचित जगहों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए जिससे मोबाइल क्रशर की गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सके।

16. "तीन वर्षों के लिए सीसीएल कमान क्षेत्र में ईआरपी समकक्ष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रख–रखाव एवं

विशिष्ट निर्मिति के विस्तार" कार्य के गहन तकनीकी जांच में निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए :

(अ) वान(डब्लूएएन) और उससे जुड़े लैन (एलएएन) जो सभी क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ता है, को सही प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे उसमें सही एन्ट्री, अद्यतन स्थिति, स्थानांतरण आदि कोलनेट में देखा जा सके। कोलनेट के मॉडयूल्स में जो सूचनाएं अद्यतन नहीं है, उन्हें अद्यतन बनाना चाहिए क्यूंकि यह सृजन प्रक्रम का मेरूदण्ड है।

दैनन्दिन के निविदा कार्यों का नियंत्रण भी कोलनेट द्वारा होना चाहिए। कोई विभाग क्षेत्र में निविदा देता है उसका विवरण कोलनेट में अलग आई डी नं. से अपलोड होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति, जो मुख्यालय प्रणाली विभाग में बैठा है उसे स्वतः डाटा मिले और उसे वेब साइट में डाल सके। इस प्रकार एनआईटी की कॉपी और सीडी, जो क्षेत्र से मुख्यालय किसी व्यक्ति द्वारा भेजी जाती है और जो अनियमितताओं का कारण है उसे रोका जा सकता है, अपलोड की गई। कोलनेट की सूचना में प्रत्येक जारी किये गये निविदाओं की आईडी और संबंधित कार्य के लिए टीसीआर डालना आवश्यक है।

(स) अधिकाधिक संख्या में मॉड्यूल विकसित करना चाहिए जिसमें सिविल, सीएसआर, सीएमसी, इएंडएम, एम एम माइनिंग, सेफ्टी, पीआर विभाग, पर्यावरण एवं वन जैसे विभिन्न विभाग आदि आएं। विभागों का विस्तृत विवरण कोलनेट में मौजूद हो जिसका निर्णय विभाग के प्रमुख द्वारा लिए जाएं।

(द) बिल ट्रेकिंग प्रणाली में वेन्डरों को ट्रैकिंग के सीमित अवसर उनके बिल को ट्रैक करने के लिए दिये जाएं।

(इ) एमएम मॉडयुल, कोलनेट में निम्नलिखित तथ्य दर्ज हो:

1. सामान्य खरीदी से प्राप्त साथ में स्थानीय खरीदी से प्राप्त के संबंध में पिछली से प्राप्त मूल्य प्राप्ति के विवरण दिए जाएं।
2. आखिरी खरीदी में आखिरी खरीदी मूल्य की दर, कर यदि है तो, खरीदी का दिनांक और आपूर्ति आदेश भी दिखना चाहिए।
3. खरीदी आदेश केवल क्रय विभाग से निर्गत हो, वर्तमान में खरीदी आदेश भंडार से होता है।
4. सामग्री बजट एमएम विभाग द्वारा बनाया जाए, जिसमें पिछले तीन वर्षो की खपत, वर्तमान भंडार की स्थिति और टिप्पणी का कॉलम जो संपादित वाले भाग का औचित्य को दर्शाते हो।
5. सभी मांग पत्र/सूची एमएम मॉडयूल द्वारा बनायी जाए, कुल आवश्यकताएं और प्राक्कलित दर सम्पादन योग्य होने चाहिए। टिप्पणी के कॉलम में सम्पादन योग्य मात्रा औचित्य दर्शाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. भंडार से जारी किये जाने वाली सामग्रियों के लिए एमएम मॉडयूल का ऑन लाइन गेट पास होना चाहिए जिससे स्टॉक स्वतः अद्यतन हो जाए।

(फ) सीसीएल के सम्पूर्ण कोलनेट के रखरखाव के लिए वर्तमान में एएमसी मेसर्स प्रोटेक्स कम्प्यूटर प्रा. लि. को दिया गया है। अनुबंध की शर्तों में कोलनेट के हर एक पार्ट को सम्मिलित करते हुए कार्य क्षेत्र विस्तारित है जबकि आज के दिन में कोलनेट सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है क्यांकि सीसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में वान और लैन कार्य नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार परियोजना से क्षेत्र और मुख्यालय के बीच कोई संबंध की व्यवस्था नहीं है। अतः वर्तमान में ठेकेदार का कार्य एएमसी के कार्य से काफी कम हो गया है। अतः वर्तमान एएमसी के भुगतान के पहलु को उचित रूप से दुबारा उपरोक्त अवलोकन के आलोक में देखा जाए।

उपरोक्तानुसार, निदेशक (वित्त) सीसीएल को उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया।

17. दो क्षेत्रों के विभिन्न सिविल कार्यों में इस्तेमाल ईटों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत पर एक जांच की गई थी। यह पाया गया है कि ईटों की मजमूती का नवीनतम मानक यह स्पष्टतः उल्लेख नहीं करता है कि ईट क्लैम्प बर्न या क्लिन बर्न हो। पर ईट की गुणवत्ता उसकी मजबूती के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है यानि सीडी 7.5/सीडी 5.0 आदि (वर्ग अभिधान, न्यूनतम मजमूती 7.5 न्यू./वर्ग मि.मि., 5 न्यू./वर्ग मि.मि.)।

जांच के दौरान यह पाया गया कि क्षेत्र से प्राप्त क्षेत्र परीक्षण रिपोर्ट तथा मानक के अनुसार ईट की गुणवत्ता की पुष्टि कर रहा था लेकिन ईट का नमूना का मजमूती पैरामीटर के लिए आवश्यक मानक की अर्हता प्राप्त नहीं कर रहा था। इसलिए हमारी कंपनी में विभिन्न सिविल कार्यों में ईटों की गुणवत्ता का निरीक्षण लगातार मानक अंतराल पर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए औचक जांच भी की जानी चाहिए कि उचित गुणवत्ता की ईटों का उपयोग किया जा रहा है।

उचित प्रणाली सुधार के लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

1. सीपीडब्ल्यूडी के मानक प्रावधान के अनुसार सभी ईटों के आयाम, सम्पीड़न मजबूती, जल अवशोषण और फूलने के लिए ईटों का परीक्षण किया जाना चाहिए। उपयोग से पहले नमूनों की पूर्व स्वीकृति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. ईटों की समुचित गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता विभाग, क्षेत्र के द्वारा ईटों की नमूनों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

सतर्कता विभाग की पहल पर, जीएम (सिविल) सीसीएल, मुख्यालय के म. प्र. (सिविल)/2018/2474, दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से ईंटों के परीक्षण की "मानक ऑपरेटिव प्रक्रिया (एसओपी)" जारी की गई थी।

18. सिविल विभाग की निविदाओं (एनआईटी) को आमंत्रित करने वाले नोटिस में बिड कर्ताओं को समतुल्य कार्य के कार्य अनुभव प्रमाण – पत्र को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

चूंकि किसी विशेष कार्य के लिए एनआईटी में "समतुल्य कार्य" के रूप में किसी प्रकार के काम के चयन से संबद्ध कोई एकरूप दिशानिर्देश नहीं था जिसके कारण बिड कर्ताओं के मध्य असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न बिड कर्ताओं के बिडों के अस्वीकरण की शिकायतें प्राप्त हुई। कार्य की एक ही प्रकृति के लिए एनआईटी में विभिन्न क्षेत्र अलग–अलग "समतुल्य कार्य" ले रहे थे। बोली लगाने वालों द्वारा "समतुल्य कार्य" आवश्यकता के अनुरूप किसी भी उद्धत कार्य अनुभव के विवरण का मूल्यांकन करने के किसी भी स्पष्ट दिशानिर्देश/तंत्र की नहीं होने के कारण निविदा प्राधिकरण को निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में स्थानीय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता के लिए यह मैन्युअल निर्णय लेने की प्रक्रिया को कम करने की आवश्यकता थी।

अतः असैनिक विभाग, सीसीएल मुख्यालय से एक स्पष्ट दिशा–निर्देश का निर्गत होना अत्यंत आवश्यक था। इसके सम्बंध में सतर्कता विभाग ने पहल करते हुए मानक दिशानिर्देश जारी करने का सुझाव दिया। एमसीएल से जारी परिपत्र की एक प्रति भी संलग्न की गई थी।

प्रबंधन तथा असैनिक विभाग सीसीएल मुख्यालय के समर्पित प्रयास से, महाप्रबंधक(असैनिक) सीसीएल मुख्यालय के द्वारा संदर्भ संख्या : सीसीएल/2018/2477 दिनांक 27.03. 2018 के तहत एकरूप दिशा–निर्देश जारी किया गया।

इस दिशानिर्देश में सीसीएल (क्रम 16) में किए जा रहे सभी संभावित असैनिक कार्यों के लिए समान कार्य की परिभाषा को समझाया गया है। पुनः वैसे अतिरिक्त कार्य जो दिशा–निर्देश में शामिल नहीं किए गए हैं, उनके लिए महाप्रबंधक(असैनिक)/विभाग प्रमुख के विशेष अनुमोदन को समरूपता हेतु अनिवार्य किया गया।

इन दिशानिर्देशों से निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था सुधार साबित होगा।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2017 के दौरान आयोजित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2017 को 20.10.2017 से 4.11.2017 तक सभी इकाईयों, क्षेत्रों और सीसीएल के मुख्यालय में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। वस्तुतः, इस वर्ष का जागरूकता अभियान, पहले ही सीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें दिनांक 26.09.17 को पहाड़ी मंदिर, राँची में सामूहिक संकल्प के साथ, अक्टूबर'17 के पूरे महीने जारी रखा गया था, और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समाप्त हुआ।

(i) शपथ

सीसीएल मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ–साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों एवं परियोजनाओं/इकाईयों में सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का प्रारंभ हुआ। इस शपथ को निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल के द्वारा सीसीएल मुख्यालय में दिनांक 30.10.2017 को प्रातः 11 बजे दिलाया गया। माननीय भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन से संबंधित सूचना को सीसीएल के सभी कार्यकारी निदेशकों के द्वारा भी पढ़ा गया। सप्ताह के दौरान राँची तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाईयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के बारे में महाप्रबंधक(सतर्कता), सीसीएल ने संक्षिप्त जानकारी दी।

(ii) ई – शपथ

कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को ई–शपथ लेने के लिए प्रेरित करने और प्रभावित करने के सभी प्रयास किए गए। सत्यनिष्ठा – शपथ दिलाने के उद्देश्य से सीसीएल की वेबसाइट पर एक हाइपर लिंक www.cvc.nic.in सक्रिय किया गया। ई–शपथ लेने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, नागरिकों (विक्रेताओं, ठेकेदारों, संविदात्मक श्रमिकों, आदि) की सुविधा के लिए सीसीएल (मुख्यालय) में 6 ई–शपथ बूथ भी स्थापित किए गए। अधिकारियों, गैर–अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि सहित लगभग दस हजार लोगों को ई–शपथ दिलाया गया।

(iii) सतर्कता जागरूकता रथ

30.10.17 को, सीसीएल के कार्यकारी निदशकों ने सीसीएल (मुख्यालय) से सतर्कता जागरूकता रथ को झंडा दिखाकर रवाना किया। रथ (वाहन) के चारों ओर भ्रष्टाचार विरोधी और जागरूकता नारे, चित्र, संदेश इत्यादि प्रदर्शित किया गया, जिसमें राँची के सभी आवासीय क्षेत्रों की प्रदक्षिणा की। इसे 8 जिलों (राँची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू) में स्थित सीसीएल के 12 क्षेत्रों में भी पुनः दोहराया गया जिसमें 2600 किमी की यात्रा पूरी की गई।

(iv) मुख्यालय और क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक

31 अक्टूबर 2017 को, महान दूरदर्शी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी याद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, के जन्मदिवस पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरूआत

हुई। इसके बाद दिनांक 31.10.17 को उत्पादन इकाईयों के सीसीएल कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें यह संदेश दिया गया कि ईमानदारी, पारदर्शिता, जैसे नैतिक मूल्य कंपनी, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। उसी टीम ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 17 के दौरान अलग–अलग दिनों में 6 जिलों (राँची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा) अवस्थित सीसीएल के 10 विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन किया।

(v) सतर्कता जागरूकता मार्च

नुक्कड़ नाटक के बाद, सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन सीसीएल (मुख्यालय) राँची में किया गया था। इस रैली में लगभग 200 प्रतिभागियों ने विचारोत्तेजक नारों एवं प्लाकार्ड के साथ भाग लिया। इस मार्च को सीवीओ, सीसीएल, श्री ए. के. श्रीवास्तव ने झंडा दिखाकर रवाना किया। निदेशक (कार्मिक), सीसीएल और सीवीओ, सीसीएल ने भी इस मार्च में भाग लिया। सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कई मार्च, प्रभात फेरियाँ इत्यादि भी आयोजित की गई और इस अभियान में विभिन्न स्कूलों के छात्र भी शामिल हुए।

(vi) सीसीएल मुख्यालय, राँची तथा विभिन्न स्कूलों / संस्थाओं में आयोजित कार्यक्रम

30.10.2017 को, दोपहर में, सीसीएल (मुख्यालय), राँची में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों के बीच निबंध प्रतियोगिता – **"मेरा लक्ष्य – भ्रष्टाचार मुक्त भारत"** एवं सतर्कता संबंधी मुद्दों पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्लोगन एवं पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता 2.11.2017 को कर्मचारियों के बीच आयोजित की गई।

उपरोक्त के अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान राँची के 3 स्कूल एवं कॉलेजों में निबंध, भाषण, वाद–विवाद / वाक् – प्रतियोगिता / चित्रकारी / पोस्टर बनाने, नाटक इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 23.10.2017 को सीसीएल के लाल और लाडली **(परियोजना प्रभावित लोगों के बच्चों को सीसीएल द्वारा गोद लिया गया है जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत मुफ्त भोजन, आवासीय व्यवस्था के साथ आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग दी जाती है)** के बीच निबंध एवं चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(vii) सीसीएल के 12 अलग–अलग क्षेत्रों और 5 स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह को सीसीएल के निम्नलिखित क्षेत्रों में भी मनाया गया:

(i) अरगडा क्षेत्र
(ii) रजहरा क्षेत्र
(iii) बी एंड के एरिया क्षेत्र
(iv) बरका–सयाल क्षेत्र
(v) मगध–आम्रपाली क्षेत्र
(vi) हजारीबाग क्षेत्र
(vii) एन के क्षेत्र
(viii) ढोरी क्षेत्र
(ix) कथारा क्षेत्र
(x) पिपरवार क्षेत्र
(xi) रजरप्पा क्षेत्र
(xii) कुजू क्षेत्र
(xiii) केन्द्रीय कर्मशाला, बरकाकाना
(xiv) केन्द्रीय भण्डार, बरकाकाना
(xv) खान बचाव स्टेशन, रामगढ़
((xvi) केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर
(xvii) केन्द्रीय अस्पताल, नई सराय

सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 30 अक्टूबर 2017 को 11.00 बजे शपथ ग्रहण समारोह से शुरू हुआ। क्षेत्रीय महाप्रबंधक / वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा क्षेत्र / इकाई में शपथ दिलाया गया। विचारोत्तेजक नारे एवं बैनर तथा पोस्टर सभी इकाईयों / कार्यालयों / क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए गए। सीसीएल के लगभग सभी क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रैली भी आयोजित की गई।

क्षेत्रीय स्तर पर 44 स्कूलों में स्कूली बच्चों में मूल्यों और नैतिकता उत्पन्न करने के लिए वाद–विवाद / वाक् प्रतियोगिता / भाषण, चित्रकारी / पोस्टर बनाने, नाटक, निबंध लेखन प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित की गई।

(viii) सीसीएल (मुख्यालय) और विभिन्न क्षेत्रों कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नांकित कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित की गई :

i. तीन संगोठियाँ / कार्यशाला सह विक्रेता सम्मेलन सीसीएल (मुख्यालय) राँची में सामग्री प्रबंधन विभाग, कॉन्ट्रैक्ट मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ और सिविल विभाग, सीसीएल (मुख्यालय) राँची के सहयोग से किया गया। जिसमें क्रमश: 70, 14 और 49 आपूर्तिकर्ता, विक्रेता एवं ठेकेदारों ने भाग लिया।

ii. सीसीएल सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा सीसीएल के सभी क्षेत्रों में 9 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त कार्यशालाएँ अत्यंत जीवंत अंतःक्रिया सत्र के साथ समाप्त हुई और प्रतिभागियों / विक्रेताओं / ठेकेदारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया गया।

iii. 3.11.17 को बी एंड के क्षेत्र में सीबीआई, एसीबी, राँची द्वारा एक वार्ता आयोजित की गई।

iv. 03.11.2017 को, सीसीएल (मुख्यालय) राँची में **"मेरा लक्ष्य– भ्रष्टाचार मुक्त भारत"** पर एक वार्ता आयोजित की गई जिसमें मुख्यालय के विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय सीजीएम/जीएम, सभी क्षेत्रों एवं मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। उपर्युक्त अवसर पर निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल की भी गरिमामयी उपस्थिति थी। उपर्युक्त वार्ता में मुख्यालय/क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर 220/230 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण श्री ए के श्रीवास्तव, आईएफएस, सीवीओ, सीसीएल द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआईएल अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया।

v. उपर्युक्त के अलावा, सीसीएल सतर्कता विभाग के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा 6 कार्यशालाएँ/सम्मेलन/संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

(ix) सतर्कता पत्रिका "इनसाईट्स" का प्रकाशन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के शुभ अवसर पर सीसीएल सतर्कता विभाग ने एक जागरूकता पत्रिका "इनसाइट्स" प्रकाशित की । यह सीसीएल सतर्कता के आंतरिक संसाधनों को संगठित करके इस पत्रिका में पिछले 3 वर्षों के दौरान सीसीएल सतर्कता द्वारा सुझाए गए प्रमुख सिस्टम सुधारों, कुछ हालिया सीवीसी परिपत्रों, उद्धरण इत्यादि संदेशों को संकलित करने का एक अनूठा प्रयास रहा। सीसीएल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए "इनसाइट्स" का प्रकाशन सामान्य रूप से मान्य असंगतियों और विसंगतियों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया ताकि उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

(x) सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार

सीसीएल के 8 अधिकारियों को भ्रष्टाचार विरोधी उपलब्धियों/सतर्कता जागरूकता/पारदर्शिता/कंपनी की संपत्ति की बचत हेतु सराहनीय कार्य को मान्यता देते हुए निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) सीसीएल द्वारा 03.11.2017 को सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध, क्विज, पोस्टर बनाना और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेता को सम्मानित किया।

(xi) मिनी मैराथन एवं 100 मी./200 मी. की दौड़ खेलगाँव, राँची में

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन, 4 नवंबर को गुरू नानक जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया था। अतः उक्त दिवस पर आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत मिनी मैराथन और 100 मीटर/200 मीटर/400 मीटर रेस खेलगांव, राँची में, आयोजित की गई थी जिसमें झारखंड राज्य स्पोटर्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) के लगभग 300 कैडेटों ने भाग लिया।

(xii) जागरूकता ग्राम सभा

सीसीएल के 9 क्षेत्रों और 1 स्वतंत्र इकाई में 16 जागरूकता सभाएँ आयोजित की गई थी। इन सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीणों, छात्रों आदि ने भाग लिया। जागरूकता सभा के दौरान, ग्रामीणों को सामूहिक शपथ दिलाई गई और भ्रष्टाचार के दुराभावों के प्रति जागरूक किया गया।

(xiii) सीयूजी मोबाइल और सोशल मीडिया (ट्विटर) संदेश के माध्यम से जागरूकता

सीसीएल सतर्कता विभाग ने सप्ताह के दौरान जागरूकता फैलाने के समग्र प्रयास किए और सीसीएल के अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बनाने हेतु कतिपय अभिनव तरीकों को अंगीकृत किया :

(i) इस दिशा में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों को सीयूजी मोबाइल पर प्रेरणादायक संदेश भेजे गए।

(ii) प्रमुख कार्यक्रमों की तस्वीरें सीसीएल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड की गई। **आयोग द्वारा कुछ ट्वीट्स को री–ट्वीट भी किया गया।**

(iii) इन कार्यक्रमों का राज्य में व्यापक परिसंचरण वाले प्रमुख समाचार पत्रों में विस्तृत विवरण भी दिया गया।

सीसीएल मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन के पश्चात् बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2017 को अंतर विद्यालय वाद–विवाद एवं चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सीसीएल के 12 क्षेत्रों और साथ ही राँची में स्थित विभिन्न स्कूलों से प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ तीन प्रतिभागी/छात्र, जो वी.ए.डब्ल्यू. – 17 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे अंतर विद्यालय वाक् और चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीसीएल मुख्यालय में बुलाया गया। कार्यक्रम के अंत में सीवीओ सीसीएल ने उन सभी प्रतिभागियों और शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित किया जो दूर–दराज क्षेत्रों से मुख्यालय आए ताकि यह कार्यक्रम सफल

हो सके और यह आश्वासन दिया कि सीसीएल सतर्कता विभाग जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ऐसे कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगें जिससे युवामन में नैतिक मूल्य उत्पन्न हो।

34. सूचना का अधिकार की स्थिति

आरटीआई अधिनियम' 2005 के तहत, वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाए गए आवेदन का ब्योरा नीचे दिए गए :

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	:	629
2.	निपटाए गए आवेदनों की संख्या	:	602
3.	प्रक्रिया के तहत आवेदनों की संख्या	:	शून्य
4.	आरटीआई अधिनियम के अनुच्छेद 6(3) के तहत स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	:	164
5.	खारिज आवेदनों की संख्या	:	शून्य
6.	सीसीएल के किसी भी अधिकारी का सीआईसी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड	:	नहीं

35. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" के अंतर्गत सूचना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सीसीएल में आंतरिक शिकायत समिति काम कर रही है। सीसीएल के वेबसाईट के महिला सशक्तिकरण पोर्टल पर समिति के संवैधानिक आदेश को अपलोड कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के धारा 22 के संदर्भ में सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है :

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या	कार्रवाई की गई
01	01	मामले पर निर्णय लिया गया

36. निगमित प्रशासन

आपकी कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी है। निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी प्रशासन प्रणालियों की समृद्ध विरासत पर महान कम्पनियाँ निर्मित हैं, जिनमें से कई, व्यावसाय के उच्चतम मानकों, ईमानदारी, नैतिक व्यवहार एवं अन्य सुशासन प्रथाओं को अनिवार्यतः अपनाने से पूर्व अस्तित्व में थे। महारत्न कम्पनी (कोल इण्डिया लिमिटेड) की अनुषंगी कम्पनी के रूप में, इस कम्पनी द्वारा अनुगमित निगमित प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं मानकों के साथ सुसंगत है। निगमित प्रशासन के घटकों – विभिन्न हितधारकों, शेयरधारकों, प्रबन्धन, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियामक प्राधिकारियों और वृहत् पैमाने पर समुदायों के मध्य सम्बन्धों के प्रभावी प्रबन्धन के विषय में है। आपकी कम्पनी का यह दृढ़ विश्वास है कि इन सम्बंधों को निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है। आपकी कम्पनी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सशक्तिकरण एवं कानून के अनुपालन को अक्षरशः प्राथमिक महत्व देती है।

निगमित प्रशासन पर प्रतिवेदन संलग्नक – I में अनुलग्न है और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंकेक्षकों द्वारा आपकी कम्पनी के निगमित प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी प्रमाणन संलग्नक – II में दिया गया है।

सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियमन, 1992 की धारा 12(1) और 2008 में संशोधित, के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता हेतु, सीजीएम (एफ)/कम्पनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश सं. सीआईएलःआईएक्स (डी):04007:2010:1856 दिनांक 30.11/01.12.2010/के अनुसरण में जारी परिपत्र को कम्पनी के पदनामित कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया है जिसमें निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशकगण, सभी मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों और कम्पनी के नामित विभागों में कार्यरत अधिकारीगण शामिल हैं।

निगमित प्रशासन की एमओयू उपलब्धि

क्रम संख्या	मानदंड	उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एमओयू 2017–18 का लक्ष्य	एमओयू 2017–18 का वास्तविक उपलब्धि
1.	डीपीई द्वारा जारी निगमित प्रशासन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 और ऊपर	90.625

37. शेयरधारकों की निरीक्षण के लिए मुख्यालय पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा की उपलब्धता

सीसीएल की वार्षिक लेखा और सम्बन्धित विस्तृत जानकारियाँ, नियंत्रक कम्पनी एवं सहायक कम्पनियों के शेयरधारकों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के मुख्यालय में वार्षिक लेखा किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा गया है।

अतएव, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी 08 फरवरी, 2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के अनुपालन में तथा उत्तरवर्ती पत्र संख्या सीआईएलःएक्सआई(डी):04032:2011:2255 दिनांक 08 मार्च, 2011 के अनुपालन में, सीआईएल के शेयरधारकों को जानकारी देने के लिए उनकी मांग पर सीसीएल के लेखा को राँची (मुख्यालय) में उपलब्ध कराया गया है।

38. निदेशक मण्डल

आलोच्य वर्ष के दौरान आपके निदेशकों ने 15 (पंद्रह) बोर्ड की बैठकों का आयोजन किया गया। 61वाँ वार्षिक आम बैठक दिनांक 21.07.2017 को आपकी कम्पनी के निम्नलिखित निदेशक थे।

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि,
2. श्री आर. पी. गुप्ता, आईएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
3. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)
4. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.)
5. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का)
6. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक

1. श्री अशोक गुप्ता, सीए।
2. श्री भरत भूषण गोयल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), डी/ओ खर्च

स्थायी आमंत्रित

1. श्री सलील कुमार झा, मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे
2. श्री सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार।

श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृत्ति के पश्चात, श्री ए. के. मिश्रा ने निदेशक (तक./परि. एवं यो.) का प्रभार दिनांक 07.04.2018 को त्याग दिया तथा निदेशक (तक./संचा.) का प्रभार दिनांक 07.04.2018 को ग्रहण किया। आगे श्री वी. के. श्रीवास्तव ने दिनांक 15.05.2018 को निदेशक (तक./परि. एवं यो.) के पद पर योगदान दिया।

श्री आर. पी. गुप्ता द्वारा सीसीएल के निदेशक पद से दिनांक 09.08.2017 के प्रभाव से इस्तीफे तथा एन.ए.डब्ल्यू.ए.डी.सी.ओ. के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने के परिणामस्वरूप, श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोल मंत्रालय को श्री आर. पी. गुप्ता संयुक्त सचिव, कोल मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 05.02.2018 के प्रभाव से सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

आगे, भारत सरकार के निदेशक, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 21/13/2006 – ए.एस.ओ./बी.ए. दिनांक 30.03.2017 द्वारा श्री आर. मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल के सेवासमाप्ति जारी होने के पश्चात, श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल को श्री आर. मोहन दास, पूर्व–निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल के स्थान पर सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 19.09.2017 के प्रभाव से नियुक्त किया गया।

तदनुसार, आपकी कंपनी में 62वें आम बैठक की तारीख को निम्नलिखित निदेशकगण हैं:

1. श्री गोपाल सिंह, अप्रनि,
2. श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली
3. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त)
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (का)
5. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./संचा.)
6. श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक(तक./परि. एवं यो.)
7. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक(का. एवं औ. सं.)

गैर–प्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

1. श्री अशोक गुप्ता, सी.ए.
2. श्री भारत भूषण गोयल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), डी./ओ. व्यय

स्थायी आमंत्रित

1. श्री सलील कुमार झा, मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे
2. श्री सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार।

39. निदेशकों की जवाबदेही वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के सम्बन्ध में, इसके द्वारा पुष्टि की जाती है :

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों की तैयारी में सीआईएल, होल्डिंग कम्पनी, द्वारा अनुमोदित समान लेखा नीति, का पालन किया

गया है। कथित समान लेखा नीति को कम्पनी(भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किया गया है।

2. निम्नांकित को छोड़कर, वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है –

   – कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियाँ एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।

   – परिभाषित लाभ योजनाएँ – योजना परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

   – भण्डार सूची को उसके लागत या एनआरवी जो कम हो।

3. यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा वैसे निर्णयों एवं आंकलनों पर विचार किया जो उचित एवं विवेकपूर्ण थे और जिसके द्वारा समीक्षा के तहत वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी मामलों के स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

4. यह कि कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनके रोकथाम के लिए पर्याप्त लेखा आँकड़ों के रख–रखाव के लिए उचित और पर्याप्त देख–भाल की गई है।

5. यह कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कन्सर्न' के आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया है।

6. यह कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जा रहा है।

7. यह कि सभी लागू होने वाले कानूनों के अनुपालन के लिए प्रणाली विकसित की गई है और यह प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी रूप से काम कर रहा था।

40. कम्पनी के अंकेक्षकगण

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म की नियुक्ति वर्ष 2017–18 के लिए आपकी कम्पनी के वित्तीय खातों के लेखा–परीक्षा के लिए की गई है।

ए. सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
217 बी, कचहरी रोड़, पंचवटी प्लाजा,
द्वितीय तल, राँची – 834001

शाखा अंकेक्षक

1. **मेसर्स जे. एन. अग्रवाल एण्ड कम्पनी,**
   6, आरआईटी बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर,
   कोर्ट कम्पाउण्ड, राँची – 834001
2. **मेसर्स एल. के. शराफ एण्ड कम्पनी,**
   द्वितीय तल, चौहान मैन्सन,
   लालजी हिरजी रोड, राँची
3. **मेसर्स संजय बाजौरिया एण्ड एसोसिएट्स**
   4, कुंजलाल स्ट्रीट, अपर बाजार, राँची – 834001
4. **मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कम्पनी**
   द्वितीय तल, राधागौरी, गौशाला चौक,
   नार्थ मार्केट रोड़, अपर बाजार,
   राँची – 834001

बी. लागत अंकेक्षक

वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 28.09.2016 को हुई निदेशक मण्डल की 430वीं बोर्ड की बैठक में मद संख्या 4(6) हेतु अपेक्षित लागत अंकेक्षण के लिए निम्नलिखित लागत अंकेक्षकों को नियुक्त किया गया है।

मेसर्स एस सी मोहंती एण्ड एसोसिएट्स,
प्लॉट संख्या 370/18661/2157, शक्ति भवन,
टॉयोटा शो रूम के बगल में,
एट. – पटिया, पोस्ट – केआईआईटी,
जिला – भुवनेश्वर – 751024

शाखा लागत अंकेक्षक

1. **मेसर्स मनी एण्ड कम्पनी,**
   अशोका बिल्डिंग,
   III सादर्न एवेन्यू, कोलकाता – 700029
2. **मेसर्स मुशीब एण्ड कम्पनी,**
   नं. 204, गजराज मैन्सन,
   द्वितीय तल, डायागोनल रोड,
   बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड।

3. **मेसर्स के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स,**
तृतीय तल, शगुन पैलेस,
सप्रू मार्ग, हजरतगंज,
लखनऊ – 226001

4. **मेसर्स के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स,**
4ए, पॉकेट 2,
मिक्स हाउसिंग,
न्यू कोण्डली, मयूर विहार – III,
नई दिल्ली – 110096

सी. सचिवीय अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत दिनांक 27.04.2017 को हुई निदेशक मण्डल की 442वीं बैठक में मद संख्या 4(24) के जहज वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के सचिवीय अंकेक्षण के लिए निदेशक मण्डल द्वारा निम्नलिखित कम्पनी सचिव फर्म को नियुक्त किया गया :

मेसर्स प्रतिमा खण्डेलवाल एण्ड एसोसिएट्स,
एफ – 2/14, एलआईसी फ्लैट्स,
सेक्टर – 2, विद्याधर नगर,
जयपुर – 302039 (राजस्थान)

41. बोर्ड समितियाँ

ए. निदेशकों की अंकेक्षण समिति

भारत सरकार के निदेशक, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 21/13/2006 – ए.एस.ओ./बी.ए. दिनांक 30.03.2017 द्वारा श्री आर. मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ.सं.) सीआईएल के सेवासमाप्ति जारी होने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16.05.2017 को हुई अपनी 443वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया :

1. श्री अशोक गुप्ता, – अध्यक्ष
अप्रशासकीय अंशकालीन, निदेशक, सीसीएल

2. श्री भरत भूषण गोयल, – सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालीन, निदेशक, सीसीएल

3. श्री ए. के. मिश्रा – सदस्य
निदेशक(तक./परि. एवं यो.), सीसीएल

4. श्री डी. के. घोष – स्थायी आमंत्रित
निदेशक(वित्त), सीसीएल

अंकेक्षण समिति की बैठक के लिए, कोरम यह है कि या तो दो सदस्य या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई सदस्य, जो अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों का उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 04.11.2014 को हुई अपनी 411वीं बैठक में, सीसीएल के अंकेक्षण समिति के संदर्भ के शर्तों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान के रूप में मंजूरी दी है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, अंकेक्षण समिति की 14 बैठकें दिनांक 27.04.17, 16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 02.11.17, 27.12.17, 07.01.18, 01.02.18, 21.02.18, 05.03.18, 08.03.18 एवं 10.03.18 को हुई। कम्पनी सचिव ही अंकेक्षण समिति का सचिव हैं।

श्री सी. वी. एन. गंगाराम, कम्पनी सचिव, सीसीएल के सेवानिवृति के उपरांत, दिनांक 21.02.2017 को हुई सीसीएल बोर्ड की 437वीं बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 203 के तहत, श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) को पूर्णकालिक कम्पनी सचिव के नियुक्ति तक कम्पनी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने पर विचार किया गया। आगे सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 13.07.2017 को हुए अपने 445वें बोर्ड बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कम्पनी सचिव के दायित्वों तथा किसी अन्य दायित्वों जिसे समय समय पर बोर्ड द्वारा सौंपा जाता है, के निर्वहन हेतु श्री रविप्रकाश को पूर्णकालिक कम्पनी सचिव के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया तथा साथ ही श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक(तक./परि. एवं यो.) को भी सचिव कम्पनी के प्रभार पर कार्य करने से विमुक्त किया।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित कम्पनी के अंकेक्षण समिति के बैठक में सदस्यों का उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक – 1** में दिया गया है।

बी. निदेशकों की उच्चाधिकार उप–समिति

श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति, दिनांक 30.09.2016 को श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा निदेशक (तक./यो. एवं परि.) का प्रभार त्यागने, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को निदेशक (तक./संचा.) का प्रभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा निदेशक (तक./यो.परि.) के पद पर दिनांक 01.10.2016 को योगदान देने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 431वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित

निदेशकगणों के साथ **उच्चाधिकार समिति** पुनर्गठित की गई:

1. श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष
   अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल
2. श्री आर. पी. गुप्ता, सदस्य
   संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्री अशोक गुप्ता, सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
4. श्री भारत भूषण गोयल, सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
5. श्री डी. के. घोष, सदस्य,
   निदेशक(वित्त), सीसीएल
6. श्री सुबीर चन्द्रा, सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
7. श्री ए. के. मिश्रा, सदस्य
   निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, ईएससीडी की 8 बैठकें दिनांक 16.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 03.11.17, 27.12.17, 07.01.18 और 05.03.18 को आयोजित की गई थी।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित कम्पनी के निदेशकों की उच्चाधिकार उप–समिति के बैठक में सदस्यों का उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक – 1** में दिया गया है।

सी. सम्पोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 सितम्बर 2011 को इसके कार्यालय संकल्प संख्या डीपीइ, ओएम. क्र. 3(9)/2010–डीपीइ (एमओयू) द्वारा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए (सीपीएसइएस) सम्पोषित विकास पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए–

- सम्पोषित विकास (एसडी) के लिए योजना की तैयारी जरूरी है।
- सम्पोषित विकास (एसडी) के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र बाह्य एजेन्सी/एक्सपर्ट/सलाहकार बनाना है।
- सम्पोषित विकास (एसडी) योजना के अनुमोदन, उनके प्रदर्शन के लिए एक बोर्ड स्तर की कमिटी बनानी है।

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 135 के अनुसार सीएसआर और सम्पोषित विकास समिति में कम – से – कम 3 निदेशक होना चाहिए जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।

श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति, दिनांक 30.09.2016 को श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा निदेशक (तक./यो. एवं परि.) का प्रभार त्यागने, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को निदेशक (तक./संचा.) का प्रभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा निदेशक (तक./यो.परि.) के पद पर दिनांक 01.10.2016 को योगदान देने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 431वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **सम्पोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति** पुनर्गठित की गई:

1. श्री भारत भूषण गोयल, – अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, – सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
3. श्री आर. मोहन दास, – सदस्य
   निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल
4. श्री आर. एस महापात्र, – सदस्य
   निदेशक (कार्मिक), सीसीएल
7. श्री ए. के. मिश्रा, – सदस्य
   निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल

भारत सरकार के निदेशक, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 21/13/2006 – ए.एस.ओ./बी.ए. दिनांक 30.03.2017 द्वारा श्री आर. मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ.सं.) सीआईएल के सेवासमाप्ति जारी होने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16.05.2017 को हुई इसकी 443वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **सम्पोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति** पुनर्गठित की गई:

1. श्री भारत भूषण गोयल, – अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालीन, निदेशक, सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, – सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीन, निदेशक, सीसीएल
3. श्री डी. के. घोष – सदस्य
   निदेशक(वित्त), सीसीएल
4. श्री आर. एस. महापात्रा – सदस्य
   निदेशक(कार्मिक), सीसीएल
5. श्री सुबीर चन्द्रा – सदस्य
   निदेशक(तक./संचा.), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एसडी/सीएसआर समिति की 12 (बारह) बैठकें दिनांक 27.04.17, 16.05.2017, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 02.11.17, 27.12.17, 07.01.18, 01.02.18, 21.02.18, एवं 05.03.18 को ओयाजित की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित कम्पनी के निदेशकों की एसडी/सीएसआर समिति के बैठक में सदस्यों का उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक – 1** में दिया गया है।

डी. जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक बोर्ड की 425वीं बैठक 10.06.2016 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति, दिनांक 30.09.2016 को श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा निदेशक (तक./यो. एवं परि.) का प्रभार त्यागने, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को निदेशक (तक./संचा.) का प्रभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा निदेशक (तक./यो.परि.) के पद पर दिनांक 01.10.2016 को योगदान देने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 431वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **जोखिम प्रबंधन समिति** पुनर्गठित की गई:

1. श्री भारत भूषण गोयल, — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
3. श्री सुबीर चन्द्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
4. श्री ए. के. मिश्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
5. श्री बेंजामिन पॉल — मुख्य जोखिम अधिकारी
   महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल

आगे, सीसीएल बोर्ड ने अपने 443वीं बैठक दिनांक 16.05.17 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ **जोखिम प्रबंधन समिति** पुनर्गठित की गई:

1. श्री भारत भूषण गोयल, — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
3. श्री सुबीर चन्द्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
4. श्री ए. के. मिश्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
5. श्री जितेन्द्र तिवारी — मुख्य जोखिम अधिकारी
   महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रबंधन), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 02.08.17 को ओयाजित की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित कम्पनी के निदेशकगणों की जोखिम प्रबंधन समिति के बैठक में सदस्यों का उपस्थिति का विवरण अनुलग्नक – 1 में दिया गया है।

ई. मानव संसाधन समिति

सीसीएल बोर्ड ने 08.11.2016 को आयोजित मानव संसाधन समिति का गठन 431वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ किया :

1. श्री भारत भूषण गोयल, — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालीक निदेशक, सीसीएल
3. श्री आर. मोहनदास, — सदस्य
   निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल
4. श्री आर. एस. महापात्र, — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल
5. श्री ए. के. मिश्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल

भारत सरकार के निदेशक, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 21/13/2006 – ए.एस.ओ./बी.ए. दिनांक 30.03.2017 के प्रभाव से श्री आर. मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ.सं.) सीआईएल के सेवासमाप्ति जारी होने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16.05.2017 को हुई इसकी 443वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ मानव प्रबंधन समिति पुनर्गठित की गई:

1. श्री भारत भूषण गोयल, — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
   सीसीएल
2. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
   सीसीएल
3. श्री डी. के. घोष, — सदस्य
   निदेशक (वित्त)
   सीआईएल
4. श्री आर. एस. महापात्र, — सदस्य
   निदेशक (का.)
   सीसीएल
5. श्री ए. के. मिश्रा, — सदस्य
   निदेशक (तक./परि. एवं यो.)
   सीसीएल

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान मानव प्रबंधन समिति की 6 (छः) बैठकें दिनांक 16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17 एवं 02.11.17 को ओयाजित की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित कम्पनी के निदेशकगणों की मानव संसाधन समिति के बैठक में सदस्यों का उपस्थिति का विवरण **अनुलग्नक – 1** में दिया गया है।

42. धन्यवाद ज्ञापन

आपके निदेशकगण, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को दिये गये बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं स्वैच्छिक समर्थन के लिए भारत सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय और कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, आपकी कंपनी की बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता देने के लिए झारखण्ड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण को पूर्ण विश्वास है कि सभी रैंक के कर्मचारी आने वाले वर्षों में कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए कड़ी मेहनत का प्रयास करेंगे। आपके निदेशकों ने वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान सहायता और मार्गदर्शन, कर अंकेक्षकों, नियंत्रक एवं भारत सरकार के महालेखा परीक्षक और बिहार एवं झारखण्ड सरकार के निबंधक के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

43. परिशिष्ट

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकमण्डल के प्रतिवेदन में दिया जा रहा परिशिष्ट :

   ए. पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण जो वर्ष या कुछ समय के लिए यदि नियोजित किए जाएं तो 1,02,00,000/– प्रति वर्ष / 8,50,000/– प्रति माह या अधिक प्राप्त करते हैं।

   बी. ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी।

   सी. कम्पनी के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के विवरण।

   डी. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय का विवरण।

   ई. सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण।

   एफ. संबंधित पार्टियों और कंपनी के बीच अनुबंध/व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण।

   जी. अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन।

   एच. स्वतंत्र निदेशकगणों की घोषणा।

2. 31 मार्च 2018 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (6)(बी) के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की टिप्पणियाँ।

4. भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा की समीक्षा।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12(1) के तहत दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का संक्षेपण।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 खण्ड 134 (2) और 134(3) के तहत निदेशक की रिपोर्ट में परिशिष्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंधन का उत्तर दर्शाया गया है।

बोर्ड के लिए एवं बोर्ड की ओर से

ह./–

(गोपाल सिंह)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

डीआइएन : 02698059

अनुलग्नक – I

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

सीसीएल प्रबंधन, उत्कृष्ट निगमित प्रशासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए हर पल प्रयत्नशील है।

सीसीएल का निगमित प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

1. अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों के वहन में प्रतिबद्ध, दक्ष, समुचित संरचना एवं आकार के निदेशक मंडल का गठन।
2. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड तथा इसकी समितियों को समयबद्ध सूचना मिले ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
3. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र जाँच कराना।
4. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति अपनाना।
5. कम्पनी से संबंधित वास्तविक सूचना शेयरधारकों के समक्ष समय पर संतुलित रूप से प्रकाशित करना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, अंशधारकों और निवेशकों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार करना।

निगमित–नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मानदंडों के पालन में विश्वास करती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीसीएल समस्त भारतीय नागरिकों को सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं नियंत्रण – संतुलन बनाने का विषय नहीं है अपितु, अवसरों को वास्तविकता में बदलने के दृष्टिकोण के साथ कम्पनी के उद्देश्यों को बेहतर निष्पादन की दिशा में सतत् प्रक्रिया है। कम्पनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयरधारकों के लाभ एवं कर्मचारियों के विकास के साथ इसकी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना तथा विभिन्न संसाधनों का लाभ लेना शामिल है जिससे कि जोखिमों को कम करने के फलस्वरूप शेयरधारकों को प्रसन्न किया जा सके। कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में विवेक एवं चेतना की निगमित संस्कृति का सृजन एवं पालन, पारदर्शिता, स्पष्टता, जिम्मेदारी, औचित्य, हिस्सेदारी, संपोषित मूल्य सृजन, नैतिक आचरण तथा क्षमता का विकसित करना एवं उन अवसरों को पहचानना है जो मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिससे एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संगठन का निर्माण हो।

2. निदेशक मंडल

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2018 तक 9 निदेशक शामिल थे जिसमें 5 कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित) दो अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक, दो अंशकालिक अप्रशासकीय निदेशक तथा 2 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल थे।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल 15 बैठकें हुई यथा 24.07.17, 16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 03.08.17, 02.09.17, 25.09.17, 03.11.17, 27.12.17, 07.01.18, 01.02.18, 21.02.18, 05/06.03.18, 09.03.18 एवं 10.03.18। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कम्पनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का निम्नानुसार विवरण दिया जा रहा है :

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें (कमिटि की बैठकों का अलग से विवरण)		अन्य निदेशकीय पदों की सं.
			कार्यकाल में	उपस्थिति	
1.	श्री गोपाल सिंह $ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	15	13	(i) बीसीसीएल (ii) सीआईएल
2.	श्री डी. के. घोष निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	15	15	शून्य
3.	श्री सुबीर चन्द्रा @ निदेशक (तक./संचा.)	कार्यकारी निदेशक	15	12	शून्य
4.	श्री आर. एस. महापात्र निदेशक (यो./परि.)	कार्यकारी निदेशक	15	15	शून्य
5.	श्री ए. के. मिश्रा निदेशक (तक./यो. परि.)	कार्यकारी निदेशक	15	14	जेसीआरएल
6.	श्री आर. पी. गुप्ता * संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अंशकालिक निदेशक	5	1	एमसीएल
7	श्री आशीष उपाध्याय ** संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार '	अंशकालिक निदेशक	4	3	एएनयूपीपीएल
8.	श्री अशोक गुप्ता संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	अप्रशासकीय निदेशक	15	14	लागू नहीं
9.	श्री भारत भूषण गोयल अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	15	15	लागू नहीं
10.	श्री सी. के. डे # निदेशक(वित्त), सीआईएल	अंशकालिक निदेशक	4	2	सीआईएल, ईसीएल, एसईसीएल, एचयूआरएल और सीएमपीडीआईएल
11.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव ## निदेशक (का. औ. सं.) सीआईएल	अंशकालिक निदेशक	4	4	सीआईएल, डब्ल्यूसीएल
12.	श्री सलिल कुमार झा ^ सी. ओ. एम., पूर्व मध्य रेलवे	स्थाई आमंत्रित	15	3	लागू नहीं
13.	श्री एस. के. वर्णवाल ^^ सचिव, खनन एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार	स्थाई आमंत्रित	15	1	लागू नहीं

$ श्री गोपाल सिंह, अप्रनि, सीसीएल ने दिनांक 27.10.2016 से अप्रनि बीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया और दिनांक 25.09.2017 को अप्रनि, बीसीसीएल के प्रभार से मुक्त हुए। उन्हें दिनांक 01.09.2017 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

@ श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) ने दिनांक 31.03.2018 की प्रभावी तिथि को सेवानिवृत्त हुए।

श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नावाडको के प्रबंध निदेशक के रूप में चयनित होने के पश्चात दिनांक 09.08.2017 को सीसीएल बोर्ड के निदेशक पद से त्याग पत्र दिया।

** श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के पद पर दिनांक 05.02.2018 की प्रभावी तिथि से श्री आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया गया।

श्री सी. के. डे. निदेशक(वित्त) सीआईएल को सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के पद पर दिनांक 19.09.2017 से 19.02.2018 तक श्री आर. मोहन दास, पूर्व निदेशक (कार्मिक) सीआईएल के स्थान पर नियुक्त किया गया।

श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक/का. औ.सं.) सीआईएल को सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के पद पर दिनांक 19.02. 2018 की प्रभावी तिथि से श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त) सीआईएल के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

^ श्री सलिल कुमार झा, सीओएम, पूर्व मध्य रेलवे को सीसीएल बोर्ड के स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में दिनांक 05.02.2018 से नियुक्त किया गया।

^^ श्री एस. के. वर्णवाल, सचिव, खनन एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार को, सीसीएल बोर्ड का स्थाई आमंत्रित सदस्य दिनांक 16.11.2016 से नियुक्त किया गया।

श्री सी. वी. एन. गंगाराम, कम्पनी सचिव, सीसीएल की सेवानिवृत्ति के बाद सीसीएल बोर्ड ने दि. 21.02.2017 को आयोजित अपने 437वीं बैठक में निर्णय लिया कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203, के तहत श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.) को पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति होने तक, कंपनी सचिव के रूप में कार्य/नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सीसीएल बोर्ड ने 13.07.2017 को आयोजित 445वीं बोर्ड की बैठक में श्री रवि प्रकाश को 13 जुलाई, 2017 की प्रभावी तिथि से पूर्णकालिक कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी सचिव के रूप में किए जानेवाले कर्तव्यों का पालन करेंगे और समय–समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी अनुपालन करेंगे एवं श्री ए. के. मिश्रा (तक./परि. एवं यो.) को कंपनी सचिव के रूप में कार्य करने के प्रभाव से मुक्त किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पारिश्रमिक की अनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों के साथ व्यवसायिक संबंध	वर्ष 2017–18 के लिए पारिश्रमिक (₹)										
			वेतन एवं भत्ते	पीआरपी/वेतन संशोधन के कारण बकाया का भुगतान	परक्विजिट	अवकाश नगदीकरण	मकान किराया भत्ता	सी एम पी एफ अंशदान	चिकित्सा व्यय	एल एल टी सी	एल टी सी	ग्रेच्युटी	कुल
श्री गोपाल सिंह	शून्य	अ. प्र. नि.	2730019.95	1214901.94	325268.10	377580.60	0.00	324469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4972237.59
श्री डी. के. घोष	शून्य	निदेशक (वित्त)	2413215.00	1778796.00	361690.32	338355.00	0.00	287359.00	27003.26	0.00	0.00	0.00	5206418.58
श्री आर. एस. महापात्र	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	2400370.25	1133712.00	312517.24	189662.50	0.00	268243.00	4652.66	0.00	0.00	0.00	4309457.65
श्री सुबीर चन्द्रा	शून्य	निदेशक (तक./सं.)	2400178.50	1189398.40	337384.98	676210.80	0.00	284507.00	71435.83	0.00	0.00	2000000.00	6959095.49
श्री ए. के. मिश्रा	शून्य	निदेशक (तक./यो./परि.)	2375174.30	731719.20	250989.79	326475.00	0.00	275106.00	34955.31	0.00	0.00	0.00	3994429.60
कुल योग			12318958.00	6048527.54	1587838.41	1908583.90	0.00	1439684.00	138047.06	0.00	0.00	2000000.00	25441638.91

सेवा संविदा

कम्पनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालीन निदशकों को नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अंशकालीन निदेशक :

कम्पनी द्वारा किसी भी अंशकालीन निदेशक को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल रकम (₹)
1.	स्वतंत्र निदेशकगण	श्री भारतभूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	
	बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने हेतु फीस	1120000.00	1040000.00	2160000.00
	कुल (1)	1120000.00	1040000.00	2160000.00

3. बोर्ड समिति

(i) निदेशकों की उच्चाधिकार – उपसमिति

श्री पी. के. तिवारी निदेशक (तक./सं.) की दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृति के बाद, श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.) द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पदभार छोड़ना, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को निदेशक (तक./सं.) का पदभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा दिनांक 01.10.2016 को निदेशक (तक./यो.परि.) का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 08.11.2016 को हुए अपने 431वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ निदेशकों की उच्चाधिकार उप–समिति का पुनर्गठन किया;

1.	श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री आर पी गुप्ता, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार	–	सदस्य
3.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
5.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	सदस्य
6.	श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक. सं.), सीसीएल	–	सदस्य
7.	श्री ए के मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.) सीसीएल	–	सदस्य

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उच्चाधिकार उप–समिति की 8 बैठकें दिनांक 16.0517, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 03.11.17, 27.12.17, 07.01.18 एवं 05.03.18 को आयोजित की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित निदेशकों की उच्चाधिकार समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	उच्चाधिकार समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल	8	5	अध्यक्ष
श्री आर. पीं. गुप्ता, आइएएस, संयुक्त सचिव, एमओसी, जीओआई / आधिकारिक अंशकालिक निदेशक @	3	1	सदस्य
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	7	सदस्य
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	8	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	8	8	सदस्य
श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.) #	8	7	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.)	8	7	सदस्य

@ श्री आर. पीं. गुप्ता, आइएएस, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, निदेशक की नियुक्ति नाबार्डको के प्रबंध निदेशक में चयन होने के पश्चात दिनांक 09.08.17 को सीसीएल बोर्ड के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया।

श्री सुबीर चन्द्रा निदेशक (तक./सं.) ने दिनांक 30.03.2018 की प्रभावी तिथि को सेवानिवृत्ति हुए।

(ii) निदेशकों के अंकेक्षण समिति

भारत सरकार के निदेशक, कोयला मंत्रालय के दिनांक 30/03/2018 के पत्र सं. 21/13/2006 – एएसओ/बीए द्वारा श्री आर मोहन दास, निदेशक (का एवं औ. सं.) की तत्काल सेवा समाप्ति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16/05/2017 को अपनी 443वीं बैठक में निदेशकों की अंकेक्षण समिति पुनर्गठन किया जिसमें निम्नलिखित निदेशकगण सम्मिलित हैं –

1.	श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	अध्यक्ष
2.	श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल	–	सदस्य
3.	श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल	–	सदस्य
4.	श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	–	स्थाई आमंत्रित

अंकेक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई में से सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपने 411वें बैठक में 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्त्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 14(चौदह) बैठकों का आयोजन दिनांक 27.04.17,

16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 02.11.17, 27.12.17, 07.01.18, 01.02.18, 21.02.18, 05.03.18, 08.03.18 एवं 19.03.2018 को किया गया। कम्पनी सचिव अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

श्री सी. वी. एन. गंगाराम कम्पनी सचिव सीसीएल के सेवानिवृत्ति के बादसीसीएल बोर्ड ने 21.02.2017 को आयोजित 437वें बैठक में निर्णय लिया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के तहत श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) को पूर्णकालीन कंपनी सचिव नियुक्त होने तक कंपनी सचिव के रूप में कार्य के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीसीएल बोर्ड ने 13.07.2017 को आयोजित 445वीं बोर्ड मीटिंग में रवि प्रकाश को पूर्णकालीक कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी सचिव के रूप में किये जानेवाले कर्तव्यों का पालन करेंगे और समय–समय पर बोर्ड द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य का पालन करेंगे एवं श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो./परि.) को कंपनी सचिव के रूप में कार्य करने के प्रभार से मुक्त किया गया था।

अंकेक्षण समिति की बैठक में वर्ष 2017–18 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

नाम	अंकेक्षक समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	14	13	अध्यक्ष
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	14	14	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो./परि.)	16	14	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	14	13	स्थायी आमंत्रित

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

परस्पर कार्य की सूची निम्नवत है –

- **समय–समय पर अंकेक्षकों के साथ चर्चा करना**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता एवं अनुपालन
  - अंकेक्षकों के पर्यवेक्षण सहित अंकेक्षण का दायरा
  - बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करें।
- **निम्नलिखित कार्य करने के लिए :**
  - सही, पर्याप्त और विश्वसनीय वित्तीय विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
  - प्रबंधन के साथ बोर्ड में अनुमोदन पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, यदि कोई लेखा विधिनीति में परिवर्तन हो, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन एवं अभियोग्यता का प्रस्तुतीकरण संबंधित पार्टी के लेन–देन, अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में।

(iii) सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010– डीपीई(एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की :

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु :

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- संपोषित विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।

- संपोषित विकास योजना के अनुमोदन और उसके नि पादन की देख–रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति मे कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं – जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.) के दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति, दिनांक 30.09.2016 को श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा निदेशक (तक./यो. एवं परि.) का प्रभार त्यागने, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा दिनांक 30.09.2016 को निदेशक (तक./संचा.) का प्रभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा निदेशक (तक./यो.परि.) के पद पर दिनांक 01.10.2016 को योगदान देने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने अपने 431वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 को आयोजित की, उसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ संपोषित विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति पुनर्गठित की गईः

1. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री आर मोहन दास, निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीसीएल – सदस्य
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य
5. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो./परि.), सीसीएल – सदस्य

भारत सरकार के निदेशक, कोयला मंत्रालय के दिनांक 30/03/2018 के पत्र सं. 21/13/2006 – रएएसओ/बीए के प्रभाव से श्री आर मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ. सं.) की तत्काल सेवा समाप्ति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16/05/2017 को अपनी 443वीं बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित निदेशकगणों के साथ संपोषित विकास/निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्यों का पुनर्गठन किया गया।

1. श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य
5. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल – सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एसडी/सीएसआर समिति की 12 (बारह) बैठकें 27.04.17, 16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17, 02.11,17, 27.12.17, 07.01.18, 01.02.18, 21.02.18 एवं 05.03.18 को आयोजित की गई।

सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति में सदस्यों की उपस्थिति का वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित उत्तरदायित्व समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित हैं :

नाम	सतत विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	12	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	11	सदस्य
श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) *	10	8	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक)	12	12	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.)	2	2	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	10	10	सदस्य

* श्री सुबीर चन्द्रा निदेशक (तक./सं.) ने दिनांक 30.03.2018 की प्रभावी तिथि को सेवानिवृत्ति हुए।

(iv) जोखिम प्रबंधन समिति

श्री पी. के. तिवारी, निदेशक (तक./संचा.) की दिनांक 30.09.16 को सेवानिवृति, 30.09.2016 को श्री सुबीर चन्द्रा, निदशक (तक./यो. एवं परि.) का प्रभार छोड़ने, श्री सुबीर चन्द्रा द्वारा निदेशक (तक./सं.) का प्रभार ग्रहण करने तथा श्री ए. के. मिश्रा द्वारा निदेशक (तक./यो. एवं परि.) के पद पर दिनांक 01.10.2016 को योगदान देने के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने अपनी 431वीं बैठक दिनांक 08.11.16 को आयोजित की जिसमें पुनर्गठित जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशकगण हैं।

1. श्री भारत भूषण गोयल, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल – सदस्य
4. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य
5. श्री बेंजामिन पॉल, मप्र (गुणवत्ता), सीसीएल – मुख्य जोखिम अधिकारी

इसके अलावा सीसील बोर्ड की 443वीं बैठक दि. 16.05.2017 को आयोजित की गई जिसमें की जोखिम प्रबंधन समिति पुनर्गठित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य है :

1. श्री भारत भूषण गोयल, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल – सदस्य
4. श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल – सदस्य
5. श्री जितेन्द्र तिवारी, मप्र. (गुणवत्ता), सीसीएल – मुख्य जोखिम अधिकारी

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कुल 01 बैठक हुई यथा दिनांक 02.08.17।

वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है :

नाम	जोखिम प्रबंधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	सदस्य
श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) *	1	1	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.)	1	0	सदस्य
श्री जितेन्द्र तिवारी, मप्र. (गुणवत्ता), सीसीएल	1	1	मुख्य जोखिम अधिकारी

* श्री सुबीर चन्द्रा निदेशक (तक./सं.) ने दिनांक 30.03.2018 की प्रभावी तिथि को सेवानिवृत्ति हुए।

(v) मानव संसाधन समिति

सीसीएल बोर्ड की 431वीं बैठक में मानव संसाधन समिति का गठन निम्नलिखित निदेशकगण के साथ किया गया :

1. श्री भारत भूषण गोयल, गैर–अधिकारी अंशकालिन निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री आर. मोहन दास, निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल – सदस्य
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य
5. श्री ए. के. मिश्रा, निदशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

आगे भारत सरकार के निदेशक, कोयला मंत्रालय के पत्र सं. 21/13/2006 – एएसओ/बीए दिनांक 30/03/2018 के

प्रभाव से श्री आर मोहन दास, निदेशक (का एवं औ. सं.) की तत्काल सेवा समाप्ति के पश्चात सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 16/05/2017 को अपनी 443वीं बोर्ड की बैठक में मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया जिसमें निम्नलिखित निदेशकगण सम्मिलित हैं –

1. श्री भारत भूषण गोयल, गैर–अधिकारी अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – अध्यक्ष
2. श्री अशोक गुप्ता, गैर–अधिकारिक अंशकालिक निदेशक, सीसीएल – सदस्य
3. श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
4. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य
5. श्री ए. के. मिश्रा, निदशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की कुल 06 बैठकें 16.05.17, 26.05.17, 13.07.17, 02.08.17, 25.09.17 एवं 02.11.17 को आयोजित की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी की मानव संसाधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है :

नाम	मानव संसाधन समिति		टिप्पणी
	हुई बैठक	उपस्थिति	
श्री भारत भूषण गोयल, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	6	6	अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	6	6	सदस्य
श्री डी. के. घोष, निदेशक (वित्त), सीसीएल	5	5	सदस्य
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक)	6	6	सदस्य
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.)	6	6	सदस्य

सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2017–18 के लिए आपकी कम्पनी की लेखा–रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स फर्मों की नियुक्ति की गई है :

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
217बी, कचहरी रोड, पंचवटी प्लाजा,
द्वितीय तल, राँची – 834001.

शाखा अंकेक्षक

1. **मेसर्स जे. एन. अग्रवाल**
   6, आरआईटी बिल्डिंग, भूमि तल,
   कोर्ट कम्पाउन्ड, राँची – 834001
2. **मेसर्स एल. के. सर्राफ एण्ड कम्पनी**
   दूसरा तल्ला, चौहान मेन्सन,
   लालजी हीरजी रोड, राँची
3. **मेसर्स संजय बाजोरिया एण्ड एसोसिएट्स**
   41, कुंजलाल स्ट्रीट, अपर बाजार, राँची – 834 001
4. **मेसर्स एन. के. डी. एण्ड कम्पनी**
   द्वितीय तल, राधागौरी, गौशाला चौक, अपर बाजार,
   राँची – 834 001.

मूल्य अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशक मंडल की बोर्ड ने 430वीं बोर्ड बैठक मद क्रमांक 4(6) दिनांक 28.09.2016 द्वारा मूल्य अंकेक्षण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 हेतु निम्नलिखित मूल्य अंकेक्षक फर्मों को नियुक्त किया।

मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एण्ड एसोसिएट्स
प्लॉट नं. – 370/1861/2157 शक्ति भवन
टोयोटा शोरूम के बगल में, पाटिया
पो. – के. आई. आई. टी., भुवनेश्वर – 751 024
ओड़िसा।

शाखा मूल्य अंकेक्षक

1. **मनी एण्ड कम्पनी**
   अशोका भवन, 111 साउदर्न एवेन्यु
   कोलकाता – 700 029
2. **मुसीब एण्ड कम्पनी**
   नं. – 204, गजराज मेन्सन, द्वितीय तल्ला,
   डायगोनल रोड़, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड
3. **के. बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स**
   तृतीय तल्ला, सगुन पैलेस, सप्रु मार्ग
   हजरतगंज, लखनऊ – 226 001
4. **के. जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स**
   4 ए, पॉकेट 2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली,
   मयूर विहार–111, नई दिल्ली – 110 096

सचिवीय अंकेक्षक :

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 204 के अनुसार निदेशक मंडल बोर्ड द्वारा 442वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 4(24) दिनांक 27.04.2017 द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 सचिवीय अंकेक्षण के लिए हेतु निम्नलिखित कम्पनी सचिव फर्म को नियुक्त किया।

सचिवीय अंकेक्षक

प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स
एफ – 2/14, एलआईसी फ्लैट्स, सेक्टर 2,
विद्याधर नगर, जयपुर – 302 039 (राजस्थान)

वार्षिक आम बैठक

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है –

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2014–15	17 जून, 2015 पूर्वाह्न 11.00	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्रीमती श्वेता लोहारुका, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2015–16	22 जूलाई, 2016 पूर्वाह्न 11.00	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री जयप्रकाश साव, सदस्य एवं अध्यक्ष	शून्य
2016–17	21 जुलाई 2017 पूर्वाह्न 11.00	दरभंगा हाउस, राँची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री भास्कर शर्मा, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य

नोट : विगत तीन वर्षों में सम्पन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4. प्रत्यक्षीकरण (डिसक्लोजर)

संबंधित पार्टियों से लेन–देन

कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्षीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कंपनी के हित को कोई हानि पहुँचती हो।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

दिनांक 02.07.2008 को निदेशक मंडल की 348वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सीसीसल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर अपलोड किया गया है। मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक आचार संहिता की प्राप्ति रसीद एवं उसके अनुपालन संबंधी स्वीकारोक्ति प्राप्त की जा चुकी है।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 एवं 2008 में किए गए संशोधन के विनियम 12(1) के अनुसरण में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार–संहिता

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश सं. सीआईएल : IX(D) : 04007 : 2010 : 1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 के संदर्भ में सेबी (इनसाइडर/ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 1992 एवं 2008 में किए गए संशोधन के विनि. 12(1) के संदर्भ में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार–संहिता, कम्पनी के पदासीन कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशकगणों, सभी मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधक तथा कम्पनी के निर्दिष्ट विभागों में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों को शामिल है।

शक्ति प्रत्यायोजन (डी. ओ. पी.)

दिनांक 11.05.2010 को हुई निदेशक मंडल की 367वीं बैठक में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल के अधिकार संशोधित किए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीसीएल के निर्देश के अनुसार सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर डीओपी अपलोड किया गया है। कार्यकारी निदेशकों का डीओपी तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों का डीओपी संशोधित किया गया तथा दिनांक 24.01.2012 को हुई बोर्ड की 384वीं बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.10.2015 को हुई 418वीं बैठक में बोर्ड ने विभागीय निदेशकों के विनिर्दिष्ट/अनुबंधित अनुबंध के मात्रा के संदर्भ में डीओपी का संशोधन किया गया। दिनांक 04.02.2016 को हुए 421वीं बोर्ड की बैठक में कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)/मुख्य सतर्कता अधिकारी का संशोधित डीओपी सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया और इसे सीसीएल के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आगे पिपरवार तथा मगध आम्रपाली क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के पूंजी/राजस्व निर्माण के डीओपी में वृद्धि की गई है और इसे दिनांक 15/16.03.2016 को हुई 422वीं बोर्ड की बैठक में सूचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 24/25.08.2016 को हुई 429वीं बोर्ड की बैठक में क्षेत्रों एवं केन्द्रीय कर्मशाला, बरकाकाना के मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के संशोधित वर्तमान डीओपी में संशोधन को सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

लेखा व्यवहार

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतिकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कम्पनी में लागू बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य–संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

5. संचार–व्यवस्था के साधन

कम्पनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कम्पनी की वेबसाइट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

6. अंकेक्षण की अर्हता

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन के 145(6) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ–साथ कम्पनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कम्पनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय–समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

8. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्र

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

9. व्हीसिल ब्लोअर नीति

कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2011 कोल इंडिया के द्वारा अनुमोदित है और यह अपनी सभी सहायक कंपनियों के लिए लागू है। इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है। आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

10. वफादारी संधि

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच इंटीग्रिटी के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन–समझौता को प्रस्तुत किया गया।

11. कंपनी द्वारा अनुपालन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

12. यू. एन. ग्लोबल काम्पेक्ट

ग्लोबल काम्पेक्ट, कारोबार के लिए तैयार एक ऐसी व्यवस्था है जो कारोबार तथा इसकी रणनीतियों में सुधार लाने हेतु सर्वमान्य 10 सिद्धांतों के माध्यम से मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सदा प्रयासरत रहती है। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में कार्यरत, ग्लोबल काम्पेक्ट पहली संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप मान्यता तथा विस्तार दिलाने का प्रयास करती है। विश्व स्तर की कंपनियाँ, यू. एन. ग्लोबल की सदस्य बनी हुई है। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में प्रदर्शन के आधार पर, सीसीएल वर्ष 2009 से यू. एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य बनी हुई है। तदोपरांत बिजनेस एक्सीलेंस के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कंपनी के सीएसआर गतिविधियों में वृद्धि हुआ है और इस प्रकार सीएसआर एक मुख्य व्यवसाय विधि बन गई है।

आपकी कंपनी द्वारा चलाई गई कुछ विशेष सीएसआर योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान, सीसीएल के लाल/लाडली, कोयला खनन क्षेत्रों में पेयजल परियोजना, सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र, जे. एस. एस. पी. एस. द्वारा संचालित स्पोर्टस एकेडमी, होटवार, स्वच्छ विद्यालय अभियान, बर्फ से आच्छादित पर्वतों पर स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि। सीसीएल के सीएसआर कार्यकलाप से, इसके कमान क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों का, सरकारी प्रशासन, मीडिया और अन्य हितधारकों के बीच कंपनी के प्रति अच्छी छवि के निर्माण में सहायता मिली है। आपकी कंपनी को सीएसआर कार्यकलापों के लिए संसदीय श्रम समिति, भारत ग्लोबल काम्पेक्ट सोसाइटी, सीएजी ऑडिट तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ईएसी से भी सराहना मिली है।

अनुलग्नक – 1ए

निदेशकों के पार्श्वदृश्य

दिनांक 31.03.2017 को सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (तक./सं.), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (तक./परि. एवं यो.), दो अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, दो स्थायी आमंत्रित–एक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य संचालन प्रबंधक एवं एक सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार, रांची है।

सभी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय, उनकी शैक्षणिक योग्यता, क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषज्ञता, उनकी व्यवसायिक संस्थाओं में सदस्ता, अन्य कम्पनियों में अध्यक्ष/निदेशक पद इत्यादि निम्नलिखित हैं।

कार्यकारी निदेशक

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में मार्च, 2012 से सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री सिंह ने वर्ष 1982 में 'भारतीय खनि विद्यापीठ', धनबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की । ओपनकास्ट माइनिंग में एम.टेक. और वित्त विशेषज्ञता के साथ वह एम.बी.ए. भी हैं। वर्तमान में वह बी.आई.टी.,मेसरा में शोधकर्म कर रहे हैं ।

उनकी चैतन्य योजना क्षमता,समन्वयता एवं सूक्ष्मदर्शिता के परिणामस्वरूप सीसीएल का भाग्योदय हुआ । उन्होंने झारखंड की मौजूदा सामाजिक,आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए कंपनी की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित किया। यह समग्रतः प्रशासनिक कायाकल्प मॉडल के रूप में ख्यात समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर केन्द्रित है । कायाकल्प मॉडल पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकोपकारिक दृष्टिकोण के साथ टीम गठन, हितधारकों के प्रोत्साहन एवं अधीनस्थों के विकास हेतु एकतंत्रीय नियंत्रण,गहन प्रशिक्षण और लोकतांत्रिक योजना पर आधारित है ।

वह लोक–हितैषी हैं और समाज के वंचित वर्गों के जीवन में सुधार हेतु सामाजिक कार्यों में गहरी रूचि लेतें है । उनके नेतृत्व में सीसीएल ने 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली', 'कायाकल्प पब्लिक स्कूल', 'बीपीएल अस्पताल', 'आईटीआई, भुरकुंडा', 'मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर' एवं विश्व–स्तरीय स्पोर्ट्स अकादमी, होटवार जैसे कई अग्रणी सी.एस.आर. कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है ।

श्री सिंह सीसीएल को "शून्य शिकायत कंपनी " बनाने को प्रयासरत हैं । इस उदेश्य की प्राप्ति हेतु समाधान केन्द्रों (केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण केंद्र) की स्थापना की गयी है, जो सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहें है ।

इन पहलों के परिणामस्वरूप सीसीएल में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं : छह हरित कोयला खनन परियोजनाओं और दो आधारभूत लंबी दूरी की रेलवे परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया है, जिसके समकक्ष कोयला उद्योग में कोई दूसरा नहीं है । इसमें मेगा प्रोजेक्ट ऑफ मगध ओसी (51.70 एम.टी. – एशिया की सबसे बड़ी प्रस्तावित कोयले की खान) और आम्रपाली ओसी (25.35 एम.टी.) शामिल है।

कोयला उद्योग के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए श्री सिंह को कई पुरस्कार मिलें हैं । वह कई व्यावसायिक संस्थानों से भी जुड़े है जैसे एम.जी.एल.आई., आई.ई.आई., आई.एम.ई.जे. । उन्होंने वर्ष 1998 में, कोलम्बो योजना के अंतर्गत जापान में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वरीय प्रबंधकों की टीम का नेतृत्व चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में किया । उनके सक्षम विजन और मार्गदर्शन में कंपनी देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है ।

श्री दीपक कुमार घोष : निदेशक (वित्त)

श्री दीपक कुमार घोष ने निदेशक (वित्त) का पदभार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 6 जुलाई 2013 को ग्रहण किया। इन्होंने कोयला उद्योग में विशेषतः इसीएल एवं सीसीएल में लगभग 36 वर्षों से वित्त क्षेत्र में विभिन्न पदों पर अपना योगदान दिया है।

इनका जन्म 1959 में कोलकाता में हुआ और कोलकाता विश्वद्यिालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ली। इन्होंने अपनी व्यवसायिक योग्यताएँ, इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से प्राप्त किया है।

कॉरपोरेट फाइनान्स, कॉस्टिंग, बजट एवं कंट्रोल के क्षेत्र में अग्रणी होने के अलावा उन्हें प्रणाली विभाग की जिम्मेदारी 27 जनवरी, 2014 को सौंपी गई है। उन्हें पुनः दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रभावी, निदेशक प्रभारी (विक्रय एवं विपणन) का भी पदभार सौंपा गया है।

उनके नेतृत्व में कम्पनी ने वित्तीय परिणामों एवं विक्रय क्षमता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके कुशल दिशा एवं नेतृत्व में प्रणाली विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नई पहल की है।

श्री अवध किशोर मिश्रा : निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

श्री अवध किशोर मिश्रा ने दिनांक 01.10.2016 को सीसीएल में निदेशक (तक./परि. एवं यो.) का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने 1983 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से खनन अभियंत्रण में स्नातक किया एवं बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र के अन्तर्गत कुसंडा ओपनकॉस्ट में जेट के पद पर योगदान दिया। इन्होंने 1988 में एम. टेक. और वर्ष 2012 में एमबीए (एच.आर.) उत्तीर्ण किया है। इन्होंने बीसीसीएल और ईसीएल में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सीसीएल में निदेशक (तक.) के पद पर नियुक्त होने से पहले वे ईसीएल के झंझरा क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे थे। वर्तमान में श्री मिश्रा दिनांक 01.10.2016 के प्रभाव से जेसीआरएल (झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड), जो कि सीसीएल, इरकॉन एवं झारखंड सरकार के बीच एक साझा उपक्रम है, के अध्यक्ष के पद पर भी आसीन हैं।

इनके पास भूमिगत एवं खुली खदानों के संचालन का अपार अनुभव है। इन्होंने झांझरा भूमिगत खदान में कंटीन्युअस माइनर और लौंगवाल खनन पद्धति को स्थापित कर झांजरा को पूरे कोल इंडिया में सबसे बड़ी भूमिगत खदान में परिवर्तित किया है।

ये व्यवहार कुशल एवं अपने निर्णय में दृढ़ विश्वास रखने वाले हैं। ये उत्साहशील हैं और इनके पास खनन समस्याओं के समाधान के प्रति अत्यन्त आत्म विश्वास है। सीसीएल इनके अपार अनुभवों से लाभान्वित होगा।

श्री राधाश्याम महापात्र : निदेशक (कार्मिक)

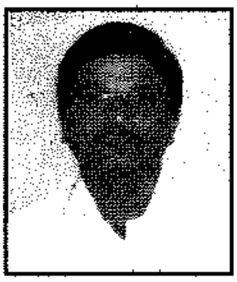

श्री राधाश्याम महापात्र ने सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पदभार 8 जून 2015 को संभाला। सीसीएल में निदेशक (कार्मिक) बनने से पहले इनका अनुभव ऊर्जा, तेल और कोयला उद्योगों में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य करने का है। श्री आर. एस. महापात्र ने विभिन्न प्रकार के उच्च दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाहन किया है जैसे कि, महाप्रबंधक (कार्मिक–औ.सं. एवं भर्ती), सीसीएल; सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन), ईआईएल तथा वरीय प्रबंधक (मानव संसाधन), एनएचपीसी। इन्होंने खाल्लीकोट कॉलेज, बेहरामपुर, ओडिसा से भौतिक शास्त्र में स्नातक किया और स्नात्तकोत्तर की उपाधि कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध और श्रमिक कल्याण में प्राप्त की। श्री महापात्र ने एचआर कार्यो के कई क्षेत्रों, लाइजन और कॉर्डिनेशन को बखूबी संभाला है। एनएचपीसी, ईआईएल और सीसीएल, राँची में कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्पादक कार्य संस्कृति की शुरूआत की। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कार्य करने के दौरान इन्हें मानव संसाधन, राजभाषा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कार प्रदान किया गया है।

श्री महापात्र ने जून, 2015 से निदेशक (कार्मिक) के पद पर रहते हुये औद्योगिक सम्बन्ध, कल्याण एवं निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में अपनी पहल के कारण मानव संसाधन कार्यों में एक आदर्श परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से कम्पनी की

छवि काफी अच्छी हुई है तथा कम्पनी को ख्याति प्राप्त हुआ है। इन्होंने कोल इण्डिया द्वारा प्रायोजित "एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एण्ड ऑर्गनाइजेशनल कल्चर" पर आधारित उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम में जर्मनी तथा स्वीडन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

मानव संसाधन एवं निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में इनके सक्षम मार्ग दर्शन एवं योगदान के कारण, सीसीएल को ग्रीनटेक फाउन्डेशन के द्वारा नियुक्ति में नई पहल के लिए – ग्रीनटेक एचआर गोल्ड अवार्ड, "एक्सीलेंस इन सीएसआर" अवार्ड तथा "एचआर एण्ड लीडरशिप अवार्ड" 2016 दिया गया है।

श्री महापात्र उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में विशेष रूची रखते हैं। ये प्रशासन को दायित्वपूर्ण और समाज की जरूरतों एवं आशा के अनुरूप बनने के लिए समर्पित रूप से सुधार के कार्य करते रहे हैं। पारदर्शिता एवं नेतृत्व और टीमवर्क में विश्वास इनकी विशेष योग्यता है।

श्री सुबीर चन्द्रा : निदेशक (तकनीकी – संचालन)

श्री सुबीर चन्द्रा, दिनांक 09.06.2015 से सीसीएल के निदेशक (तक./संचालन) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से 1979 में खनन अभियांत्रिकी की उपाधि प्राप्त की और ईसीएल में बंकोला क्षेत्र की मोइरा कोलियरी में जेट के पद पर स्थापित हुए। 1985 में इन्होंने अपना एम. टेक. खुली खदान खनन पर किया। वर्ष 2002 में परियोजना अधिकारी के रूप में इनका स्थानान्तरण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नागपुर क्षेत्र में हुआ। जनवरी, 2008 तक इन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को अपनी सेवाएं दीं और इसके बाद इनका स्थानान्तरण एमसीएल के ईब घाटी क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में हुआ। निदेशक (तक./परि. एवं यो.) के रूप में पदोन्नति से पहले वे एमसीएल के लिंगराज क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर रहे।

प्रारंभिक दौर में श्री चन्द्रा को सेमी–मेकनाइज्ड और लोडरलेस भूमिगत खदान के साथ–साथ बड़े खुली खदानों का वृहद अनुभव प्राप्त हुआ। इन्हें भूमिगत एवं बड़ी खानों के स्टेट–ऑफ–आर्ट तकनीक के साथ संचालन का पर्याप्त मौका मिला है।

निदेशक (तक./परि. एवं यो.) के रूप में इनके ऊपर कई महत्वपूर्ण विभागों का भार है जिसकी भूमिका सीआइएल द्वारा 2019–20 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने में महत्वपूर्ण है।

श्री चन्द्रा ने निदेशक (तक./परि. एवं यो.) के पदभार से विमुक्त होकर निदेशक (तक./सं.) का पदभार 30.09.2016 को ग्रहण किया। ये दिनांक 31.08.2015 से 30.09.2016 तक जेसीआरएल के अध्यक्ष भी रहे।

ये मृदु स्वभाव के हैं और निर्णय में दृढ़ हैं। ये अत्यंत उत्साही स्वभाव के एवं खनन समस्याओं को सुलझाने में आत्मविश्वास से भरपूर हैं।

अंशकालिक/नामित निदेशक

श्री आर. पी. गुप्ता, आईएएस : सरकार नामित निदेशक

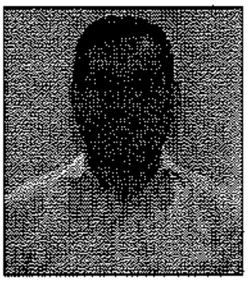

श्री आर. पी. गुप्ता 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने आईआईटी (कानपुर) से एरानॉटिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं जिनमें शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव का पद शामिल है। इनके सेवाकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

(क) गाँव और भूमि पार्सल नक्शे सहित भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेश और जियोस्पेटियल इमेजरी के साथ मिलान, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण गुजरात में आधुनिक तकनीक से दोबारा सर्वे की शुरूआत हुई।

(ख) गुजरात के 35,000 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के वार्षिक आकलन का संप्रत्ययीकरण कर लागू किया गया। कम्प्यूटराइज्ड और त्वरित प्रणाली से सिर्फ एक माह मे दस हजार शिक्षकों की पारदर्शी नियुक्ति पूर्णरूपेण से मेधा के आधार पर हुई।

(ग) लोक वितरण प्रणाली में मासिक बायो–मेट्रिक जाँच प्रणाली पूरे राज्य में लागू की गई। इन्होंने 15.04.2015 के प्रभाव से कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया। ये सीसीएल बोर्ड और साथ–ही–साथ इसके उप समितियों के प्रमुख सदस्य हैं। श्री आर. पी. गुप्ता, नावाडको का प्रबंध निदेशक नियुक्त किये जाने के पश्चात् दिनांक 09.08.2017 के प्रभाव से सीसीएल के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री आशीष उपाध्याय, आईएएस : सरकार नामित निदेशक

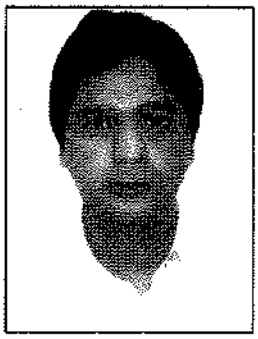

श्री आशीष उपाध्याय 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। संत जॉन कॉलेज, आगरा से मध्यकालीन भारतीस इतिहास में स्नातकोत्तर करने के पश्चात् इन्होंने सिविल सेवा में योगदान दिया तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार में 28 वर्षों से अधिक अवधि तक विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं जिसमें अनुपुर, शाहडोल तथा उमरिया के कोयला धारित क्षेत्रों में अतिरिक्त जिला समाहर्ता के रूप में कार्य अवधि शामिल है। ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में पाँच वर्षों के अधिक समय के लिए समाहर्ता रहे हैं।

इन्होंने राज्य स्तर पर सचिव तथा मुख्य सचिव के रूप में विभिन्न विभागों जिनमें गृह, उच्चशिक्षा तथा वित्त शामिल हैं, कई वर्षों तक अपनी सेवा प्रदान की हैं।

ये अकादमिक रूझान वाले व्यक्ति हैं तथा सेवा में रहते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्ति जारी रखी तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं कानून (एलएलबी) की शिक्षा पूरी की। इन्होंने सिराकस विश्वविद्यालय, यूएसए के अंतर्गत मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशीप से पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी पूरा किया।

ये 01 फरवरी, 2018 से कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा इन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2018 से सीसीएल बोर्ड में नामित किया गया है। संयुक्त सचिव, कोयला के रूप में कार्य करते हुए, कोयले के अवैध खनन के खतरे को रोकने हेतु स्पेस तकनीक के अनुप्रयोग द्वारा प्रणाली विकसित करने में, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री चंदन कुमार डे : निदेशक (वित्त), सीआईएल

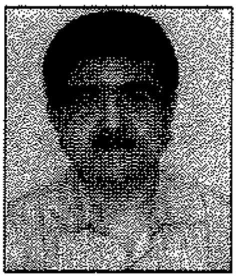

श्री चंदन कुमार डे, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म 10 सितम्बर 1958 को कोलकाता में हुआ था। 1 मार्च 2015 को कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ने से पहले श्री डे इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में 1.02.2013 से 28.02.15 तक अपनी सेवाएं दी।

श्री डे ने 1975 में केन्द्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1978 में अकाउंटंसी (ऑनर्स) के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की, श्री डे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कॉस्ट अकाउंटेंट हैं।

श्री डे के पास 34 से अधिक वर्षों का वृहत अनुभव है और वह लॉवलॉक एवं लुईस, डनलप इंडिया लिमिटेड, निक्को समूह, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में कार्यरत रहे।

अपने पेशेवर कार्यकाल के दौरान श्री डे ने लेखा, ट्रेजरी, कराधान और आंतरिक लेखापरीक्षा आदि कार्यों का नेतृत्व किया तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में योगदान दिया। श्री डे ने 3 वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम स्थित बामर एवं लॉरी (यू. के.) लिमिटेड के संचालन का भी नेतृत्व मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में किया। श्री डे आधिकारिक कार्य से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, यू.एस.ए., हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और मध्य एशियाई गणराज्य जैसे भारत तथा विदेशों की बड़े पैमाने पर यात्राएँ की है।

श्री चंदन कुमार डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल को सीसीएल बोर्ड के नामांकित अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 19.09.2017 से 19.03.2018 तक श्री आर मोहन दास, पूर्व निदेशक (कार्मिक), सीआईएल के स्थान पर नियुक्त किया गया।

श्री आर. पी. श्रीवास्तव : निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीआईएल नामित निदेशक

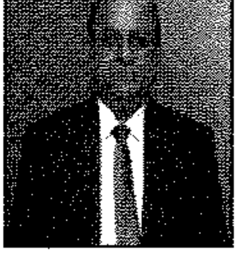

श्री आर. पी. श्रीवास्तव ने 31.01.2018 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) का प्रभार ग्रहण किया। इससे पहले वे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के कार्मिक निदेशालय में कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट सेवा) रहे। भारत के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक एमडीआई गुड़गाँव से उन्होंने प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया।

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से चयनित होने के पश्चात श्री आर. पी. श्रीवास्तव ने अपने पेशेवर कैरियर की शुरूआत विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग में प्रबंधन प्रशिक्षु (प्रशासन) के रूप में 34 साल पहले की।

आरआईएनएल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, उन्हें मानव संसाधन के कई कार्यों के कार्यान्वयन की क्रियान्वयन का श्रेय दिया जाता है। ये संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों में व्यवस्थित प्रशासन हेतु संगठनात्मक आवश्यकताओं और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। श्री श्रीवास्तव ने सदैव कोशिश की कि आरआईएनएल के कर्मचारियों को सुखकर वातावरण मिले, साथ उनके विकास के लिए कार्मिक नीतियों को अद्यतन करने और सूत्रित करने का प्रयास तो किया ही, साथ ही साथ संगठन हित को भी ध्यान में रखा।

ये अधिगम एवं विकास अवधारणा में विशेषज्ञ हैं तथा आरआईएनएल/वीएसपी में ज्ञान प्रबंधन एवं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा के अग्रदूत हैं। उन्होंने एचआर योजना, भर्ती और चयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास, राजभाषा कार्यान्वयन, औद्योगिक संबंध, मजदूरी और वेतन प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुख्य रूप से कर्मचारियों के बीच वांछित मानसिकता को उत्पन्न करने के लिए कई तदनुकूल संचार अभ्यास और विश्सास विनिर्माण युक्तियों/सूत्रों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कंपनी में नाटकीय बदलाव आया।

सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व, स्वच्छ भारत, सामरिक प्रबंधन मुद्दे, शहरी प्रबंधन, भूमि और संपत्ति मामले, विस्थापित व्यक्तियों (परियोजना प्रभावित व्यक्तियों) के कल्याण, अध्यक्षीय आदेशों के कार्यान्वयन और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका समर्पित योगदान रहा है।

श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (का./औ.सं.), सीआईएल को सीसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री चन्दन कुमार डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल के स्थान पर दिनांक 19.02.2018 के प्रभाव से नियुक्त किया गया।

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री भारत भूषण गोयल

श्री भारत भूषण गोयल, भूतपूर्व नौकरशाह हैं जो 30 जून, 2015 में अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (कॉस्ट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए।

27 जून, 1955 में पंजाब के संगरूर में जन्में, इन्होंने कॉमर्स में स्नातक करके अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और एआईएमए और डीएमए के आजीवन सदस्य हैं। इन्होंने स्ट्रेथक्लिड विश्वविद्यालय, यू. के., इन्टरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, यूएसए और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बैंगलोर से विशेष प्रशिक्षण लिया है।

इन्हें भारत सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 41 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। भारत सरकार में इन्होंने विभिन्न मंत्रालय/विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है जिसमें वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर्स, उद्योग, रसायन एवं खाद्य इत्यादि प्रमुख हैं।

वर्तमान में श्री गोयल रामागुडम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर तथा आई. सी. ए. आई. के मैनेजमेंट अकाउन्टिंग रिसर्च फाउन्डेशन में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न कार्यों को संभाल रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय रेलवे में प्रदर्शन लागत प्रणाली को तैयार करना है।

इनके पास पब्लिक पॉलिसी, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट मूल्यांकन, विनिवेश, लागत-लाभ विश्लेषण, व्यवसाय पुनर्गठन, प्रभावी नियामक परिदृश्य, लागत प्रबंधन, उत्पादक मूल्य निर्धारण, जोखिम आधारित अंकेक्षण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आदि वृहद क्षेत्रों में व्यवसायिक विशेषज्ञता है।

ये कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था/कमिटी के अध्यक्ष/सदस्य रह चुके हैं और कई कंपनियों, संस्थाओं और स्वायत्त संगठनों के बोर्ड सदस्य रहें जहाँ इन्होंने मूल्यवान योगदान दिया।

इन्होंने विभिन्न समसामायिकी विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर पेपर/वक्तव्य दिये हैं। ये कई शीर्षस्थ बी-स्कूलों, व्यवसायिक संस्थाओं, अकादमिक संस्थाओं, शोध संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत के साथ प्राध्यापक/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े रहे हैं।

श्री अशोक गुप्ता

श्री अशोक गुप्ता का जन्म 29 जनवरी, 1957 को हुआ। उन्होंने 1977 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ऑनर्स के साथ कॉमर्स ग्रेजुएशन किया। श्री गुप्ता ने 1980 में सीए परीक्षा में देश के मेधा सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर सफलता पाई और इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेम्बर बने।

सीए अशोक गुप्ता के पास कर–निर्धारण, अंकेक्षण, लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, कानून शिक्षा तथा रणनीतिक योजना व व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्रों में 35 वर्षों के कार्य का अनुभव प्राप्त है।

श्री अशोक गुप्ता ने अपने कैरियर की शुरूआत अशोक प्रवीण एण्ड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंटस में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के रूप में 1981 से की और अब तक जुड़े हैं। ये कई बैंकों एवं बीमा कंपनियों में सांविधिक अंकेक्षक हैं।

श्री गुप्ता, इंडियन बैंक के अप्रशासकीय निदेशक एवं सरकारी नामित के तौर पर विजया बैंक में थे। श्री गुप्ता ने विशेष निदेशक (बीआईएफआर नामित) के रूप में सीआईएमएमसीओ लिमिटेड और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को अपनी सेवा दी है।

स्थाई आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा : मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे

श्री एस. के. वर्णवाल : सचिव (खान एवं भूगर्भ), झारखंड सरकार

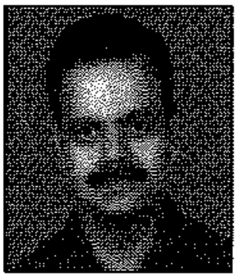

परिशिष्ट –II

एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सेवा में

सदस्यगण
मेसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
राँची

1. हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी दी गई विवरणी की जाँच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद–49 कम्पनी में लागू नहीं होता है। यह कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।

2. कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जाँच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जाँच तक ही सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है इस अपवाद के साथ कि, कम्पनी के निदेशकमंडल में किसी भी महिला निदेशक की नियुक्ति हुई है।

4. हम पुनः यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन कम्पनी की भावी सक्षमता का न तो कोइ आश्वासन है और न यह दक्षता या प्रभावीकरण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया।

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजीकृत संख्या : 302206ई)
ह./–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
सदस्य सं. : 52722

स्थान – राँची

दिनांक – 26 मई, 2018

परिशिष्ट – III

फार्म सं–एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवदेन

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 क सेक्शन 204 (1) और
कम्पनी के नियुक्ति और क्षतिपूर्ति कार्मिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस, राँची
झारखण्ड

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के सुनिगमित कार्यप्रणाली के अनुशीलन और लागू संविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई कि हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की देख–रेख में बही–खाते, कागजात,मिनट बुक्स,फार्म और दाखिल रिटर्न एवं अन्य रिकॉर्ड और उसके अधिकारियों,एजेंटों एवं सक्षम प्रतिनिधियों सचिवीय अंकेक्षण के दौरान द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर,हमने उसका सत्यापन किया और इन सब पर आधारित हम अपनी राय व्यक्त करते हैं कि 31 मार्च,2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों अनुपालन किया है और कंपनी के पास एक प्रकार से,एक सीमा तक उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएं एवं अनुपालन–तंत्र स्थान पर है और जिन्हें आगे की रिपोर्ट में विवृत किया जाएगा।

हमने सीसीएल के बही–खाते,कागजात,मिनट बुक्स, फॉर्मो और दाखिल रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की देख रेख में 31 मार्च ,2018 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए जांच किया है जो प्रावधानों के अंतर्गत है रू

1. कंपनी अधिनियम,2013 तथा अधीन नियम ।
2. भारत की कंपनी सचिवों की संस्थान(आइसीएसआई) द्वारा जारी बोर्ड बैठकों के सचिवीय मानक,सामान्य बैठकों और जारी लाभांश ।
3. प्रतिभूति अनुबंध(विनियमन) अधिनियम,1956(एससीआरए) और अधीन बनाए गए नियम ।
4. लोक उपक्रम विभाग,भारत सरकार के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देश।
5. अनुलग्नक 1 के साथ संलग्न लागू नियमों की सूची;
6. बोर्ड के गठन के लिए कोयला मंत्रालय,भारत सरकार की अधिसूचना।
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी एक्ट) के तहत निम्नलिखित शर्तें एवं दिशा निर्देश जारी किया गया है।

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) अधिनियम, 2011 ।

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग) अधिनियम, 1992।

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(इश्यू आफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम, 2009 ।

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एम्पलाई स्टॉक ऑक्शन स्कीम एंड एम्पलाई स्टॉक परचेज स्कीम) दिशा निर्देश 1999 संशोधित/उसका पुनर्अधिनियमन।

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू एंड लिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज) अधिनियम 2008

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्टर्ड इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) अधिनियम 1993 कंपनी अधिनियम के संबंध में तथा वित्तीय वर्ष के समीक्षा के दौरान ग्रह के साथ व्यवहार।

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) अधिनियम 2009

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज) अधिनियम 1998

संस्था के अंतर्नियम की उपधारा 4 के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 2 (71) के अंतर्गत एक पब्लिक कंपनी है अतः पब्लिक कंपनी के सभी प्रावधान इस पर लागू हैं .

कंपनी में चार सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. कोल इंडिया लिमिटेड

2. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड

3. अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड

4. निदेशक(कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध), कोल इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निगमित प्रशासन पर दिशा–निर्देशानुसार कंपनी के बोर्ड में 5 कार्यकारी निदेशकगण, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में दो अंशकालिक निदेशकगण तथा 5 और प्रशासकीय निदेशकगण होते हैं ,इस प्रकार कुल निदेशकों की संख्या 12 है और दो स्थाई आमंत्रित सदस्य, एक पूर्व–मध्य रेलवे और एक अन्य सचिव,खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार से है ।

वित्तीय वर्ष 2017– 18 की समाप्ति तक, 8 निदेशकगणों बोर्ड से बोर्ड गठित हुआ है, संयोजन निम्नलिखित हैं :

कार्यकारी	:	4
अप्रशासकीय अंशकालिक	:	2
कार्यकारी अंशकालिक	:	2
कुल	:	8

केंद्रीय सार्वजानिक लोक उपक्रमों हेतु निगमित प्रशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों,2010 के अनुसार बोर्ड में अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकों की संख्या वास्तविक संख्या बल का कम से कम एक तिहाई होना चाहिए। कंपनी को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की आवश्यकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए ।

बोर्ड मीटिंग्स को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है । बही–खाते के हमारी जांच के दौरान ,हमने यह देखा कि टेबल एजेंडा का आदान प्रदान हुआ ,जो बैठकों में बोर्ड सदस्यों की सार्थक भागीदारी को प्रभावित कर सकता हैं। हालांकि ऐसे एजेंडा मदों की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली पहले मौजूद है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय, सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्तावों सहित, बहुमत के आधार पर किया गया, और असहमत सदस्यों के विचारों को, अगर हो तो, मिनट्स के रूप में दर्ज किया गया ।

वर्ष 2017 –18 की वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 101(1)में निर्दिष्ट की तुलना में कम समय पर सदस्यों से ली गई सहमति से किया गया।

धारा 134 (एफ) (पप) के अनुसार, निदेशकीय रिपोर्ट में बोर्ड द्वारा दिए गए योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां कंपनी सचिव की अपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में होनी चाहिए । जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया कि निदेशकीय रिपोर्ट में सचिव लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर अनजाने में प्रतिवेदित नहीं किया गया हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा–निर्देशों के प्रावधानों आदि का पालन किया है,

उपरोक्त वर्णित विषयों में निम्नलिखित अवलोकनओं किया गया :

1. कंपनी की लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी एवंम रिकॉर्ड्स की परीक्षा के आधार पर कंपनी के आकार और संरचना के अनुरूप प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2. प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

3. वर्ष के दौरान कंपनी से सीएसआर गतिविधियों के लिए 55.64 करोड़ रुपए खर्च करने की अपेक्षा थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में वास्तविक सीएसआर खर्च 45.6 8 करोड़ रुपए बुक किया गया। सीएसआर गतिविधियों के मद में कुल 9.96 करोड़ रुपए की राशि अव्ययित है।

4. वित्तीय वर्ष 2015 –16 और 2016– 17 के लिए कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 135 जिसे धारा 134(3) से साथ पढ़ा जाए,के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी अधि िनियम,2013 की धारा 103 के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम,2014 पढ़े।

कृते प्रतिमा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स

ह./–

(प्रतिमा खंडेलवाल)

(कार्यरत कंपनी सचिव)

संचालक

एफ. सी. एस. नं. : 7194

सी. पी. नं. : 3973

स्थान : जयपुर

दिनांक : 07/07/2018

सचिवालयीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अनुलग्नक – 1

1. माइन्स अधिनियम, 1952
2. माइन्स कंसेशन रूल, 1960
3. माइन्स रूल्स 1955
4. कोल माइन्स रेगुलेशंस 1957
5. कोल माइन्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1674
6. द माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985
7. दी माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966
8. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956
9. द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884
10. एक्सप्लोसिव रूल्स 2008
11 कोल माइन्स पेंशन स्कीम 1998
12 पेमेंट ऑफ वेजेस (माइन्स) रूल्स 1956
13 कोल माइन्स प्रोविडेंट मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948
14. माइन्स एंड मिनिरल्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 1957
15 माइन्स (पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्रेक्टस) रूल्स 19 54
16. पेमेंट ऑफ अंधविश्वास वेजेस (माइन्स) रूल्स 1989
17. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) एंड जूनियर सर्वे रिक्रूटमेंट रूल्स 1990
18. द कॉल माइन्स पिट हेड बात रूल्स 1959
19. माइन्स क्रेचीज रूल्स 1966
20 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिशियन रिक्रूटमेंट रूल्स 1990
21 मेटरनिटी बेनिफिट रूल्स 1963
22 कोकिंग कोल माइन्स नेशनल नेशनलाइजेशन एक्ट 1972
23 कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1973
24 कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1993
25 द कोल माइन्स टेकिंग ओवर मैनेजमेंट एक्ट 1973
26 द कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजंस सेकंड ऑर्डिनेंस 2014
27 द कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजंस रूल्स 2014
28 द कोल वेयरिंग एरियाज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957

29 द कोल माइन्स नेशनलाइजेशन प्रोविडेंट फंड पेंशन वेलफेयर रूल्स 1978

30 मेटालीफेरस माइन्स रेगुलेशंस 1961

31 माइनिंग लीजेज (मोडिफिकेशन ऑफ टर्म्स) रूल्स 2012

132 ऑक्शन बाई कंपीटेटिव मीनिंग ऑफ कोल माइन्स रूल्स 1956

33 कोल माइन्स एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 1973

34 द एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986

35 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947

36 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936

37 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926

38 वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923

39 हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स रूल्स 2008

40 जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974

41 वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981

42 फैक्ट्री एक्ट 1948

43 द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948

44 द एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948

45 द इंप्लाइज प्रोविडेंटफंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952

46 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965

47 द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972

48 द कांट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986

49 द इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946

50 द एम्पलाइज कंपनसेशन 1923

51 द अप्रेंटिस एक्ट 1961

52 द इक्वल रैम्यूनरेशन 1976

53 कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर 2000

54 कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2004

55 सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ (विमेन एक्ट वर्क प्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिवीशन एंड रिड्रेस्ड) एक्ट 2013

परिशिष्ट – 2

सेवा में,

सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

समसामयिक तिथि के हमारे रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए –

1. सचिवीय अभिलेख के रख–रखाव की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकार्ड्स के अंकेक्षण के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण कार्यों एव विधियों का अनुसरण किया है। टेस्ट बेसिस के आधार पर जाँच की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का समावेश हो सके। हमें यह विश्वास है कि जिन प्रक्रिया एवं प्रथाओं को अनुसरण किया गया है, वह हमारे विचारों को संगत आधार देता है।

3. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स की सत्यता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के अनुपालन के संबद्ध प्रबंधन प्रतिनिधित्व को भी प्राप्त किया है।

5. निगम के शर्तों का अनुपालन तथा अन्य दूसरे लागू होने वाले कानून, नियम एवं अधिनियम, मानकों, ये सभी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जाँच के कार्य तक सीमित था।

6. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है।

कृते प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स
ह./–
(प्रतिभा खंडेलवाल)
(कार्यरत कंपनी सचिव)
संचालक
एफ. सी. एस. नं. : 7194
सी. पी. नं. : 3973

स्थान : जयपुर

दिनांक : 07/07/2018

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकन के प्रबंधन का जवाब

कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 204 के अनुसार मेसर्स प्रतिमा खंडेलवाल और एसोसिएट्स को सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड,रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। मेसर्स प्रतिभा खंडेलवाल एंड एसोसिएट्स द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन सन्दर्भ में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,रांची प्रबंधन का निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:

क्रम सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1	ऑडिट के दौरान प्राप्त जानकारी और रिकॉर्ड्स की जांच के आधार पर, कंपनी के आकार और संचालनों के अनुरूप सिस्टम और प्रक्रियाओं और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।	टिप्पणी की प्रकृति पूर्णरूपेण सामान्यीकृत है और अंकेक्षण के दौरान प्राप्त किसी भी पुष्टित्मक साक्ष्य/उदाहरणों के साथ समर्थित नहीं है और न ही किसी भी अंकेक्षक निष्कर्ष का उल्लेख किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में यह टिपण्णी की गई है। हालांकि, प्रबंधन हमेशा बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और सिस्टम और प्रक्रियाओं का आकलन और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।
2	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है। सीसीएल बोर्ड में महिला निदेशक नामांकित करने के लिए सीसीएल ने कोयला मंत्रालय को एक पत्र भेजा है।
3	कंपनी को साल के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रु 55.64 करोड़ व्यय करना था । हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 में सीएसआर का वास्तविक व्यय रु 45.68 करोड़ रुपये है. सीएसआर गतिविधियों के लिए रु 9.96 करोड़ की राशि अभी भी अव्ययित है	वर्ष 2017–18 के लिए सीसीएल सीएसआर बजट रु. 55.80 करोड़ था. जिसमे से वित्त वर्ष 2017–18 का वास्तविक सीएसआर व्यय रु 45.68 करोड़ रहा. हालांकि, शेष सीएसआर फंड के रु 9.12 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2017–18 में सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध और प्रमाणित किए गए हैं जो आगामी वर्षों में लागू किए जाएंगे। कई परियोजनाएं अभी चल रही हैं और व्यय 2018–19 तक पूरी होने की संभावना है।
4	कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी द्वारा धारा 134 (3) के साथ पढ़ी गई धारा 135 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी द्वारा एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त किया गया है, जो वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए कंपनीज (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के साथ पढ़ा गया है।	शो नोटिस आरओसी द्वारा पत्र संख्या के माध्यम से जारी किया गया था। सीसीएल द्वारा धारा 134 (3) के साथ पढ़े गए धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए 23.02.2018 दिनांकित आरओसी/ए/सीएसआर/206/07/954। इस संबंध में, आरओसी को पत्र संख्या के माध्यम से एक उत्तर प्रस्तुत किया गया है। सीएस/सीसीएल/आरओसी/2018/491, दिनांक 28.03.2018 को वित्त वर्ष 2016–17 के लिए सीसीएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक IX को पृष्ठ संख्या 9 से 103 तक और पृष्ठ संख्या से अनुलग्नक–आईएक्स संलग्न किया गया। धारा 134 (3) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों के तहत आवश्यक सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण के रूप में 121 से 125. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए सीएसआर पर व्यय का विवरण कारणों से प्रस्तुत किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए व्यय की राशि के लिए।

परिशिष्ट – IV

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों, अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 6 जून 2018 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से साविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हांकित करना चाहती हूं जो मेरे ध्यान में आए और मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टकी बेहतर समझ को विकसित करने में आवश्यक है :

ए. लाभकारिता पर टिप्पणी

लाभ और हानि का विवरण

प्रावधान (नोट–33)– रूपये 237.33 करोड़

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को पारस्परिक सहमत मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एमओयू, अन्यवस्तुषु, निर्दिष्ट ऐश कंटेंट के साथ धुले कोकिंग कोयले की बेस कीमत 5,780 प्रति टन निर्धारित की गई। हालांकि, जनवरी 2017 में, एमओयू की शर्तों को नजरंदाज कर सीसीएल ने,14 जनवरी 2017 के बाद से धुले कोकिंग कोयले की बेस कीमत 5,780 रुपये से 11,500 रुपये प्रति टन की एकतरफा बढ़ोतरी कर दी और वर्धित दर पर सेल्स बिल भी जारी किया जबकि एमओयू की वैद्यता 31 मार्च 2017 तक थी . सेल ने इस पर विवाद किया और वर्धित दर के सेल्स बिलों को स्वीकार नहीं किया। 14 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए कोयले की दर में अंतर के कारण विवादित राशि 126.16 करोड़ रुपये है {यानी रुपये 5,720 रुपये प्रति टन (रुपये 11,500 रुपये – 5,780 रुपये) X कुल मात्रा, यानी 2,20,569.12 टन}।

भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 18 – "राजस्व", अन्यवस्तुषु, यदि राजस्व के रूप में बुक राशि की संग्रहणयता के विषय में यदि अनिश्चितता है, तो असंग्रहीत राशि व्यय के रूप में जानी जाती है। चूंकि सेल ने सीसीएल के दावों पर विवाद किया और वर्धित दर पर भुगतान करने हेतु सहमत नहीं था, इसलिए राजस्व के रूप में बुक की गई राशि की संग्रहनीयता के संबंध में अनिश्चितता का एक तत्व है जो कि उच्च दर पर राजस्व के रूप में बुक किया गया है जिसे एमओयू दर से होना चाहिए था ।

संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप संदेहजनक ऋण के प्रावधान में अंडर स्टेटमेंट और व्यापार प्राप्य के मद में 126.16 करोड़ रुपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ। नतीजतन, 'वर्ष के लिए लाभ' उक्त राशि से ज्यादा दिखाया गया है।

बी. स्वतंत्र अंकेक्षक का प्रतिवेदन

आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के दिशानिर्देश नोट के पैरा 43(जी) के अनुसार, विरोध के तहत जमा वैधानिक बकाया राशि की विवादित राशि का तथ्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लाया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि सीसीएल ने वैधानिक बकाया (बिक्री कर और 297.57 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क, 34.48 करोड़ रुपये की रॉयल्टी और 500.85 करोड़ रुपये का आयकर) की विवादित मांग के कारण 832.90 करोड़ रुपये जमा किए। हालांकि, इस तथ्य को लेखा परीक्षकों द्वारा उनके स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में सूचित नहीं किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उपरोक्त सीमा तक है।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
ह./–
(रीना साहा)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – ।। कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 जुलाई, 2018

परिशिष्ट - IV

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा 6 जून 2018 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की । यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्ष कों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हांकित करना चाहती हूं जो मेरे ध्यान में आए और मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ को विकसित करने में आवश्यक है :

ए. लाभकारिता पर टिप्पणी

लाभ और हानि का विवरण

प्रावधान (नोट–33)– रूपये 237.33 करोड़

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को पारस्परिक सहमत मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष2016–17 के लिए एमओयू, अन्यवस्तुषु, निर्दिष्ट ऐश कंटेंट के साथ धुले कोकिंग कोयले की बेसकीमत 5,780 प्रति टन निर्धारित की गई। हालांकि, जनवरी 2017 में, एमओयू की शर्तों को नजरंदाज कर सीसीएल ने,14 जनवरी 2017 के बाद से धुले कोकिंग कोयले की बेस कीमत 5,780 रुपये से 11,500 रुपये प्रति टन की एकतरफा बढ़ोतरी कर दी और वर्धित दर पर सेल्स बिल भी जारी किया जबकि एमओयू की वैद्यता 31 मार्च 2017तक थी . सेल ने इस पर विवाद किया और वर्धित दर के सेल्स बिलों को स्वीकार नहीं किया। 14 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए कोयले की दर में अंतर के कारण विवादित राशि 126.16 करोड़ रुपये है {यानी रुपये 5,720 रुपये प्रति टन (रुपये 11,500 रुपये – 5,780 रुपये) X कुल मात्रा, यानी 2,20,569.12 टन}।

भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 18 – "राजस्व", अन्यवस्तुषु, यदि राजस्व के रूप में बुक राशि की संग्रहणयता के विषय में यदि अनिश्चितता है, तो असंग्रहीतराशि व्यय के रूप में जानी जाती है। चूंकि सेल ने सीसीएल के दावों पर विवाद किया और वर्धित दर पर भुगतान करने हेतु सहमत नहीं था, इसलिए राजस्व के रूप में बुक की गई राशि की संग्रहनीयता के संबंध में अनिश्चितता का एक तत्व है जो किउच्च्य दर पर राजस्व के रूप में बुक किया गया है जिसेएमओयू दर से होना चाहिए था ।

संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप संदेहजनक ऋण के प्रावधान में अंडर स्टेटमेंट और व्यापार प्राप्य के मद में 126.16 करोड़ रुपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ। नतीजतन, 'वर्ष के लिए लाभ' उक्त राशि से ज्यादा दिखाया गया है।

कृते एवं की ओर से,
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
ह./–
(रीना साहा)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – II कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 जुलाई, 2018

निदेशकीय प्रतिवेदन के अंश के रूप में परिशिष्ट

(31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु)

परिशिष्ट - V

चैप्टर XII के अनुसरण में नियम – 5 प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अन्तर्गत सूचना

वर्ष 2017–18 के दौरान 01.02 करोड़ (एक करोड़ दो लाख रूपए) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची*

क्र. सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2017–18) के किसी भाग में 8.50 लाख रु.* (आठ लाख पचास हजार रु.) प्रतिमाह की दर से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया

क्र. सं.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप – कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए 2015–16 में उठाये गये कदम और उनका प्रभाव

क. विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं :

ए. अधिकतम मांग में कमी लाने के लिए लोड प्वायंटों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना।

बी. सतह पर सीधे प्रवाह के लिए बहु स्तरीय पंपिंग के जगह एकल स्तरीय पंपिंग का उपयोग।

सी. पारंपरिक लाइटों की जगह एलइडी लाइटों का प्रयोग।

डी. पुराने और अपलिखित विद्युतीय उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों का (5 स्टार रेटिंग) का उपयोग।

ख. इसका प्रभाव :

उपरोक्त तरीकों को अपनाने से –

ए. हमलोग विशिष्ट ऊर्जा खपत की कमी की प्रवृति को लगातार बरकरार रखे हुए हैं।

बी. डीवीसी वितरण के रिसिविंग प्वायंट पर पावर फैक्टर में सुधार। इसकी वजह से क्षेत्रों में कार्यरत विद्युतीय उपकरणों की कार्यक्षमता और उनकी आयु में वृद्धि हुई है।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाये गये कदम

दिन में ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए छतों पर सौर–पैनल हरित ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु लगाए गए हैं। मेसर्स भेल (BHEL) ने सफलतापूर्वक 400 केडब्ल्यूपी के सौर–ऊर्जा संयंत्र को सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस के छत पर लगाया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट

कुल व्यय ₹ 2.19 करोड़ है।

परिशिष्ट – VII

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप–कंडिका 3(बी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

समावेशन (एब्जार्वशन) के संबद्ध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआई ही सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए आ एण्ड डी के कार्य केन्द्रीय रूप से करती है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	–
3.	भावी कार्य योजना	–
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	रू. 0.38 करोड़ (सीआईएल से प्राप्त डेबिट नोट के आधार पर)
	(क) पूंजी	–
	(ख) आवर्ती	–
	(ग) योग	–
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एण्ड डी खर्च	0.002 %

प्रोद्यौगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन

1.	प्रोद्यौगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्तन के संबंध में किए गए प्रयास	शून्य
2	उत्पादन गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी लाने उत्पाद विकास तथा आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण हुए लाभ	शून्य
3.	आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से शुरू करते हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में निम्नांकित सूचना दी जाए	
	(i) आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	शून्य
	(iii) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णतः अपना लिया गया है	शून्य
	यदि पूर्णतः नहीं अपनाया गया तो उन क्षेत्रों का नाम बताएं जहाँ इसे नहीं अपनाया गया है, इसका कारण एवं भावी योजना के वर्णन सहित	शून्य

परिशिष्ट – VIII

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत सूचना जिसे कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम 2014 के तहत सब–क्लाउज 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

विदेशी विनिमय आय और व्यय

(i)	निर्यात के संबंध में गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिये नये निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कम्पनी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं है

(ii) अर्जित/उपयोगित कुल विदेशी विनिमय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017 – 18	2016 – 17
(क)	उपयोग हो चुकी विदेशी विनिमय (मुद्रा)		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा/प्रशिक्षण खर्च	0.23	0.23
	योग	**0.23**	**0.23**

(ख) अर्जित विदेशी विनिमय : कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

परिशिष्ट – IX

सीएसआर कार्य–कलापों का अतिरिक्त अनावरण

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, कम्पनीज (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए]

1. सीसीएल सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

तेजी से बदलते हुए कार्पोरेट वातावरण एवं अत्यधिक संचालन स्वच्छंदता के परिवेश में कोल इंडिया ने सीएसआर को संपोषित विकास के लिए सामरिक उपकरण के तौर पर अपनाया है। सीएसआर एक व्यावसायिक पहुंच है जो कि सभी हितधारकों के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी लाभ के लिए संपोषित विकास में योगदान करता है। सीसीएल भारत सरकार का एक मिनीरत्न उपक्रम है एवं कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी ने उत्पादन, उत्पादकता, लाभ तथा लोगों की देखभाल के रूप में अर्थात 4 पी के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थापित करते हुए एक शानदार वापसी की है। झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त यह सबसे बड़ी खनन कंपनी है। सीसीएल के लिए सीएसआर सिर्फ सामाजिक गतिविधियों में पूंजीनिवेश करने का माध्यम नहीं है अपितु यह व्यवासायिक विधियों का सामाजिक उत्थान के साथ गठबंधन है। एक स्थाई सामाजिक पर्यावरण, व्यवसाय निवेश एवं आद्योगिक संचालन के लिए पूर्व अपेक्षित है जो कि सीसीएल के दृष्टि के रूप में बिल्कुल सटीक बैठती है।

व्यापार एवं उद्योग, सामाजिक विकास एवं सामाजिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए अस्तित्व में आए हैं। वे समाज से संसाधन प्राप्त कर धन–मान उत्पन्न करते हैं। इसलिए व्यवसाय और समाज अन्योनाश्रित है और व्यापार को समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करना चाहिए। एक स्थिर समाजिक वातावरण व्यापार, निवेश एवं औद्योगिक कार्यों के लिए पूर्व अपेक्षित है। अतः यह अपेक्षित है कि उद्योग समाज के विभिन्न समस्याओं का ख्याल रख कर ऐसा वातावरण बनायें। यह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) का दृढ़ निश्चय है।

सीसीएल का एक मिनीरत्न कम्पनी बनना उसके कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और झारखण्ड के लोगों के लिए "किसी सपने के सच होने" जैसा है – सीसीएल राज्य की सबसे बड़ी खनन कम्पनी है। कोयला खनन का संचालनात्मक क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण दशाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः सीसीएल की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए योगदान करे। इस उद्देश्य के साथ निगमित सामाजिक दायित्व का सीसीएल के कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समग्र विकास पर जोर तथा सीएसआर के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए खनन कार्य को सामाजिक रूप से सम्पोषित बनाना है।

इस पृष्ठभूमि में, एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में सीसीएल का ध्यान समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी के तरफ पूर्ण केन्द्रित हो जाता है और यह कम्पनी की दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य के रूप में अवतरित भी होती है।

सीसीएल सीएसआर का विजन

"प्रत्येक व्यक्ति और उद्यम के हित को अधिकतम करने हेतु व्यापार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को एकीकृत करना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, धारिता निर्माण के माध्यम से कौशल–विकास, पारदर्शिता बनाए रखना, सर्वोत्तम अनुशीलन के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित करना, संगठनात्मक निर्णयों/कार्यों के लिए उत्तरदायिता प्रोत्साहन और नैतिक कार्यमानकों को बनाए रखना"।

कोर मूल्य के विवरण (4सी)

- ग्राहक देखभाल
- पर्यावरण और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय
- कर्मचारियों के लिए देखभाल
- लागत चेतना

सीएसआर नीति के वेबलिंक का निर्देश

सीआईएल की सीएसआर नीति न्यू कम्पनीज एक्ट, 2013 निम्नलिखित लिंक पर पाया जा सकता है

https://www.coalindia.in/DesktopModules/DocumentList/documents/CIL_CSR_Policy_New_Companies_Act_2013_05022016.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचना

(क) श्री भारत भूषण गोयल, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत), डी/ओ व्यय, गैर–प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक

(ख) श्री अशोक गुप्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, गैर–प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक

(ग) श्री आर. पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीआईएल, सरकारी अंशकालिक निदेशक

(घ) श्री आर. एस. महापात्रो, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल

(ग) श्री अवध किशोर मिश्रा, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष	कर के पहले लाभ (करोड़ रू. में)
2014-15	2740.34
2015-16	3108.61
2016-17	2371.30
औसत शुद्ध लाभ	**2740.08**

4. वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% = ₹ 54.80 करोड़ (गणना के अनुसार)

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान खर्च किया गया निगमित सामाजिक उत्तरायित्व का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्ययित सकल राशि = ₹ 54.80 करोड़

(ख) अव्ययित राशि = ₹ 9.12 करोड़

(ग) सीएसआर पर व्ययित राशि = ₹ 45.6836 करोड़

6. विगत तीन वर्षों के कुल औसत लाभ की 2% राशि या उसके किसी भाग को व्यय नहीं करने का कारण

अव्ययित सीएसआर निधि का मुख्य कारण यह है कि बहुत सारी परियोजनाओं में कार्य चल रहा है एवं 2018–19 तक पूर्ण होने की संभावना है, अतः उक्त गतिविधियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 2017–18 में प्राप्त नहीं हो पाया। इस मुख्य कारण के अलावा अन्य कारण जैसे निविदा प्रक्रिया में देरी, भूमि समस्याएँ, जी.एस.टी. संबंधी एवं अन्य संबंधित मुद्दे।

7. सीएसआर समिति की जिम्मेदारी विवरण की, सीएसआर नीति के क्रियान्वयन एवं निगरानी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है

सीसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों का, इसकी क्रियान्वयन एवं निगरानी का संचालन कम्पनी की नीति एवं सीएसआर उद्देश्यों, कम्पनीज (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुपालन में किया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किस प्रकार राशि का व्यय की गई

(परिशिष्ट – बी)

तालिका – 1

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना / अभिज्ञात गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएँ / कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य / जिला जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–प्रमुख (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स (लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (लाख में)	व्यय राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम, 2013 की	झारखंड के राँची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़) में परिचालित इकाइयों (अरगडा, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, कथारा, उत्तरी कर्णपुरा) के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		37.48		प्रत्यक्ष
2.	नाली निर्माण		झारखंड में परिचालित इकाइयों (हजारीबाग और कथारा) के 25 किमी परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		8.36		प्रत्यक्ष
3.	झारखंड के 3 जिलों को शौच–मुक्त करने में झारखंड सरकार का सहयोग		झारखंड के राँची, बोकारो, हजारीबाग जिले		2145.00		राज्य सरकार (झारखंड)
4.	स्वच्छता अभियान		झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध–आम्रपाली, बरकाकाना, नईसराय) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		1.86		प्रत्यक्ष
5.	दुमका, देवघर में वृहत चिकित्सा शिविर	अनुसूची VII की मद संख्या (i) स्वास्थ्य सेवा (अनुसूची VII का मद सं.(i)	बोकारो एवं करगली क्षेत्र द्वारा दुमका, देवघर, झारखंड		21.27		प्रत्यक्ष
6.	सीएसआर औषधालय		झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध–आम्रपाली, बरकाकाना, नईसराय) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		28.55		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	नियमित/विशिष्ट स्वास्थ्य शिविर		झारखंड के रांची, चतररा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध–आम्रपाली, बरकाकाना, नईसराय) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		36.85		प्रत्यक्ष
8.	आर के मिशन के अंतर्गत टी.बी. आरोग्यशाला के आई केयर यूनिट में नेत्र जांच उपकरण का प्रावधान	अनुसूची VII की मद संख्या (i) स्वास्थ्य सेवा (अनुसूची VII का मद सं.(i)	तुपुदाना, रांची जिला, झारखंड		18.49		प्रत्यक्ष
9.	अलिम्को (ALIMCO) के माध्यम से कृत्रिम उपकरणों का प्रावधान		झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रजहरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध– आम्रपाली, बरकाकाना, नईसराय) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		18.89		अलिम्को (ALIMCO) के समन्वय के साथ प्रत्यक्ष रूप से
10.	कुपोषण केन्द्र का विस्तार		हजारीबाग जिला		6.42		राज्य सरकार (झारखंड)
11.	हैंड–पंप लगाना		झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (हजारीबाग, रजरप्पा, कुजू, उत्तरी कर्णपुरा, मगध–आम्रपाली) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		68.39		प्रत्यक्ष
12.	डीप और होल की ड्रिलिंग	पेय जल आपूर्ति (मद संख्या (i) अनुसूची (VII)	झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (कथारा, अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, हजारीबाग, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध–आम्रपाली) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		36.31		डी.सी., चतरा
13.	कुंआ का निर्माण		झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (बोकारो एवं करगली, ढोरी, कुजू, कथारा, पिपरवार, मगध–आम्रपाली) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		3.42		प्रत्यक्ष
14.	टैंकरों के माध्यम से पेयजल का प्रावधान		झारखंड के चतरा जिले के मगध– आम्रपाली क्षेत्र की परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		36.31		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पाइपलाइन बिछाना	पेय जल आपूर्ति (मद संख्या (i) अनुसूची (VII)	झारखंड के बोकारो जिले के कथारा क्षेत्र की परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वोल गाँवों में		3.42		प्रत्यक्ष
16.	वंचित बच्चों के लिए काया. कल्प पब्लिक स्कूल	शिक्षा (अनुसूची VII मद सं. (ii)	रांची जिला		8.48		प्रत्यक्ष
17.	स्कूलों/कॉलेजों में बुनियादी ढांचागत विकास		झारखंड के रांची, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ जिलों की परिचालित इकाइयों (मुख्यालय, अरगडा, बरका–सयाल, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		92.45		प्रत्यक्ष
18.	जरूरतमंद छात्रों के लिए शिक्षा और वित्तीय सहायता		चतरा और रांची जिला		8.49		प्रत्यक्ष
19.	सीसीसल के लाल/लाडली, मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की कोचिंग		झारखंड के सभी 24 जिलों में		145.63		प्रत्यक्ष
20.	युवाओं को पुस्तकों का प्रशिक्षण		रांची जिला		1.00		आर. के. मिशन
21.	सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण	आजीविका एवं कौशल विकास (अनुसूची VII मद सं.(ii)	झारखंड के बोकारो और रामगढ़ जिलों में परिचालित इकाइयों (बोकारो एवं करगली और कुजू क्षेत्र) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		3.70		प्रत्यक्ष
22.	ब्यूटिशियन ट्रेनिंग		झारखंड के रामगढ़ जिला में रजरप्पा क्षेत्र के परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		1.17		प्रत्यक्ष
23.	कम्प्युटर प्रशिक्षण		झारखंड के जिले रामगढ़ में बरका सयाल क्षेत्र की परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		1.50		प्रत्यक्ष
24.	विद्युतीय उपकरण और इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण		झारखंड के जिले रामगढ़ में परिचालित इकाइयों (रजरप्पा और कुजू क्षेत्र) के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		3.16		प्रत्यक्ष
25.	मोबाइल मरम्मति प्रशिक्षण		झारखंड के जिले रामगढ़ मे परिचालित इकाइयों (बरका सयाल और कुजू क्षेत्र) के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में		1.61		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण	आजीविका एवं कौशल विकास (अनुसूची VII मद सं.(ii)	झारखंड के बोकारो और रामगढ़ जिलों में परिचालित इकाइयों (बी एंड के और कुजू क्षेत्र) के 25 किमी परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		10.46		प्रत्यक्ष
27.	वृद्धाश्रम का विस्तारण	समाज कल्याण (अनुसूची VII मद सं (iii)	झारखंड के रांची और चतरा जिला		12.24		प्रत्यक्ष
28.	शांति सदन निराश्रित गृह के बुनियादी विकास हेतु सहायता		ओरमांझी ब्लॉक, रांची जिला झारखंड		4.13		प्रत्यक्ष
29.	पुनर्वास केन्द्र चलाना		झारखंड के चतरा जिले मे पिपरवार क्षेत्र की परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		8.74		प्रत्यक्ष
30.	अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण		झारखंड के रांची जिले में उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		0.53		प्रत्यक्ष
31.	तालाबों का निर्माण नवीनीकरण)	वन और पर्यावरण, पशु कल्याण इत्यादि (अनुसूची VII मद सं (iv)	झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिलों के कमान क्षेत्रों (अरगडा, बरका–सयाल, बोकारो एवं करगली, ढोरी, हजारीबाग, रजरप्पा, रज. हरा, कुजू, कथारा, पिपरवार, उत्तरी कर्णपुरा, मगध आम्रपाली, बरकाकाना, नईसराय) के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों के में		74.79		प्रत्यक्ष
32.	चेक डैम का निरीक्षण		झारखंड के चतरा जिले में मगध– आम्रपाली क्षेत्र की परिचालित इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		3.64		प्रत्यक्ष
33.	वृक्षारोपण		झारखंड के मुख्यालय, रांची और चतरा जिले में पिपरवार क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		10.13		प्रत्यक्ष
34.	सौर उर्जा चालित संयंत्रों की स्थापना		झारखंड के चतरा जिले में मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		19.89		प्रत्यक्ष
35.	सौर उर्जा चालित लैंपों की स्थापना		झारखंड के रामगढ़ जिले में रजरप्पा और ढोरी क्षेत्र एवं बोकारो और गिरिडीह जिले के परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		11.32		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	पार्कों का विकास	वन और पर्यावरण, पशु कल्याण इत्यादि (अनुसूची VII मद सं (iv)	झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिले में बोकारो एवं करगलह और हजारीबाग क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		7.71		प्रत्यक्ष
37.	संगीत उपकरणों का प्रावधान	कला और संस्कृति सार्वजनिक पुस्तकालय (अनुसूची VII मद सं (v)	झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		4.35		प्रत्यक्ष
38.	खेल अकादमी, होटवार का परिचालन	खेल–कूद मद (अनुसूची VII मद सं (VII)	झारखंड के सभी 24 जिलों में		460.92		झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी
39.	ग्रामीण युवाओं को खेल का विशेष प्रशिक्षण		झारखंड के रामगढ़ जिले में रजरप्पा क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		0.45		प्रत्यक्ष
40.	खेल के मैदान का विकास		झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.त्रमी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		0.53		प्रत्यक्ष
41.	फुटबॉल टूर्नामेंट		झारखंड के रांची, रामगढ़ और चतरा जिले के मुख्यालय, रजरप्पा, पिपरवार क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.त्रमी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		8.18		प्रत्यक्ष
42.	खेल प्रशिक्षण सामग्री का वितरण		झारखंड के हजारीबाग और रांची जिले मे और हजारीबाग के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र की परिचालन इकाइयों के 25 कि.त्रमी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		4.42		प्रत्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	सड़क का निर्माण (पीसीसी/डब्ल्यूबीबीएम)	ग्रामीण विकास (अनुसूची VII मद सं (X))	झारखंड के गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ और रांची जिले में कथारा, मगध–आम्रपाली, पिप. रवार, बरकासयाल और उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		110.58		प्रत्यक्ष
44.	चहारदीवारी का निर्माण		झारखंड के गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ जिले में कथारा, मगध–आम्रपाली, कुजू क्षेत्र के परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		34.81		प्रत्यक्ष
45.	घाटों का निर्माण		झारखंड के रांची, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ और बोकारो जिले में कथारा, पिपरवार, बोकारो एवं करगली और कुजू क्षेत्र के परिचालन इकाईयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		56.68		प्रत्यक्ष
46.	सामुदायिक क्षेत्र का विकास		झारखंड के गिरिडीह, चतरा, बोकारो, रामगढ़ और रांची जिले में कथारा, मगध–आम्रपाली, उत्तरी कर्णपुरा, अरगडा और बोकारो एवं करगली क्षेत्र के परिचालन इकाइयों के 25 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले गाँवों में		41.27		प्रत्यक्ष
47.	झोपड़पट्टी क्षेत्र का विकास		हातमा, रांची जिला, झारखंड		0.33		प्रत्यक्ष
48.	सीएसआर कार्यों का दायित्व	विविध	अनुपलब्ध		50.48		प्रत्यक्ष
49.	टी.आई.एस.एस./प्रशासनिक लागत				6.51		प्रत्यक्ष
50.	पुरस्कार/प्रदर्शन को				43.47		प्रत्यक्ष
कुल (ऑडिट खाता के अनुसार)					3790.04		

तालिका – 2

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/अभिज्ञात गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएँ/कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य/जिला जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–प्रमुख (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स (लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (लाख में)	व्यय राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	सामूहिक मध्याह्न भोजन के लिए केन्द्रीकृत रसोई का निर्माण		रातू ब्लॉक, राँची जिला		771.80**		राज्य सरकार (झारखण्ड)
2.	चतरा जिले के सरकारी स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना		चतरा जिला		6.52**		डीसी, चतरा
कुल (2017–18 में राशि झारखण्ड सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है)					778.32		
वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल सीएसआर खर्च					4568.36		

टिप्पणी :

* खण्ड संख्या 5	कुल बजट आऊट में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए – रु. 54.80 करोड़
* खण्ड संख्या 7	सभी क्षेत्रों में वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक सकल सीएसआर खर्च रु. 343.49 करोड़ है

झारखण्ड राज्य सरकार को कुल 7.78 करोड़ रुपये की राशि सीएसआर कार्यों के क्रियान्वयन हेतु हस्तांतरित की गई है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 का माना गया व्यय है।

इसके अलावा सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 9.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिनका व्यय आगामी वर्षों में किया जाएगा।

प्रत्येक सीएसआर प्रस्ताव को टाटा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुंबई (राष्ट्रीय सीएसआर का केन्द्र) को पुनरीक्षण, सिफारिश एवं सत्यता की जाँच के लिए भेजा जाता है। टीआईएसएस से अनुमोदन मिलने के बाद इन प्रस्तावों को बोर्ड स्तर के एसडी एवं सीएसआर समिति से नीचे के समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(क) महाप्रबंधक (एसडी और सीएसआर), सीसीएल, राँची

(ख) महाप्रबंधक (असैनिक), सीसीएल, राँची

(ग) महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, राँची

(घ) महाप्रबंधक (भू. एवं रा.), सीसीएल, राँची

(ङ.) प्रमुख चिकित्सा सेवाएँ, सीसीएल, राँची

(च) विभागाध्यक्ष/उप महाप्रबंधक (वन), सीसीएल, राँची

समिति सदस्यों से अनुमोदन के बाद, प्रस्ताव को निम्न के समक्ष रखा जाता है:

(क) निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, राँची (रु. 10 लाख तक के प्रस्तावों के लिए)

(ख) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीसीएल, राँची (रु. 10 लाख से रु. 25 लाख तक के प्रस्तावों के लिए)

(ग) बोर्ड स्तरीय एसडी एण्ड सीएसआर समिति (रु. 25 लाख से ऊपर के प्रस्ताव के लिए)

ह/–	ह/–	ह/–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	अध्ययक्ष, सीएसआर समिति	[अधिनियम की धारा 380 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहाँ लागू हो)

फार्म क्रमांक एओसी – 2

[कम्पनी (अकाउन्ट्स) नियम 2014 के नियम 8(2) और अधिनियम के सेक्शन 134 का सब सेक्शन (3) के क्लॉज (एच) के अनुसरण में]

कम्पनी के करार/अनुबंधों के विवरणों के प्रकटीकरण के प्रपत्र, जो कम्पनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ डाले गये हैं, जिनका संदर्भ कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188 के उप सेक्शन (1) में है जिसमें तीसरे प्रावधान के अन्तर्गत कुछ निष्पक्ष लेन–देन शामिल हैं।

वर्ष 2017–18 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन–देन की प्रविष्टि पार्टियों के साथ निष्पक्ष आाधार पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है।

परिशिष्ट – XI

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कम्पनियों की वर्ष 2016–17 की वित्तीय प्रदर्शन एवं स्थिति पर रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क्यू) के अनुसरण में, कम्पनीज (एकाउन्ट्स) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे. सी. आर. एल.), एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। इसका गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रमोटरों के नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखण्ड सरकार	10%

जे.सी.आर.एल. के प्रदर्शन निम्नवत है :

1. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का गठन 31.08.2015 को किया गया इसके बाद निम्नलिखित परियोजना को जेसीआरएल को सौंपा गया।

   शिवपुर – कठौतिया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन – संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एवं बैंकेबिलिटी प्रतिवेदन के लिए।

   शिवपुर – कठौतिया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का कार्य मेसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा चिह्नित कर लिया गया है जो कि जेसीआरएल की क्रियान्वयन एजेन्सी है। मेसर्स इरकॉन के द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का सैद्धांतिक अनुमोदन जेसीआरएल बोर्ड द्वारा दिया गया है। आगे, पूर्व मध्य रेलवे ने मेसर्स इरकॉन के द्वारा सौंपी गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (संशोधित परियोजना लागत – 1799.64 करोड़ रुपये) का अनुमोदन 27 फरवरी, 2018 को दे दिया है। मेसर्स इरकॉन ने बढ़े हुए माइलेज तथा रियायत समझौते को अंतिम रूप देने के इस मामले को रेलवे के समक्ष रखा है।

2. वित्तीय स्थिति :

   संक्षिप्त तुलन – पत्र

विवरण	31.03.2018 को (रु.)	31.03.2017 को (पुनर्लिखित) (रु.)
कुल इक्विटी एवं देनदारियां		
पूंजी	50,00,00,000.00	33,30,50,000.00
रिजर्व एवं सरप्लस	66,54,391.00	63,87,036.00
उप कुल	**49,33,45,609.00**	**32,66,62,964.00**
लम्बी अवधि लेनदारी	0.00	0.00
कुल वर्तमान देनदारियां	3,51,20,608.00	62,438.00
कुल गैर वर्तमान देनदारियां	1,75,57,82,356.00	1,75,57,82,356.00
कुल	**2,28,42,48,573.00**	**2,08,25,07,758.00**

संपत्ति		
वास्तविक संपत्ति (मूल्य ह्रास)	0.00	0.00
पूंजी डब्ल्यू.आइ.पी.	1,84,28,95,260.00	1,75,57,82,356.00
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	4,05,69,300.00	5,00,00,000.00
नगदी और बैंक बैलेंस	39,86,83,720.00	27,63,48,893.00
लघु अवधि के ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00
वर्तमान कर–संपत्ति (निबल)	21,00,293.00	3,73,365.00
कुल	**2,28,42,48,573.00**	**2,08,25,07,758.00**

3. **31.03.2018 समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी ढाँचा इस प्रकार है**

वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी की अधिकृत पूँजी 100.00 करोड़ से बढ़कर रु. 500 करोड़ रुपये की हो गई।

निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पुँजी			राशि (रुपये में)
अंशधारक	**शेयर की संख्या**	**दर**	
सीसीएल	32,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	3,20,00,000/–
इरकॉन	13,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	1,30,00,000/–
झारखंड सरकार	50,00,000	रूपये 10/– प्रत्येक	5,00,00,000/–
कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पुँजी			50,00,00,000/–
शेयर एप्लीकेशन मनी, सीसीएल से लंबित आवंटन			शून्य
31.03.2018 को कुल पुँजी			50,00,00,000/–

4. जेसीआरएल का 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष में कुल निबल घाटा रु. 58,02,983.00/– (पुनरीक्षित) की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रु. 2,67,355.00/– हुआ।

परिशिष्ट – XII

फॉर्म क्रमांक एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.18 को समाप्त वित्तीय वर्ष में

कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासनद्ध नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	सी.आइ.एन.	U10200JH1956GOI000581
ii.	पंजीकरण दिनांक	05 सितम्बर, 1956
iii.	कम्पनी का नाम	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी	निजी कम्पनी
v.	कम्पनी की उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी शेयर आधारित कम्पनी शेयर पूँजी आधारित कम्पनी
vi.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, राँची – 834 029 (झारखण्ड)
vii.	क्या सूचीब् कम्पनी है	नहीं
viii	रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि हो तो	लागू नहीं

II. कम्पनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप

(कम्पनी के कुल टर्न ओवर के 10% या अधिक में योगदान करने वाली सभी क्रिया कलापों को दर्ज किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआइसी कोड	कम्पनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1	कोयला खनन	051-05101 तथा 051-05102	100

III. नियंत्रण, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रण/अनुषंगी /सहयोगी	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू सेक्शन
1.	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रीमाइस सं.04 एम.ए.आर.ए प्लॉट सं. – एएफ –III, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700156, ईमेल आईडी – mviswanathan2@coalindia.in	L23109WB1973GOI028844	नियंत्रण	100	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(46)
2.	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची – 834029, झारखंड	U45201JH2015GOI003139	संयुक्त उद्यम	64.00	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)

IV. अंशधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत में इक्विटी शेयर पूँजी का ब्रेक–अप)

i. श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारक की श्रेणी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रोमोटर का									
1. भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	3	3	0.0001%	-	3	3	0.000%	शून्य
(ख) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निकाय निगम	-	93,99,997	93,99,997	99.9999%	-	93,99,997	93,99,997	99.9999%	शून्य
(ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ए)(1)	-	94,00,000	94,00,000	100%	-	94,00,000	94,00,000	100%	शून्य
2. विदेशी									
(छ) एनआरआई–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) अन्य–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) निकाय–निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ञ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ट) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ए)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. पब्लिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड.) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कम्पनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (बी)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) निकाय–निगम (i) भारतीय (ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) व्यक्तिगत (i) हर–एक अंशधारक द्वारा रू. 1 लाख तक रखे गए आंशिक शेयर पूंजी (ii) हर–एक अंशधारकों द्वारा रू.1 लाख से अधिक के रखे गए आंशिक शेयर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (बी)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में रखे गए शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग (ए + बी + सी)	-	94,00,000	94,00,000	100%	-	94,00,000	94,00,000	100%	शून्य

ii. प्रमोटरों की शेयर धारण

क्र. सं.	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य
2.	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
3.	श्री गोपाल सिंह	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
4.	श्री आर. मोहन दास	1	0.00033%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री सी. के. डे *	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
	कुल	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य

* वर्ष के दौरान श्री सी. के. डे के द्वारा धारित की गई शेयर अर्थात् 13.07.2017 से 19.02.2018 तक

iii. प्रमोटरों की शेयर धारण में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	% में वर्ष के दौरान परिवर्तन
1.	वर्ष के प्रारंभ में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%
2.	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कोई परिवर्तन नहीं			
3.	वर्ष के अंत में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%

iv. शीर्षस्थ दस अंशधारकों के शेयर धारण पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर धारक के अलावा)

क्र. सं.	शीर्षथ 10 अंशधारकों हेतु प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण [दिनांक 01.04.2017 को]		वर्ष के अंत में शेयर धारण [दिनांक 31.03.2018 को]	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्या, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड				
2.	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
3.	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	एवं			
4.	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%

V. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयर धारण

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण [01.04.2017 को]		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण [2017–2018]	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री गोपाल सिंह अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
2.	श्री आर मोहन दास (दिनांक 30.03.2017 को सीआईएल की सेवा से बर्खास्त) निदेशक (का. एवं औ. सं.), कोल इंडिया लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	श्री सी. के. डे को दि.13.07.2017 को शेयर हस्तांतरित किया गया			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री सी. के. डे (दिनांक 19.02.2018 के प्रभाव से निदेशक में नियुक्ति)	-			
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	श्री सी. के. डे द्वारा वर्ष के दौरान अर्थात् 13.07.17 से 19.02.18 तक शेयर धारित किया गया			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव (दिनांक 19.02.2018 के प्रभाव से निदेशक में नियुक्ति)	-			
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	दि.19.02.2018 को शेयर हस्तांतरित किया गया			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
5.	श्री डी. के. घोष निदेशक (वित्त), सीसीएल	-			
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री सुधीर चन्द्रा निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	श्री ए. के. मिश्रा निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्री आर एस महापात्र निदेशक (कार्मिक), सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	श्री रवि प्रकाश (13.07.2017 को कंपनी सचिव पद पर नियुक्ति) कंपनी सचिव				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	-			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vi. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्राद्यभूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है।

(₹ करोड़ में)

	प्रतिभूति ऋण जिसमें	अप्रतिभूति ऋण जिसमें	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	1103.78	1500.00	शून्य	2603.78
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	0.93	0.29	शून्य	1.22
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं			शून्य	
कुल (i+ii+iii)	1104.71	1500.29	शून्य	2605.00
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	161.17	90.53	शून्य	251.70
– कमी	1115.86	1590.82	शून्य	2706.68
निवल परिवर्तन	(954.69)	(1500.29)	शून्य	(2454.98)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
(i) मूलधन राशि	150.00	–	शून्य	150.02
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	0.02	–	–	0.02
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं			शून्य	
कुल (i+ii+iii)	150.02	–	शून्य	150.02

vii. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि (₹)
		श्री गोपाल सिंह, सीएमडी	श्री सुबीर चन्द्रा, निदेशक (तक./सं.)	श्री आर एस महापात्र, निदेशक (कार्मिक)	श्री डी के घोष निदेशक (वित्त)	श्री ए. के. मिश्रा, (तक./परि. एवं यो.) दिनांक 01.10.2016 को पदभार ग्रहण किया	
1.	सकल वेतन	4972237.59	4959095.49	4309457.65	5206418.58	3994429.60	23441638.91
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	4302602.74	4254266.45	3712523.50	4524650.00	3431564.00	20225606.69
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	325266.10	337364.96	312517.24	361690.32	250999.79	1587838.41
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टॉक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य स्पष्ट करें	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (क)	4972237.59	69559095.49	4309457.65	5206418.58	3994429.60	25441638.91

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि (₹)	
1.	स्वतंत्र निदेशक :	श्री भारत भूषण गोयल (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)	श्री अशोक गुप्ता (नियुक्ति की तिथि 14.11.2015)		
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1120000.00	1040000.00		2160000.00
	कमीशन	0.00	0.00		0.00
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00		0.00
	कुल (1)	1120000.00	1040000.00		2160000.00
2.	अप्रशासकीय निदेशक	श्री सी. के. दे (नियुक्ति की तिथि 19.09.2017) (पदभार ग्रहण करने की तिथि 19.02.2018)	श्री आशीष उपाध्याय (नियुक्ति की तिथि 05.02.2018)	श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव (नियुक्ति की तिथि 19.02.2018)	
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख) = (1 + 2)					2160000.00

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि (₹)
		(गोपाल सिंह) सीईओ	(डी. के. घोष) सीएफओ	(रवि प्रकाश) सीएस कम्पनी सचिव पद पर 13.07.2017 को नियुक्ति	
1.	सकल वेतन	4972237.59	5206418.58	894272.22	11072928.39
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधान अनुसार वेतन	4302602.74	4524650.00	828602.22	9655854.96
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धि का मूल्य	325266.10	361690.32	0.00	686956.42
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टोक का विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00
	– लाभ के प्रतिशत अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00
	– अन्य स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		4972237.59	5206418.58	894272.22	11072928.39

vii. जुर्माना/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाया गया संयुक्त शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील हो (विवरण दें)
(क) कम्पनी					
जुर्माना					
दंड			कुछ नहीं		
समझौता					
(ख) निदेशक					
जुर्माना					
दंड			कुछ नहीं		
समझौता					
(ग) दूसरे अफसरों की चूक					
जुर्माना					
दंड			कुछ नहीं		
समझौता					

अनुलग्नक – XIII

धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार]

सेवा में,
निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषय : सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, अशोक गुप्ता यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज 49 में दिये हुए लिस्टिंग एकरारनामा और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है, उसे पूरा करता हूँ। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(क) मैं कम्पनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ ;

(ख) मैं कम्पनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ ;

(ग) मेरा कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ 2 प्रतिशत या ज्यादा के इसके सकल कारोबार या कुल आय 50 लाख आय रू. या इस प्रकार की ऊँची राशि जैसा कि निर्धारित है, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था ;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधित –

i. कम्पनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी में पिछले किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में, कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में –

(अ) कम्पनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के अंकेक्षकों के फर्म या कार्यरत कम्पनी सचिव या लागत अंकेक्षकों के साथ है/रहा है; या

(ब) किसी कानूनी या परामर्श केन्द्र जिसका कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो, वैसे फर्म के साथ है/रहा है;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. ऐसी गैर–लाभकारी संस्थाय जो कि कम्पनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी, जो कि कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है, का, किसी भी नाम से कहलाने वाले, मुख्य अधिकारी या निदेशक है; या

(च) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) नियम, 2014 के नियम–5 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये योग्यताओं को रखता हूँ (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता)।

धन्यवाद सहित,

भवदीय
ह/–
निदेशक
डीआइएन : 03266416

दिनांक : 25 अप्रैल, 2018
स्थान : नई दिल्ली

सेवा में,
निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची

विषय : सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, भारत भूषण गोयल, प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेन्ट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में हूँ और कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधिसूचित क्लॉज 49 में दिये हुए लिस्टिंग एकरारनामा और मान्य प्रावधान जो स्वतंत्र निदेशक के लिए मानदण्ड है, उसे पूरा करता हूँ। मैं एददद्वारा प्रमाणित करता हूँ :

(क) मैं कम्पनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी का प्रोमोटर नहीं हूँ ;

(ख) मैं कम्पनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से सम्बन्धित नहीं हूँ ;

(ग) मेरा कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था ;

(घ) पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ 2 प्रतिशत या ज्यादा के इसके सकल कारोबार या कुल आय 50 लाख आय रू. या इस प्रकार की ऊँची राशि जैसा कि निर्धारित है, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है या था ;

(ङ) न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधित –

i. कम्पनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी में पिछले किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में, कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहा है।

ii. किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में –

(अ) कम्पनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के अंकेक्षकों के फर्म या कार्यरत कम्पनी सचिव या लागत अंकेक्षकों के साथ है/रहा है; या

(ब) किसी कानूनी या परामर्श केन्द्र जिसका कम्पनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो, वैसे फर्म के साथ है/रहा है;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. ऐसी गैर–लाभकारी संस्थाय जो कि कम्पनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी, जो कि कम्पनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है, का, किसी भी नाम से कहलाने वाले, मुख्य अधिकारी या निदेशक है; या

(च) मैं कम्पनी (नियुक्ति एवं योग्यता निदेशकों के) नियम, 2014 के नियम–5 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये योग्यताओं को रखता हूँ (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता)।

धन्यवाद सहित,

भवदीय
ह/–
निदेशक
डीआइएन : 07254856

दिनांक : 25 अप्रैल, 2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक - XIV

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

(क) उद्योग संरचना और विकास

कोयला – ऊर्जा का मुख्य स्रोत

भारत में कोयला प्रमुख ईंधन है। कुल उत्पन्न ईंधन में कोयले का योगदान 70 प्रतिशत है तथा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता का भी प्रमुख स्रोत रहेगा। अभी विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है जहाँ 3747.5 मिलियन टन (वर्ष 2014 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन क 46.7 प्रतिशत) का उत्पादन हुआ तथा इसके बाद संयुक्त राज्य (यू एस ए) का स्थान है जहाँ 916.2 मिलियन टन (वर्ष 2014 में पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 11.4 प्रतिशत) उत्पादन हुआ।

भारत में कोयला आजतक सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन रहा है, यह घरेलु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है तथा भविष्य में भी ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। 55 प्रतिशत भारतीय ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कोयले से की जाती ह।

दिनांक 01.04.17 तक सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में भूगर्भीय कोयला भंडार

(बिलियन टन)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	प्रदर्शित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8.137	9.431	1.692	19.262
नॉन–कोकिंग	15.999	6.631	2.839	25.469
योग	**24.137**	**16.063**	**4.531**	**44.732**

भारत में अनुमानित कोयले का भूगर्भीय संसाधन 308.80 बिलियन टन में से सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 01.04.2016 तक 44.732 बिलियन टन कोयला है जो भारत के कुल भंडार का 14.49 प्रतिशत है।

कोयले की मांग

वर्ष 2017–18 में सीसीएल के कोयले की मांग नीचे प्रदर्शित की गई है। इसमें वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रपति के निर्देश से शुरू होने वाले अनुमानित ऊर्जा गृह भी शामिल हैं।

खण्डवार ब्रेक–अप निम्नलिखित हैं :

(मिलियन टन)

सेक्टर	2018–19
स्टील (कोकिंग)	3.74
विद्युत (यू)	80.61
विद्युत (आबध्य)	5.745
सीमेंट	0.0153
स्टील डी.आर.आई.	1.356
अन्य	0.431
कुल नॉन–कोकिंग	88.217
कुल	**91.957**

कोयला प्रेषण

वर्ष 2017–18 के दौरान खण्डवार कोयले का प्रेषण 60.575 मिलियन टन है जो है।

(अंक मिलियन टन में)

सेक्टर	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 लक्ष्य
विद्युत	38.770	39.692	43.010	45.55	49.589	51.000
स्टील	2.755	3.478	2.793	2.639	2.027	3.248
फर्टिलाइजर	0.277	0.234	0.239	0.221	0.148	0.350
अन्य*	10.487	12.360	13.855	12.165	17.080	14.102
कुल	52.289	55.764	59.897	60.575	68.844	68.700

* अन्य में ई–नीलामी, पूर्व गैर–कोर उपभोक्ता, स्पंज आयरन तथा राज्य ऐजेन्सियाँ सम्मिलित हैं।

कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2017–18 के दौरान सीसीएल द्वारा वास्तविक कोयला उत्पादन, ड्राफ्ट एएपी के अनुसार बजटीय उत्पादन एवं वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (01 बिलियन टन लक्ष्य को ध्यान में रखकर) के लिए अनुमानित उत्पादन, पूर्ण परियोजनाएं, चालू और नई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(मिलियन टन)

ग्रुप	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान	2018–19 प्रक्षेपित	2019–20 बी टी के अनुसार प्रक्षेपित
वर्तमान खदानें	5.24	5.17	0.451	0.662	0.302	0.31	2.470
पूर्ण परियोजनाएँ	12.61	14.58	27.56	42.630	40.450	37.89	40.665
चालू परियोजनाएँ	32.17	35.90	33.32	23.755	22.653	30.50	59.960
भविष्य	—	—	—	—	—	—	30.405
योग	**50.02**	**55.65**	**61.32**	**67.05**	**63.405**	**68.70**	**133.500**

नोट : समूहवार उत्पादन वर्ष 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 के लिए बदल सकती है यदि कोई परियोजना चालू स्थिति से पूर्ण स्थिति में आ जाती है और भावी परियोजना क्रियान्वयन हो जाती है।

उत्पादकता :

सीसीएल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति निम्न है :

(मिलियन टन)

	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक
भूमिगत खदान	0.34	0.32	0.325	0.33	0.29	0.32	0.294	0.194
खुली खदान	5.45	5.79	6.093	6.26	7.56	8.91	9.808	9.372
समग्र	3.88	4.19	4.421	4.64	5.46	6.51	7.235	7.195

(ख) मजबूती और कमजोरी, अवसर एवं चुनौती

मजबूती

1. **उच्च उत्पादन और वृहत उत्पादन संभावना** : वर्ष 2017–18 में सीसीएल द्वारा 63.405 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि कोल इंडिया के उत्पादन के 12.1 प्रतिशत से अधिक है। सीसीएल नियंत्रित क्षेत्र में 44.732 बिलियन टन कोयला भंडार है जो कि भारत के कोल रिजर्व का लगभग 14.49 प्रतिशत है। कोल भंडार में नॉन–कोकिंग कोल (विद्युत संयत्र द्वारा प्रयोग किया जाने वाला) तथा कोकिंग कोल (स्टील संयत्र द्वारा प्रयोग किये जाने वाला) सम्मिलित है। यह रिजर्व अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त है।
2. **प्रायः सभी कोल ब्लॉकों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता** : कोयला खदानों के विकास और उत्पादन के लिए हमें अच्छे और रोड और रेल नेटवर्क की आवश्यकता है। सीसीएल के सभी कोयला क्षेत्रों में वृहद रेल और रोड नेटवर्क विद्यमान है। इस नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कोयला आसानी से प्रेषित किया जाता है।
3. **पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध** : सीसीएल 40 वर्षों से अधिक समय से कोयला खनन व्यवसाय में है। दिनांक 31.03.2018 को कुल 40777 श्रमशक्ति है जो कि अपने कार्य में दक्ष हैं।
4. **कर्मचारियों का निम्न अपक्षय दर** : सीसीएल के कर्मचारियों को उत्कृष्ट वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि कोयला उद्योग में सवश्रेष्ठ है। फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम अपदय हुआ है। अधिकारियों के लिए हाल ही में प्रदर्शन आधारित भुगतान लागू किया गया है जिससे कर्मचारियों का मनोबल काफी बढ़ा है।
5. **उच्च वित्तीय स्वायत्वता युक्त मिनी रत्न कैटेगरी – 1 कम्पनी** : सीसीएल के कार्य निष्पादन के आधार पर सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा कम्पनी को मिनी रत्न कैटेगरी –1 का दर्जा किया गया। इसका आशय है कि कम्पनी बिना सरकार के पास गये 500 करोड़ की परियोजना को अनुमोदित कर सकती है तथा यह संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी/विदेशों में कार्यालय की स्थापना कर सकती है।

कमजोरी

1. **अप्रचलित प्रौद्योगिकी के साथ पुरानी खदान** : सीसीएल की अधिकांश खदानें पुरानी है जहाँ नवीनतम उपकरण नहीं है। हाल ही कम्पनी द्वारा कुछ नई खदानें शुरू की। कुछ खदानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।
2. **श्रमिक संघवाद** : खदान में श्रमिक संघवाद की भरमार है। हर खदान में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की संख्या 6 से अधिक है।
3. **सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यून** : खदान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम है। इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता उत्पन्न होती है।
4. **खराब कार्य संस्कृति** : 8 घंटे कार्यावधि में कर्मचारी औसतन 4 घंटे कार्य करता है।

अवसर

1. **कोयले की भारी और अस्थिर मांग** : मांग और आपूर्ति के बीच 20 मिलियन टन का अंतर है जो बढ़ने की संभावना है।
2. **उत्पादन प्रक्रिया की आउट सोर्सिंग** : परियोजना की उपलब्धता क्षमता के बाहर वाली परियोजनाओं के लिए सीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। मार्जिनल डिपोजिट के संदर्भ में, जहाँ विभागीय उपकरण की प्रतिनियुक्ति खर्चीली है (इस प्रकार के कई कोयला–जमाव मौजूद हैं), वैसे मामले में भी कम्पनी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपनाती है। अब श्रमिक संघों द्वारा आउटसोर्सिंग को समर्थन मिल रहा है।
3. **उत्पाद का आकृतिकरण, धुलाई या तरल व गैस में परिवर्तन कर मूल्य अपवृद्धि का अवसर** : धुले हुए कोकिंग कोयले का मूल्य उत्खनित कोकिंग कोयले का दुगुना होता है। मूल्य भिन्नता के इस लाभ हेतु वाशरियों को स्थापित किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

1. **कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त करने हेतु भारत में कोयले में कैप्टीव माईन की अनुमति है** : सीसीएल को जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित है निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा।
2. **खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने हेतु प्राईवेट कोयला खनन कम्पनियों की अनुमति देने की मांग** : प्राईवेट प्लेयर सीसीएल के लागत के 60 प्रतिशत पर कोयला उत्पादन करते हैं। यदि खुली बाजार में कोयला बेचने की अनुमति दी जाती है तो हमें मूल्यवान उपभोक्ताओं को खोना पड़ेगा।

3. **निजी कंपनियों के आ जाने से कम्पनी के उच्च कुशल कर्मचारियों को अच्छे वेतन, पर्क्स और अन्य सुविधा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है :** चूंकि यह पीएसयू कम्पनी है अतः यह मार्केट की मांग के अनुसार कर्मचारियों का वेतन, पर्क्स आदि आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके लिए लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

4. **कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या :** कोयला खनन क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बार–बार बन्दी होता है तथा अतिवादी समूह द्वारा खनन कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है/रोका जाता है। खराब कानून व्यवस्था के कारण खदानें औसतन 30 दिन बंद रहती हैं।

5. **वन भूमि मुक्त करने में विलम्ब :** वन भूमि प्रस्ताव की प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब होता है। स्टेज–1 क्लियरेन्स हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन भूमि प्रस्ताव की संस्तुति भेजने में राज्य सरकार काफी समय लेता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा स्थल निरीक्षण में काफी विलम्ब होता है। वन भूमि को मुक्त करने के लिए लगभग 4–6 वर्ष लग जाते हैं।

6. **अधिग्रहित भूमि का कब्जा :** अधिग्रहित भूमि को अधिकार में लेने में काफी कठिनाई होती है। सरकार द्वारा मुक्त हो गई वन भूमि पर बेजा कब्जा रहता है जिसे मुक्त कराना आसान नहीं होता।

7. **परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास :** नई परियोजनाओं के विकास मे परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास की समस्या एक बड़ी बाधा हो गई है क्योंकि परियोजना प्रभावित लोगों की मांग सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के मानदण्ड से अधिक होती है।

(ग) कार्य निष्पादन

वर्ष 2016–17 के वास्तविक आंकड़े की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं :

विवरण	2017-18		2016-17	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एम.टी.)	70.050	63.000	66.310	-4.992
भूमिगत खदान से (एम.टी.)	0.450	0.405	0.737	-45.010
कुल (एम.टी.)	**70.500**	**63.405**	**67.047**	**-5.431**
ओबीआर (क्यु.एम.)	**105.000**	**95.622**	**102.630**	**-6.828**
धुली कोयला (कोकिंग) (एम.टी.)	1.285	1.115	1.139	-2.080
धुली कोयला (नन–कोकिंग) (एम.टी.)	6.746	6.076	8.942	-32.044
उत्पादकता (ओएमएस–टन)				
खुली खदान	8.710	9.372	9.808	
भूमिगत खदान	0.400	0.194	0.294	
समग्र	**7.700**	**7.195**	**7.235**	

वर्ष 2017–18 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 67.510 मि. टन है। पिछले वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार है:

आंकडे मिलियन टन में

खंड	2017.18	2016.17	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	32.740	30.260	8.20 %
सड़क	25.362	18.059	40.43 %
वाशरी को की गई पूर्ति	9.408	12.614	(-) 25.42 %
कोलियरी का खपत	0.0003	0.001	–
कुल उठाव	**67.510**	**60.934**	**10.79 %**

वर्ष 2017–18 के दौरान सीसीएल ने सड़क माध्यम से कोयले के उठाव में 40.43 % की वृद्धि दर्ज की है। सीसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में कोयले उठाव में 10.79 % की वृद्धि प्राप्त की है।

ओबी हटाने एवं कोयला उत्पादन में कमी के कारण :

2017–18 के दौरान उत्पादन में कमी के मुख्य कारण

1. मगध–आम्रपाली क्षेत्र – वर्ष के प्रारंभ में सीसीएल के पास विभिन्न खानों में अत्यधिक कोयला भंडार विशेषकर मगध–आम्रपाली में था और वहाँ वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक टोरी–शिवपुर रेल लाइन के पूर्ण नहीं होने के कारण कोयले के उठाव में परेशानी थी। इस कारण

उत्पादन कम कर दिया गया ताकि भंडार के बढ़ने के कारण ग्रेड बिगड़ने और स्वतः प्रवर्तित कोयले को गर्म होने से रोका जा सके।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मगध ओसीपी एवं आम्रपाली ओसीपी में प्रारंभिक 8 महीने के लिए उत्पादन कम कर दिया गया, क्योंकि मगध I–आम्रपाली क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017–18 के शुरूआत में कोयले का भंडार 4.15 मि. टन था और कोयले के भंडारण हेतु स्थान नहीं उपलब्ध था। प्रारंभिक 8 महीनों में उत्पादन मात्र 2.27 मि. टन था। इन महीनों में कोयले के स्टॉक के विघटन पर एकमात्र माध्यम यानि सड़क के माध्यम से जोर दिया गया। नवंबर 2017 के महीने में जब कोयले का भंडार 1.18 मि. टन पहुंच गया, तो क्षेत्र से कोयले का उत्पादन प्रभावी तौर पर प्रारंभ हुआ और 8.70 मि. टन तक पहुंच गया एवं पुनः 4.48 मि. टन तक पहुंच गया। मगध ओसीपी और आम्रपाली ओसीपी में भूमि सत्यापन के विषय में कुछ मुद्दे हैं एवं उत्तरवर्ती भूमि क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास लाभ के कारण भूमि अधिग्रहण में रूकावट है।

2. रजरप्पा ओसीपी – सितम्बर '17 से एक ओ/एस पैच (सेक्शन 1) स्ट्राटा कंट्रोल प्राब्लम के कारण संचालन में नहीं था। इस पैच पर डीजीएमएस अधिकारी के द्वारा सेक्शन 22 (3) आदेश लागू किया गया है। सीएमपीडीआई एवं सिम्फर एक वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं एवं रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3. 2 खानों ने अपनी ईसी क्षमता प्राप्त कर ली है जिसके कारण इन खानों में (एसडीओसी(53 दिन) एवं कारो ओसी (127 दिन)) इन खानों में उत्पादन को रोक दिया गया है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पश्चात, वे खान जो 1994 के पूर्व उच्चतम उत्पादन की क्षमता के समकक्ष सीटीओ (कन्सेंट टू ऑपरेट) आधार पर संचालित थी उनका उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब, ये खान उल्लंघन के अंतर्गत मानी जायेंगी एवं उनकी क्षमता 1993–94 के लिए ही थी, जिसके कारण 7 खानों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। जेएसपीसीबी ने उन खानों के लिए सीटीओ अस्वीकार कर दिया जहां उल्लंघन हुआ था। इसके आगे जेएसपीसीबी के सीटीओ जारी करने में देरी के कारण, डीएमओ द्वारा खनन चालान जारी नहीं किया, जिसके कारण कुछ खदानों मे उत्पादन एवं डिस्पैच कई दिनों तक प्रभावित रहा।

विभिन्न वाशरियों में कच्चे कोयले की फीड/खपत में कमी के कारण

सभी आंकडे लाख टन में

वाशरी	2016-17		2017-18		कारण
कोकिंग	आरसीआर	आरसीसी	आरसीआर	आरसीसी	
कथारा, 1969 (3.0एमटीवाई)	4.89	4.58	2.19	3.47	इस वाशरी को 1969 में प्रारंभ किया गया एवं किसी वाशरी की तकनीकी उम्र 18 वर्ष होती है एवं यह वाशरी 49 वर्ष पुरानी है।
स्वांग, 1970 (0.75एमटीवाई)	4.87	4.79	5.43	4.62	2017–18 में विगत वर्ष की तुलना में खपत कम हुई। बहरहाल, प्राइमरी स्क्रीन का बार–बार खराब होना मुख्य कारण रहा। 2017–18 की तीसरी तिमाही में नया प्राइमरी स्क्रीन को लगाया गया, तत्पश्चात वाशरी के स्वास्थ्य के साथ–साथ उत्पादन में भी सुधार हुआ है। यह वाशरी 48 वर्ष पुरानी है।
रजरप्पा, 1987 (3.0 एमटीवाई)	19.5	13.94	13.07	12.79	2017–18 में फाइन कोल जिग की मरम्मती की गई जिसके कारण कुछ समय तक फीड रोकी गई और इसके कारण कच्चे कोयले की आपूर्ति की तुलना में खपत आंशिक रूप से कम रही। इस वाशरी को 1987 में प्रारंभ किया गया एवं किसी वाशरी की तकनीकी उम्र 18 वर्ष होती है एवं यह वाशरी 31 वर्ष पुरानी है।
केदला, 1997 (2.6 एमटीवाई)	9.55	9.70	10.35	10.35	विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वाशरी में कच्चे कोयले की खपत ज्यादा हुई है। 2017–18 की अंतिम तिमाही में कच्चे कोयले की फीड में सुधार के लिए एक मोबाइल क्रशर का प्रतिस्थापन किया गया है।
कुल	**38.81**	**33.01**	**31.04**	**31.23**	हालांकि, 31.04 लाख टन की तुलना में कोकिंग कोल वाशरी में 31.23 लाख टन की कुल खपत रही।
गैर–कोकिंग	**आरसीआर**	**आरसीसी**	**आरसीआर**	**आरसीसी**	
पिपरवार, 1997 (6.5 एमटीवाई)	90.86	90.70	60.59	61.09	जुड़े हुए मगध–आम्रपाली क्षेत्र के खानों से कच्चे कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण खपत कम रही। पिपरवार क्षेत्र से 60 लाख टन का लिंकेज तथा मगध–आम्रपाली क्षेत्र से 50 लाख टन का लिंकेज था। कुल लिंकेज 110 लाख टन की तुलना में मात्र 60.59 लाख टन की आपूर्ति हुई परंतु कार्पेट कोल की रिहैण्डलिंग के बाद कच्चे कोयले की आपूर्ति से ज्यादा, वाशरी की खपत रही यानि 61.01 लाख टन।
गिद्दी, 1970 (2.5 एमटीवाई)	2.25	2.34	1.55	1.73	यह वाशरी अत्यंत पुरानी है और इसे 1970 में चालू किया गया था। किसी भी वाशरी की तकनीकी उम्र 18 वर्ष होती है परंतु यह वाशरी 48 वर्ष पुरानी है। समय–समय पर मरम्मती के बाद यह वाशरी अभी भी चल रही है।
कुल	**93.11**	**93.04**	**62.14**	**62.82**	हालांकि, 62.14 लाख टन की तुलना में कोकिंग कोल वाशरी में 62.82 लाख टन की कुल खपत रही।

(घ) दृष्टिकोण

कोल इंडिया 2019–20 तक कोयले का एक बिलियन टन उत्पादन के लिए प्रयास कर रही है जिसमें सीसीएल का योगदान 133 मिलियन टन का होगा। इस उद्देश्य के लिए आपके कंपनी की वृहत परियोजनाओं जैसे कि, मगध ओसीपी ;71 एमटीवाईद्ध एवं आम्रपाली ओसीपी (27 एमटीवाई) का संचालन शुरू किया गया है। अन्य वृहत परियोजनाओं जैसे – महेन्द्र ओसीपी, संघमित्रा ओसीपी से भी इस वृ्‌ को प्राप्त करने के लिए योगदान अपेक्षित है।

(ङ.) आन्तरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति स्थापित है तथा यह कम्पनी के आकार, व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है तथ उचित प्राधिकरण एवं कार्य सम्पादन के अनुमोदन हेतु विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन एवं प्राधिकार प्राप्त है। पर्चेज मैनुअल, कान्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल, सिविल इंजीनियरिंग, वर्क मैनुअल, खरीद हेतु अपनाई जाने वाला संविदा एवार्ड करने प्रक्रिया बताने वाली नीति भी है। आंतरिक लेखा परीक्षण का संचालन चार्टर्ड/कास्ट एकाउन्टेन्ट के बाहरी फार्म द्वारा किया जाता है जिसमें सभी कार्यालय/क्षेत्र और इकाइयाँ समाहित हैं। इनके प्रतिवेदन की समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा की जाती है। कम्पनी की लेखा का अंकेक्षण भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा किया जाता है जो उनके द्वारा अंकेक्षित सम्पत्ति के अलावा होगा।

(च) संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(छ) मानव संसाधन में सामग्री विकास/औद्योगिक संबंध जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(ज) पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(झ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित

(ञ) सचेतक विवरण

प्रबन्ध परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदेशक प्रतिवेदन में दिये गये विवरण में कम्पनी का उद्देश्य, प्रक्षेपन एवं अनुमान, प्रत्याशा और भविष्य कथन आदि प्रगतिशील विवरण है जो कि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है। आगे देखने वाले विवरण कुछ जोखिम और अनियमितता पर आधारित है जो कि वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं, एवं आर्थिक दशा पर निर्भर करते है।

❑

एस. के. सिंघानिया एण्ड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसरण में कंपनी की त्रैमासिक स्टैंडअलोन एवं अद्यतन वित्तीय परिणामों पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 दिनांक 5 जुलाई, 2016 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 द्वारा संशोधित धारा 33 के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रस्तुत, एतद संलग्न, 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के त्रैमासिक स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का हमने अंकेक्षण किया है । 31 मार्च 2018 को, समाप्त तिमाही और वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम 31 दिसंबर 2017 को समाप्त नौ महीने की अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किए गए हैं, अंकेक्षित वार्षिक स्टैंडअलोन आईएनडी एएस (भारतीय लेखा मानक) वित्तीय विवरण पर जैसा है और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, एवं विनिमयन और परिपत्र की प्रासंगिक आवश्यकताएं, जो की कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। हमारी जिम्मेदारी 31 दिसंबर 2017 को समाप्त नौ महीने की अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की हमारी समीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर राय व्यक्त करना है, जिसे भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग, जारी प्रासंगिक नियमों, अन्य लेखा सिद्धांतों और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाये, वार्षिक स्टैंडअलोन आईएनडी एएस वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षण 31 मार्च, 2018 और विनियमन और परिपत्र की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं ।

2. आम तौर पर भारत में स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुरूप हमने अंकेक्षण किया है । हम इन मानकों के आवश्यकतानुरूप अंकेक्षण की योजना बनाकर और निष्पादन कर आश्वस्त होतें है कि उक्त वित्तीय परिणाम तथ्यात्मक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत कसौटी के आधार पर परख, वित्तीय परिणामों में अनावृत राशि के प्रमाण शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आकलन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा अंकेक्षण हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

3. हमारे मत में,हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इन तिमाही स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के साथ अद्यतन परिणाम :

   i. 5 जुलाई, 2016 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 द्वारा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसरण में प्रस्तुत है; तथा

   ii. 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष की वास्तविक और निष्पक्ष निबल व्यापक आय (निबल लाभ और अन्य व्यापक आय सहित) और अन्य वित्तीय जानकारी देते हैं ।

4. 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष में कंपनी की तुलनात्मक मानक भारतीय लेखा वित्तीय जानकारी में इन स्टैंडअलोन आईएनडी एएस वित्तीय जानकारी के परिणाम पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये गए हैं। तुलनात्मक वित्तीय जानकारी पर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक ने दिनांकित 26.05.2017 के प्रतिवेदन में अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त किया ।

5. इसके अलावा, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ी जाये, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च,2018 को समाप्त तिमाही के आंकड़े,31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध लेखापरीक्षित आंकड़ों के मध्य व्युत्पन्न आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 31 दिसंबर 2017 तक प्रकाशित अद्यतन आंकड़े, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की अंतिम तारीख होने के नाते, विनियमन और परिपत्र के अंतर्गत आवश्यकतानुरूप,उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में उल्लिखित सीमित समीक्षा के अधीन है ।

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 302206ई)

स्थान : राँची

ह/–

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर

दिनांक : 26 मई, 2018

(सदस्यता संख्या : 52722)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

परिसंपत्ति एवं देयता का स्टैण्डअलोन विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम संख्या	परिसंपत्ति एवं देयता का विवरण	दिनांक 31.03.2018 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2017 को (अंकेक्षित)
ए	**इक्विटी एवं देयता**		
1.	**शेयरधारक का निधि**		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	2,538.85	2,297.10
	(ग) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धन	—	—
	उप–कुल – शेयरधारक का निधि	**3,478.85**	**3,237.10**
2.	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**	—	—
3.	**नन–कंट्रोलिंग ब्याज**	—	—
4.	**गैर–चालू देयता**		
	(क) वित्तीय देयता	60.09	1,260.20
	(ख) चालू कर देयता (निबल)	—	—
	(ग) अन्य चालू देयता	438.46	183.83
	(घ) प्रावधान	3,202.35	2,305.81
	उप–कुल – गैर–चालू देयता	**3,700.90**	**3,749.84**
5.	**चालू देयता**		
	(क) वित्तीय देयता	879.43	2,072.99
	(ख) चालू कर देयता (निबल)	—	35.39
	(ग) अन्य चालू देयता	4,902.62	2,969.57
	(घ) प्रावधान	2,291.46	1,878.88
	उप–कुल – चालू देयता	**8,073.51**	**6,956.83**
	कुल – इक्विटी एवं देयता	**15,253.26**	**13,943.77**
बी	**परिसंपत्ति**		
1.	**गैर–चालू परिसंपत्ति**		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	4,336.56	3,808.38
	(ख) समेकन सदभाव	—	—
	(ग) अस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	1,047.58	771.88
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	871.93	755.64
	(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1,679.39	1,269.85
	उप–कुल–गैर–चालू परिसंपत्ति	**7,935.46**	**6,605.75**
2.	**चालू परिसंपत्ति**		
	(क) वित्तीय परिसंपत्ति	3,819.51	3,715.83
	(ख) संपत्ति सूची	1,349.23	2,096.26
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,093.56	1,525.93
	(घ) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	55.50	—
	उप–कुल – चालू परिसंपत्ति	**7,317.80**	**7,338.02**
	कुल परिसंपत्ति	**15,253.26**	**13,943.77**

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 06638291	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)

ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अन्त में	
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
		गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	4,420.49	4145.05	4,626.39	15,965.12	14,899.71
	घटाव : अन्य लेवी	1,320.60	1285.12	1,125.39	4,715.50	3,759.03
	(क) निबल विक्रय/संचालन से आय (एक्साइज कर एवं अन्य लेवीज का निबल)	3,099.89	2,859.93	3,501.00	11,249.62	11,140.68
	(ख) अन्य संचलित आय	236.64	129.75	114.33	537.41	366.41
	संचालन से कुल आय (निबल) (क+ख)	**3,336.53**	**2,989.68**	**3,615.33**	**11,787.03**	**11,507.09**
2	व्यय					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	239.28	200.80	253.23	731.26	799.50
	(ख) तैयार वस्तुओं की संपत्ति सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टोक इन ट्रेड	(462.98)	216.75	(634.04)	512.66	(612.61)
	(ग) उत्पाद शुल्क	—	—	243.36	200.60	732.27
	(घ) कर्मचारी लाभ खर्च	2,110.99	1,107.56	1,188.44	5,490.31	4,401.73
	(ङ) अवमूल्यन/परिशोधन /हानि	97.69	84.40	98.49	355.72	372.63
	(च) बिजली और ईंधन खर्च	74.28	69.61	77.93	277.35	290.92
	(छ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च	28.68	3.26	8.22	37.90	30.29
	(ज) मरम्मत खर्च	195.94	51.66	99.42	327.15	205.39
	(झ) ठेका व्यय	492.34	277.32	411.94	1,304.07	1,320.99
	(ञ) अन्य खर्च	268.48	253.40	574.84	1,020.80	1,521.74
	(ट) प्रावधान/समायोजन	(290.24)	297.52	327.61	238.05	471.50
	(ठ) स्ट्रीपिंग गतिविधि खर्च	369.83	101.87	342.77	284.51	91.03
	कुल व्यय (क से ठ तक)	**3,124.29**	**2,664.15**	**2,992.21**	**10,780.38**	**9,625.38**
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और अपवादित मद के पहले संचालन से लाभ/(हानि) (1–2)**	**212.24**	**325.53**	**623.12**	**1,006.65**	**1,881.71**
4	अन्य आय	302.31	76.60	274.11	508.96	561.47
5	**वित्तीय लागत एवं अपवादित मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)**	**514.55**	**402.13**	**897.23**	**1,515.61**	**2,443.18**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन परिणामों का विवरण (जारी......)

(₹ करोड़ों में, शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अन्त में	
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
		गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित	गैर-अंकेक्षित
6	वित्तीय लागत	35.58	39.51	18.63	172.01	71.88
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु अपवादित मद के पहले लाभ/(हानि) (5-6)**	**478.97**	**362.62**	**878.60**	**1,343.60**	**2,371.30**
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7–8)**	**478.97**	**362.62**	**878.60**	**1,343.60**	**2,371.30**
10	कर व्यय	168.19	135.81	414.72	554.06	984.19
11	**वर्ष में निबल लाभ/हानि (9–10) [ए]**	**310.78**	**226.81**	**463.88**	**789.54**	**1,387.11**
12	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]	55.48	21.65	40.32	91.43	11.73
13	कुल विस्तृत आय/(हानि) (ए+बी)	366.26	248.46	504.20	880.97	1,398.84
14	प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹1000)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
15	प्रति शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹1000) (नॉट अनुलाइज्ड)					
	(क) बेसिक	330.62	241.29	493.49	839.94	1,475.65
	(ख) सरलीकृत	330.62	241.29	493.49	839.94	1,475.65

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 06638291	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)

ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 28 मई 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को स्टैण्डअलोन तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
परिसम्पत्तियाँ			
गैर – चालू परिसम्पत्ति			
(क) सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण	3	2,424.41	2,426.40
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4	1,649.32	1,141.23
(ग) अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति	5	260.67	237.16
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	2.16	3.59
(ङ) विकास के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ		—	—
(च) संपत्ति निवेश		—	—
(छ) वित्तीय परिसम्पत्ति			
(i) निवेश	7	32.00	32.00
(ii) ऋण	8	0.47	0.59
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	9	839.46	723.05
(ज) आस्थगित कर सम्पत्ति (निबल)		1,047.58	771.88
(झ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्ति	10	1,679.39	1,269.85
कुल गैर चालू परिसम्पत्ति (ए)		**7,935.46**	**6,605.75**
चालू परिसम्पत्ति			
(क) सम्पत्ति–सूची	12	1,349.23	2,096.26
(ख) वित्तीय परिसम्पत्ति			
(i) निवेश	7	—	—
(ii) व्यापार प्राप्य	13	1,745.31	1,673.79
(iii) नगद और नगद के समान	14	161.98	325.07
(iv) अन्य बैंक शेष	15	1,194.23	1,349.08
(v) ऋण	8	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	9	717.99	367.89

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को स्टैण्डअलोन तुलन पत्र (जारी.....)

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(ग) चालू – कर परिसम्पत्ति (निबल)		55.50	–
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्ति	11	2,093.56	1,525.93
कुल चालू परिसम्पत्ति (बी)		**7,317.80**	**7,338.02**
कुल परिसम्पत्ति (ए + बी)		**15,253.26**	**13,943.77**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	16	940.00	940.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	2,538.85	2,297.10
कम्पनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी		3,478.85	3,237.10
अनियंत्रित ब्याज		–	–
कुल इक्विटी (ए)		**3,478.85**	**3,237.10**
देयताएँ			
गैर – चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	–	1,200.00
(ii) व्यापार देयताएँ		–	–
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	60.09	60.20
(ख) प्रावधान	21	3,202.35	2,305.81
(ग) अन्य गैर – चालू देयताएँ	22	438.46	183.83
कुल गैर – चालू देयताएँ (बी)		**3,700.90**	**3,749.84**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN : U10200JH1956GOI000581)
पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को स्टैण्डअलोन तुलन पत्र (जारी......)

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	150.00	1,103.78
(ii) व्यापार देयताएँ	19	163.45	134.22
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	565.98	834.99
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	4,902.62	2,969.57
(ग) प्रावधान	21	2,291.46	1,878.88
(घ) वर्तमान कर देयताएँ (निबल)		—	35.39
कुल चालू देयताएँ (सी)		**8,073.51**	**6,956.83**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए + बी + सी)		**15,253.26**	**13,943.77**
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
लेखा पर अतिरक्त टिप्पणी	38		

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 06636291	डीआईएन – 02898059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)
ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि का स्टैण्डअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
संचालन से राजस्व	24		
(ए) बिक्री (अन्य लेवियों के निवल लेकिन एक्साइज ड्यूटी के साथ)		11,249.62	11,140.68
(बी) अन्य संचालन से राजस्व (अन्य लेवियों के निवल लेकिन एक्साइज ड्यूटी के साथ)		537.41	366.41
(i) संचालन से राजस्व (ए+बी)		**11,787.03**	**11,507.09**
(ii) अन्य आय	25	508.96	561.47
(iii) कुल आय (I+II)		**12,295.99**	**12,068.56**
(IV) व्यय :			
उपयोग किए गए सामान की लागत	26	731.26	799.50
तैयार माल का भण्डार/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक	27	512.66	(612.61)
कोयले की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी		200.60	732.27
कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,490.31	4,401.73
बिजली का खर्च		277.35	290.92
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	37.90	30.29
मरम्मती	30	327.15	205.39
संविदात्मक व्यय	31	1,304.07	1,320.99
वित्तीय लागत	32	172.01	71.88
मूल्यहास/परिशोधन/क्षति		355.72	372.63
प्रावधान	33	237.33	450.70
राइट–ऑफ	34	0.72	20.80
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		284.51	91.03
अन्य व्यय	35	1,020.80	1,521.74
कुल व्यय (IV)		**10,952.39**	**9,697.26**
(V) असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (III-IV)		**1,343.60**	**2,371.30**
(VI) असाधारण मद		—	—
(VII) कर से पहले लाभ (V-VI)		**1,343.60**	**2,371.30**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि का स्टैण्डअलोन विवरण (जारी......)

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(VIII) कर व्यय	36	554.06	984.19
(IX) वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)		**789.54**	**1,387.11**
(X) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(XI) स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(XII) स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ (कर के बाद) (X-XI)		—	—
(XIII) संयुक्त उद्यम/संबद्ध के लाभ (हानि) में शेयर		—	—
(XIV) वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)		**789.54**	**1,387.11**
अन्य विस्तृत आय	37		
ए (i) मद, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		155.59	20.05
(ii) उन मदों से सम्बन्धित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		64.16	8.32
बी (i) मद, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
(ii) उन मदों से सम्बन्धित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
(XV) कुल अन्य विस्तृत आय		**91.43**	**11.73**
(XVI) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (लाभ/(हानि) सहित तथा वर्ष के अन्य विस्तृत आय)		**880.97**	**1,398.84**
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कम्पनी के स्वामी		789.54	1,387.11
अनियंत्रित ब्याज		—	—
		789.54	**1,387.11**
अन्य आरोप्य विस्तृत आय :			
कम्पनी के स्वामी		91.43	11.73
अनियंत्रित ब्याज		—	—
		91.43	**11.73**
कुल आरोप्य विस्तृत आय :			
कम्पनी के स्वामी		880.97	1,398.84
अनियंत्रित ब्याज		—	—

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि का स्टैण्डअलोन विवरण (जारी.......)

(₹ करोड़ में)

	नोट्स	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(XVII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		839.94	1,475.65
(2) सरलीकृत		839.94	1,475.65
(XVIII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		—	—
(2) सरलीकृत		—	—
(XIX) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित एवं चलित संचालन के लिए) :			
(1) बेसिक		839.94	1,475.65
(2) सरलीकृत		839.94	1,475.65
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी	38		

उपरोक्त संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 06638291	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)
ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
संचलित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर से पहले कुल विस्तृत आय		1,499.19	2,391.35
के लिए समायोजन :			
स्थाई परिसम्पत्ति का मूल्य ह्रास/हानि		358.09	377.39
बैंक में जमा राशि से ब्याज		(204.97)	(258.78)
वित्तीय गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय लागत		172.01	71.88
निवेशों से प्राप्त ब्याज/लाभांश		(10.59)	(23.25)
स्थाई परिसम्पत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि		3.10	0.56
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान एवं राइट ऑफ		238.05	471.50
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयता		(136.25)	(185.44)
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		284.51	91.03
चालू/गैर चालू परिसम्पत्ति एवं देयता से पहले परिचालन लाभ		**2,203.14**	**2,936.24**
समायोजन (के लिए) :			
प्राप्य व्यापार		(71.52)	74.13
भण्डार सूची		747.03	(605.00)
अल्प/दीर्घ कालिक ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसम्पत्ति		(1,253.33)	152.02
अल्प/दीर्घ कालिक देयता एवं प्रावधान		2,835.21	796.85
संचालन से उपार्जित धन		**4,460.53**	**3,354.24**
भुगतान किया गया/वापस आयकर		(984.80)	(1,042.28)
संचलित गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह	(ए)	**3,475.73**	**2,311.96**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कम्पनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) (जारी...)

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
स्थाई परिसम्पत्तियों का क्रय		(889.37)	(1,134.56)
बैंक जमा में निवेश		204.97	258.78
निवेश में परिवर्तन		—	—
अनुषंगी कम्पनियों में निवेश		—	(32.00)
निवेश गतिविधियों से सम्बद्ध ब्याज		—	—
निवेशों से ब्याज/लाभांश		10.59	23.25
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	**(बी)**	**(673.81)**	**(884.53)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ऋण		(2,153.78)	1,374.78
वित्तीय गतिविधियों से सम्बन्धित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(172.01)	(71.88)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		—	—
भुगतान किया गया लाभांश		(531.10)	(3,634.04)
लाभांश वितरण कर		(108.12)	(739.80)
इक्विटी शेयर पूँजी का बायबैक		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल राशि	**(सी)**	**(2,965.01)**	**(3,070.94)**
नगद एवं बैंक बचत में निबल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**(163.09)**	**(1,643.51)**
अवधि की शुरुआत में नकद एवं नकदी के समतुल्य		**325.07**	**1,968.58**
अवधि के अंत में नकद एवं नकदी के समतुल्य		**161.98**	**325.07**

(कोष्ठ में दिए गए सभी मान बहिर्प्रवाह दर्शाते हैं।)

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन – 06638291	डीआईएन – 02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)

ह/-
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कम्पनी)

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण – स्टैंडअलोन

(₹ करोड़ में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2016 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2017 को शेष	01.04.2017 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2018 को शेष
प्रत्येक रु. 1000/– के 9400000 इक्विटी शेयर्स (प्रत्येक रु. 1000/– के 9400000 इक्विटी शेयर्स)	940.00	–	940.00	940.00	–	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	ओसीआई	कुल
01.04.2016 को शेष	1,958.94	3,278.52	40.66	5,278.12
लेखा नीतियों में परिवर्तन	–	–	–	–
पूर्व अवधि त्रुटी	–	(6.02)	–	(6.02)
01.04.2016 को पुनर्लिखित शेष	**1,958.94**	**3,272.50**	**40.66**	**5,272.10**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
वर्ष में लाभ	–	1,387.11	11.73	1,398.84
विनियोग				
सामान्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	70.06	(70.06)	–	–
अन्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(3,634.04)	–	(3,634.04)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(739.80)	–	(739.80)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	–	–	–	–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–
पूर्व क्रियात्मक व्यय	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना (कर–निबल) की प्रतिपूर्ति	–	–	–	–
31.03.2017 को शेष	**2,029.00**	**215.71**	**52.39**	**2,297.10**
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.71	52.39	2,297.10
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि या त्रुटी	–	–	–	–
वर्ष में लाभ	–	789.54	91.43	880.97
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–	–	–
विनियोग				
सामान्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	39.48	(39.48)	–	–
अन्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	–	–	–	–
अंतरिम लाभांश	–	(531.10)	–	(531.10)
अंतिम लाभांश	–	–	–	–
निगम लाभांश कर	–	(108.12)	–	(108.12)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	–	–	–	–
वापसी खरीद पर कर	–	–	–	–
पूर्व क्रियात्मक व्यय का समायोजन	–	–	–	–
परिभाषित लाभ योजना (कर–निबल) की प्रतिपूर्ति	–	–	–	–
31.03.2018 को शेष	**2,068.48**	**326.55**	**143.82**	**2,538.85**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) का शतप्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईट–भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.) है। जे.सी.आर.एल. का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं. 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं. 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रणित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नो पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य–सम्पादन एवं घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये

गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहाँ समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण समेकित तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक

आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन–देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा–नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन–देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओंकोसीधेनिपटादियाहै।इसकामतलबयहहोसकताहैकिअन्यविस्तृतआयमेंपहलेसेमानेगएराशियोंकोलाभयाहानिमेंपुनःवर्गीकृतकरदिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहाँ उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनीमौजूदवर्गीकरणकेआधारपरतुलन–पत्रमेंपरिसंपत्तियोंएवंदेयताओकोप्रस्तुतकरतीहै।एकपरिसंपत्तिकोमौजूदसमझाजाताहै जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिपोंटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(सी) रिपोंटिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(डी) रिपोंटिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त

अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्त्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के विष के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

2.4.1 सामानों की बिक्री से राजस्व

वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है जब निम्नलिखित शर्त्तें पूरी की जाती है :

(ए) कंपनी ने वस्तुओं के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों का हस्तांतरण इसके खरीदार को कर दिया है;

(बी) कंपनी न तो, स्वामित्व के साथ आमतौर पर संबंधित अंश तक, सतत प्रबंधकीय संलिप्तता को और न ही बेचे गए वस्तुओं के उपर प्रभावी नियंत्रण को, धारित करती है;

(सी) राजस्व की राशि को विश्सनीयता के साथ मापा जा सकता है;

(डी) यह संभव है कि लेन–देन के साथ संबंधित आर्थिक लाभ तत्व का और प्रवाह हो जाएगा।

(इ) लेन–देन के संबंध में हुए खर्च या होने वाले खर्च की लागत को विश्वनीयता के साथ मापा जा सकता है।

भुगतान के संविदात्मक परिभाषित शर्त्तों का संज्ञान लेते हुए तथा करों, लेवियों या सरकार/अन्य वैधानिक संस्थाओं के बदले वसुले गए शुल्कों को छोड़ कर, राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक जमा के रूप में दर्ज किया जाता है जब कि राजस्व मान्यता की उपरोक्त शर्त्तें पूरी नहीं हो जाती है।

यद्यपि, द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत भविष्य लेखा मानक 18 में शैक्षणिक सामग्री के आधार पर, कंपनी यह मानती है कि उत्पाद–शुल्क की वसूली कंपनी के अपने खाते में चली जाती है। यही कारण है कि यह निर्माताओं के लिए देयता है जो कि सामानों के बेचे जाने के बावजूद उत्पादन–लागत का हिस्सा होता है। चूंकि उत्पाद शुल्क की वसूली गई राशि कंपनी के अपने खाते में चली जाती है, राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल होता है।

यद्यपि, अन्य करों, लेवियों या शुल्कों को कंपनी के खाते में लिए जाने लायक नहीं समझा जाता है और इन्हें निबल राजस्व से हटा दिया जाता है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित) को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्त्तें पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है;

(बी) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगा;

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्क्सनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते है जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संब, लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षति पूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को आस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान ;अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदानद्ध को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों यां कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथ इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 लीज पट्टा

वित्तीय लीज वह लीज है जो परिसंपत्ति के स्वामित्व पर पड़ने वाले सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों की सत्यता से हस्तांतरित करता है। टाइटल या अथवा या नहीं हस्तांतरित हो सकता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

एक लीज/पट्टा प्रारंभ होने की तारीख पर एक वित्तीय लीज अथवा संचालन लीज में वर्गीकृत होता है।

2.6.1 वित्तीय पट्टों/लीजेज

वित्तीय पट्टों को प्रारंभ की तारीख पर पट्टीकृत संपत्ति के अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है अथवा, न्यूनतम की स्थिति में राशि के वर्तमान मूल्य पर नयूनतम लीज भुगतान को वित्तीय शुल्कों एवं लीज देयता में कमी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि बचे हुए शेष देयता पर स्थिर अवधितात्मक ब्याज दर को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय शुल्कों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में लिया जाता है, और यदि वे योग्यता परिसंपत्ति में सीधे तौर पर आरोपित होने लायक हों उस स्थिति में उनको कंपनी को उधार लागतों पर आधारित सामान्य नीति के अनुसार पूंजी. कृत किया जाता है।

लीज परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी आयु पर आधारित होता है। यद्यपि, यदि उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर पाएगी या नहीं, उस स्थिति में परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी आयु तथा लीज अवधि में से न्यूनतम पर, आधारित होगा।

2.6.1.1 संचालन लीज

लीज राशि को लीज अवधि पर सीधी रेखा आधारित व्यय के तौर पर लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) कोई दूसरा व्यवस्थित आधार, उपयोगकर्ता लाभ के समयाकार को ज्यादा अच्दे तरह से प्रस्तुत करता हो य अथवा

(बी) पट्टेदार भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्थिति के अनुरूप बढ़े ताकि पट्टेदार की अनुमानित लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति वही आती है।

2.6.2 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में

संचालन लीज/पट्टा – संचालन लीजों (बीमा एवं मरम्मत जैसी सेवाओं के राशियों को छोड़कर) से प्राप्त लीज/पट्टा आय को लीज अवधि के उपर सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में लिया जाता है, जबतक या तो;

(ए) दूसरा व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न को ज्यादा प्रदर्शित करता है जिसमें लीज परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोगिता लाभ कम हो जाती है, बावजूद उसके कि पट्टादाता को भुगतान उस पर आधारित नहीं है अथवा य

(बी) पट्टेदार का भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्फिति के अनुरूप बढ़े ताकि पट्टेदार की अनुमानित स्फिति लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति नहीं आती है।

वित्तीय लीज/पट्टे – वित्तीय लीजों के अन्तर्गत लीजों से संबंधित बकाया राशि को कंपनी के लीजों में निवेश पर प्राप्य के रूप में प्रविष्टि किया जाता है। वित्तीय लीज से संबंधित निबल निवेश बकाया राशि पर स्थिर आवर्ती प्राप्ति दर प्राप्त हो सके।

संचालित लीज के व्यवस्था एवं समझौता के लिए खर्च हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज परिसंपत्ति के अग्रेषित राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा इसे लीज आय की तरह ही लीज अवधि के उपर व्यय के रूप में लिया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूहद्ध का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुलग्नि विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विक्रय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदापरिसंपत्तियोंके लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समुह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्त्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी. पी. ई.)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई भी लागत जिसे परिसंपत्ति को स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के लिए जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी. पी. ई. के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रखरखाव" के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्रापत होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों की ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यं संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है
भवनें	:	3 – 60 वर्ष
सड़कें	:	3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	:	3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
वर्ष	:	5 – 15 वर्ष
कंप्युटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमाति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार (रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) (सी. वी. सी.) अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989; भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013; सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

पिछली GAAP के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च की राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्रापत होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण;
- भौगोलिक, भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना;
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच;
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकिअमूर्तघटकभविष्यकेशोषणसेखर्चकियेजानेऔरपुनर्नवीनीकीजानेवालीसमग्रअपेक्षितमौखिकलागतकाएकतुच्छ/अप्रभेद्यभागका प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खाना/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है : जब टिकाऊ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है

जो भी घटना पहले घटित होती है य

राजस्व में लाने जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य

है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्रापित एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.1.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियाँ पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नगदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई

माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास–थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियाँ या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेनदनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी "सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेनदेन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियाँ

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभी. टीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ

असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की र्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, ता इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परि रसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंध ान, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधि ात लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधि ात लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहाँ संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेनदेन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहाँ कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले आस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या आस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें स्लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भवि य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैस वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थो (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्टीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानो के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी)पर चार्ज किया जाता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलियन क्यू. मी. में)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%	0.03
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%	

यद्यपि, जहाँ पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्तियोग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्तियोग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लटी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कालरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्राधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलावा), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियाँ/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिविम्बित करने के लिए, समायेजित किा जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तिय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबंद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिर्पोटिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीनियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने ना रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः

- (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है
- (ii) लेन–दनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप कोय
- (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,
- (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
- (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ;

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं ; तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतरर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहाँ ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है), जिसकी लेखा नीतियाँ, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास

करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रुवल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्त्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पट्टो के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएँ

रिर्पोटिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएँ, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बार है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। केंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भवि य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिमाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब्त तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के अंकित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके अंकित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, अंकित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जो. खिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- ➢ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- ➢ छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से अंकित मूल्य
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से अंकित मूल्य
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सि,ांत
एफ.	इन्ड एएस	भारतीय लेखा मानक
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
आइ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ
नोट 3 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/स्थल वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेक्षण ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
अग्रेनित राशि :															
01 अप्रैल, 2016 को	17.49	559.53	479.75	180.29	1,387.12	1.79	14.86	7.74	27.03	9.36	–	179.22	76.14	–	2,940.32
जोड़	–	116.26	–	8.86	87.17	–	19.94	2.04	5.38	2.89	–	19.04	8.02	–	269.60
विलोपन/समायोजन	–	(5.30)	–	–	(12.78)	–	(0.07)	(0.11)	0.04	(0.01)	–	–	(1.59)	–	(19.82)
31 मार्च, 2017 को	**17.49**	**670.49**	**479.75**	**189.15**	**1,461.51**	**1.79**	**34.73**	**9.67**	**32.45**	**12.24**	–	**198.26**	**82.57**	–	**3,190.10**
01 अप्रैल, 2017 को	17.49	670.49	479.75	189.15	1,461.51	1.79	34.73	9.67	32.45	12.24	–	198.26	82.57	–	3,190.10
जोड़	–	84.39	–	61.23	206.64	0.07	–	2.07	10.83	0.06	–	13.05	3.72	–	362.06
विलोपन/समायोजन	–	–	–	–	(10.17)	–	–	–	(0.06)	(0.01)	–	(0.29)	(5.78)	–	(16.31)
31 मार्च, 2018 को	**17.49**	**734.88**	**479.75**	**250.38**	**1,657.98**	**1.86**	**34.73**	**11.74**	**43.22**	**12.29**	–	**211.02**	**80.51**	–	**3,535.85**
मूल्य ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2017 को	–	25.10	50.43	8.59	242.16	0.14	3.14	1.94	4.67	1.20	–	23.00	37.97	–	398.34
वर्ष के लिए शुल्क	–	44.53	45.19	8.79	228.92	0.09	3.72	2.01	7.95	1.29	–	17.96	–	–	360.45
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.03	8.42	–	10.45
विलोपन/समायोजन	–	–	–	–	(4.84)	0.14	–	0.29	(0.46)	–	–	(0.67)	–	–	(5.54)
31 मार्च, 2017 को	–	**69.63**	**95.62**	**17.38**	**466.24**	**0.37**	**6.86**	**4.24**	**12.16**	**2.49**	–	**42.32**	**46.39**	–	**763.70**
01 अप्रैल, 2017 को	–	69.63	95.62	17.38	466.24	0.37	6.86	4.24	12.16	2.49	–	42.32	46.39	–	763.70
वर्ष के लिए शुल्क	–	54.98	36.41	10.68	213.76	0.14	3.94	1.44	7.83	1.53	–	17.94	–	–	348.65
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.83	(1.65)	–	4.18
विलोपन/समायोजन	–	0.78	–	(0.07)	(6.30)	–	–	(0.01)	0.06	–	–	0.48	(0.03)	–	(5.09)
31 मार्च, 2018 को	–	**125.39**	**132.03**	**27.99**	**673.70**	**0.51**	**10.80**	**5.67**	**20.05**	**4.02**	–	**66.57**	**44.71**	–	**1,111.44**
निबल अग्रणित राशि															
31 मार्च, 2018 को	17.49	609.49	347.72	222.39	984.28	1.35	23.93	6.07	23.17	8.27	–	144.45	35.80	–	2,424.41
31 मार्च, 2017 को	17.49	600.86	384.13	171.77	995.27	1.42	27.87	5.43	20.29	9.75	–	155.94	36.18	–	2,426.40
01 अप्रैल, 2016 को	17.49	534.43	429.32	171.70	1,144.96	1.65	11.72	5.80	22.36	8.16	–	156.22	38.17	–	2,541.98

1. अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं।
2. अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लिखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ वैल्यू का अन्य कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
3. चालू वर्ष के दौरान, परित्यक्त परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि 1.65 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 8.42 करोड़ रुपए चार्ज किया गया) अपहरित गई है।
4. लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को, पिछले साल व्यवसाय करने और कंपनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य 88.09 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये की निकासी करने का अधिकार दिया है।
5. 348.65 करोड़ रुपये के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से सम्बन्धित 17.94 करोड़ रुपये का परिशोधन शामिल है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यू आई पी

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	योग
अग्रेनीत राशि :						
01 अप्रैल, 2016 को	52.11	39.91	91.43	132.55	–	316.00
जोड़	59.01	45.77	756.41	17.24	–	878.43
पूंजीकरण/विलोपन	(7.52)	(21.60)	–	(1.85)	–	(30.97)
31 मार्च, 2017 को	**103.60**	**64.08**	**847.84**	**147.94**	–	**1,163.46**
01 अप्रैल, 2017 को	103.60	64.08	847.84	147.94	–	1,163.46
जोड़	96.41	13.56	467.60	38.99	–	616.56
पूंजीकरण/विलोपन	(57.97)	(29.59)	–	(12.00)	–	(99.56)
31 मार्च, 2018 को	**142.04**	**48.05**	**1,315.44**	**174.93**	–	**1,680.46**
प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2016 को	0.55	2.58	3.59	5.88	–	12.60
वर्ष के लिए शुल्क	1.05	0.53	4.11	3.94	–	9.63
हानि	–	–	–	–	–	–
विलोपन/समायोजन	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2017 को	1.60	3.11	7.70	9.82	–	22.23
01 अप्रैल, 2017 को	1.60	3.11	7.70	9.82	–	22.23
अवधि के लिए शुल्क	0.35	2.16	3.85	1.82	–	8.18
हानि	–	–	–	1.45	–	1.45
विलोपन/समायोजन	(0.01)	(0.20)	–	(0.51)	–	(0.72)
निबल अग्रेनीत राशि						
31 मार्च, 2018 को	140.10	42.98	1,303.89	162.35	–	1,649.32
31 मार्च, 2017 को	102.00	60.97	840.14	138.12	–	1,141.23
01 अप्रैल, 2016 को	51.56	37.33	87.84	126.67	–	303.40

टिप्पणी :

;पद्ध मशीनरी/परिसंपत्तियों के मामले में, जिसका खरीद/अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्य ह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि 8.18 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 9.63 करोड़) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्रारंभिक प्रावधान से, 0.72 करोड़ रुपये की राशि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (नोट – 3) में स्थानांतरित कर दी गई है।

;पपद्ध सीआईएल बोर्ड ने अपनी 350वीं बोर्ड मीटिंग में कोयले की सहज निकासी के लिए टोरी–शिवपुर रेल–लाइन परियोजना से सम्बद्ध 2399.07 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी जिसके लिए पूर्व–मध्य रेलवे को 2392.13 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। पू. म. रेलवे ने 1141.54 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिसे सीडब्ल्यूआईपी में "रेलवे साइडिंग" मद के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है और 1250.59 करोड़ रुपये की शेष राशि नोट – 10 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाई गई है। उपर्युक्त परियोजना के लिए सीसीडीएसी के लिए कंपनी को अबतक 434.17 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 5 : अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसंधान एवं मूल्यांकन लागत
अग्रेनीत राशि	
01 अप्रैल, 2016 को	201.14
जोड़	36.69
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2017 को	**237.83**
01 अप्रैल, 2017 को	237.83
जोड़	23.51
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**261.34**
प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल, 2016 को	—
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	0.67
31 मार्च, 2017 को	**0.67**
01 अप्रैल, 2017 को	0.67
अवधि के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**0.67**
निबल अग्रेनीत राशि	
31 मार्च, 2018 को	**260.67**
31 मार्च, 2017 को	**237.16**
01 अप्रैल, 2016 को	**201.14**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	योग
अग्रेनीत राशि				
01 अप्रैल, 2016 को	5.14	1.71	—	6.85
जोड़	0.07	—	—	0.07
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2017 को	**5.21**	**1.71**	—	**6.92**
01 अप्रैल, 2017 को	5.21	1.71	—	6.92
जोड़	0.01	—	—	0.01
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**5.22**	**1.71**	—	**6.93**
परिशोधन एवं हानि				
01 अप्रैल, 2016 को	1.60	—	—	1.60
वर्ष के लिए शुल्क	1.73	—	—	1.73
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2017 को	**3.33**	—	—	**3.33**
01 अप्रैल, 2017 को	3.33	—	—	3.33
अवधि के लिए शुल्क	1.44	—	—	1.44
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**4.77**	—	—	**4.77**
निबल अग्रेनीत राशि				
31 मार्च, 2018 को	**0.45**	**1.71**	—	**2.16**
31 मार्च, 2017 को	**1.88**	**1.71**	—	**3.59**
01 अप्रैल, 2016 को	**3.54**	**1.71**	—	**5.25**

टिप्पणी :

विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसूला जाएगा।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गैर – चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कम्पनी – जेसीआरएल में इक्विटी शेयर	3,20,00,000 (32,00,000)	32.00	3.20
अन्य निवेश			
शेयर अप्लीकेशन मनी – जेसीआरएल		—	28.80
सिक्योर्ड बॉण्डों मे		—	—
को–ऑपरेटिव शेयरों में		—	—
कुल		**32.00**	**32.00**
उद्धृत निवेशों की संकलित राशि		—	—
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य		—	—
अनुद्धृत निवेशों की संकलित राशि		32.00	32.00
निवेश मूल्य की हानि का संकलित राशि		—	—

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी....)

(₹ करोड़ में)

	यूनिटों की संख्या चालू वर्ष / (पूर्ववर्ती वर्ष)	प्रति यूनिट फेस मूल्य (में)	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गैर – चालू				
म्युचुअल फण्ड निवेश				
युटीआई म्यूचुअल फण्ड			–	–
एसबीआई म्यूचुअल फण्ड			–	–
कैनरा रोबेको म्यूचुअल फण्ड			–	–
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फण्ड			–	–
बीओआई एएक्सए म्यूचुअल फण्ड			–	–
अन्य निवेश				
8%: कर मुक्त स्पेशल बॉण्ड (पूर्णतः पेड–अप) (व्यापार प्राप्य के प्रतिभूतिकरण पर)				
बड़े राज्य के आधार पर विश्लेषण				
– उ. प्र.			–	–
– हरियाणा			–	–
कुल			–	–
उद्धृत निवेशों का संकलित राशि			–	–
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			–	–
अनुद्धृत निवेशों का संकलित राशि			–	–
निवेश मूल्य की हानि की संकलित राशि			–	–

वर्ष के दौरान खरीदे और बेचे गए म्यूचुअल फण्डों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान कुल विमोच्य		प्राप्त लाभांश	
	युनिटों की संख्या	राशि	युनिटों की संख्या	राशि	युनिटों की संख्या	राशि
युटीआई म्यूचुअल फण्ड	31,66,426.62	322.80	32,18,976.53	328.16	52,549.91	5.36
एसबीआई म्यूचुअल फण्ड	29,26,987.29	293.65	29,72,681.62	298.23	45,694.33	4.58
कैनरा रोबेको म्यूचुअल फण्ड	1,52,262.56	15.31	1,54,651.72	15.55	2,389.16	0.24
युनियन केबीसी म्यूचुअल फण्ड	2,23,754.43	22.39	2,27,202.89	22.74	3,448.46	0.35
बीओआई एएक्सए म्यूचुअल फण्ड	68,319.07	6.85	68,900.10	6.91	581.03	0.06
कुल	65,37,749.96	661.00	66,42,412.86	671.59	1,04,662.90	10.59

टिप्पणी :

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गैर – चालू		
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	0.47	0.59
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
	0.47	0.59
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	0.47	0.59
अन्य ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान		
कुल	**0.47**	**0.59**
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	0.47	0.59
असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
संदेहास्पद	—	—
चालू		
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
अन्य ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
— संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	—	—
संदेहास्पद	—	—

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को		31.03.2018 को	
गैर – चालू				
बैंक में जमा राशि		–		0.77
निम्न मदों में बैंक में जमा				
– खदान बंदीकरण योजना		839.46		721.48
– स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि योजना		–		–
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउन्ट से प्राप्य		–		–
उपयोगिता हेतु प्रतिभूति जमा	–		–	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	–	–	–
अन्वेषात्मक कार्य के लिए प्राप्य	–		–	
घटाव : संदेहास्पद के लिए प्रावधान	–	–	–	–
अन्य प्राप्य	–		0.80	
घटाव : प्रावधान	–	–	–	0.80
कुल		839.46		723.05
चालू				
सीआईएल के पास अतिरिक्त निधि		72.74		45.14
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो अकाउन्ट से प्राप्य		–		–
होल्डिंग कम्पनी के साथ चालू खाता	–		–	
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–	–	–
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान मैच्युरिटी		–		–
मदों से प्राप्त ब्याज				
– निवेश	–		–	
– बैंक जमा	58.93		47.64	
– अन्य	0.11	59.04	0.66	48.30
अन्य जमा (खदान बन्दीकरण योजना)	180.39		150.71	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	180.39	–	150.71
प्राप्य दावा	–		4.40	
घटाव : संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	–	–	–	4.40
अन्य प्राप्य	409.67		125.24	
घटाव : संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	3.85	405.82	5.90	119.34
कुल		717.99		367.89

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ (जारी...)

टिप्पणी :

1. चूंकि दिनांक 01.3.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए सम्मन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान 79.95 करोड़ रु. का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से 4.89 करोड़ रु. की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। 4.89 करोड़ रु. में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से 2.26 करोड़ रु. के लिए स्थगन आदेश लिया है और 1.93 करोड़ रु. के शेष के विरूद्ध 1.90 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि 1019.85 करोड़ रु. (विगत वर्ष 872.19 करोड़ रु.) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर 198.79 करोड़ (पिछले वर्ष 158.68 करोड़) रु. का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)।

3. इसमे 0.80 करोड़ रु. की धोखाधड़ी की भुगतान शामिल है (नोट संख्या 38 के पारा. सं. 7.10 देखें)।

4. बैंक जमा में 3.08 करोड़ रु. की "खान बंदीकरण योजना" के अंतर्गत जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है।

5. बैंक जमा, बैंक में 12 महीने से अधिक की प्रारंभिक परिपक्वता के साथ जमा होता है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 10 : अन्य गैर – चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को		31.03.2017 को	
(i)	अग्रिम पूंजी	1,503.94		1,090.90	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.29	1,502.65	0.02	1,090.88
(ii)	अग्रिम पूंजी के अलावे अन्य अग्रिम				
	(क) उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	1.16		3.39	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	1.16	–	3.39
	(ख) अन्य जमा	–		–	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–	–	–	–
	(ग) पार्टियों से सम्बन्धित अग्रिम*		175.58		175.58
	(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	–		–	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–	–	–
	(ड.) भुगतानकृत व्यय		–		–
	(च) अन्य		–		–
	कुल		1,679.39		1,269.85

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)
अन्य कम्पनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य/निदेशक भी हैं (कम्पनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेसीआरएल	175.58	175.58	175.58	175.58
पार्टियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक (गणों) निहितार्थ हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1 *जेसीआरएल (अनुषंगी कंपनी) को वित्तीय वर्ष 16–17 के दौरान दिए गए 175.58 करोड़ रुपये का अग्रिम शिवपुर–कठौतिया रेल लाइन से सम्बद्ध है और अग्रिम पूनर्प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह जेसीआरएल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है। अग्रिम को असुरक्षित ऋण में परिवर्तित करने का निर्णय इरकॉन से संशोधित डीपीआर और बैंकेबिलिटी रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रबंधन द्वारा लिया जाएगा।

2 1503.94 करोड़ रुपये की पूंजीगत अग्रिम में टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु पूर्व–मध्य रेलवे को दिये गये 1250.59 करोड़ रुपये शामिल है (नोट – 4 देखें)।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 11 : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (सामग्री एवं सेवाओं के लिए)	128.56		74.69	
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.44	128.12	0.70	73.99
(ख) वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	485.07		396.23	
घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.31	484.76	0.21	396.02
(ग) सम्बन्धित पार्टियों को अग्रिम		–		–
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम	23.97		29.68	
घटाव : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	–	23.97	–	29.68
(ङ.) अग्रिम – अन्य	–		–	
घटाव : संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	–	–	–	–
(च) जमा – अन्य (विरोध के तहत)	839.03		835.05	
घटाव : प्रावधान	1.61	837.42	1.52	833.53
(छ) सेनवैट एवं वैट क्रेडिट प्राप्य	–		156.13	
घटाव : प्रावधान	–	–	5.59	150.54
(ज) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	481.62		–	
घटाव : प्रावधान	–	481.62	–	–
(झ) मैट क्रेडिट पात्रता	–		–	
घटाव : प्रावधान	–	–	–	–
(ञ) भुगतानकृत व्यय		0.22		–
(ट) प्राप्य दावा – अन्य	154.10		51.36	
घटाव : प्रावधान	16.65	137.45	9.19	42.17
कुल		2,093.56		1,525.93

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 11 : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (जारी...)

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)
अन्य कम्पनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य/निदेशक भी हैं (कम्पनियों के नाम के साथ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशक हितबद्ध निदेशक (गण) है	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

टिप्पणी :

1. सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में 11.73 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8.62 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है।

2. खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में सेस एवं अन्य करों के अधिनियमन के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 04 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर सेस और बिक्री कर मद में 100.33 करोड़ रुपये का पूरक बिल दिया जाए। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रॉयल्टी और सेस के लिए देय वैधानिक देय राशि में भी शामिल किया गया है। "अन्य वर्तमान देयताएँ" (नोट – 23)।

3. सभी अन्य करों को सम्मिलित कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 31.03.2018 तक 481.62 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियों के अंतर्गत 143.25 करोड़ रुपये (जीएसटी पूर्व काल से सम्बद्ध) का जीएसटी टीआरएन–1 के माध्यम से क्रेडिट पारगमन शामिल है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान इन्वर्टेड कर संरचना एवं जीएसटी टीआरएन–1 की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही लम्बित जाँच के कारण नहीं किया जा सका। औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद ही कालांतर में इसका उपयोग/दावा किया जाएगा।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 12 : सम्पत्ति सूचियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(क) कोयले की भण्डार	1,206.37	1,925.17
विकासाधीन कोयला	–	–
घटाव : प्रावधान	–	–
कोयले का भण्डार (निबल)	1,206.37	1,925.17
(ख) सामान एवं कलपुर्जो का भण्डार (लागत पर)	178.38	208.04
जोड़ : परागमन में भण्डार	4.42	1.53
घटाव : प्रावधान	44.88	44.79
सामान एवं कलपुर्जो का निबल भण्डार (लागत पर)	137.92	164.78
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भण्डार	0.82	0.58
(घ) कार्यशाला कार्य :		
कार्य प्रगति पर एवं तैयार वस्तुएँ	3.39	4.76
घटाव : प्रावधान		–
कार्यशाला कार्य का निबल भण्डार	3.39	4.76
(ड.) प्रेस कार्य :		
कार्य प्रगति पर एवं तैयार वस्तुएँ	0.73	0.97
कुल	1,349.23	2,096.26

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

तालिका – ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिये गये कच्चे कोयले को इति भण्डार एवं किताबी भण्डार के साथ मिलान

	विवरण	कुल भण्डार		गैर–विक्रय योग्य/ मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	(क) 01.04.2017 तक प्रारंभिक भण्डार	176.94	1,469.68	1.21	–	175.73	1,469.68
	(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन	–	–	–	–	–	–
2.	वर्ष का उत्पादन	634.05	13,366.51	–	–	634.05	13,366.51
3.	उप योग (1 + 2)	810.99	14,836.19	1.21	–	809.78	14,836.19
4.	वर्ष में प्रेषण						
	(क) बाहरी प्रेषण	581.01	12,421.85	–	–	581.01	12,421.85
	(ख) वाशरी में फीड कोयला	94.08	1,462.02	–	–	94.08	1,462.02
	(ग) निजी खपत	–	0.01	–	–	–	0.01
	कुल (ए)	675.09	13,883.88	–	–	675.09	13,883.88
5.	प्राप्त भण्डार	135.90	952.31	1.21	–	134.69	952.31
6	मापित भण्डार	132.50	934.48	1.18	–	131.32	934.48
7.	अन्तर (5 – 6)	3.40	17.83	0.03	–	3.37	17.83
8.	अन्तर का विवरण						
	(क) 5% के अंदर अधिकता	0.13	1.35	–	–	0.13	1.35
	(ख) 5% के अंदर कमी	3.53	19.18	0.03	–	3.50	19.18
	(ग) 5% से अधिक	–	–	–	–	–	–
	(घ) 5% से अधिक में कमी	–	–	–	–	–	–
9.	खाते में अंगीकृत अंतिम स्टॉक (6 – 8ए + 8बी)	135.90	952.31	1.21	–	134.69	952.31

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

तालिका – बी

कोयले/कोक के इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला/डिसेल्ड कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
			कोकिंग		नॉन – कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भण्डार (अंकेक्षित)	176.94	1,469.68	1.02	58.01	8.71	164.91	13.52	232.57	200.19	1,925.17
घटाव : गैर–बिक्री योग्य/मिश्रित कोयला	1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (बिक्री योग्य)	175.73	1,469.68	1.02	58.01	8.71	164.91	13.52	232.57	198.98	1,925.17
उत्पादन	634.05	13,366.51	11.15	1,059.62	60.76	1,571.34	16.80	710.88	722.76	16,708.35
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	581.01	12,421.85	11.45	1,081.14	69.13	1,732.52	15.98	729.61	677.57	15,965.12
(ख) वाशरी फीड कोयला	94.08	1,462.02	–	–	–	–	–	–	94.08	1,462.02
(ग) निजी खपत	–	0.01	–	–	–	–	–	–	–	0.01
अंतिम स्टॉक	134.69	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37
घटाव : कमी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक (लिया गया)	134.69	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37

टिप्पणी :

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर कोकिंग स्लरी 15886 मी. टन (विगत वर्ष 8733 मी. टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर कोकिंग दोनों) 1071303 मी. टन (विगत वर्ष 1029625 मी. टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2. 31.03.2018 को कोकिंग और गैर कोकिंग स्लरी तथा गैर कोकिंग रिजेक्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक 275035 मी. टन (विगत वर्ष 256946 मी. टन) और 1516069 मी. टन (विगत वर्ष 7979641 मी. टन) क्रमशः तैयार बाजार की अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।

3. कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का वॉल्युमेट्रिक माप लिया जाता है और रूपान्तरण – कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमेट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकट त्रुटी को तथा गणितीय रूपान्तरण – कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपान्तरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (±) 5% का अन्तर कंपनी की लेखानीति के अनुसार नजर अंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरन्तर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.40 लाख टन के बुक स्टॉक की शुद्ध कमी जिसका मूल्य 17.83 करोड़ रुपये है, की असंगति बनी हुई है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 13 : व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
देय तिथि से 6 माह से अधिक का बकाया ऋण				
सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	–		–	
असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	904.67		760.11	
संदेहास्पद	156.08		406.52	
	1,060.75		1,166.63	
घटाव : खराब और संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	156.08	904.67	406.52	760.11
अन्य ऋण				
सुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	–		–	
असुरक्षित, सुविचारित उपयुक्त	840.64		913.68	
संदेहास्पद	65.09		81.51	
	905.73		995.19	
घटाव : खराब और संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	65.09	840.64	81.51	913.68
कुल		1,745.31		1,673.79

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
अन्य कम्पनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य/निदेशक भी हैं (कम्पनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कम्पनी के हितबद्ध निदेशक हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

व्यवसाय प्राप्य के विरुद्ध संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2017 को प्रारम्भिक शेष	488.03
जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	88.41
शेष प्रावधान	576.44
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	355.27
दिनांक 31.03.2018 को व्यवसाय प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**221.17**

टिप्पणी :

व्यापार प्राप्य के विरूद्ध 624.31 करोड़ (387.99 करोड़) का प्रावधान कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के लिए प्रस्तुत नमूनों के प्रतीक्षित परिणाम के आने तक किया गया है और नोट – 21 के प्रावधानों में अलग से उद्धृत किया गया है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 14 : नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(क) बैंकों में जमा राशि		
जमा खाते में	4.10	4.10
चालू खाते में		
- ब्याज सहित	99.76	28.85
- गैर ब्याज सहित	52.55	288.64
कैश क्रेडिट खाते में	—	—
(ख) भारत से बाहर बैंक में जमा राशि	—	—
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट् तथा स्टाम्प्	5.55	0.04
(घ) हाथ में नगद	0.02	0.01
(ड.) भारत के बाहर हाथ में नकद	—	—
(च) अन्य (मार्गस्थ धन विप्रेषण)	—	3.43
कुल नकद एवं नकद तुल्य	**161.98**	**325.07**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	—	—
कुल नकद एवं नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**161.98**	**325.07**

टिप्पणी :

1. मार्जिन राशि या सिक्यूरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के रूप में बैंकों के साथ शष राशि शून्य है।

2. हाथ में नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

3. दो अदालती मामलों के मामले में सीसीएल द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी, जो 08/01 के मामले में घिसा लाल गोयल बनाम सीसीएल और मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल तथा अन्य एफए संख्या 101/2007 और सचिव, सूचना प्राद्योगिकी विभाग और ई–गवर्नेंस, झारखण्ड सरकार, राँची के विरूद्ध 10 करोड़ की राशि खाता संख्या 404002100045433 में ग्रहणाधिकार के विरूद्ध जमा किया गया।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	1,194.23	1,349.08
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वसन निधि योजना	—	—
शेयरों के पुनः खरीद के लिए निलंब खाता	—	—
भुगतान नहीं किए गए लाभंश खाते	—	—
लाभांश खाते		
कुल	**1,194.23**	**1,349.08**

टिप्पणी :

जमा में शामिल –

(i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश अनुसार 5.74 करोड़ रुपये ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट – 23) के साथ तदनुरूपी देयता के 1.59 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।

(ii) नवंबर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान वादियों पर चार्ज किये गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शूल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार 26.46 करोड़ रुपये जमा किए गए।

(iii) मेसर्स आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड की बैंक गारंटी के भुनाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, 2016 के केस सं. डब्ल्यूपी(सी) 4179 के आदेश अनुसार 15.05 करोड़ जमा किये गए।

(iv) 162 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1218 करोड़ रुपये) की सावधि जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1103.78 करोड़

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 16 : इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अधिकृत		
प्रत्येक रू 1000/– के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर्स (प्रत्येक रू 1000/– के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर्स)	1,100.00	1,100.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक रू 1000/– के 94,00,000 इक्विटी शेयर्स (प्रत्येक रू 1000/– के 94,00,000 इक्विटी शेयर्स)	940.00	940.00
	940.00	940.00

टिप्पणी :

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गये हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गये हैं।

2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कंपनी में शेयर।

शेयरधारक का नाम	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
	शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000)	कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	सामान्य आरक्षित निधि	ऋतिधारित उपार्जन	ओ सी आई	कुल
01.04.2016 को शेष जमा	1,958.94	3,278.52	40.66	5,278.12
लेखा–नीति में परिवर्तन	—	—	—	—
पूर्व अवधि त्रुटि	—	(6.02)	—	(6.02)
01.04.2016 को शेष	**1,958.94**	**3,272.50**	**40.66**	**5,272.10**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
वर्ष में लाभ	—	1,387.11	11.73	1,398.84
विनियोग			—	—
को हस्तांतरित/सामान्य आरक्षित निधि से	70.06	(70.06)	—	—
को हस्तांतरित/अन्य आरक्षित निधि से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(3,634.04)	—	(3,634.04)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
कॉरपोरेट लाभांश कर	—	(739.80)	—	(739.80)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
पूर्व संचलित व्यय	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2017 को शेष	**2,029.00**	**215.71**	**52.39**	**2,297.10**
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.71	52.39	2,297.10
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
लेखा–नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष में लाभ	—	789.54	91.43	880.97
विनियोग				
को हस्तांतरित/सामान्य आरक्षित निधि से	39.48	(39.48)	—	—
को हस्तांतरित/अन्य आरक्षित निधि से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(531.10)	—	(531.10)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
कॉरपोरेट लाभांश कर	—	(108.12)	—	(108.12)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2018 को शेष	**2,068.48**	**326.55**	**143.82**	**2,538.85**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गैर चालू		
सावधि ऋण	–	–
संबद्ध पार्टियों से प्राप्त ऋण		
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	–	1,200.00
अन्य ऋण	–	–
कुल	**–**	**1,200.00**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	–	1,200.00
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
- बैंकों से	150.00	1,103.78
- अन्य पार्टियों से	–	–
संबद्ध पार्टियों से प्राप्त ऋण (एमसीएल)	–	–
कुल	**150.00**	**1,103.78**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	150.00	1,103.78
असुरक्षित	–	–

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ ₹ में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

1. **कैश क्रेडिट सुविधा :**

कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) 55 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट की सुविधा है। उपर्युक्त सुविधाएँ मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथेकेशन चार्ज लगाकर जिसमें बही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्द्ध–तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा करोड़ रुपये 83.00 है।

2. 162 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1218 करोड़ रुपये) की सावधि जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1103.78 करोड़ रुपये) का अल्पकालिक ऋण उठाया गया है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 19 : व्यापार देयता

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु व्यापार देयता	–	–
अन्य व्यापार देयता		
भण्डार एवं कलपुर्जे	129.24	109.77
ऊर्जा एवं ईंधन	34.21	24.45
अन्य	–	–
कुल	163.45	134.22
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	163.45	134.22

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 20 : अन्य वित्तीय देयता

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा राशि	52.03	44.51
अग्रिम धन	1.62	1.05
अन्य	6.44	14.64
कुल	**60.09**	**60.20**
चालू		
होल्डिंग कम्पनी के साथ चालू खाता	–	–
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता ;एमसीएलद्ध	–	300.00
भुगतान नहीं किया गया लाभांश	–	–
सुरक्षित जमा	119.71	101.74
बयाना धन	117.23	145.57
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए दायित्व	323.56	282.12
अन्य	5.48	5.56
कुल	**565.98**	**834.99**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	605.87	—
अवकाश नकदीकरण	107.11	153.61
अन्य कर्मचारी लाभ	218.50	213.29
	931.48	366.90
स्थान पुनः स्थापन/खदान बंदीकरण	902.56	855.11
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,368.31	1,083.80
अन्य	—	—
कुल	3,202.35	2,305.81
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	315.79	90.56
अवकाश नकदीकरण	34.67	37.57
एक्सग्रेसिया	223.67	219.94
परफॉरमेंस रिलेटेड पे	57.26	257.83
अन्य कर्मचारी लाभ	286.89	257.70
एनसीडब्लूए-X	474.73	289.76
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	136.26	12.86
	1,529.27	1,166.22
स्थान पुनः स्थापन/खदान बंदीकरण	137.88	116.92
कोयले की अंत शेष भंडार पर उत्पाद शुल्क	—	207.75
कोयला मात्रा भिन्नता के प्रावधान	624.31	387.99
अन्य	—	—
कुल	2,291.46	1,878.88

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को

टिप्पणी :

1. एनसीडब्ल्यूए – X के मद में रु. 658.92 करोड़ की कुल देयता का निवल व्यय निर्धारण 184.19 करोड़ रुपये के अग्रिम से किया गया है।

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 दिनांकित 3 अगस्त, 2017 (देखें) के माध्यम से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के वेतन और भत्ते में संशोधन के दिशानिर्देशों को भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को परिचालित किया है। इन दिशानिर्देशों का लंबित अंतिम कार्यान्वयन, अधिकारी वेतन (नियोक्ता के पीएफ योगदान सहित) के सभी तत्वों में वृद्धि के अनुमानित प्रभाव पर विचार करते हुए, 01.01.2017 से 31.03.2018 की अवधि तक, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कर्मचारी लाभ और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ, अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए 136.16 करोड़ रुपये का प्रावधान इन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

3. अन्य कर्मचारी लाभ के लिए 252.13 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 226.20 करोड़ रुपये) का प्रावधान शामिल है जिसमें तुलन पत्र तिथि तक सेवानिवृत्ति लाभ @ 9.84% की दर से प्रदान किया गया जिसके लिए अलग फंड/ट्रस्ट अभी बनाया जाना है।

4. गैर–अधिकारियों के एक्स–ग्रेसिया के लिए प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 57000/– (विगत वर्ष 54000/–) प्रति वर्ष की संशोधित दर के अनुसार प्रावधान किया गया है।

5. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निवल व्यय निर्धारण रुपये 267.23 करोड़ हुआ, बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

6. कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के लिए 624.31 करोड़ रुपये (367.99 करोड़ रुपये) का प्रावधान ग्रेड असंगति प्रसरण के लिए है, जिसके परिणाम का इंतजार/को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर @ 8% (यानी जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुँचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनंतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर उक्त प्रावधान के 1040.44 (विगत वर्ष 972.03 करोड़) के विरूद्ध 1019.85 करोड़ (विगत वर्ष 872.19 करोड़ रुपये) जमा है जिसमें अर्जित ब्याज 198.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 158.68 करोड़ रुपये) भी सम्मिलित हैं।

8. ग्रैच्युटी अधिनियम, 1972 और उसके बाद जारी संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार 29.03.2018 की प्रभावी तिथि से अधिकतम ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में ग्रैच्युटी प्रावधान में ग्रैच्युटी सीमा में बदलाव के कारण 900.33 करोड़ रुपये की देयता में वृद्धि हुई है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य गैर–चालू देयता

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि		
प्रारंभिक शेष	–	–
जोड़ : निधि (निबल टीडीएस) के निवेश से प्राप्त ब्याज	–	–
जोड़ : प्राप्त योगदान	–	–
घटाव : वर्ष के दौरान अनुषंगी कम्पनियों को जारी भुगतान	–	–
	–	–
आस्थगित आय*	438.46	183.83
कुल	438.46	183.83

टिप्पणी :

1. *इसमें टोरी–शिवपुर परियोजना के लिए सीसीडीएसी से प्राप्त अनुदान शामिल है जो 434.17 करोड़ रुपये है (गत वर्ष 179.54 करोड़) और एन.के. क्षेत्र की सड़कों के मजबूतीकरण हेतु 4.24 करोड़ थी (गत वर्ष 4.29 करोड़)।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 23 : अन्य चालू देयता

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
पूँजी व्यय	125.22	99.46
वैधानिक देय :		
सामान एवं सेवा कर	110.34	—
जीएसटी मुआवजा सेस	258.58	—
विक्रय कर/वैट	6.29	46.36
भविष्य निधि एवं अन्य	70.14	63.73
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	—	0.79
कोयले पर रॉयल्टी सेस*	202.24	168.07
भराई उत्पाद शुल्क	—	13.31
स्वच्छ ऊर्जा सेस	—	310.47
राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान ट्रस्ट	1.53	1.44
जिला खनिज संस्थापन	34.79	23.60
अन्य वैधानिक लेवी	23.15	26.63
आय पर कटौती/स्रोत पर जमा	18.00	93.69
	725.06	748.09
कोयला आयात के लिए अग्रिम	—	—
ग्राहकों/अन्य से प्राप्त अग्रिम	3,181.55	1,581.08
सेस संतुल्य लेखा	—	—
अन्य देयताएँ	870.79	540.95
कुल	**4,902.62**	**2,969.57**

*नोट – 11 के प्वाइंट नम्बर – 2 का संदर्भ लें।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कोयले की बीक्री		15,965.12		14,899.71
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी				
रॉयल्टी	1,109.31		821.06	
सामान एवं सेवा कर	470.45		—	
जीएसटी मुआवजा सेस	2,076.22		—	
कोयला पर सेस	—		—	
भराई उत्पाद शुल्क	14.18		48.32	
केन्द्रीय विक्रय कर	48.37		183.22	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	567.09		1,932.72	
राज्य विक्रय कर/वैट	73.68		270.93	
राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान ट्रस्ट	22.19		16.69	
जिला खनिज संस्थान	332.74		486.09	
अन्य लेवी (नया प्रबंधन शुल्क)	1.27		—	
कुल लेवी		**4,715.50**		**3,759.03**
कोयले की बीक्री (निबल) (ए)		**11,249.62**		**11,140.68**
(बी) अन्य संचालित राजस्व				
कोयला आयात के लिए सरलीकरण शुल्क		—		—
बालू भराई एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अनुदान		1.05		1.42
लोडिंग तथा अतिरिक्त यातायात खर्च	453.62		372.97	
घटाव : जीएसटी	17.38		—	
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	2.43	433.81	7.98	364.99
निकासी सुविधा शुल्क	107.68		—	
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	5.13	102.55	—	—
अन्य संचालन से राजस्व (निबल) (बी)		**537.41**		**366.41**
संचालन से राजस्व (ए+बी)		**11,787.03**		**11,507.09**

टिप्पणी :

1. उत्पाद शुल्क, एसीडी, जेवीएटी, सीएसटी इत्यादि 01.07.2017 से प्रभावी जीएसटी की शुरुआत के साथ उसमें समाहित हो गए। अतः वर्तमान वर्ष के आँकड़े जहाँ भी दर्शाए गए हैं वह तीन महीने के अवधि के लिए हैं और तुलनीय नहीं है।
2. कोयले की बिक्री के 145.41 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 711.80 करोड़) में उत्पाद शुल्क शामिल है। उत्पाद शुल्क के अलावा कोयले (निबल) की बिक्री 30.06.2017 तक 2737.70 करोड़ रुपये है (विगत वर्ष 10428.88 करोड़ रुपये)।
3. 30.06.2017 तक की अवधि के लिए लोडिंग और परिवहन शुल्क (उत्पाद शुल्क का निबल) 86.39 करोड़ रुपये (उत्पाद शुल्क 5.19 करोड़ रुपये) है। विगत वर्ष इस प्रकार का शुल्क 344.52 करोड़ (उत्पाद शुल्क 20.47 करोड़ रु.) था।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय (कुल)		
बैंक के साथ जमा*	201.02	255.12
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 17.29 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 20.74 करोड़)		
निवेश	—	—
ऋण		
– कर्मचारी	0.53	0.35
– जेसीआरएल (संबंद्ध पार्टी)	—	0.21
(स्रोत पर कटौती कर ₹ शून्य, पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़)		
सीआईएल के अंदर स्थित निधि (संबंद्ध पार्टी)	3.42	1.53
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 0.34 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.16 करोड़)		
अन्य	59.84	1.57
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 0.22 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.16 करोड़)		
लाभांश आय		
अनुषंगियों में निवेश	—	—
म्युचुवल फंड में निवेश	10.59	23.25
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (कर मुक्त स्पेशल बांड्स 8%)	—	—
अन्य गैर चालू आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	—	0.02
विदेशी मुद्रा लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर में बदलाव	—	—
लाज लगान	4.02	4.01
(स्रोत पर कटौती क ₹ 0.08 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.08 करोड़)		
देयता/प्रावधान वापस लिया गया	136.25	185.44
भंडार में कमी पर उत्पाद शुल्क	—	—
विविध आय	93.29	89.97
कुल	**508.96**	**561.47**
विविध आय		
पेनाल्टी/एलडी वसूली	46.13	33.42
साइडिंग शुल्क की वसूली	5.77	6.26
कर्मचारियों से वसूली	12.86	10.24
अन्य	28.53	40.05
कुल	**93.29**	**89.97**

* बैंक जमा से ब्याज में एक्क्रो अकाउन्ट का ब्याज 43.19 करोड़ रु (विगत वर्ष 56.46 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज 3.08 करोड़ रु. शामिल है (नोट सं. – 21 देखें)

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 26 : उपभोग किए गए सामान की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	152.85	175.85
लकड़ी	0.40	0.77
ऑयल एण्ड लुब्रिकेंट्स	361.31	350.93
एचईएमएम कलपुर्जे	137.70	179.21
अन्य उपभोग लायक स्टोर एवं कलपूर्जे	79.00	92.74
कुल	731.26	799.50

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 27 : तैयार सामान, कार्यप्रगति पर तथा व्यवसाय में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	कोयले की प्रारंभिक भंडार	1,925.17	1,313.62
	जोड़ : प्रारंभिक भंडार का समायोजन	(207.75)	0.09
	घटाव : कोयले की विकृति	—	—
		1,717.42	1,313.71
	कोयले की अंतिम शेष भंडार	1,206.37	1,925.17
	घटाव : कोयले की विकृति (गिरावट)	—	—
		1,206.37	1,925.17
ए.	**कोयले की सूची में परिवर्तन**	**511.05**	**(611.46)**
	वर्कशॉप में निर्मित तैयार सामान और प्रगति में कार्य का प्रारंभिक भंडार	4.76	3.59
	जोड़ : प्रारंभिक भंडार का समायोजन	—	—
	घटाव : प्रावधान	—	—
		4.76	3.59
	वर्कशॉप में निर्मित तैयार सामान और प्रगति में कार्य का अंतिम शेष भंडार	3.39	4.76
	घटाव : प्रावधान	—	—
		3.39	4.76
बी.	**वर्कशॉप की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	**1.37**	**(1.17)**
	प्रेस प्रारंभिक कार्य		
	(i) तैयार वस्तुएँ	0.62	0.47
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.35	0.52
		0.97	0.99
	घटाव : प्रेस अंतिम शेष कार्य		
	(i) तैयार वस्तुएँ	0.54	0.62
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.19	0.35
		0.73	0.97
सी.	**प्रेस कार्य के अंतिम शेष भंडार की सूची में परिवर्तन**	**0.24**	**0.02**
	व्यापार में भंडार की सूची में परिवर्तन (ए+बी+सी) { कमी / (वृद्धि) }	**512.66**	**(612.61)**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन मजदूरी, भत्ता, बोनस, इत्यादि	3,028.04	2,677.81
एनसीडब्लूए के लिए प्रावधान (एनसीडब्लूए) - X	369.16	289.76
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण*	123.40	12.86
एक्स–ग्रेसिया	222.92	231.76
प्रदर्शन संबंधित वेतन	22.38	30.26
पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	382.34	383.91
ग्रेच्युटी	1,014.03	161.84
अवकाश नकदीकरण	66.38	202.39
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम	0.40	0.91
वर्कमैन कम्पनसेशन	(0.64)	1.26
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	37.55	34.74
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	28.91	(26.13)
स्कूल एवं संस्थाओं को अनुदान	24.09	25.16
स्पोर्ट्स एवं मनोरंजन	2.84	2.70
कैंटिन एवं शिशुगृह	0.33	0.35
बिजली – शहरी क्षेत्र	106.39	105.91
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का किराया शुल्क	6.98	7.30
अन्य कर्मचारी लाभ	54.81	58.94
कुल	**5,490.31**	**4,401.73**
अन्य कर्मचारी लाभ का विस्तृत विवरण		
एलटीसी/एलएलटीसी	12.32	13.32
एलसीएस	4.53	6.64
मकान किराया भत्ता	21.61	21.02
गैस की अदायगी	10.34	12.05
अन्य	6.01	5.91
कुल	**54.81**	**58.94**

*नोट संख्या 21 का प्वाईंट सं. 2 का फुट नोट देखें।

टिप्पणी :

1. ऊपर 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीडब्ल्यूए – X में 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि से संबंधित 104.75 करोड़ रूपये शामिल हैं।
2. गेच्युटी अधिनियम, 1972 और उसके बाद जारी संसोधन अधिसूचनाओं के अनुसार, 29.03.2018 की प्रभावी तिथि से अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में ग्रेच्युटी प्रावधान में ग्रेच्युटी सीमा में बदलाव के कारण 900.33 करोड़ रुपये की देयता में वृद्धि हुई है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	37.90	30.29
कुल	**37.90**	**30.29**

विवरण	नगद में	नगद में भुगतान करना है	योग
(i) परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	4.81	1.14	5.95
(ii) अन्य उपरोक्त के अलावा	30.20	1.75	31.95
कुल	**35.01**	**2.89**	**37.90**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भवन	199.61	110.98
संयंत्र एवं मशीनरी*	110.91	80.48
अन्य	16.63	13.93
कुल	327.15	205.39

अन्य का विवरण

सड़क एवं पुलिया	4.19	6.28
भारी वाहन	1.98	2.54
कार एवं जीप	0.37	0.54
अन्य	10.09	4.57
कुल	16.63	13.93

* 140.07 करोड़ रू. वर्कशॉप खर्च के साथा निबलित (पिछले वर्ष 149.29 करोड़ रू.)

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
परिवहन व्यय :		
बालू	0.04	0.17
कोयला	341.57	326.35
भंडार एवं अन्य	0.64	6.76
वैगन लदाई	31.55	29.05
संयंत्र एवं मशीनरी का किराया	814.32	853.59
अन्य संविदात्मक कार्य	115.95	105.07
कुल	**1,304.07**	**1,320.99**

अन्य संविदात्मक कार्य का विवरण		
अन्य संविदात्मक व्यय	58.38	49.27
विभिन्न खनन कार्य	57.46	55.68
अन्य	0.11	0.12
कुल	**115.95**	**105.07**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
ब्याज व्यय		
उधार		
— एमसीएल से ऋण (संबद्ध पार्टी)	90.53	0.29
— अन्य	11.17	1.45
अनवाइन्डिंग ऑफ डिस्काउन्ट्स	68.41	68.11
ग्रुप के अन्दर रखा हुआ राशि	—	—
उचित मूल्य परिवर्तन (निबल)	—	—
अन्य	1.90	2.03
कुल	172.01	71.88
अन्य		
पेंशन निधि पर ब्याज	0.02	0.10
कर्मचारियों के सुरक्षित जमा पर ब्याज	0.51	1.09
अन्य	1.37	0.84
कुल	1.90	2.03

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 33 : प्रावधान (रिवर्सल का नेट)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(ए) भत्ता/के लिए प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	88.41	120.30
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	1.35	—
भंडार एवं कलपुर्जे	0.09	3.49
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	404.33	367.14
अन्य (सीडब्लूआइपी पर प्रावधान)	8.18	9.63
कुल (ए)	**502.36**	**500.56**
(बी) भत्ता/रिवर्सल प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	97.02	—
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	—	24.60
भंडार एवं कलपुर्जे	—	—
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	168.01	25.26
अन्य	—	—
कुल (बी)	**265.03**	**49.86**
कुल (ए–बी)	**237.33**	**460.70**

टिप्पणी :

वर्ष के दौरान रेफर किये गए नमूनों के प्रतीक्षित परिणाम के लिए कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के मद में 236.32 करोड़ रुपये (341.88 करोड़ रुपए) का निबल प्रावधान किया गया है।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 34 : रद्द किया गया (पूर्व प्रावधान का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
संदेहात्मक ऋण	258.97	332.29
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	258.25	315.34
	0.72	16.95
संदेहात्मक अग्रिम	—	9.85
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	—	6.01
	—	3.84
कोयले का भण्डार	—	—
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	—	—
	—	—
अन्य	—	0.01
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	—	—
	—	0.01
कुल	0.72	20.80

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
यातायात व्यय		
घरेलू	19.56	21.04
विदेशी	0.21	0.23
प्रशिक्षण व्यय	6.34	7.43
टेलीफोन एवं पोस्टेज	3.05	2.95
विज्ञापन एवं प्रकाशन	3.76	3.23
ढुलाई शुल्क	0.02	0.04
डेमरेज	25.88	16.17
दान/चंदा	—	—
सुरक्षा व्यय	175.70	156.68
सीआईएल का सेवा शुल्क	63.43	33.69
किराया शुल्क	44.43	44.18
सीएमपीडीआई शुल्क	41.13	23.96
कानूनी व्यय	5.58	8.35
बैंक शुल्क	0.11	0.20
गेस्ट हाउस व्यय	0.71	0.79
परामर्श शुल्क	1.10	3.00
अंडरलोडिंग शुल्क	199.57	142.16
बिक्री पर हानि/हटाया गया/सम्पत्तियों का सर्वे ऑफ	3.10	0.58
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण फीस के लिए	0.20	0.27
कर संबंधी मामले	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.21	0.16
व्ययों की प्राप्ति	0.11	0.10
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	2.56	2.29
पुनर्स्थापन शुल्क	40.54	36.55
रॉयल्टी एवं सेस	302.11	818.23
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	—	91.71

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 35 : अन्य व्यय (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
जीएसटी	—	—
किराया	0.52	0.57
दरों एवं करों	6.39	3.24
बीमा	0.90	0.85
विदेशी विनिमय लेनदेन पर हानि	—	—
विनिमय दर में बदलाव से हानि	—	—
लीज किराया	—	—
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.31	2.55
समाप्त किराया/सतही किराया	0.18	0.08
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	9.21	22.87
भूमि एवं फसल क्षतिपूर्ति	—	—
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.38	0.22
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	3.36	5.03
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	58.14	72.34
कुल	**1,020.80**	**1,521.74**

टिप्पणी :

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, 40.54 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 36.55 करोड़ रुपये) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।

2. होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर @ 10 रुपये प्रति टन (विगत वर्ष 5 रुपये प्रति टन) की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि 63.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.69 करोड़ रुपये) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वर्तमान वर्ष	801.15	1,030.65
आस्थगित कर	(247.09)	(46.46)
एमएटी क्रेडिट इन्टाइटलमेंट	—	—
पूर्ववर्ती वर्ष	—	—
कुल	554.06	984.19

कर व्यय एवं लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुना कर सामंजस्य

कर पूर्व कुल विस्तृत आय कर	1,499.19	2,391.35
पुनर्लिखाव का प्रभाव	—	2.30
कर पूर्व कुल विस्तृत आयकर (समायोजित)	1,499.19	2,393.65
34.680 % कंपनी की घरेलू कर दर पर कर (विगत वर्ष 34.608%)	518.84	828.39
कर प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	381.62	134.35
कर छूट प्राप्त आय	(3.66)	(8.05)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	(2.88)	84.67
लाभ एवं हानि (टीसीआई पर कर) विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	893.92	1,039.36
ओसीआई पर कर	92.77	8.71
लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	801.15	1,030.65
प्रभावी आयकर दर	34.608%	34.608%

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं		
अचल संपत्ति से संबद्ध	3.60	0.06
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयताएं	3.60	0.06
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
संदेहात्मक अग्रिम, दावे एवं ऋण हेतु प्रावधान	301.32	311.56
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	635.43	354.30
अन्य	114.43	106.08
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**1,051.18**	**771.94**
निबल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(आस्थगित कर देयताएं)	**1,047.58**	**771.88**

31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

			31.03.2018 को	31.03.2017 को
(ए)	(i)	**लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
		पुनर्मूल्यांकन बचत में बदलाव	–	–
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	155.59	20.05
		ओसीआई के द्वारा इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	–	–
		एफभीटीपीएल पर स्थापित वित्तीय देयता का निजी क्रेडिट रिस्क संबंधित अंकित मूल्य परिवर्तन	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (ए)	**155.59**	**20.05**
	(ii)	**लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर संबंधित मद**		
		पुनर्मूल्यांकन अतिरिक्त में बदलाव	–	–
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	64.16	8.32
		ओसीआई के द्वारा इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	–	–
		एफभीटीपीएल पर स्थापित वित्तीय देयता का निजी क्रेडिट रिस्क संबंधित अंकित मूल्य परिवर्तन	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (बी)	**64.16**	**8.32**
		कुल (सी = ए – बी)	**91.43**	**11.73**
(बी)	(i)	**लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत होने वाले मद**		
		विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण से संबंधित विनियोग अंतर	–	–
		ओसीआई से प्राप्त डेट इन्स्ट्रुमेंट	–	–
		संबंधित विनियोग अंतर हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट पर लाभ एवं हानि का प्रभावी अंश	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (डी)	–	–
	(ii)	**लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत होने वाले आयकर संबंधित मद**		
		विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण से संबंधित विनियोग अंतर	–	–
		ओसीआई से प्राप्त डेट इन्स्ट्रुमेंट	–	–
		संबंधित विनियोग अंतर हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट पर लाभ एवं हानि का प्रभावी अंश	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (ई)	–	–
		कुल (एफ = डी – ई)	–	–
		कुल (सी + एफ)	**91.43**	**11.73**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अंकित मूल्य मापन

(ए) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	एफवीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	परिशोधन लागत	एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश	—	—	—	—	—	—
सुरक्षित बॉन्ड	—	—	—	—	—	—
अनुषंगी में अधिमानी शेयर	—	—	—	—	—	—
म्युचुवल फंड	—	—	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	32.00	—	—	32.00
ऋण	—	—	0.47	—	—	0.59
जमा एवं प्राप्य	—	—	1557.45	—	—	1090.94
व्यापार प्राप्य	—	—	1745.31	—	—	1673.79
कैश एवं कैश समतुल्य	—	—	161.98	—	—	325.07
अन्य बैंक शेष	—	—	1194.23	—	—	1349.08
वित्तीय देयता						
उधार	—	—	150.00	—	—	2603.78
व्यापार देय	—	—	163.45	—	—	134.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	—	290.59	—	—	292.87
अन्य देयता	—	—	335.48	—	—	302.32

(बी) अंकित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधनों के अंकित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों के आंकलनों को नीचे दिए गए तालिका में दिखलाया गया है (ए) अंकित मूल्य पर मापा गया एवं स्वीकारा गया तथा (बी) अमूर्त लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों में अंकित मूल्यों को दर्शाया गया है। अंकित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में निर्दिष्ट करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत वर्णीत 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का विवरण नीचे दिए गए तालिका में है।

(₹ करोड़ में)

अंकित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पत्ति और देनदारियाँ	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	लेवल I	लेवल II	लेवल III	लेवल I	लेवल II	लेवल III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
म्युचुवल फंड	—	—	—	—	—	—
वित्तीय देयता						
अन्य कोई मद, यदि	—	—	—	—	—	—

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए अंकित मूल्यों को 31 मार्च 2018 को दिखलाया गया है	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	लेवल I	लेवल II	लेवल III	लेवल I	लेवल II	लेवल III
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर	—	—	32.00	—	—	32.00
म्यूचुअल फंड	—	—	—	—	—	—
ऋण	—	—	0.47	—	—	0.59
जमा और प्राप्य	—	—	1557.45	—	—	1090.94
व्यापार से प्राप्य	—	—	1745.31	—	—	1673.79
कैश और कैश समतुल्य	—	—	161.98	—	—	325.07
अन्य बैंक में शेष	—	—	1194.23	—	—	1349.08
वित्तीय देयता						
अधिमांग शेयर	—	—	—	—	—	—
उधार	—	—	150.00	—	—	2603.78
व्यापार देय	—	—	163.45	—	—	134.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	—	290.59	—	—	292.87
अन्य देयता	—	—	335.48	—	—	302.32

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई है।

स्तर I : स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत्त मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें वैसे म्युचूअल फंड शामिल हैं जिनका उदृत्त मूल्य है तथा अंतिम एनएवी का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है।

स्तर II : वित्तीय साधनों, जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के अंकित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखेजाने योग्य हैं, तब साधन को लेबल II में शामिल किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या एक से अधिक महत्तपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तब साधन को स्तर III में शामिल किया जाता है। यह स्तर III में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(सी) अंकित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में साधनों के उदृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल हैं।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(डी) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुटो का उपयोग कर उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ई) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानों से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

  महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वयं के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एवं उधारों, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित्त प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल होते हैं।

ईंधन आपूर्ति समझौता

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं :

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन–पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों ;सरलीकृत पहुंचद्ध के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

31.03.2018 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीने से बकाया	6 महीने से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	1 साल से अधिक का बकाया	कुल
ग्रोस केयरिंग अमाउन्ट	480.06	425.67	591.36	170.13	132.18	167.08	1966.48
अनुमानित हानि दर	3.86	5.06	8.48	17.68	35.22	32.51	11.25
अनुमानित ऋण हानि भत्ता	18.54	21.56	50.13	30.08	46.55	54.31	221.17

31.03.2017 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीने से बकाया	6 महीने से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
ग्रोस केयरिंग अमाउन्ट	491.93	503.26	536.29	295.39	90.72	244.23	2161.82
अनुमानित हानि दर	5.74	10.58	15.78	31.10	46.73	76.83	22.58
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	28.25	53.26	84.62	91.86	42.39	187.65	488.03

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलल एवं निर्णय दुर्बलता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उपरोक्त प्रदर्शित किए गए क्षति प्रावधान दोष की जोखिम एवं अनुमानित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित होती है। प्रत्येक रिर्पोटिंग अवधि के अंत में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार हालात साथ ही साथ भावी आंकलनों के आधार पर, कंपनी इन मान्यताओं को बनाने एवं क्षति गणना के लिए आंकड़ों का चयन करने हेतु निर्णय उपयोग करती है।

ए. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अभिप्राय होता है, पर्याप्त नगद तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियों का रखरखाव एं बकाए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन को उपलब्धता बनाए रखना। अंकित व्यवसायों के गतिमान प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता के निर्वहन द्वारा धन जुटाने में लचीलापन का निर्वाह करती है।

प्रबंधन, कंपनी के तरलता स्थिति के अनुमानों (निकासी किए गए उधार सुविधाओं के साथ, नीचे वर्जित) एवं अनुमानित नगद प्रवाहों के आधार पर नगदी एवं नगद समतुल्य का संचालल करती है। यह आमतौर पर कंपनी के द्वारा तय किए गए सीमाओं एवं प्रयासों के अनुसार कंपनी के संचालन में लोकल स्तर पर की जाती है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

बी. बाजार जोखिम

(ए) कैश फ्लो एवं अंकित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज ;डीपीईद्ध के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

सी. पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	–	1200.00

3. कर्मचारी लाभ : पहचान एवं मापीकरण (भारतीय लेखा मानक – 19)

(i) प्रॉविडेन्ट फंड

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए 325.97 करोड़ रूपए के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है (नोट – 28)

(ii) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार है :

(ए) निधिक

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नगदीकरण

(बी) अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- एल टी सी
- चिकित्सा लाभ
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2018 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि 3070.16 करोड़ रूपए है, जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ों में)

मद	01.04.2017 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता	31.03.2018 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	1590.34	798.37	2388.71
अर्जित अवकाश	408.39	(38.01)	370.38
अर्ध वेतन अवकाश	59.36	(20.74)	38.62
लाइफ कवर स्कीम	11.22	(1.10)	10.12
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	0.61	6.56	7.17
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	18.16	(1.56)	16.60
सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम	0.16	(0.01)	0.15
एल टी सी	34.21	0.15	34.36
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	149.82	24.32	174.14
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	3.36	1.46	4.82
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	26.20	(1.11)	25.09
कुल	2301.83	768.33	3070.16

(iii) वास्तविकता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नगदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

31.03.2018 को ग्रेच्युटी देयता का वास्तविक मूल्यांकन भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1590.34	1565.83
चालू सेवा लागत	99.50	115.01
ब्याज लागत	116.34	106.41
योजना संशोधन	900.33	—
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(113.16)	92.46
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(42.10)	(93.02)
भुगतान किया गया लाभ	162.55	196.35
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2388.71	1590.34

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	1561.37	1387.62
ब्याज आय	117.10	100.60
नियोक्ता योगदान	0.24	250.00
भुगतान किया हुआ लाभ	162.55	196.35
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	0.32	19.49
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	1516.49	1561.37

(₹ करोड़ों में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
निधिक स्थिति	(872.22)	(28.97)
अवधि के अंत में उपेक्षित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	1516.49	1561.37
निधि देयता	2388.71	1590.34

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट की दर	7.71%	7.00%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.71%	7.00%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूर्ति)	अधिकारी : 9.00% कर्मचारी : 6.25%	अधिकारी : 9.00% कर्मचारी : 6.50%
मॉर्टिलिटी सारणी	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	1.00% प्रति वर्ष

(₹ करोड़ों में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
चालू सेवा लागत	⅟99.50	115.01
पूर्व सेवा लागत (निहित)	900.33	5.80
निबल ब्याज लागत	(0.75)	5.80
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	999.08	120.81

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(113.16)	92.46
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.10)	(93.02)
कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	(155.27)	(0.56)
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	0.32	19.49
निबल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	(155.59)	(20.05)

मृत्यु दर सारणी	
उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

31.03.2018 को भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण – पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषिक लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	467.75	378.15
चालू सेवा लागत	43.33	50.72
ब्याज लागत	30.14	23.33
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	(23.89)	66.86
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	45.35	61.48
भुगतान किया हुआ लाभ	153.67	112.79
अवधि के अंत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	409.01	467.75

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	276.57	—
ब्याज आय	21.32	6.73
नियोक्ता योगदान	125.13	382.96
भुगतान किया हुआ लाभ	153.67	112.79
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(2.11)	(0.33)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	267.23	276.57

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
निधिक स्थिति	(141.77)	(191.18)
अवधि के अंत में उपेक्षित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	267.23	276.57
निधि देयता	409.01	467.75

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
चालू सेवा लागत	43.33	50.72
निबल ब्याज लागत	8.82	16.59
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	23.57	128.68
लाभ लागत(लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	75.72	195.99

योजना पूर्वानुमान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट की दर	7.71%	7.25%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.71%	7.25%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूति)	अधिकारी के लिए 9.00% तथा गैर–अधिकारियों के लिए 6.25%	अधिकारी के लिए 9.00% तथा गैर–अधिकारियों के लिए 6.50%
मृत्यु–दर तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% प्रति वर्ष	1.00% प्रति वर्ष
स्वैच्छिक सेवानिवृति	उपेक्षित	उपेक्षित

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

मृत्यु–दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

4. अभिज्ञ मद

(ए) आकस्मिक देयताएं

I. कम्पनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	766.32	2387.67	—	831.04	3985.03
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	501.20	13543.58	—	114.20	14158.98
3	वर्ष के दौरान दावा निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	597.62	4.33	—	301.68	903.63
	बी. वर्ष के दौरान योग से	—	—	—	—	—
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान	597.62	4.33	—	301.68	903.63
4	31.03.2018 को अंतिम शेष	669.90	15926.92	—	643.56	17240.38

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी)

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए ।

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय,भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है. पुनर्रीक्षण प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश (13389.38 करोड़ रूपये) पर स्थगन आदेश दिया है।

II. गारंटी

31.03.2018 तक निर्गत बैंक गारंटी रुपये 290.25 करोड़ है (विगत वर्ष 4.10 करोड़ रुपये)

III. साख – पत्र

31.03.2018 तक बकाया साख – पत्र 32.58 करोड़ रुपये हैं (विगत वर्ष 46.91 करोड़ रुपये)।

(बी) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते में व्यय हेतु अनुमानित करार राशि

(सी) अन्य प्रतिबद्धताएं : रुपये 8615.11 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 8654.82 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	प्रधान गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज (%)	
			31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पादन	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखण्ड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64.00 %	71.03 %

6. अन्य सूचनाएँ

(ए) सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक के 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी पेश करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सेगमेंट को बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर सेगमेंट में संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचाना जाता है। भारतीय लेखा मानक के 108 के अनुसार में मुख्य संचालन निर्णय कर्ताओं का समूह बोर्ड है।

बोर्ड व्यापार को महत्वपूर्ण उत्पाद पेशकश की दृष्टी मानता है और यह निर्णय लिया कि वर्तमान में कोयला की बिक्री ही एक ही रिपोर्ट योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन और संपत्ति की जानकारी समेकित रिपोर्ट के लाभ और हानि विवरण एवं तुलन पत्र में दी जा रही है ।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

गंतव्य राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11,249.62	शून्य

ग्राहक राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

10 % से ज्यादा राजस्व वाले प्रत्येक पार्टी का नाम	राशि	देश
एनटीपीसी	2,116.80	भारत
अन्य	9,132.82	
कुल राजस्व (निबल)	11,249.62	

स्थानवार वर्तमान परिसम्पत्तियाँ इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

	भारत	अन्य देश
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	7,357.87	शून्य

(बी) अधिकृत शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
रु. 1000/– के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर	1,100.00	1,100.00

(सी) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
		पीएटी	टीसीआई	पीएटी	टीसीआई
i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (करोड़ रुपये में)	789.52	880.95	1386.70	1398.43
ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख	94 लाख	94 लाख
iii)	रू. में प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड आय (1000/– रू. अंकित मूल्य प्रति शेयर)	839.91	937.18	1475.21	1487.69

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(डी) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

(i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री डी. के. घोषस निदेशक (वित्त)
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक)
श्री एस. चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) (31.03.2018 को सेवानिवृत्त)
श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. परि.)
श्री रवि प्रकाश, कंपनी सचिव

(ii) स्वतंत्र निदेशकगण

श्री अशोक गुप्ता
श्री भारत भूषण गोयल

(iii) सरकारी निदेशक

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

(iv) स्थायी आमंत्रित

श्री एस. के. वर्णवाल, सचिव, खनन एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार
श्री एस. के. झा, सीओएम, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अ.प्र.नि. पुणकालिक निदेशकगण एवं कम्पनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.24	2.83
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
	पूर्वाकांक्षित एवं अन्य लाभ	0.16	0.22
(ii)	**रोजगार उपरान्त लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.15	0.19
(iii)	**परिभाषित लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन**		
	ग्रेच्युटी	0.60	0.44
	अवकाश नकदीकरण	0.83	0.86
(iv)	**सेवा समाप्ति/सेवांत लाभ**		
	अवकाश नकदीकरण	—	0.36
	ग्रेच्युटी	0.20	0.20
	कुल	4.19	5.11

नोट :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशकों को सेवाभत्तों के अनुसार 2000 रूपए प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(ii) स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i)	सिटिंग फीस	0.22	0.24

31.03.2018 तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पास बकाया अधिशेष

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i)	देय राशि	शून्य	शून्य
(ii)	प्राप्ति योग्य राशि	शून्य	शून्य

(ई) कंपनी के तहत संबद्ध पार्टी लेन–देन

सरकार संबंधी अस्तित्व होने के कारण कंपनी को, संबंधित पार्टी लेन–देन तथा नियंत्रण सरकार के साथ शेष बकाया राशि एवं उसी सरकार के अधरीन दूसरा अस्तित्व के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण से छूट है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अनुषंगियों, जिसमें शामिल है : उच्चतम शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्यय, आर एण्ड डी व्यय, लीज लगान, अतिरिक्त फंड पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क एवं चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगियों के बदले या द्वारा किए गए अन्य खर्च, के साथ लेन–देन में प्रवेश किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं राशि का प्रकटीकरण इस प्रकार है :

(करोड़ों ₹ में)

कम्पनी का नाम	संबंध की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन–देन की राशि
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	होल्डिंग कम्पनी	778.41
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.79
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	2.24
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.44
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	3.30
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.95
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	1590.90
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	113.48

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(एफ) करारोपण

चालू वर्ष में आयकर हेतु 893.92 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1039.36 करोड़ रू.) का प्रावधान किया गया।

(जी) लीज

(i) इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्तो के आलोक में, इसे, कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 80.19 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास 77.69 करोड़ रू. है एवं डब्ल्यूडीवी 2.50 करोड़ रू. (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 32.16 करोड़ रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	15.36	15.36
(iii)	पाँच सालों के बाद	12.96	16.80
कुल		32.16	36.00

(ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्तो के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड़ भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 7.90 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 7.90 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 3.06 करोड़ रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	0.17	0.17
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	0.68	0.68
(iii)	पाँच सालों के बाद	2.21	2.38
कुल		3.06	3.23

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तो के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 4968 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 4968 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 1.44 लाख रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	0.48	0.48
(iii)	पाँच सालों के बाद	0.84	0.96
कुल		1.44	1.56

(एच) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(आई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(जे) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(के) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(एल) चालू देयता

जहाँ वास्तविक देयता, मापे नहीं जा सकते वहाँ अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(एम) शेष का स्थायीकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(एन) सीआईएफ के आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii)	कैपिटल गुड्स	63.13	45.22
(iii)	स्टोर्स, कलपुर्जे एवं अवयव	शून्य	2.77

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(ओ) विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	0.21	0.23
प्रशिक्षण व्यय	0.02	—
परामर्श शुल्क	—	—
ब्याज	—	—
अन्य	—	—

(पी) विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय : शून्य

(क्यू) भंडार एवं कलपुर्जों का उपभोग

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल उपभोग का %	राशि	कुल उपभोग का %
(i) आयातित पदार्थ	5.49	0.75%	14.17	2.00%
(ii) स्वदेशी	725.77	99.25%	785.33	98.00%

(आर) महत्पपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट – 2) को पिछली अवधि के उपरांत उपयुक्त रूप से सुधारा/फिर से ड्राफ्ट किया गया है जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के अधिसूचना के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक पाया गया है।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नगद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले को विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने रू. 2.55 करोड़ की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 19.05. 2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3(ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में 94.33 करोड़ रूपया के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से 83.03 करोड़ रुपया ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः 75 करोड़ एवं 25 करोड़ रूपए तदर्थ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, 94.33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, 23.25 करोड़ रूपया का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 3.26 करोड़ रूपया अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी 0.26 करोड़ रूपया के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i)	मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल, 08 से मार्च 14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़
(iii)	माननीय ऊर्जा शुल्क के संबंध में पुरानी रखी हुई राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
		₹152.46 करोड़
	घटाव रू तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
	निबल शेष राशि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के 134.20 करोड़ रुपए सहित 302.63 करोड़ रुपए के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के क्लॉज 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के क्लॉज 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क 90 रूपया प्रति टन था।

तदुनसार, पीपीए के 1.18.3 क्लॉज के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के अलए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी रेज किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

3530.36 दिनांक 17011.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जूलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, 38.69 करोड़ रू. है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

पावर खरीद समझौता दिनांक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज कें अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकाय मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा ह। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालाँकि वित्त वर्ष 2015–16 में 38.69 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 वर्ष के दौरान 258.97 करोड़ रू. के अप्राप्य ऋण को अपलिखित कर दिया गया है जिसमें डीवीसी को कोयला विक्रय से 70.76 करोड़ रू. और सेल के विरूद्ध 188.91 करोड़ रू. सम्मिलित है जिसके लिए लेखा में 258.25 करोड़ रू. का प्रावधान मौजूद था।

7.5 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नहीं था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात 49.68 करोड़ रू. की मांग के विरूद्ध कंपनी ने 10.09 करोड़ रू. के भुगतान पर सहमति जताई, और उक्त का भुगतान इस वर्ष किया गया है।

7.6 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत 0.44 करोड़ (पिछले वर्ष 0.29 करोड़) रूपए हैं।

7.7 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.8 दिनांक 12 दिसंबर, 2015 को सीसीएल ने श्री आर. सुब्रहमण्यम, अतिरिक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ झारखंड राज्य में पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (पीपीपी) के तहत तीसरे साझेदारी के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राँची की स्थापना के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। इसके लिए कंपनी ने 3.20 करोड़ रूपए के बैंक गारंटी का कार्यान्वयन किया है।

7.9 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच निांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रूपए की है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। बाद में, जेसीआरएल बोर्ड की 20 मई, 2016 को

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

चतुर्थ बैठक तथा 21 जून, 2016 को हुई वार्षिक आम बैठक के क्रम में, अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर 100 करोड़ रू. कर दिया गया है। तुलन–पत्र की तारीख पर, 32.00 करोड़ रू. में से जेसीआरएल ने कोयला 3.20 करोड़ के शेयरों का आवंटन किया है तथा बाकि बचे हुए शेयरों का आवंटन शेष है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, 1.30 करोड़ एवं 0.005 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2017 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 4.505 करोड़ रू. का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जेसीआरएल को 0.58 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है।

7.10 वर्ष 2015–16 में बरका–सयाल क्षेत्र में 104 फर्जी बिलों के आलोक में रू. 0.80 करोड़ के कथित धोखाधड़ी भुगतान का पता चला है। उक्त मामला सीबीआई के अनुसंधान अंतर्गत एवं लंबित है।

7.11 कंपनी कुछ बिलों पर ग्रेड–स्लीपेज के कारण संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान कर रही है जो कि पूर्व के ट्रेण्ड्स के आधार पर संयुक्त सैम्पलिंग के पुष्टिकरण के लिए लंबित है।

7.12 संपत्ति–सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.13 कोल ब्लॉक (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत,कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोयला ब्लॉक के आवंटन और उसके पश्चात 05.12.2017 को हुए डीड ऑफ एडहियरेन्स में पार्टी के रूप में सीसीएल को आवंटन समझौते के अनुपालन में खानों का संचालन और वाणिज्यिक उपयोग करना है । कंपनी (सीसीएल) ने आवंटन के लिए मनोनीत प्राधिकारी के नामित बैंक खाते में 20.65 करोड़ रुपए की अग्रिम फीस का 50% और 9.91 करोड़ रुपये की निश्चित राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) 286.14 करोड़ रुपये की राशि जमा की है।

7.14 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सीआईवीआईएल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा 286.30 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस ६ समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से 64.55 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है ६ समायोजित की गई है और 221.75 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस ६ समायोजित नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड ६ समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है। ग्राहकों को वापसी भुगतान किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध, कंपनी ने रेल बिक्री के लिए रुपये 176.23 करोड़ रुपये का क्रेडिट नोट जारी किया है और सड़क बिक्री के लिए 82.33 करोड़ रुपये का क्रेडिट नोट अभी जारी किया जाना बाकी है।

7.15 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध 106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर 71.79 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने ग्राहकों से 61.79 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, और शेष राशि 44.77 करोड़ रुपये वसूली की प्रक्रिया में है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

7.16 कोयला नियंत्रक की मंजूरी के पश्चात पहले पांच वर्षों में प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान गतिविधियों पर किए गए व्यय के बराबर राशि या कुल जमा राशि का 80: एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित, जो भी कम हो,एस्क्रो खाते से वापस लेने का हकदार है । कंपनी एस्क्रो खाते से निकासी के लिए इस खाते पर किए गए राशि की पहचान और पता लगाने की प्रक्रिया में है। इसका समायोजन आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत 9 खानों के पुरोबंध और 1 खदान को बंद करने की मंजूरी दे दी है, जिसने अपना अनुमानित उपयोगी जीवन पूर्ण कर लिया है। इन सभी खानों को बंद कर दिया गया है और अंतिम खदान बंद करने की योजना सीएमपीडीआईएल तैयार कर रहा है। इसके अलावा, 14 खानों की आवधिक समीक्षा के दौरान, जिसका उपयोगी जीवन पांच साल या पांच साल से कम है, यह दर्शाता है कि विभिन्न तकनीकी और परिचालन मुद्दों के कारण इन खानों का शेष जीवन खान बंदीकरण योजना से भिन्न है । लेखांकन नीति के अनुसार, साइट बहाली उपयोगित खानों के उपयोगी जीवन पर अमूर्त है और हर साल लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। वर्ष के दौरान, 1.06 करोड़ रुपये की राशि लाभ और हानि खाते में जमा की गई है और इन 10 खानों के संबंध में साइट पुनर्स्थापन व्यय की शेष राशि, जो बंद होने को हैं, 8.59 करोड़ रुपये है जो सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद है , दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित व्यय, साइट पुनर्स्थापन खाते और खान बंदीकरण खाते से अंतिम समायोजन किया जाएगा ।

7.17 पूर्व अवधि के समायोजन के कारण वर्ष/तिमाही के लाभ का पुनर्मूल्यांकन

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्व प्रतिवेदित कंपनी के मालिकों के आरोप्य कुल विस्तृत आय	**502.99**	**1,401.14**
पूर्व अवधि मदों हेतु समायोजन :		
अन्य आय (कमी)	(0.28)	(0.28)
संविदात्मक व्यय (वृद्धि)	—	(0.13)
अन्य व्यय (वृद्धि)	1.49	(1.89)
कुल विस्तृत आय में निबल घटाव	**1.21**	**(2.30)**
कंपनी के मालिकों को आरोप्य कुल विस्तृत आय (पुनर्लिखित)	**504.20**	**1,398.84**
ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटेड) – पुनर्लिखित	**493.49**	**1,475.65**
ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटेड)	**492.20**	**1,478.10**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

31.03.2017 तक अन्य इक्विटियों का पुनर्मूल्यांकन (पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को छोड़ अधिशेष)

विवरण	31.03.2017 तक
31.03.2017 तक पूर्व प्रतिवेदित (अंकेक्षित) अन्य इक्विटी (पुनमूल्यांकित अधिशेष को छोड़ अधिशेष)	**2,305.42**
पूर्व अवधि मद हेतु समायोजन	
वित्तीय वर्ष 2016–17 को पूर्व अवधि से संबद्ध 01.01.2016 को प्रतिधारित आय में घटाव	(6.02)
वित्तीय वर्ष 2016–17 को पूर्व अवधि से संबद्ध 01.01.2016 को प्रतिधारित आय में घटाव (उपरोक्त तालिका देखें)	(2.30)
31.03.2017 तक अन्य इक्विटी (पुनमूल्यांकित अधिशेष को छोड़ अधिशेष) पुनर्लिखित	**2,297.10**

अन्य :

(i) विगत वर्षों के मानों को भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः लिखा गया है तथा आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया।

(ii) नोट – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को, नोट – 3 से 23, 31 मार्च, 2018 तक तुलन पत्र का अंश है और 24 से 37 उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि का विवरण है। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट को दर्शाता है।

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी के घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)–ए	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध नदेशक
		डीआइएन – 06638291	डीआइएन – 02698059

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)

ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

सेवा में,

सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस,
राँची।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25 मई, 2018 के पूर्व प्रतिवेदन के स्थान पर है जिसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेशानुसार संशोधित किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में कतिपय सुधारों के मद्देनजर संशोधित प्रतिवेदन जारी किया जा रहा है जिसमें "शेयरहोल्डर्स" के स्थान पर "सदस्य" लिखने एवं जिसमें "अन्य कानूनी एवं नियमनकारी आवश्यकताएँ" के पारा 3 (एच) (II) में "जिसके लिए कोई भौतिक निकटतम हानि था" का अंजान प्रिंटिंग चूक साथ ही स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक–बी में सुधार भी शामिल है। आगे, हम यह पुष्टि करते हैं कि ये सभी परिवर्तन, सही एवं निष्पक्ष विचार तथा पूर्व में हमारे द्वारा दिए गए राय को प्रभावित नहीं करते हैं साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2018 को कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय वक्तव्यों पर प्रतिवेदन

हमने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय विवरणों के साथ–साथ स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक का लेखा जोखा रखा है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक के लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नगद का विवरण वर्ष के अन्त में इक्विटी में प्रवाह व वक्तव्य समाप्ती और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारियों का सारांश (बाद इसके "भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें समाप्त होने वाले वित्तीय वक्तव्यों को हमलोगों ने कम्पनी के क्षेत्र के कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, कुजू, उत्तर कर्णपुरा, पिपरवार, मगध और आम्रपाली, रजहरा, चरही तथा शेष 6 क्षेत्रों/इकाइयों का लेखा परीक्षकों द्वारा उस तारीख को अंकेक्षण करायी है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के निदेशक मण्डल स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेवार हैं, जो कि स्वच्छ और निष्पक्ष राय

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन | **प्रबंधन का उत्तर**

देते हैं, आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार कम्पनी की इक्विटी में वित्तीय आय, वित्तीय प्रवाह, अन्य व्यापक आय, नगदी प्रवाह और परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन, सामान्य नियमों सहित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) सहित इसके तहत जारी किये गये जिम्मेदारी में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त धोखाधड़ी का रख–रखाव और अन्य अनियमितताओं को रोकना भी शामिल है; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं आवेदन; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख–रखाव जो खाते के अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करे और इसकी तैयारी व प्रस्तुति प्रासंगिक हो, जो सही और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करे तथा भौतिक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हो, चाहे धोखा या ऋुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा और संबंधित क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षकों के आधार पर वित्तीय विवरण के रूप में एक राय व्यक्त करना है।

हमलोगों ने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा के मानकों और मामलों को ध्यान में रखते हैं जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाये गये नियमों के तहत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम की धारा 140 (10) के तहत निर्दिष्ट के अनुसार ऑडिटिंग पर मानक के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा का आयोजन किया। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय विवरण के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के भौतिक गलतफहमी से मुक्त है अथवा नहीं। एक अंकेक्षण में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटीकरण के बारे में ऑडिट सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएँ, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों के आंकलन सहित, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम आंकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानता है, कि कम्पनी वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की तैयारी के लिए प्रासंगिक है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन | **प्रबंधन का उत्तर**

एक स्वच्छ व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है। लेखा परीक्षा में शामिल लेखांकन नीतियों की उचितता और कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन भी शामिल है, साथ ही स्टैंडअलोन व वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना है।

हमारा मानना है, कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरणों के रूप में भारतीय लेखा मानक पर हमारे अंकेक्षण के राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मशवरा (राय)

हमारे राय में व हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैण्डअलोन आईएनडी एएस के वित्तीय विवरणों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक जानकारी दी जाती है जो आम तौर पर लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप स्वच्छ व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2017 तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति के रूप में आईएनडी एएस सहित भारत में स्वीकार किया गया है, और अन्य व्यापक आय, इसके नगदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन।

मामलों की प्रमुखता

हम निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(क) वर्ष के दौरान 41 खानों के संदर्भ में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक कोयला खनन के लिए जुर्माने के तौर पर 13389.38 करोड़ रुपए का मांग प्राप्त होना। वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 पैरा 4(ए)(1) देखें।	इसे लेखा टिप्पणी में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है (टिप्पणी 38.4(ए) देखें)।
(ख) प्रगतिशील खान बंदीकरण योजना के एस्क्रो खाते से निकासी हेतु प्रतिभूति राशि के लिए सीएमपीडीआईएल के दावों का निपटारा/प्रस्तुतीकरण नहीं होने के संबंध में।	इसे लेखा टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 38 प्वाइंट संख्या 7.16 देखें)।
(सी) खानों के अंतिम बंदीकरण हेतु अंतिम बंदीकरण योजना का तैयार नहीं होने के संबंध में। उपयोगी–आयु पूरा कर चुकने वाली एक खान तथा बंद हो चुकी 9 खानों के लिए वर्ष के दौरान परिशोधन राशि 1.06 करोड़ रुपए है। "स्थल उद्धार व्यय खाता" एवं "खान बंदीकरण व्यय खाते" में किए जाने वाला समायोजन निर्धारण योग्य नहीं है।	इसे लेखा टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 38 प्वाइंट संख्या 7.16 देखें)।
(घ) "रॉयल्टी एवं सेस" मद में ग्राहकों से बकाया राशि का वास्तविक वसूली तथा इस प्रकार के खाते पर राज्य सरकार को देय राशि के संबंध में।	इसे लेखा के टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 11 एवं 23 देखें)।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य मामला

हमलोगों ने के वित्तीय वक्ताओं में शामिल दस क्षेत्रों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनकी वित्तीय वक्तव्य 31 मार्च, 2017 तक 4,792.59 करोड़ रुपये की कुल सम्पत्तियों को दर्शाती है और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 11,493.31 करोड़ रुपये का कुल राजस्व, जैसा कि वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है, इन क्षेत्रों के वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई रिपोर्ट हमें दी गई है, जो हमारे मन्तव्य अनुसार जहाँ तक इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से सम्बन्धित है, केवल इस तरह की रिपोर्ट शाखा लेखा परीक्षक पर आधारित है।

अन्य कानूनी विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) और पुस्तकों के जाँच के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनियों (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) अक्टुबर, 2016 ("आदेश") के लिए आवश्यक है और उचित जानकारी के अनुसार अन्य रिकॉर्ड, जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार है, हम अनुलग्नक – I में दिए गए आदेशों के अनुसार आदेश के पारा 3 एवं 4 में मामलों पर एक बयान देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम, दिशा निर्देशों व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गये उप निर्देशों की धारा 143(5) के अनुसार, हमें इसके बारे में अनुच्छेद – II में संलग्न वित्तीय विवरणों पर कार्रवायी और इसके बारे में जानकारी देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, आगे रिपोर्ट करते हैं :

   (क) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मांग की, और प्राप्त कर ली है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम, हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में कानून द्वारा आवश्यक कानून के अनुरूप कम्पनी द्वारा उचित खाता रखा गया है, जहाँ तक उन खातों को हमारे परीक्षा में प्रकट किया जाता है और हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं किये गये क्षेत्रों से हमने प्राप्त किये हैं;

   (ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखा परीक्षित कम्पनी

प्रबंधन का उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
के क्षेत्रों के खातों पर हमें रिपोर्ट भेजी गई है और इस तैयार रिपोर्ट की सही तरीके से पेश किया गया है।	
(घ) बैलेंस शीट, लाभ–हानि का विवरण, कैश फ्लो का विवरण और इस रिपोर्ट के साथ निपटाई गई इक्विटी में बयानों का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ एक समझौता है और उन क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय वक्तव्यों के साथ हमारा समझौता है;	
(ङ) हमारे राय में वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त स्टैण्डअलोन आईएनडी एएस, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियम के साथ पढ़ें;	
(च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164(2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।	
(छ) कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण ों के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में "अनुलग्नक – III " के संदर्भ में हमारी अलग से रिपोर्ट लें; तथा	
(ज) अन्य मामलों के सम्बन्ध में ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कम्पनियों के नियम 11 (ऑडिट व लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है;	
i. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैण्डअलोन भारतीय लेखा मानक के 'अतिरिक्त टिप्पणी – 38' के तहत अपने लंबित मुकदमेबाजी का खुलासा किया है, हालाँकि मुकदमों के प्रभाव की वित्तीय वक्तव्यों में दिया जाएगा और जब सम्बन्धित प्राधिकरण से कम्पनी द्वारा प्राप्त आदेश से उसका निपटारा होगा।	
ii. कम्पनी के पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए निकट भविष्य में कोई भौतिक नुकसान हुआ था।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
iii. इस वजह से कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।	

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – ए

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को हमारे समसामयिक तिथि का प्रतिवेदन, अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर पारा – 1 में निर्दिष्ट)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. (क) कम्पनी आम तौर पर अचल सम्पत्तियों के पूर्ण विवरण, मात्रात्मक विवरण एवं अचल सम्पत्तियों की स्थिति सहित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड बनाये हैं।	कोई मंतव्य नहीं।
(ख) अचल सम्पत्तियों का वास्तिव सत्यापन 1 लाख रुपये से ऊपर सर्वेक्षणिक परिसम्पत्तियों को छोड़कर उचित अंतराल पर आयोजित किया गया है। जैसा कि सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगतियाँ नहीं देखी गई है, जहाँ तक सुलह किया जा चुका है। हमारी राय में, सभी अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन उचित अंतराल में आयोजित किए गए हैं।	अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन पिछले 3 वर्षों के लिए सभी परिसंपत्तियों के लिए किया जाता है और परिसंपत्तियों के सर्वेक्षित संपत्तियों के भौतिक सत्यापन को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक 1 लाख से अधिक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। पी एंड एम के सर्वेक्षण बंद किए गये समय सहित नीलामी के माध्यम से निपटान के समय सर्वेक्षण परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाता है।
(ग) हमें दिए गए सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कोल माइंस(राष्ट्रीकरण अधिनियम) 1973 के तहत राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की लीज, वैधानिक आदेश संख्या जीएसआर/345.ई दिनांक 09 जुलाई, 1973, नई दिल्ली द्वारा कोल माइंस अर्थोरिटी लिमिटेड में निहित थी। राष्ट्रीयकरण के समय लिये गये इस प्रकार की भूमि एवं खनन के अधिकार, स्वामित्व एवं हित, अधिकार–दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है एवं जांच के लिए उपलब्ध नहीं है अतएव हमलोग इसपर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। स्वामित्वः दस्तावेज/कोयला असर क्षेत्र(अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के लिए स्वामित्व का प्रमाण पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है। बाकी मामलों में, स्वामित्व–दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका इसलिए परिमाणन संभव नहीं है।	सीसीएल के राष्ट्रीयकरण अवधि के पूर्व के कोयला कंपनियों से स्थानांतरित किए गए भूमि की दस्तावेज एवं करारनामा को कंपनी के भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा जाता है तथा सीसीएल के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीयकरण की अवधि के पश्चात हुए भमि अधिग्रहण जो कि सी.बी. एक्ट के सेक्शन 9(1) के तहत अधिसूचित है, को एस.ओ. के साथ सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। भूमि विस्थापितों को अंतिम भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान के पश्चात भूमि दस्तावेजों को भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा जाता है।
2. (क) कम्पनी नीति के अनुसार कोयला, कोक इत्यादि का भौतिक सत्यापन, प्रत्येक खदान पर कॉन्टोर मैप के संदर्भ में वर्ष के अंत में कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला माप टीम द्वारा उच्चतम माप के माध्यम से उचित अंतराल द्वारा किया गया है।	कोई मंतव्य नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	प्रबंधन द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय स्टोर और पूर्जों के हिस्से की प्रमुख हिस्से की भौतिक सत्यापन किया गया है।	
(ख)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयला, कोक इत्यादि के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के द्वारा अपनाई जाने वाली विधियाँ कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार के स्वभाव के तुलना में उपयुक्त तथा पर्याप्त है।	कोई मंतव्य नहीं।
	कम्पनी इन्वेंट्री का उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है, कोयला कोक, के संबंध में बुक रिकॉर्ड की तुलना में भौतिक सत्यापन में मिली भिन्नताएँ, जो +/-5% के अंदर थी, वित्तीय विवरणों में नोट – 2 के लेखांकन नीति संख्या 2.21.1 के अनुरूप है।	पुस्तक स्टॉक की तुलना में भौतिक सत्यापन में पाये गये विसंगति के मामले में निपटाने के लिए एक समान लेखा नीति है और कंपनी के नोट – 2 के लेखा नीति सं. 2.21.1 के अनुसार इसे निपटाया जा रहा है।
3.	हमें दी गयी जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कम्पनी ने चालू खाते पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है। सहायक कम्पनी के साथ होल्डिंग कम्पनी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए हम होल्डिंग कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज दर पर कोई भी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।	कोई मंतव्य नहीं।
(क)	होल्डिंग कम्पनी ने चालू खाते पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है। सहायक कम्पनी के साथ होल्डिंग कम्पनी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए हम होल्डिंग कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज दर पर कोई भी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।	कोई मंतव्य नहीं।
(ख)	रिकॉर्ड्स के अनुसार, ब्याज की रसीद नियमित होती है।	कोई मंतव्य नहीं।
(ग)	चूँकि कोई अतिदेय राशि नहीं है, इसलिए खंड iii (c) का आदेश लागू नहीं है।	कोई मंतव्य नहीं।
4.	हमें गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऋण व निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का पालन करते हुए इसके द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है।	कोई मंतव्य नहीं।
5.	कम्पनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कम्पनी व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए बकाया जमा राशि, सुरक्षा जमा	कोई मंतव्य नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
राशि तथा अग्रिम जमाकर्त्ताओं के ग्राहक/अन्य के रूप में प्राप्त राशि के संबंध में पुराने शेष बकाया में कम्पनी का विचार है कि ये जमा कम्पनी के दायरे (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत नहीं आते हैं।	
6. लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव अधिनियम की धारा 148 के उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट हमारे मकसद में निर्धारित खातों और रिकॉर्ड को बनाए गए हैं और बनाये रखे गये हैं।	कोई मंतव्य नहीं।
7. (क) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी आम तौर पर अविवादित लागू सांविधिक देय राशि, सहित प्रोविडेन्ट फंड, आयकर, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यु ऐडेड टैक्स, सेस और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि और उसी के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं है, जो 31 मार्च, 2017 को बकाया राशि से अधिक 6 माह की अवधि के लिए वही भुगतान योग्य हो गया है जैसा कि हमें बताया गया है, की कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कम्पनी के लिए लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त इन वैधानिक देनदारियों के समाधान के अभाव में वर्ष के लिए किए खर्च और रिटर्न भरने में, हम कम्पनी द्वारा लागू देय राशि जमा करने में विलम्ब पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, इसके अतिरिक्त सीएमपीएफ योगदान, सीमएपीएफ प्रशासन प्रभार, पेंशन फंड व सीएमपीएफ पेंशन फंड के तहत लंबित पुराने बकाया शेष राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	सीएमपीएफ यागदान, सीएमपीएफ प्रशासनिक प्रभार और सीएमपीएफ पेंशन फण्ड आदि के तहत वैधानिक देय राशि का जुड़ाव, पुराने गैर–जुड़े हुए शेष राशि प्रगति पर है।
(ख) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने उपयुक्त प्राधिकारी के साथ विवादों के कारण रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट – 1 के अनुसार देय राशि जमा नहीं की गई है।	बिक्री कर, रॉयल्टी, उप–कर इत्यादि के बकाया के मामले में प्राधिकरण को अग्रिम भुगतान अपील के प्रवेश के लिए पूर्व–आवश्यकता के रूप में किया जाना है। उसी राशि को ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। विवादित कुल राशि के लिए आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त नोट्स में दिखाई गई है।
8. हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा दी गई पुस्तकों एवं रिकॉर्ड के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं, कि कंपनी बैंकों के देय राशि का पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।	कोई मंतव्य नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
9.	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों के परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं, कि कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के अतिरिक्त कोई भी रकम नहीं उठाया गया है।	कोई मंतव्य नहीं।
10.	वित्तीय विवरण नोट संख्या 38 के पारा 11.13 में बताया गया है और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई भी सामग्री धोखाधड़ी नहीं किया गया है और कोई भी धोखाध ाड़ी कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सूचना में आया है या हमारे ऑडिट कोर्स में सूचना दी गई है।	कोई मंतव्य नहीं।
11.	भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05/06/2015 के कारण प्रबंधकीय पारिश्रमिक के बारे में अधिनियम की धारा 197, कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई मंतव्य नहीं।
12.	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी निधि कम्पनी नही है, तदनुसार खंड 3 (xii) के आदेश लागू नहीं होंगे।	कोई मंतव्य नहीं।
13.	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 व 188 के नियमों के अनुपालन में होता है, जहाँ लागू होता है। जैसा कि लागू मानक द्वारा आवश्यक है, वित्तीय विवरण प्रकट किया गया है।	कोई मंतव्य नहीं।
14.	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पुस्तकों और रिकॉर्डों के परीक्षण के आध ार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या निजी तौर पर अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए गए हैं, तदनुसार खंड 3 (xiv) लागू नहीं है।	कोई मंतव्य नहीं।
15.	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, पुस्तकों और अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर लेन–देन	कोई मंतव्य नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	नहीं किया है, तदनुसार आदेश का खंड 3 (xv) लागू नहीं है।	
16.	कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 – 1ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, तदनुसार आदेश के खंड 3 (XVI) लागू नहीं है।	कोई मंतव्य नहीं।

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – बी

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

अनुलग्नक – बी (i)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कम्पनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टा भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व/लीज दस्तावेज उपलबध है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि का क्षेत्र बताएँ जिसके लिए स्वामित्व/लीज उपलब्ध नहीं है। **हमें दिए गए सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कोल माइंस(राष्ट्रीकरण अधिनियम) 1973 के तहत राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की लीज, वैधानिक आदेश संख्या जी. एस. आर./345.ई दिनांक 09 जुलाई, 1973, नई दिल्ली द्वारा कोल माइंस अर्थोरिटी लिमिटेड में निहित थी। राष्ट्रीयकरण के समय लिये गये इस प्रकार की भूमि एवं खनन के अधिकार, स्वामित्व एवं हित, अधिकार–दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है एवं जांच के लिए उपलब्ध नहीं है अतएव हमलोग इसपर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। स्वामित्वः दस्तावेज/कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के लिए स्वामित्व का प्रमाण पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है। बाकी मामलों में, स्वामित्व–दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका इसलिए परिमाणन संभव नहीं है।**	
2. क्या छूट के किसी मामले में उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि का वेवर/कटौती कर देते हैं? यदि हाँ तो वहाँ के कारण और इसमें शामिल राशि बतायें। **जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, नीतियों के अनुसार, संदेहजनक ऋण की समीक्षा हर वर्ष की जाती है और खाता बही में आवश्यक प्रावधान किया जाता है/बट्टे खाते में डाला जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोयला विक्रय ग्राहकों के विरूद्ध 258.97 करोड़ रुपये के संदेहात्मक ऋण को निदेशक मंडल की दिनांक 23.04.2018 को आयोजित 458वें बोर्ड बैठक में विधिवत मंजूरी के पश्चात बट्टे खाते में डाला है (वित्तीय विवरणों के नोट – 38 के पारा संख्या 7.4 देखें)।**	
3. क्या सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त उपहारस्वरूप परिसंपत्ति तथा तृतीय पक्षों के पास पड़े हुए संपत्ति सूचि का सही रिकॉर्ड रखा जाता है? **प्रबंधन द्वारा दिये गये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे जाँच–पड़ताल के अनुसार, तीसरी पार्टी के साथ कोई संपत्ति सूची नही है और सरकार या किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त किसी भी प्रकार का उपहारस्वरूप परिसंपत्ति नहीं है।**	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – बी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

अनुलग्नक – बी (।।)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ हैं। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।

2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा हैं तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?

   हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने एक क्षेत्र के विलय/पुनर्गठन के समय सम्पत्ति और सम्पत्तियों का सत्यापन अभ्यास किया है।

3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।

   हमें दिए गए सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, 64 खानों के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है तथा अद्यतन तिथि तक इन एस्क्रो खातों से किसी प्रकार की राशि नहीं निकाली गई है।

4. यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है।

   भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13389.38 करोड़ रू. की मांग, 41 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय,

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष संशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – सी

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा – 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी अनुषंगी जो कि भारत में निगमित है, के वित्तीय प्रतिवेदन पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है, जिसमें उस तारीख पर समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का हमारा अंकेक्षण भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियाँ, जो कि भारत में निगमित हैं, के संबंधित बोर्ड निदेशकगण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने एवं रख–रखाव हेतु जिम्मेदार हैं, जो कि आई. सी. ए. आई. द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के मार्गदर्शन टिप्पणी में लिखे गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रारूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और यह पता लगाना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सटिकता व पूर्णता और विश्वसनीयता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आई सी ए आई द्वारा जारी किए गये वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पणी") और ऑडिटिंग के मानकों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण का आयोजन किया गया था और इसे अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया गया था। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है, कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणों को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाय।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, सामग्री की कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आंकलन करना और आंकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आंकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रभाव पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेन देन और व्यवहार को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाए जा रहे हैं और (3) वित्तीय वक्तव्यों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है, की कंपनी की संपत्ति की अनधिकृत, अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है।	

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण भौतिक सामग्री हो सकती है और इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, जो कि भारत में निगमित है, सभी भौतिक विषयों में तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के साथ दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी तरीके से संचालित हो रही थी, जो कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में लिखे गए आंतरिक वितरण के अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्व ारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के उपर आधारित है।

कृते **एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 20188

परिशिष्ट – 1

31.03.2018 को संदेहात्मक वैधानिक देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर का प्रकार	मुकदमों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	संदेहात्मक राशि
रॉयल्टी मुकदमा	45	सर्टिफिकेट ऑफिस, धनबाद, राँची, बोकारो, हजारीबाग	1984–85 से 2016–17	91.27
रॉयल्टी मुकदमा	4	उपायुक्त, हजारीबाग, रामगढ़	1995–96 से 2014–15	2.26
रॉयल्टी मुकदमा	5	आयुक्त, हजारीबाग	1992–93 से 2008–09	4.73
रॉयल्टी मुकदमा	35	उच्च न्यायालय, झारखंड	1987–88 से 2017–18	414.66
रॉयल्टी मुकदमा	6	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	1991–92 से 2008–09	45.38
विक्रय कर मुकदमा	256	वाणिज्य कर अधिकारी – राँची, हजारीबाग, तेनुघाट, रामगढ़	1989–90 से 2015–16	748.86
विक्रय कर मुकदमा	184	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1989–90 से 2017–18	263.04
विक्रय कर मुकदमा	16	जेसीसीटी (ए), राँची	1985–86 से 2012–13	0.66
विक्रय कर मुकदमा	80	आयुक्त वाणिज्य कर, राँची	1988–89 से 2015–16	216.41
विक्रय कर मुकदमा	133	ट्राइब्युनल, राँची	1990–91 से 2014–15	352.25
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	17	आयुक्त, राँची	2004–05 से 2008–09 – 2017–18	107.06
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	3	सीइएसटीएटी, कोलकाता	2004–05 से 2007–08 – 2015–16	1.85
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	5	अन्य		1.03
विद्युत शुल्क मुकदमा	8	डीसीसीटी	2006–07 से 2013–14	1.86
विद्युत शुल्क मुकदमा	7	सीसीटी, राँची	2006–07 से 2011–12	3.07
विद्युत शुल्क मुकदमा	187	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1992–93 से 2013–14	57.58
विद्युत शुल्क मुकदमा	21	ट्राइब्युनल, राँची	1993–94 से 2010–11	2.89
विद्युत शुल्क मुकदमा	8	उच्च न्यायालय, झारखंड	1997–98 से 2004–05	3.18
प्रवेश कर मुकदमा	1	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	2006–07	25.00
आयकर मुकदमा	4	सीआइटी (अपील), राँची	2003–04 से 2015–16	243.47
आयकर मुकदमा	16	सीआइटी (अपील), जमशेदपुर	2004–05 से 2010–11	6.70
आयकर मुकदमा	9	आइटीएटी, राँची	2005–06 से 2013–14	309.27
आयकर मुकदमा	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	1989–90	0.52
	1051	कुल		2903.03

एस. के. सिंघानिया एण्ड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसरण में कंपनी की त्रैमासिक स्टैंडअलोन एवं अद्यतन वित्तीय परिणामों पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
निदेशक मण्डल
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 दिनांक 5 जुलाई, 2016 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 द्वारा संशोधित धारा 33 के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रस्तुत, एतद संलग्न, 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के त्रैमासिक स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का हमने अंकेक्षण किया है । 31 मार्च 2018 को, समाप्त तिमाही और वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम 31 दिसंबर 2017 को समाप्त नौ महीने की अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किए गए हैं, अंकेक्षित वार्षिक स्टैंडअलोन आईएनडी एएस (भारतीय लेखा मानक) वित्तीय विवरण पर जैसा है और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, एवं विनिमयन और परिपत्र की प्रासंगिक आवश्यकताएं, जो की कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। हमारी जिम्मेदारी 31 दिसंबर 2017 को समाप्त नौ महीने की अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की हमारी समीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर राय व्यक्त करना है, जिसे भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग, जारी प्रासंगिक नियमों, अन्य लेखा सिद्धांतों और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाये, वार्षिक स्टैंडअलोन आईएनडी एएस वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षण 31 मार्च, 2018 और विनियमन और परिपत्र की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं ।

2. आम तौर पर भारत में स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुरूप हमने अंकेक्षण किया है । हम इन मानकों के आवश्यकतानुरूप अंकेक्षण की योजना बनाकर और निष्पादन कर आश्वस्त होतें है कि उक्त वित्तीय परिणाम तथ्यात्मक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत कसौटी के आधार पर परख, वित्तीय परिणामों में अनावृत राशि के प्रमाण शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आकलन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा अंकेक्षण हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

3. हमारे मत में,हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इन तिमाही स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के साथ अद्यतन परिणाम :

   i. 5 जुलाई, 2016 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 द्वारा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसरण में प्रस्तुत है; तथा

   ii. 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष की वास्तविक और निष्पक्ष निबल व्यापक आय (निबल लाभ और अन्य व्यापक आय सहित) और अन्य वित्तीय जानकारी देते हैं ।

4. हमने अनुषंगी कम्पनी के उन वित्तीय विवरणों/सूचना का लेखा परीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरणों में सकल परिसम्पत्ति 31 मार्च, 2018 को रु. 228.42 करोड़, कुल राजस्व 1.72 करोड़, निबल हानि रु. 0.03 करोड़ एवं निबल नकद प्रवाह रु. 11.87 करोड़ वर्ष की समाप्ति के अंतिम दिन जिसे भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में माना गया है। उक्त विवरण किसी अन्य लेखा परीक्षक के द्वारा अंकेक्षित किये गये हैं जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन के द्वारा दी गई है, एवं समेकित

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में, इस अनुषंगी के सापेक्ष जहाँ तक निहित राशि एवं प्रकटीकरण का सम्बन्ध है, यह पूर्णरूपेण अन्य अंकेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर है।

5. 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष में कंपनी की तुलनात्मक मानक भारतीय लेखा वित्तीय जानकारी में इन स्टैंडअलोन आईएनडी एएस वित्तीय जानकारी के परिणाम पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये गए हैं। तुलनात्मक वित्तीय जानकारी पर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक ने दिनांकित 26.05.2017 के प्रतिवेदन में अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त किया ।

6. इसके अलावा, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ी जाये, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च,2018 को समाप्त तिमाही के आंकड़े,31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध लेखापरीक्षित आंकड़ों के मध्य व्युत्पन्न आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 31 दिसंबर 2017 तक प्रकाशित अद्यतन आंकड़े, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की अंतिम तारीख होने के नाते, विनियमन और परिपत्र के अंतर्गत आवश्यकतानुरूप,उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में उल्लिखित सीमित समीक्षा के अधीन है ।

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 302206ई)

स्थान : राँची

ह/–

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 52722)

दिनांक : 26 मई, 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

परिसंपत्ति एवं देयता का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	परिसंपत्ति एवं देयता का विवरण	दिनांक 31.03.2018 को (अंकेक्षित)	दिनांक 31.03.2017 को (अंकेक्षित)
ए.	इक्विटी एवं देयता		
1.	शेयरधारक का निधि		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	2,538.42	2,296.65
	(ग) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनल	-	-
	उप–कुल शेयरधारक का निधि	**3,478.42**	**3,236.65**
2	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन	-	-
3	नन–कंट्रोलिंग ब्याज	17.76	1.12
4	गैर–चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	60.09	1,260.20
	(ख) अस्थगित कर देयता (निबल)	-	-
	(ग) अन्य गैर–चालू देयता	438.46	183.83
	(घ) प्रावधान	3,202.35	2,305.81
	उप–कुल–गैर–चालू देयता	**3,700.90**	**3,749.84**
5	चालू देयता		
	(क) वित्तीय देयता	879.43	2,072.99
	(ख) चालू कर देयता (निबल)	-	35.35
	(ग) अन्य चालू देयता	4,906.13	2,969.57
	(घ) प्रावधान	2,291.46	1,878.88
	उप–कुल–चालू देयता	**8,077.02**	**6,956.79**
	कुल–इक्विटी एवं देयता	**15,274.10**	**13,944.40**
बी	परिसंपत्ति		
1	गैर–चालू परिसंपत्ति		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	4,520.85	3,983.96
	(ख) समेकन सदभाव	-	-
	(ग) अस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	1,047.58	771.88
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	839.93	723.64
	(ङ) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति	1,507.87	1,099.27
	उप–कुल–गैर–चालू परिसंपत्ति	**7,916.23**	**6,578.75**
2	चालू परिसंपत्ति		
	(क) वित्तीय परिसंपत्ति	3,859.37	3,743.46
	(ख) संपत्ति–सूची	1,349.23	2,096.26
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	2,093.56	1,525.93
	(घ) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	55.71	-
	उप–कुल–चालू परिसंपत्ति	**7,357.87**	**7,365.65**
	कुल परिसंपत्ति	**15,274.10**	**13,944.40**

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		DIN-06638291	DIN-02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में

एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

(फर्म पंजी सं. – 302206E)

(राजेश कुमार सिंघानिया)

पार्टनर

(सदस्यता सं. 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई, 2018

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से आय					
	सकल विक्रय	4,420.49	4145.05	4,626.39	15,965.12	14,899.71
	घटाव – अन्य लेवी	1,320.60	1285.12	1,125.39	4,715.50	3,759.03
	(क) निबल विक्रय/संचालन से आय (एक्साइस कर एवं अन्य लेवीज का निवलद्ध	3,099.89	2,859.93	3,501.00	11,249.62	11,140.68
	(ख) अन्य संचलित आय	236.64	129.75	114.33	537.41	366.41
	संचालन से कुल आय (निबल) (क+ख)	**3,336.53**	**2,989.68**	**3,615.33**	**11,787.03**	**11,507.09**
2	व्यय					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	239.28	200.80	253.23	731.26	799.50
	(ख) तैयार वस्तुओं की संपत्ति सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टोक इन ट्रेड	(462.98)	216.75	(634.04)	512.66	(612.61)
	(ग) उत्पाद शुल्क	—	—	243.36	200.60	732.27
	(घ) कर्मचारी लाभ	2,110.99	1,107.56	1,188.44	5,490.31	4,401.73
	(ङ) अवमूल्यन/परिशोधन	97.69	84.40	98.49	355.72	372.63
	(च) बिजली और ईंधन	74.28	69.61	77.93	277.35	290.92
	(छ) सीएसआर	28.68	3.26	8.22	37.90	30.29
	(ज) मरम्मत	195.94	51.66	99.42	327.15	205.39
	(झ) ठेका व्यय	492.34	277.32	411.94	1,304.07	1,320.99
	(ञ) अन्य	268.49	253.40	574.83	1,022.55	1,522.49
	(ट) प्रावधान/समायोजन	(290.24)	297.52	327.61	238.05	471.50
	(ठ) स्ट्रीपिंग गतिविधि	369.83	101.87	342.77	284.51	91.03
	कुल व्यय (क से ठ तक)	**3,124.30**	**2,664.15**	**2,992.20**	**10,782.13**	**9,626.13**
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और अपवादित मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1+2)	**212.23**	**325.53**	**623.13**	**1,004.90**	**1,880.96**
4	अन्य आय	302.82	77.06	274.38	510.68	561.64
5	वित्तीय लागत के बाद किन्तु अपवादित मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (3+4)	**515.05**	**402.59**	**897.51**	**1,515.58**	**2,442.60**
6	वित्तीय लागत	35.58	39.51	18.63	172.01	71.88
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु अपवादित मद के पहले लाभ/हानि (5+6)	**479.47**	**363.08**	**878.88**	**1,343.57**	**2,370.72**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत में	
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
		अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7–8)	479.47	363.08	878.88	1,343.57	2,370.72
10	कर व्यय	168.19	135.81	414.72	554.06	984.19
11	वर्ष में निबल लाभ/हानि (9–10) [ए]	311.28	227.27	464.16	789.51	1,386.53
12	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबलज कर) [बी]	55.48	21.65	40.32	91.43	11.73
13	कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए+बी]	366.76	248.92	504.48	880.94	1,398.26
14	शेयर कैपिटल (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 100)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
15	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 1000) (नॉट अनुलाइज्ड)					
	(क) बेसिक	330.95	241.60	493.70	839.91	1,475.21
	(ख) डायलुटेड	330.95	241.60	493.70	839.91	1,475.21

(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

(अशोक कुमार)
महाप्रबन्धक
(वित्त)

(डी. के. घोष)
निदेशक (वित्त)
DIN-06638291

(गोपाल सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN-02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. – 302206E)

स्थान : राँची
दिनांक : 28 मई, 2018

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 052722)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
परिसंपत्ति			
गैर–चालू परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, प्लॉट एवं उपकरण	3	2,424.41	2,426.40
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	1,833.61	1,316.81
(ग) अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	260.67	237.16
(घ) अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6	2.16	3.59
(ङ.) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		—	—
(च) संपत्ति निवेश		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	—	—
(ii) ऋण	8	0.47	0.59
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	839.46	723.05
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्ति		1,047.58	771.88
(i) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	10	1,507.87	1,099.27
कुल गैर–चालू परिसंपत्ति (ए)		**7,916.23**	**6,578.75**
चालू परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति–सूची	12	1,349.23	2,096.26
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	—	—
(ii) व्यापार प्राप्त	13	1,745.31	1,673.79
(iii) नगद और नगद के समान	14	162.34	325.07
(iv) अन्य बैंक बचत	15	1,233.73	1,376.71
(v) ऋण	8	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	717.99	367.89
(ग) चालू–कर परिसंपत्ति (निबल)		55.71	—
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	11	**2,093.56**	**1,525.93**
कुल चालू परिसंपत्ति (बी)		**7,357.87**	**7,365.65**
कुल परिसंपत्ति (ए+बी)		**15,274.10**	**13,944.40**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समेकित तुलन पत्र (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर कैपिटल	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	2,538.42	2,296.65
कम्पनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी		**3,478.42**	**3,236.65**
अनियंत्रित ब्याज		17.76	1.12
कुल इक्विटी (ए)		**3,496.18**	**3,237.77**
देयताएं			
अन्य गैर–चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	—	1,200.00
(ii) व्यापार देयताएं		—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	60.09	60.20
(बी) प्रावधान	21	3,202.35	2,305.81
(सी) अन्य गैर–चालू देयताएं	22	438.46	183.83
कुल गैर चालू देयताएं (बी)		**3,700.90**	**3,749.84**
चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	150.00	1,103.78
(ii) व्यापार देयताएं	19	163.45	134.22
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	565.98	834.99
(बी) अन्य चालू देयताएं	23	4,906.13	2,969.57
(सी) प्रावधान	21	2,291.46	1,878.88
(डी) वर्तमान कर देयताएं (निवल)		—	35.35
कुल चालू देयताएं (सी		**8,077.02**	**6,956.79**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए+बी+सी)		**15,274.10**	**13,944.40**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त	38		

उपरोक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
	(वित्त)	DIN-06638291	DIN-02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. – 302206E)

स्थान : राँची
दिनांक : 26 मई, 2018

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 052722)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

		नोट्स	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
	संचालन से राजस्व	24		
ए.	बिक्री (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निवल)		11,249.62	11,140.68
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (एक्साइज ड्यूटी के साथ अन्य लेवियों का निवल)		537.41	366.41
(I)	संचालन से राजस्व (ए+बी)		11,787.03	11,507.09
(II)	अन्य आय	25	510.68	561.64
(III)	**कुल आय (I+II)**		**12,297.71**	**12,068.73**
(IV)	व्यय			
	उपयोग किए गए सामान की लागत	26	731.26	799.50
	तैयार माल का भण्डार/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्रि के लिए स्टॉक	27	512.66	(612.61)
	कोयले की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी		200.60	732.27
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,490.31	4,401.73
	बिजली का खर्च		277.35	290.92
	निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	37.90	30.29
	मरम्मती	30	327.15	205.39
	संविदात्मक व्यय	31	1,304.07	1,320.99
	वित्तीय लागत	32	172.01	71.88
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति पर व्यय		355.72	372.63
	प्रावधान	33	237.33	450.70
	राइट–ऑफ	34	0.72	20.80
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		284.51	91.03
	अन्य व्यय	35	1,022.55	1,522.49
	कुल व्यय (IV)	**10,954.14**	**9,698.01**	
(V)	**असाधारण मदों एवं कर के पहले लाभ (III-IV)**		**1,343.57**	**2,370.72**
(VI)	असाधारण मद	—	—	
(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**		**1,343.57**	**2,370.72**
(VIII)	कर व्यय	36	554.06	984.19
(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**789.51**	**1,386.53**
(X)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ (कर के बाद) (X-XI)		—	—
(XIII)	संयुक्त उद्यम/संबद्ध के लाभ/(हानि) में शेयर		—	—
(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**		**789.51**	**1,386.53**
	अन्य विस्तृत आय	37		
	A (i) मद जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		155.59	20.05
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे		64.16	8.32
	B (i) मद, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
	(ii) मद से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		—	—
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**91.43**	**11.73**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का समेकित विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	नोट्स	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(XVI) वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय **(XIV+XV)** (लाभ/हानि) सहित तथा वर्ष के अन्य विस्तृत आय)		**880.94**	**1,398.26**
आरोपित लाभ :			
कम्पनी के स्वामी		789.52	1,386.70
अनियंत्रित ब्याज		(0.01)	(0.17)
		789.51	**1,386.53**
अन्य आरोप्य विस्तृत आय			
कम्पनी के स्वामी		91.43	11.73
अनियंत्रित ब्याज		–	–
		91.43	**11.73**
कुल आरोपित विस्तृत आय			
कम्पनी के स्वामी को		880.95	1,398.43
अनियंत्रित ब्याज का		(0.01)	(0.17)
(XVII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए)			
(1) बेसिक		839.91	1,475.21
(2) डायलुटेड		839.91	1,475.21
(XVIII) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए)			
(1) बेसिक		–	–
(2) डायलुटेड		–	–
(XIX) प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित एवं चलित संचालन के लिए)			
(1) बेसिक		839.91	1,475.21
(2) डायलुटेड		839.91	1,475.21
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी	38		

संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
	(वित्त)	DIN-06638291	DIN-02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. – 302206E)

स्थान : राँची
दिनांक : 26 मई, 2018

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 052722)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी–प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
संचलित गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
कर से पहले कुल विस्तृत आय		1,499.16	2,390.77
के लिए समायोजन			
स्थाई परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास/हानि		358.09	377.39
बैंक में जमा राशि से ब्याज		(206.69)	(258.95)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्तीय लागत		172.01	71.88
पूर्व संचालन व्यय (जे.सी.आर.एल.) का समायोजन		—	(0.06)
निवेशों से प्राप्त ब्याज/लाभांश		(10.59)	(23.25)
स्थाई परिसंपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि		3.10	0.56
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान एवं राइट–ऑफ		238.05	471.50
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयता		(136.25)	(185.44)
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		284.51	91.03
चालू/गैरचालू परिसंपत्ति एवं देयता से पहले परिचालन लाभ		**2,201.39**	**2,935.43**
समायोजन (के लिए) :			
प्राप्य व्यापार		(71.52)	74.13
भण्डार सूची		747.03	(605.00)
अल्प/दीर्घ कालिक ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्ति		(1,264.30)	295.01
अल्प/दीर्घ कालिक देयता एवं प्रावधान		2,838.76	796.81
संचालन से उपार्जित धन		**4,451.36**	**3,496.38**
भुगतान किया गया/वापस आयकर		(984.97)	(1,042.32)
संचलित गतिविधियों से निबल नकदी–प्रवाह	(ए)	**3,466.39**	**2,454.06**
निवेश गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
स्थाई परिसंपत्तियों का क्रय		(898.08)	(1,310.14)
बैंक जमा में निवेश		206.69	258.95
निवेशों में परिवर्तन		—	—
अनुषंगी कम्पनियों में निवेश		—	—
निवेश गतिविधियों से संबद्ध ब्याज		—	—
निवेशों से ब्याज/लाभांश		10.59	23.25
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	(बी)	**(680.80)**	**(1,027.94)**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(CIN: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : राँची, झारखण्ड

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी–प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
वित्तीय गतिविधियों से नकदी–प्रवाह			
ऋण		(2,153.78)	1,374.78
इक्विटी शेयर पूँजी (गैर नियंत्रित ब्याज)–जेसीआरएल में निवेश		16.69	1.31
पिछले वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		(172.01)	(71.88)
स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		—	—
भुगतान किया गया लाभांश		(531.10)	(3,634.04)
लाभांश वितरण कर		(108.12)	(739.80)
इक्विटी शेयर–पूंजी का वापसी खरीद		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल राशि	(सी)	**(2,948.32)**	**(3,069.63)**
कैश एवं बैंक बचत में निबल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**(162.73)**	**(1,643.51)**
कैश एवं बैंक बचत (शुरूआत शेष)		**325.07**	**1,968.58**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		**162.34**	**325.07**

(कोष्ठ में दिये गये सभी मान बर्हिप्रवाह को दर्शाते हैं)

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी. के. घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक (वित्त)	निदेशक (वित्त) DIN-06638291	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक DIN-02698059

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसरण में
एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजी सं. – 302206E)

स्थान : राँची
दिनांक : 26 मई, 2018

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता सं. 052722)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण – समेकित

(₹ करोड़ में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2016 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2017 को शेष	01.04.2017 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	31.03.2017 को शेष
प्रत्येक रू. 1000/– के 9400000 इक्विटी शेयर्स	940.00	—	940.00	940.00	—	940.00

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	ओसीआई	इक्विटी शेयर धारक का आरोप्य इक्विटी	अनियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2016 को शेष	**1,958.94**	**3,278.52**	**40.66**	**5,278.12**	—	**5,278.12**
लेखा नीतियों में परिवर्तन	—	—	—	—	—	—
पूर्व अवधि त्रुटी	—	(6.02)	—	(6.02)	—	(6.02)
01.04.2016 को पुर्नलिखित शेष	**1,958.94**	**3,272.50**	**40.66**	**5,272.10**	—	**5,272.10**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान निवेश	—	—	—	—	1.31	1.31
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल वर्ष में लाभ	—	1,386.70	11.73	1,398.43	(0.17)	1,398.26
विनियोग						—
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	70.06	(70.06)	—	—	—	—
अन्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	—	—	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(3,634.04)	—	(3,634.04)	—	(3,634.04)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	(739.80)	—	(739.80)	—	(739.80)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	—	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—	—
पूर्व क्रियात्मक व्यय	—	(0.04)	—	(0.04)	(0.02)	(0.06)
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	—	—	—	—	—	—
31.03.2017 को शेष	**2,029.00**	**215.26**	**52.39**	**2,296.65**	**1.12**	**2,297.77**
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.26	52.39	2,296.65	1.12	2,297.77
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान निवेश	—	—	—	—	16.69	16.69
वर्ष के दौरान समायोजन	—	0.04	—	0.04	(0.04)	—
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	—	789.52	91.43	880.95	(0.01)	880.94
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—	—
विनियोग						
सामान्य संचय से/को हस्तांतरण	39.48	(39.48)	—	—	—	—
अन्य संचय से/को हस्तांतरण	—	—	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(531.10)	—	(531.10)	—	(531.10)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	(108.12)	—	(108.12)	—	(108.12)
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	—	—	—			—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—			—
पूर्व क्रियात्मक व्यय का समायोजन	—	—	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	—	—	—	—	—	—
31.03.2018 को शेष	**2,068.48**	**326.12**	**143.82**	**2,538.42**	**17.76**	**2,556.18**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियाँ

नोट : 1 निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) का शतप्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड – 834029

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट–भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.) है। जे.सी.आर.एल. का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख–रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा–नीतिया

नोट : 2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कम्पनी का वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, जिसे कि कंपनी नियम, 2015 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय

- कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं. 2.15 को देखें) ;
- परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया ;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं. 2.21 में लेखा नीति को देखें)

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रणित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नो पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन–देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है जबतक कि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के परिशोधन का पुष्टिकरण कार्य सम्पादन के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य–सम्पादन एवं घटनाओं के लिए ग्रुप के द्वारा अपनाये गये लेखा–नीतियों को ही सामान्य तौर पर ग्रुप के सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, समूह लेखा–नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर–चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहाँ समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसंपत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसंपत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण समेकित तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन-देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा-नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन-देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन-देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व

के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहाँ उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर–मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओ को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को मौजूद समझा जाता है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति हैय

(बी) परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता हैय

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने कं अंदर परिसंपत्ति की उगाही करने का अनुमान है य

(डी) परिसंपत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषितद्ध जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसंपत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जब :

(ए) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है य

(बी) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है य

(सी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद 12 महीने कं अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है य

(डी) रिर्पोटिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के विष के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर–मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

2.4.1 सामानों की बिक्री से राजस्व

वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती है :

(ए) कंपनी ने वस्तुओं के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों का हस्तांतरण इसके खरीदार को कर दिया है;

(बी) कंपनी न तो, स्वामित्व के साथ आमतौर पर संबंधित अंश तक, सतत प्रबंधकीय संलिप्तता को और न ही बेचे गए वस्तुओं के उपर प्रभावी नियंत्रण को, धारित करती है;

(सी) राजस्व की राशि को विश्सनीयता के साथ मापा जा सकता है;

(डी) यह संभव है कि लेन–देन के साथ संबंधित आर्थिक लाभ तत्व का और प्रवाह हो जाएगा;

(इ) लेन–देन के संबंध में हुए खर्च या होने वाले खर्च की लागत को विश्वनीयता के साथ मापा जा सकता है।

भुगतान के संविदात्मक परिभाषित शर्तों का संज्ञान लेते हुए तथा करों, लेवियों या सरकार/अन्य वैधानिक संस्थाओं के बदले वसुले गए शुल्कों को छोड़ कर, राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक जमा के रूप में दर्ज किया जाता है जब कि राजस्व मान्यता की उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं हो जाती है।

यद्यपि, द इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत भविष्य लेखा मानक 18 मे शैक्षणिक सामग्री के आधार पर, कंपनी यह मानती है कि उत्पाद–शुल्क की वसूली कंपनी के अपने खाते में चली जाती है। यही कारण है कि यह निर्माताओं के लिए देयता है जो कि सामानों के बेचे जाने के बावजूद उत्पादन–लागत का हिस्सा होता है। चूंकि उत्पाद शुल्क की वसूली गई राशि कंपनी के अपने खाते में चली जाती है, राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल होता है।

यद्यपि, अन्य करों, लेवियों या शुल्कों को कंपनी के खाते में लिए जाने लायक नहीं समझा जाता है और इन्हें निबल राजस्व से हटा दिया जाता है।

2.4.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.4.4 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित) को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.4.5 सेवाओं का समर्पण

जब सेवाओं के समर्पण से संबंधित लेन–देन के परिणामें को विश्वसनीयता से आकलन किया जा सकता है, तब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन की समाप्ति के अवस्था के परिपेक्ष्य में लेन–देन के साथ संबंधित राजस्व को मान्यता दी जाती है। लेन–देन के परिणाम का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती है।

(ए) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता हैय

(बी) यह संभव है कि लेन–देन संबंधित आर्थिक लाभ तत्व की ओर प्रवाह करेगाय

(सी) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन के समाप्ति की अवस्था को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है, और

(डी) लेन–देन कार्यान्वित करने के लिए खर्च हुए लागत तथा इसे समाप्त करने की लागत को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते है जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संब, लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षति पूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को आस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान ,अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदानद्ध को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों यां कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथ इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 लीज पट्टा

वित्तीय लीज वह लीज है जो परिसंपत्ति के स्वामित्व पर पड़ने वाले सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों की सत्यता से हस्तांतरित करता है। टाइटल या अथवा या नहीं हस्तांतरित हो सकता है।

2.6.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

एक लीज/पट्टा प्रारंभ होने की तारीख पर एक वित्तीय लीज अथवा संचालन लीज में वर्गीकृत होता है।

2.6.1 वित्तीय पट्टों/लीजेज

वित्तीय पट्टों को प्रारंभ की तारीख पर पट्टीकृत संपत्ति के अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है अथवा, न्यूनतम की स्थिति में राशि के वर्तमान मूल्य पर नयूनतम लीज भुगतान को वित्तीय शुल्कों एवं लीज देयता में कमी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि बचे हुए शेष देयता पर स्थिर अवधितात्मक ब्याज दर को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय शुल्कों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में लिया जाता है, और यदि वे योग्यता परिसंपत्ति में सीधे तौर पर आरोपित होने लायक हों उस स्थिति में उनको कंपनी को उधार लागतों पर आधारित सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

लीज परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी आयु पर आधारित होता है। यद्यपि, यदि उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर पाएगी या नहीं, उस स्थिति में परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी आयु तथा लीज अवधि में से न्यूनतम पर, आधारित होगा।

2.6.1.1 संचालन लीज

लीज राशि को लीज अवधि पर सीधी रेखा आधारित व्यय के तौर पर लिया जाता है, जबतक या तो:

(ए) कोई दूसरा व्यवस्थित आधार, उपयोगकर्ता लाभ के समयाकार को ज्यादा अच्दे तरह से प्रस्तुत करता हो य अथवा

(बी) पट्टेदार भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्थिति के अनुरूप बढ़े ताकि पट्टेदार की अनुमानित लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति वही आती है।

2.6.2 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में

संचालन लीज/पट्टा – संचालन लीजों (बीमा एवं मरम्मत जैसी सेवाओं के राशियों को छोड़कर) से प्राप्त लीज/पट्टा आय को लीज अवधि के उपर सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में लिया जाता है, जबतक या तो य

(ए) दूसरा व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न को ज्यादा प्रदर्शित करता है जिसमें लीज परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोगित्ता लाभ कम हो जाती है, बावजूद उसके कि पट्टादाता को भुगतान उस पर आधारित नहीं है अथवा य

(बी) पट्टेदार का भुगतान इस प्रकार गठित हो कि वो अनुमानित सामान्य स्फिति के अनुरूप बढ़े ताकि पट्टेदार की अनुमानित स्फिति लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। यदि पट्टेदार का भुगतान सामान्य स्फिति के अलावा अन्य तथ्यों के कारण बदलता है, तब यह स्थिति नहीं आती है।

वित्तीय लीज/पट्टे – वित्तीय लीजों के अन्तर्गत लीजों से संबंधित बकाया राशि को कंपनी के लीजों में निवेश पर प्राप्य के रूप में प्रविष्टि किया जाता है। वित्तीय लीज से संबंधित निबल निवेश बकाया राशि पर स्थिर आवर्ती प्राप्ति दर प्राप्त हो सके।

संचालित लीज के व्यवस्था एवं समझौता के लिए खर्च हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज परिसंपत्ति के अग्रेषित राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा इसे लीज आय की तरह ही लीज अवधि के उपर व्यय के रूप में लिया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर–चालू परिसंपत्ति

कंपनी गैर–चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह्द का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुलग्नि विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विक्रय लेन–देन में अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल

बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब

- ➢ उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ➢ खरीदार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- ➢ संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है।
- ➢ वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, और
- ➢ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी. पी. ई.)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है :

(ए) व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर–वापसी योग्य खरीद करें। सहित इसकी खरीद मूल्य।

(बी) कोई भी लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के लिए जरूरी शर्त

(सी) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान–सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी. पी. ई. के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रखरखाव" के वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्रापत होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एव उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों की ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि य संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है :

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम है
भवनें	:	3 – 60 वर्ष
सड़कें	:	3 – 10 वर्ष
दूर–संचार	:	3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
वर्ष	:	5 – 15 वर्ष
कंप्युटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 – 10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग – सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमाति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसंपत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार (रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैंप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो–डाटा के आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल) ;सी. बी. सी. अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989य भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013; सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च की राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा–नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छूट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जाखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसंपत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छूट के प्रभाव के रूप में धीरे–धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण ;
- भौगोलिक, भौगोलिक–रासायनिक तथा भौगोलिक–शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना ;
- खोजी वेधन, खाई–खुदाई एवं नमूना ;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच ;
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण ;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्री की लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना–दर–परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खाना/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है : जब टिकाऊ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

(ए) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(बी) कोयले को छूने के 2 साल, या

(सी) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है

जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाने जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्ति

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है। बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर लागत का उपयोग करने के लिए कानूनी अधिकार की अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है या 3 वर्ष के लिए, जो भी एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ न्यूनतम है।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन–देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन–देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसंपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.1.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ और हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन ।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियाँ पूरी होती है :

(ए) परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नगदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

(बी) परिसंपत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफमीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफमीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं :

(ए) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, और

(बी) परिसंपत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफमीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफमीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफमीटीपीएल पर ऋण साधन

एफमीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफमीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफमीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफमीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफमीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफमीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफमीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णित इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है।

कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन–दर–साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफमीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफमीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब :

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास–थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है : और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विकृति/हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है :

(ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(सी) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टे

(डी) व्यापार प्राप्तियाँ या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के सीमा के अंदर हुए लेनदनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी "सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है :

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य : तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के सीमा के अंदर हुए लेनदेन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

  सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन–देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ–हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की र्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, ता इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरू) समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2-16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2-17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहाँ संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेनदेन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर–योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहाँ कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले आस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या आस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु–अवधि के लाभ

सभी अल्प–कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना प्रोविडेन्ट फंड एवं पेंशन के लिए रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभों पर उपरी सीमा के साथ) होती हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें त्लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भवि य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैस वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से – कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ–हानि विवरण में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एवं खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को परिभाषित लाभ योजना के लिए उपर वर्णीत अनुसार उसी आधार पर मान्यता प्राप्त होता है। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है। विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में

नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है

विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मुल्यांकन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्टीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानो के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है (सीएमपीडीआईएल के द्वारा तकनीकि आंकलन किया जाता है एवं इसे परियोजना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है)।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला : ओबी)पर चार्ज किया जाता है। स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात–विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर–मौजूद परिसंपत्ति/गैर–मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन–पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्रा	विचलन की स्वीकार्य सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलियन क्यू. मी. में)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%	0-03
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%	0-20
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%	

यद्यपि, जहाँ पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति–सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्तियोग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति–सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति–सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन,

निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक–फाइन्स को लागत या निबल प्राप्तियोग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लटी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप–उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कालरियों/उप–स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति–सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्राधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति–सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलावा), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति–सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियाँ/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय–मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिविम्बित करने के लिए, समायेजित किा जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नही किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तिय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबंद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीनियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित वित्तीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा–नीतियों का प्रतिपादन

लेखा–नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन–देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने ना रखता हो।

लेन–देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा–नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि :

(ए) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय–निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(बी) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरण:

- (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है
- (ii) लेन–दनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप कोय
- (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त,
- (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
- (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है।

निर्णय–निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है ;

(ए) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं ; तथा

(बी) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतरर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके

अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड–सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहाँ ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है), जिसकी लेखा नीतियाँ, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखा–नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रुवल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग–अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार एवं प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण उन आर्थिक फैसलों पर अलग–अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या किसी वस्तु की मात्रा या वस्तुओं का कुल योग निर्धारित कारक हो सकते हैं। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजयिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पट्टो के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिर्पोटिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बार है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भवि य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्ति प्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ–साथ अपेक्षित भावी

नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ संभावित समय–निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट – 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भवि य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति–संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु–दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु–दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का अंकित मूल्य मापन

जब्त तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के अंकित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके अंकित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, अंकित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास क तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- ➢ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- ➢ छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय–मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से अंकित मूल्य
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से अंकित मूल्य
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सि,ांत
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि
आइ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान
के.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

नोट– 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ in Crores)

विवरण	खुली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/स्थल वापसी लागत	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वे ऑफ परिसंपत्ति	अन्य	योग
अग्रणित राशि															
01 अप्रैल 2016 को	17.49	559.53	479.75	180.29	1,387.12	1.79	14.86	7.74	27.03	9.36	—	179.22	76.14	—	2,940.32
जोड़	—	116.26	—	8.86	87.17	—	19.94	2.04	5.38	2.89	—	19.04	8.02	—	269.60
विलोपन/समायोजन	—	(5.30)	—	—	(12.78)	—	(0.07)	(0.11)	0.04	(0.01)	—	—	(1.59)	—	(19.82)
31 मार्च, 2017 को	**17.49**	**670.49**	**479.75**	**189.15**	**1,461.51**	**1.79**	**34.73**	**9.67**	**32.45**	**12.24**	—	**198.26**	**82.57**	—	**3,190.10**
01 अप्रैल, 2017 को	17.49	670.49	479.75	189.15	1,461.51	1.79	34.73	9.67	32.45	12.24	—	198.26	82.57	—	3,190.10
जोड़	—	64.39	—	61.23	206.64	0.07	—	2.07	10.83	0.06	—	13.05	3.72	—	362.06
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—	(10.17)	—	—	—	(0.06)	(0.01)	—	(0.29)	(5.78)	—	(16.31)
31 मार्च, 2018 को	**17.49**	**734.88**	**479.75**	**250.38**	**1,657.98**	**1.86**	**34.73**	**11.74**	**43.22**	**12.29**	—	**211.02**	**80.51**	—	**3,535.85**
मूल्य ह्रास एवं हानि															
01 अप्रैल, 2016 को	—	25.10	50.43	8.59	242.16	0.14	3.14	1.94	4.67	1.20	—	23.00	37.97	—	398.34
वर्ष के लिए शुल्क	—	44.53	45.19	8.79	228.92	0.09	3.72	2.01	7.95	1.29	—	17.96	—	—	360.45
हानि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.03	8.42	—	10.45
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—	(4.84)	0.14	—	0.29	(0.46)	—	—	(0.67)	—	—	(5.54)
31 मार्च, 2017 को	—	**69.63**	**95.62**	**17.38**	**466.24**	**0.37**	**6.86**	**4.24**	**12.16**	**2.49**	—	**42.32**	**46.39**	—	**763.70**
01 अप्रैल, 2017 को	—	69.63	95.62	17.38	466.24	0.37	6.86	4.24	12.16	2.49	—	42.32	46.39	—	763.70
वर्ष के लिए शुल्क	—	54.98	36.41	10.68	213.76	0.14	3.94	1.44	7.83	1.53	—	17.94	—	—	348.65
हानि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.83	(1.65)	—	4.18
विलोपन/समायोजन	—	0.78	—	(0.07)	(6.30)	—	—	(0.01)	0.06	—	—	0.48	(0.03)	—	(5.09)
31 मार्च, 2018 को	—	**125.39**	**132.03**	**27.99**	**673.70**	**0.51**	**10.80**	**5.67**	**20.05**	**4.02**	—	**66.57**	**44.71**	—	**1,111.44**
निवल अग्रणित राशि															
31 मार्च, 2018 को	**17.49**	**609.49**	**347.72**	**222.39**	**984.28**	**1.35**	**23.93**	**6.07**	**23.17**	**8.27**	—	**144.45**	**35.80**	—	**2,424.41**
31 मार्च, 2017 को	**17.49**	**600.86**	**384.13**	**171.77**	**995.27**	**1.42**	**27.87**	**5.43**	**20.29**	**9.75**	—	**155.94**	**36.18**	—	**2,426.40**
31 मार्च, 2016 को	**17.49**	**534.43**	**429.32**	**171.70**	**1,144.96**	**1.65**	**11.72**	**5.80**	**22.36**	**8.16**	—	**156.22**	**38.17**	—	**2,541.98**

टिप्पणी :

1. अन्य भूमि के अंतर्गत कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 एवं अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं।
2. अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रभावी लेखा नीति की अनुच्छेद संख्या 2.8 में उल्लिखित अधिकारित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसमें लाइफ ऑफ वैल्यू का अन्य कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, अतः घटक लेखांकन नहीं किया गया है।
3. चालू वर्ष के दौरान, परित्यक्त परिसंपत्ति सम्बद्ध ह्रास की राशि 1.65 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 8.42 करोड़ रुपए चार्ज किया गया) अपहरित गई है।
4. लीज समझौतों के विषय में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को, पिछले साल व्यवसाय करने और कंपनी की कुछ संपत्तियों का उपयोग जिनका कुल मूल्य 88.09 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये की निकासी करने का अधिकार दिया है।
5. 348.65 करोड़ रुपये के कुल मूल्य ह्रास में अन्य खनन आधारभूत संरचना से सम्बन्धित 17.94 करोड़ रुपये का परिशोधन शामिल है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 4 : कैपिटल डब्ल्यू आई पी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	भवन (जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट)	संयंत्र एवं उपकरण	रेवले साइडिंग	विकास	अन्य	योग
अग्रणित राशि						
01 अप्रैल, 2016 को	52.11	39.91	91.43	132.55	—	316.00
जोड़	59.01	45.77	931.99	17.24	—	1,054.01
पूंजीकरण/विलोपन	(7.52)	(21.60)	—	(1.85)	—	(30.97)
31 मार्च, 2018 को	**103.60**	**64.08**	**1,023.42**	**147.94**	—	**1,339.04**
01 अप्रैल, 2017 को	103.60	64.08	1,023.42	147.94	—	1,339.04
जोड़	96.41	13.56	476.31	38.99	—	625.27
पूंजीकरण/विलोपन	(57.97)	(29.59)	—	(12.00)	—	(99.56)
31 मार्च, 2018 को	**142.04**	**48.05**	**1,499.73**	**174.93**	—	**1,864.75**
प्रावधान एवं हानि						
01 अप्रैल, 2016 को	0.55	2.58	3.59	5.88	—	12.60
वर्ष के लिए शुल्क	1.05	0.53	4.11	3.94	—	9.63
हानि	—	—	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2017 को	**1.60**	**3.11**	**7.70**	**9.82**	—	**22.23**
01 अप्रैल, 2017 को	1.60	3.11	7.70	9.82	—	22.23
वर्ष के लिए शुल्क	0.35	2.16	3.85	1.82	—	8.18
हानि	—	—	—	1.45	—	1.45
विलोपन/समायोजन	(0.01)	(0.20)	—	(0.51)	—	(0.72)
31 मार्च, 2018 को	**1.94**	**5.07**	**11.55**	**12.58**	—	**31.14**
निबल अग्रणित राशि						
31 मार्च, 2018 को	**140.10**	**42.98**	**1,488.18**	**162.35**	—	**1,833.61**
31 मार्च, 2017 को	**102.00**	**60.97**	**1,015.72**	**138.12**	—	**1,316.81**
01 अप्रैल, 2016 को	**51.56**	**37.33**	**87.84**	**126.67**	—	**303.40**

टिप्पणी :

(i) मशीनरी/परिसंपत्तियों के मामले में, जिसका खरीद/अधिग्रहण के तारीख से तीन साल से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, चौथे वर्ष से प्रभावी मूल्य ह्रास के समतुल्य प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है जिसकी कुल राशि 8.18 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 9.63 करोड़) है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 33 के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्रारंभिक प्रावधान से, 0.72 करोड़ रुपये की राशि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (नोट – 3) में स्थानांतरित कर दी गई है।

(ii) सीआईएल बोर्ड ने अपनी 350वीं बोर्ड मीटिंग में कोयले की सहज निकासी के लिए टोरी–शिवपुर रेल–लाइन परियोजना से सम्बद्ध 2399.07 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी जिसके लिए पूर्व–मध्य रेलवे को 2392.13 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। पू. म. रेलवे ने 1141.54 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिसे सीडब्ल्यूआईपी में "रेलवे साइडिंग" मद के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है और 1250.59 करोड़ रुपये की शेष राशि नोट – 10 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाई गई है। उपर्युक्त परियोजना के लिए सीसीडीएसी के लिए कंपनी को अबतक 434.17 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 5 : अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अनुसंधान एवं मूल्यांकन लागत
अग्रणित राशि	
01 अप्रैल, 2016 को	201.14
जोड़	36.69
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2017 को	**237.83**
01 अप्रैल, 2017 को	237.83
जोड़	23.51
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**261.34**
प्रावधान एवं हानि	
01 अप्रैल, 2016 को	—
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	0.67
31 मार्च, 2017 को	**0.67**
01 अप्रैल, 2017 को	0.67
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन / समायोजन	—
31 मार्च, 2018 को	**0.67**
निवल अग्रणित राशि	
31 मार्च, 2018 को	**260.67**
31 मार्च, 2017 को	**237.16**
01 अप्रैल, 2016 का	**201.14**

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	योग
अग्रणित राशि				
विवरण	5.14	1.71	—	6.85
जोड़	0.07	—	—	0.07
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2017 को	**5.21**	**1.71**	—	**6.92**
01 अप्रैल, 2017 का	5.21	1.71	—	6.92
जोड़	0.01	—	—	0.01
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**5.22**	**1.71**	—	**6.93**
परिशोधन एवं हानि				
01 अप्रैल, 2016 का	1.60	—	—	1.60
वर्ष के लिए शुल्क	1.73	—	—	1.73
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2017 को	**3.33**	—	—	**3.33**
01 अप्रैल, 2017 का	3.33	—	—	3.33
वर्ष के लिए शुल्क	1.44	—	—	1.44
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को	**4.77**	—	—	**4.77**
सकल अग्रणित राशि				
31 मार्च, 2018 को	**0.45**	**1.71**	—	**2.16**
31 मार्च, 2017 को	**1.88**	**1.71**	—	**3.59**
01 अप्रैल, 2016 का	**3.54**	**1.71**	—	**5.25**

टिप्पणी :

विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसूला जाएगा।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 7 : निवेश

(₹ करोड़ों में)

	शेयरों की संख्या धारित	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
गैर–चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स	—	—	—
अन्य निवेश			
Share Application Money	—	—	—
सिक्योर्ड बॉण्ड्स में	—	—	—
कोऑपरेटिव शेयर्स में	—	—	—
कुल	—	—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य	—	—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित राशि	—	—	—
निवेश मूल्य की हानि का संकलित राशि	—	—	—

(₹ in Crores)

चालू	इकाईयों की संख्या चालू वर्ष / पूर्ववर्ती वर्ष	प्रति युनिट फेस मूल्य (₹ में)	31.03.2018 को पुनर्लिखित	01.04.2015 को पुनर्लिखित
म्युचुअल फंड निवेश				
यू टी आई म्युचुअल फंड			—	—
एस बी आई म्युचुअल फंड			—	—
केनरा रोबैको म्युचुअल फंड			—	—
युनियन के बी सी म्युचुअल फंड			—	—
बी ओ आई ए एक्स ए म्युचुअल फंड			—	—
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त स्पेशल बांड (पूर्णतः पेड–अप)			—	—
(व्यापार प्राप्य के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
बड़े राज्य के आधार पर विश्लेषण				
– उ. प्र.			—	—
– हरियाणा			—	—
कुल			—	—
उद्धत निवेशों का संकलित मूल्य			—	—
उद्धत मूल्य का बाजार मूल्य			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्य			—	—
निवेश मूल्यों में हानि का संकलित मूल्य			—	—

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

वर्ष के दौरान खरीदे और बेचे गए म्युचुअल फंडों का विवरण

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान कुल विमोच्य		प्राप्त लाभांश	
	यूनिटों की सं.	राशि	यूनिटों की सं.	राशि	यूनिटों की सं.	राशि
यू टी आई म्युचुअल फंड	3,166,426.62	322.80	3,218,976.53	328.16	52,549.91	5.36
एस बी आई म्युचुअल फंड	2,926,987.29	293.65	2,972,681.62	298.23	45,694.33	4.58
केनरा रोबैको म्युचुअल फंड	152,262.56	15.31	154,651.72	15.55	2,389.16	0.24
युनियन के बी सी म्युचुअल फंड	223,754.43	22.39	227,202.89	22.74	3,448.46	0.35
बी ओ आई म्युचुअल फंड	68,319.07	6.85	68,900.10	6.91	581.03	0.06
कुल	**6,537,749.96**	**661.00**	**6,642,412.86**	**671.59**	**104,662.90**	**10.59**

टिप्पणी :

कम्पनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की लिक्विड योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड की इकाईयों के रूप में दैनिक लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एन.ए.वी. का मूल्य स्थिर रहता है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 8 : ऋण

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
गैर–चालू		
संबद्ध पार्टियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	—	—
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
कर्मचारियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	0.47	0.59
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद	—	—
	0.47	0.59
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	0.47	0.59
अन्य ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित		
– असुरक्षित, सुविचारित		
– संदेहास्पद		
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान		
कुल	**0.47**	**0.59**
वर्गीकरण		
– सुरक्षित, सुविचारित	0.47	0.59
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद		— —
चालू		
संबंद्ध पार्टियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	—	—
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 8 : ऋण (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
कर्मचारियों को ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	—	—
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
अन्य ऋण		
– सुरक्षित, सुविचारित	—	—
– असुरक्षित, सुविचारित	—	—
– संदेहास्पद	—	—
	—	—
घटाव : संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान	—	—
	—	—
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित, सुविचारित	—	—
असुरक्षित, सुविचारित	—	—
संदेहास्पद	—	—

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित		31.03.2017 को पुनर्लिखित	
गैर–चालू				
बैंक में जमा		—		0.77
निम्न मदों में बैंक में जमा				
– खदान बंदीकरण योजना		839.46		721.48
– स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम		—		—
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्य		—		—
Security Deposit for utilities	—		—	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—		—	
		—		—
Receivable for Exploratory works	—		—	
Less: Allowance for doubtful	—		—	
		—		—
अन्य प्राप्य	—		0.80	
घटाव : प्रावधान	—		—	
		—		0.80
कुल		**839.46**		**723.05**
चालू				
सीआईएल के पास अतिरिक्त निधि		72.74		45.14
खदान बंदीकरण व्यय के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से प्राप्य		—		—
होल्डिंग कम्पनी के साथ				
चालू खाता	—		—	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—		—	
		—		—
Current maturities of long term loan		—		—
Interest accrued on				
– निवेश	—		—	
– बैंक जमा	58.93		47.64	
– अन्य	0.11		0.66	
		59.04		48.30

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित		31.03.2017 को पुनर्लिखित 7	
अन्य जमा, (खदान बंदीकरण योजना)	180.39		150.71	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–		–	
		180.39		150.71
प्राप्य दावा	–		4.40	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	–		–	
		–		4.40
अन्य प्राप्य*	409.67		125.24	
घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	3.85		5.90	
		405.82		119.34
कुल		717.99		367.89

टिप्पणी :

1. चूंकि दिनांक 01.3.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन–देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए सम्मन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन–देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान 79.95 करोड़ रु. का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से 4.89 करोड़ रु. की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। 4.89 करोड़ रु. में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से 2.26 करोड़ रु. के लिए स्थगन आदेश लिया है और 1.93 करोड़ रु. के शेष के विरूद्ध 1.90 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि 1019.85 करोड़ रु. (विगत वर्ष 872.19 करोड़ रु.) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर 198.79 करोड़ (पिछले वर्ष 158.68 करोड़) रु. का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)।

3- इसमे 0.80 करोड़ रु. की धोखाधड़ी की भुगतान शामिल है (नोट संख्या 38 के पारा. सं. 7.10 देखें)।

4. बैंक जमा में 3.08 करोड़ रु. की "खान बंदीकरण योजना" के अंतर्गत जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है।

5. बैंक जमा, बैंक में 12 महीने से अधिक की प्रारंभिक परिपक्वता के साथ जमा होता है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 10 : अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को पुनर्लिखित		31.03.2017 को पुनर्लिखित	
(i)	अग्रिम पूंजी	1508.00		1095.90	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	1.29	1506.71	0.02	1095.88
(ii)	अग्रिम पूंजी के अलावे अन्य अग्रिम				
	(ए) उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	1.16		3.39	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	1.16	—	3.39
	(बी) अन्य जमा	—		—	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	—	—	—
	(सी) पार्टियों से संबंधित अग्रिम		—		—
	(डी) राजस्व के लिए अग्रिम	—		—	
	घटाव : संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	—	—	—	—
	(इ) भुगतानकृत व्यय		—		—
	(एफ) अन्य		—		—
	योग		**1507.87**		**1099.27**

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ों में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ों में)
अन्य कंपनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य या निदेशक भी है (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1. 1503.94 करोड़ रुपये की पूंजीगत अग्रिम में टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु पूर्व–मध्य रेलवे को दिये गये 1250.59 करोड़ रुपये शामिल है (नोट – 4 देखें)।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को पुनर्लिखित		31.03.2017 को पुनर्लिखित	
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम	128.56		74.69	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.44		0.70	
			128.12		73.99
(बी)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	485.07		396.23	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.31		0.21	
			484.76		396.02
(सी)	संबंधित पार्टियों को अग्रिम		–		–
(डी)	कर्मचारियों को अग्रिम	23.97		29.68	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	–		–	
			23.97		29.68
(इ)	अग्रिम – अन्य	–		–	
	घटाव : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	–		–	
			–		–
(एफ)	जमा – अन्य	839.03		835.05	
	घटाव : प्रावधान	1.61		1.52	
			837.42		833.53
(जी)	सेनवेट एवं वैट क्रेडिट	–		156.13	
	घटाव : प्रावधान	–		5.59	
			–		150.54
(एच)	Input Tax Credit Receivable	481.62		–	
	घटाव : प्रावधान	–		–	
			481.62		–
(i)	मैट क्रेडिट इन्टाइटमेन्ट	–		–	
	घटाव : प्रावधान	–		–	
			–		–
(जे)	भुगतानकृत व्यय		0.22		–
(के)	प्राप्य दावा – अन्य	154.10		51.36	
	घटाव : प्रावधान	16.65		9.19	
			137.45		42.17
	योग		**2,093.56**		**1,525.93**

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)
अन्य कम्पनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य या निदेशक भी है (कम्पनियों के नाम के साथ) (कम्पनियों के नाम के साथ)	Nil	Nil	Nil	Nil
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ है	Nil	Nil	Nil	Nil

टिप्पणी :

1ए सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों को राजस्व अग्रिम के रूप में 11.73 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8.62 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है।

2ए खनिज (सत्यापन) अधिनियम, 1992 में सेस एवं अन्य करों के अधिनियमन के आधार पर, 1992–93 में कंपनी ने 04 अप्रैल, 1991 तक ग्राहकों पर सेस और बिक्री कर मद में 100.33 करोड़ रुपये का पूरक बिल दिया जाए। उक्त राशि ग्राहकों से पुनर्प्राप्त करने योग्य है और अन्य प्राप्त दावे के मद में लिया गया है और इसी राशि को रॉयल्टी और सेस के लिए देय वैधानिक देय राशि में भी शामिल किया गया है। "अन्य वर्तमान देयताएँ" (नोट – 23)।

3ए सभी अन्य करों को सम्मिलित कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 31.03.2018 तक 481.62 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियों के अंतर्गत 143.25 करोड़ रुपये (जीएसटी पूर्व काल से सम्बद्ध) का जीएसटी टीआरएन–1 के माध्यम से क्रेडिट पारगमन शामिल है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान इन्वर्टेड कर संरचना एवं जीएसटी टीआरएन–1 की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही लम्बित जाँच के कारण नहीं किया जा सका। औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद ही कालांतर में इसका उपयोग/दावा किया जाएगा।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 : सम्पत्ति सूचियाँ

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
(ए)	कोयले की भंडार	1,206.37	1,925.17
	विकासाधीन कोयला	—	—
	घटाव : प्रावधान	—	—
	कोयले का भंडार (निबल)	1,206.37	1,925.17
(बी)	समान एवं कलपुर्जों का भंडार ;लागत परद्ध	178.38	208.04
	जोड़ : परागमन में भंडार	4.42	1.53
	घटाव : प्रावधान	44.88	44.79
	सामान एवं कलपुर्जों का निबल भंडार ;लागत परद्ध	137.92	164.78
(सी)	केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.82	0.58
(डी)	कार्यशाला कार्य		
	कार्य प्रगति एवं तैयार वस्तुएँ	3.39	4.76
	घटाव : प्रावधान	—	—
	कार्यशाला कार्य का निबल भंडार	3.39	4.76
(इ)	प्रेस कार्य		
	कार्य प्रगति एवं तैयार वस्तुएं	0.73	0.97
	योग	1,349.23	2,096.26

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (Value in ₹ करोड़ों में)

तालिका – ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिये गये कच्चे कोयले को इति भंडार एवं किताबी भंडार के साथ मिलान

विवरण	कुल भंडार		गैर–विक्रय योग्य/मिश्रित भंडार		विक्रय योग्य भंडार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (ए) 01.04.2016 तक प्रारंभिक भंडार	176.94	1,469.68	1.21	–	175.73	1,469.68
(बी) प्रारंभिक भंडार में समायोजन	–	–	–	–	–	–
2. वर्ष का उत्पादन	634.05	13,366.51	–	–	634.05	13,366.51
3. उप–योग (1+2)	810.99	14,836.19	1.21	–	809.78	14,836.19
4. वर्ष में प्रेषण						
(ए) बाहरी प्रेषण	581.01	12,421.85	–	–	581.01	12,421.85
(बी) वाशरी को दिया हुआ कोयला	94.08	1,462.02	–	–	94.08	1,462.02
(सी) निजी खपत	–	0.01	–	–	–	0.01
योग (ए)	675.09	13,883.88	–	–	675.09	13,883.88
5. प्राप्त भंडार	135.90	952.31	1.21	–	134.69	952.31
6. मापित भंडार	132.50	934.48	1.18	–	131.32	934.48
7. भिन्नता (5-6)	3.40	17.83	0.03	–	3.37	17.83
8. भिन्नता का विवरण						
(ए) 5% के अंदर अधिक	0.13	1.35	–	–	0.13	1.35
(बी) 5% के अंदर कमी	3.53	19.18	0.03	–	3.50	19.18
(सी) 5% से अधिक	–	–	–	–	–	–
(डी) 5% से अधिक कमी	–	–	–	–	–	–
9. खाते में लिया गया अंत भंडार (6 – 8(ए) + 8(बी))	135.90	952.31	1.21	–	134.69	952.31

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में) (Value in ₹ करोड़ों में)

तालिका – बी

कोयले/कोक के इति भंडार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
			कोकिंग		नन–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	176.94	1,469.68	1.02	58.01	8.71	164.91	13.52	232.57	200.19	1,925.17
घटाव : गैर बिक्री योग्य कोयला	1.21	—	—	—	—	—	—	—	1.21	—
समायोजित प्रारंभिक भंडार (बिक्री योग्य)	175.73	1,469.68	1.02	58.01	8.71	164.91	13.52	232.57	198.98	1,925.17
उत्पादन	634.05	13,366.51	11.15	1,059.62	60.76	1,571.34	16.80	710.88	722.76	16,708.35
प्रेषण										
(ए) बाहरी प्रेषण	581.01	12,421.85	11.45	1,081.14	69.13	1,732.52	15.98	729.61	677.57	15,965.12
(बी) वाशरियों को दिया हुआ	94.08	1,462.02	—	—	—	—		—	94.08	1,462.02
(सी) निजी खपत	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01
इति भंडार	134.69	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37
घटाव : कमी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इति भंडार (लिया गया)	134.69	952.31	0.72	36.49	0.34	3.73	14.34	213.84	150.09	1,206.37

टिप्पणी :

1 अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर कोकिंग स्लरी 15886 मी. टन (विगत वर्ष 8733 मी. टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर कोकिंग दोनों) 1071303 मी. टन (विगत वर्ष 1029625 मी. टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।

2 31.03.2018 को कोकिंग और गैर कोकिंग स्लरी तथा गैर कोकिंग रिजेक्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक 275035 मी. टन (विगत वर्ष 256946 मी. टन) और 1516069 मी. टन (विगत वर्ष 7979641 मी. टन) क्रमशः तैयार बाजार की अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।

3 कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का वॉल्युमेट्रिक माप लिया जाता है और रूपान्तरण – कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमेट्रिक मापन की अन्तर्निहित सन्निकट त्रुटी को तथा गणितीय रूपान्तरण – कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपान्तरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (±) 5% का अन्तर कंपनी की लेखानीति के अनुसार नजर अंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरन्तर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 3.40 लाख टन के बुक स्टॉक की शुद्ध कमी जिसका मूल्य 17.83 करोड़ रुपये है, की असंगति बनी हुई है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 13 : व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित		31.03.2017 को पुनर्लिखित	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
देय तिथि से 6 मास अधिक बकाया ऋण				
प्रतिभूत अच्छा समझा गया	—		—	
अप्रतिभूत अच्छा समझा गया	904.67		760.11	
संदेहात्मक	156.08		406.52	
	1060.75		1166.63	
घटाव : खराब और संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	156.08	904.67	406.52	760.11
अन्य ऋण				
प्रतिभूत अच्छा समझा गया	—		—	
अप्रतिभूत अच्छा समझा गया	840.64		913.68	
संदेहात्मक	65.09		81.51	
	905.73		995.19	
घटाव : खराब और संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	65.09	840.64	81.51	913.68
योग		**1,745.31**		**1,673.79**

विवरण	अंत शेष		किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)	(₹ करोड़ों में)
अन्य कंपनियों का बकाया जिनमें कम्पनी के निदेशकगण सदस्य या निदेशक भी है (कंपनियों के नाम के साथ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

व्यवसाय प्राप्य के विरूद्ध संचलन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	488.03
जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	88.41
शेष प्रावधान	576.44
घटाव : वापस लिए गए प्रावधान	355.27
दिनांक 31.03.2018 को व्यवसाय प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	221.17

टिप्पणी :

व्यापार प्राप्य के विरूद्ध 624.31 करोड़ (387.99 करोड़) का प्रावधान कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के लिए प्रस्तुत नमूनों के प्रतीक्षित परिणाम के आने तक किया गया है और नोट – 21 के प्रावधानों में अलग से उद्धृत किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 14 : नगद एवं नगद मूल्य

(₹ करोड़ों में)

		31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
(ए)	बैंकों के साथ शेष		
	जमा खाते में	4.10	4.10
	चालू खाते में		
	— ब्याज सहित	99.76	28.85
	— गैर ब्याज सहित	52.91	288.64
	कैश क्रेडिट खाते में	—	—
(बी)	भारत के बाहर बैंक बचत	—	—
(सी)	पास में चेक, ड्राफ्ट्स तथा स्टाम्प्स	5.55	0.04
(डी)	पास में नगद	0.02	0.01
(इ)	भारत के बाहर पास में नगद	—	—
(एफ)	अन्य (परिवहन में धन प्रेषण)	—	3.43
	कुल नगद एवं नगद मूल्य	162.34	325.07
(जी)	बैंक ओवरड्राफ्ट	—	—
	कुल नगद एवं नगद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट)	**162.34**	**325.07**

टिप्पणी :

1. मार्जिन राशि या सिक्यूरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के रूप में बैंकों के साथ शष राशि शून्य है।

2. हाथ में नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

3. दो अदालती मामलों के मामले में सीसीएल द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी, जो 08/01 के मामले में घिसा लाल गोयल बनाम सीसीएल और मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल तथा अन्य एफए संख्या 101/2007 और सचिव, सूचना प्राद्योगिकी विभाग और ई–गवर्नेंस, झारखण्ड सरकार, राँची के विरूद्ध 10 करोड़ की राशि खाता संख्या 404002100045433 में ग्रहणाधिकार के विरूद्ध जमा किया गया।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	1,233.73	1,376.71
खाद बंदीकरण योजना	–	–
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	–	–
शेयरों के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो एकाउन्ट	–	–
लाभांश एकाउन्ट जिसका भुगतान नहीं किया गया	–	–
लाभांश एकाउन्ट	–	–
योग	1,233.73	1,376.71

टिप्पणी :

जमा में शामिल –

(i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश अनुसार 5.74 करोड़ रुपये ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट – 23) के साथ तदनुरूपी देयता के 1.59 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।

(ii) नवंबर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान वादियों पर चार्ज किये गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शूल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार 26.46 करोड़ रुपये जमा किए गए।

(iii) मेसर्स आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड की बैंक गारंटी के भुनाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, 2016 के केस सं. डब्ल्यूपी(सी) 4179 के आदेश अनुसार 15.05 करोड़ जमा किये गए।

(iv) 162 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1218 करोड़ रुपये) की सावधि जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1103.78 करोड़ रुपये) का अल्पकालिक ऋण उठाया गया है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
अधिकृत		
प्रत्येक रू. 1000 के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर्स	1,100.00	1,100.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक रू. 1000 के 94,00,000 इक्विटी शेयर्स	940.00	940.00
	940.00	940.00

टिप्पणी :

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गये हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गये हैं।

2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कंपनी में शेयर।

शेयरधारक का नाम	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
	शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000)	"कुल शेयरों का प्रतिशत"	शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 1000)	"कुल शेयरों का प्रतिशत"
कोल इंडिया लिमिटेड	9399997	100	9399997	100

3. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओ.सी.आई.	कुल
01.04.2016 को शेष जमा	1,958.94	3,278.52	40.66	5,278.12
लेखा–नीति में परिवर्तन	—	—	—	—
पूर्व अवधि ऋुटी	—	(6.02)	—	(6.02)
01.04.2016 को पुनर्लिखित शेष	1,958.94	3,272.50	40.66	5,272.10
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	—	1,386.70	11.73	1,398.43
विनियोग				
को हस्तांतरित/सामान्य संचय से	70.06	(70.06)	—	—
को हस्तांतरित/अन्य संचय से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(3,634.04)	—	(3,634.04)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
निगम लाभांश दर	—	(739.80)	—	(739.80)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	—	—	—	—
बाय–बैक पर कर	—	—	—	—
पूर्व संचलित व्यय	—	(0.04)	—	(0.04)
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2017 को शेष	2,029.00	215.26	52.39	2,296.65
01.04.2017 को शेष	2,029.00	215.26	52.39	2,296.65
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	0.04	—	0.04
लेखा–नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि–ऋुटी	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	—	789.52	91.43	880.95
विनियोग				
को हस्तांतरित/सामान्य संचय से	39.48	(39.48)	—	—
को हस्तांतरित/अन्य संचय से	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	(531.10)	—	(531.10)
अंतिम लाभांश	—	—	—	—
निगम लाभांश दर	—	(108.12)	—	(108.12)
इक्विटी शेयरों का बाय–बैक	—	—	—	—
बाय–बैक पर कर	—	—	—	—
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	—	—
31.03.2018 को शेष	2,068.48	326.12	143.82	2,538.42

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 18 : उधार

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
गैर–चालू		
सावधी ऋण	—	—
संबद्ध पार्टियों से प्राप्त ऋण		
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	—	1,200.00
अन्य ऋण	—	—
कुल	—	1,200.00
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	1,200.00
चालू		
मांग पर देय योग्य ऋण		
– बैंकों से	150.00	1,103.78
– अन्य पार्टियों से	—	—
संबद्ध पार्टियों से प्राप्त ऋण (एमसीएल)	—	—
कुल	150.00	1,103.78
वर्गीकरण		
सुरक्षित	150.00	1,103.78
असुरक्षित	—	—

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण		राशि करोड़ रू. में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं

1. **कैश क्रेडिट सुविधा :**

   कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के कंसोर्टियम (लीड बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) 55 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट की सुविधा है। उपर्युक्त सुविधाएँ मौजूदा परिसंपत्तियों की संपार्श्विक जमानत पर हाइपोथेकेशन चार्ज लगाकर जिसमें बही ऋण कच्चे माल का स्टॉक, अर्द्ध–तैयार और तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं जो संयंत्र और उपकरण से (उपभोग्य स्टोर और स्पेयर) संबंधित नहीं है, जिसकी सीमा करोड़ रुपये 83.00 है।

2. 162 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 1218 करोड़ रुपये) की सावधि जमा के विरूद्ध 150 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1103.78 करोड़ रुपये) का अल्पकालिक ऋण उठाया गया है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 19 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
चालू		
माइक्रो एस्मॉल तथा मिडियम इंटरप्राइजेज के लिए प्राप्य व्यापार	–	–
अन्य प्राप्य व्यापार (के लिए)		
भंडार एवं कलपूर्जे	129.24	109.77
पावर एवं ईंधन	34.21	24.45
अन्य	–	–
अन्य	163.45	134.22
वर्गीकरण		
सुरक्षित	–	–
असुरक्षित	163.45	134.22

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 20 : अन्य वित्तीय देयता

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
गैर–चालू		
सुरक्षित जमा	52.03	44.51
बयाना धन	1.62	1.05
अन्य	6.44	14.64
कुल	60.09	60.20
चालू		
अनुषंगियों से प्राप्त अतिरिक्त निधि	–	–
दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता ;एमसीएलद्ध	–	300.00
भुगतान नहीं किया गया लाभांश	–	–
सुरक्षित जमा	119.71	101.74
बयाना धन	117.23	145.57
स्यंइपसपजल कित संतलए हमे दक ;ससवूदवमे	323.56	282.12
अन्य	5.48	5.56
कुल	565.98	834.99

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
गैर–चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	605.87	–
अवकाश नकदीकरण	107.11	153.61
अन्य कर्मचारी लाभ	218.50	213.29
	931.48	366.90
स्थल पुनः स्थापन/खदान बंदीकरन	902.56	855.11
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	1,368.31	1,083.80
अन्य	–	–
कुल	3,202.35	2,305.81
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	315.79	90.56
अवकाश नकदीकरण	34.67	37.57
एक्सग्रेसिया	223.67	219.94
परफॉरमेंस रिलेटेड पे	57.26	257.83
अन्य कर्मचारी लाभ	286.89	257.70
एनसीडब्ल्यू – X	474.73	289.76
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	136.26	12.86
	1,529.27	1,166.22
स्थल पुनःस्थापन/खदान बंदीकरण	137.88	116.92
कोयले की अंत शेष भंडार पर उत्पाद शुल्क	–	207.75
कोयला मात्रा भिन्नता के प्रावधान	624.31	387.99
अन्य	–	–
कुल	2,291.46	1,878.88

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 21 : प्रावधान (जारी...)

टिप्पणी :

1. एनसीडब्ल्यूए – X के मद में रु. 658.92 करोड़ की कुल देयता का निवल व्यय निर्धारण 184.19 करोड़ रुपये के अग्रिम से किया गया है।

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 दिनांकित 3 अगस्त, 2017 (देखें) के माध्यम से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के वेतन और भत्ते में संशोधन के दिशानिर्देशों को भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को परिचालित किया है। इन दिशानिर्देशों का लंबित अंतिम कार्यान्वयन, अधिकारी वेतन (नियोक्ता के पीएफ योगदान सहित) के सभी तत्वों में वृद्धि के अनुमानित प्रभाव पर विचार करते हुए, 01.01.2017 से 31.03.2018 की अवधि तक, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कर्मचारी लाभ और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ, अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए 136.16 करोड़ रुपये का प्रावधान इन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

3. अन्य कर्मचारी लाभ के लिए 252.13 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 226.20 करोड़ रुपये) का प्रावधान शामिल है जिसमें तुलन पत्र तिथि तक सेवानिवृत्ति लाभ @9.84% की दर से प्रदान किया गया जिसके लिए अलग फंड/ट्रस्ट अभी बनाया जाना है।

4. गैर–अधिकारियों के एक्स–ग्रेसिया के लिए प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 57000/– (विगत वर्ष 54000/–) प्रति वर्ष की संशोधित दर के अनुसार प्रावधान किया गया है।

5. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निवल व्यय निर्धारण रुपये 267.23 करोड़ हुआ, बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

6. कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के लिए 624.31 करोड़ रुपये (387.99 करोड़ रुपये) का प्रावधान ग्रेड असंगति प्रसरण के लिए है, जिसके परिणाम का इंतजार/को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर @8% (यानी जी–सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुँचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनंतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर उक्त प्रावधान के 1040.44 (विगत वर्ष 972.03 करोड़) के विरूद्ध 1019.85 करोड़ (विगत वर्ष 872.19 करोड़ रुपये) जमा है जिसमें अर्जित ब्याज 198.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 158.68 करोड़ रुपये) भी सम्मिलित हैं।

8. ग्रैच्युटी अधिनियम, 1972 और उसके बाद जारी संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार 29.03.2018 की प्रभावी तिथि से अधिकतम ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में ग्रैच्युटी प्रावधान में ग्रैच्युटी सीमा में बदलाव के कारण 900.33 करोड़ रुपये की देयता में वृद्धि हुई है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 22 : अन्य गैर–चालू देयता

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि		
प्रारंभिक शेष	–	–
जोड़ : निधि (निबल टीडीएस) के निवेश से प्राप्त ब्याज	–	–
जोड़ : प्राप्त योगदान	–	–
घटाव : वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों को जारी भुगतान	–	–
आस्थगित व्यय*	438.46	183.83
योग	438.46	183.83

टिप्पणी :

1. * इसमें टोरी–शिवपुर परियोजना के लिए सीसीडीएसी से प्राप्त अनुदान शामिल है जो 434.17 करोड़ रुपये है (गत वर्ष 179.54 करोड़) और एन.के. क्षेत्र की सड़कों के मजबूतीकरण हेतु 4.24 करोड़ थी (गत वर्ष 4.29 करोड़)।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 23 : अन्य चालू देयता

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
पूंजी व्यय	128.65	99.45
वैधानिक देय :		
सामान एवं सेवा कर	110.34	—
जीएसटी मुआवजा सेस	258.58	—
विक्रय कर/वैट	6.29	46.36
प्रोविडेन्ट फंड एवं अन्य	70.14	63.73
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	—	0.79
कोयले पर रॉयल्टी एवं शेष*	202.24	168.07
मराई उत्पाद शुल्क	—	13.31
स्वच्छ उर्जा शेष	—	310.47
राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान ट्रस्ट	1.53	1.44
जिला खनिज संस्थापन	34.79	23.60
अन्य वैधानिक लेवी	23.15	26.63
आय कर कटौती/स्रोत पर जमा	18.08	93.69
	725.14	748.09
कोयला आयात के लिए अग्रिम	—	—
ग्राहकों/अन्य से प्राप्त अग्रिम	3,181.55	1,581.08
शेष संतुल्य लेखा	—	—
अन्य देयता	870.79	540.95
योग	4,906.13	2,969.57

* नोट – 11 के प्वाइंट नम्बर – 2 का संदर्भ लें।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कोयले की बिक्री		15,965.12		14,899.71
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी				
रॉयल्टी	1,109.31		821.06	
सामान एवं सेवा कर	470.45		—	
जीएसटी मुआवजा सेस	2,076.22		—	
कोयला पर सेस	—		—	
भराई उत्पाद शुल्क	14.18		48.32	
केन्द्रीय विक्रय कर	48.37		183.22	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	567.09		1,932.72	
राज्य विक्रय कर/वैट	73.68		270.93	
राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान ट्रस्ट	22.19		16.69	
जिला खनिज संस्थान	332.74		486.09	
अन्य लेवी (नया प्रबंधन शुल्क)	1.27		—	
कुल लेवी		4,715.50		3,759.03
कोयले की बिक्री (निबल) (ए)		11,249.62		11,140.68
(बी) अन्य संचालित राजस्व				
कोयला आयात के लिए सरलीकरण शुल्क		—		—
बालू भराई एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अनुदान		1.05		1.42
लोडिंग तथा अतिरिक्त यातायात खर्च	453.62		372.97	
घटाव : जीएसटी	17.38		—	
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	2.43	433.81	7.98	364.99
निकासी सुविधा शुल्क	107.68		—	
घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	5.13	102.55	—	—
अन्य संचालन से राजस्व (निबल) (बी)		537.41		366.41
संचालन से राजस्व (ए+बी)		11,787.03		11,507.09

टिप्पणी :

1. उत्पाद शुल्क, एसीडी, जेवीएटी, सीएसटी इत्यादि 01.07.2017 से प्रभावी जीएसटी की शुरुआत के साथ उसमें समाहित हो गए। अतः वर्तमान वर्ष के आँकड़े जहाँ भी दर्शाए गए हैं वह तीन महीने के अवधि के लिए हैं और तुलनीय नहीं है।

2. कोयले की बिक्री के 145.41 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 711.80 करोड़) में उत्पाद शुल्क शामिल है। उत्पाद शुल्क के अलावा कोयले (निबल) की बिक्री 30.06.2017 तक 2737.70 करोड़ रुपये है (विगत वर्ष 10428.88 करोड़ रुपये)।

3. 30.06.2017 तक की अवधि के लिए लोडिंग और परिवहन शुल्क (उत्पाद शुल्क का निबल) 86.39 करोड़ रुपये (उत्पाद शुल्क 5.19 करोड़ रुपये) है। विगत वर्ष इस प्रकार का शुल्क 344.52 करोड़ (उत्पाद शुल्क 20.47 करोड़ रु.) था।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
सकल ब्याज आय*	202.74	255.50
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 17.29 करोड़ए पिछले वर्ष ₹ 20.74 करोड़)		
निवेश	—	—
ऋण		
– कर्मचारी	0.53	0.35
सीआईएल के पास रखी हुई निधि (संबंधित पार्टी)	3.42	1.53
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 0.34 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.16 करोड़)		
अन्य	59.84	1.57
(स्रोत पर कटौती कर ₹ 0.22 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.16 करोड़)		
लाभांश आय		
अनुषंगियों में निवेश	—	—
म्युचुवल फंड में निवेश	10.59	23.25
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (कर मुक्त स्पेशल बांड्स 8.5 प्रतिशत)	—	—
अन्य गैर–चालू आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	—	0.02
विदेशी मुद्रा लेन–देन से प्राप्ति	—	—
विनिमय दर में बदलाव	—	—
लीज लगान	4.02	4.01
स्रोत पर कटौती की गई कर 0.08 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रु.)		
देयता/प्राक्धान वापस लिया गया	136.25	185.44
भंडार में कमी पर उत्पाद शुल्क	—	—
विविध आय	93.29	89.97
कुल	510.68	561.64
विविध आय		
पेनाल्टी/एलडी वसूली	46.13	33.42
साइडिंग शुल्क की वसूली	5.77	6.26
साइडिंग शुल्क की वसूली	12.86	10.24
अन्य	28.53	40.05
कुल	93.29	89.97

* बैंक जमा से ब्याज में एक्क्रो अकाउन्ट का ब्याज 43.19 करोड़ रु (विगत वर्ष 56.46 करोड़) के साथ उपार्जित ब्याज 3.08 करोड़ रु. शामिल है (नोट सं. – 21 देखें)

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 26 : उपभोग किए गए सामान की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
विस्फोटक	152.85	175.85
लकड़ी	0.40	0.77
ऑयल एवं ल्युब्रीकेन्ट्स	361.31	350.93
एचईएमएम कलपुर्जे	137.70	179.21
अन्य उपभोग लायक स्टोर एवं कलपुर्जे	79.00	92.74
कुल	731.26	799.50

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 27 : तैयार सामान, कार्यप्रगति पर तथा व्यवसाय में भंडार की संपत्ति सूचियें में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
	कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,925.17	1,313.62
	जोड़ : प्रारंभिक भंडार का समायोजन	(207.75)	0.09
	घटाव : कोयले में विकृति	–	–
		1,717.42	1,313.71
	कोयले का अंतिम शेष भंडार	1,206.37	1,925.17
	घटाव : कोयला में विकृति	–	–
		1,206.37	1,925.17
ए.	**कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	**511.05**	**(611.46)**
	वर्कशॉप में निर्मित तैयार सामान और प्रगति में कार्य का प्रारंभिक भंडार	4.76	3.59
	जोड़ : प्रारंभिक भंडार का समायोजन	–	–
	घटाव : प्राक्धान	–	–
		4.76	3.59
	वर्कशाप में निर्मित तैयार सामान और प्रगति में कार्य का अंतिम शेष भंडार	3.39	4.76
	घटाव : प्राक्धान	–	–
		3.39	4.76
बी	**कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	1.37	(1.17)
	प्रेस प्रारंभिक कार्य		
	(i) तैयार वस्तुएँ	0.62	0.47
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.35	0.52
		0.97	0.99
	घटाव : प्रेस अंतिम शेष कार्य		
	(i) तैयार वस्तुएँ	0.54	0.62
	(ii) कार्य प्रगति पर	0.19	0.35
		0.73	0.97
सी	**प्रेस कार्य के अंतिम शेष भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन**	**0.24**	**0.02**
	व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए+बी+सी){कमी/(वृद्धि)}	512.66	(612.61)

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
वेतन मजदूरी भत्ता, बोनस इत्यादि	3,028.04	2,877.81
एनसीडब्ल्यूए के लिए प्रावधान (एनसीडब्ल्यूए)-X	369.16	289.76
अधिकारियों का वेतन पुनर्रीक्षण*	123.40	12.86
एक्स–ग्रेसिया	222.92	231.76
प्रदर्शन संबंधित वेतन	22.38	30.26
पी एफ एवं अन्य निधि में अंशदान	382.34	383.91
ग्रेच्युटी	1,014.03	161.84
अवकाश नकदीकरण	66.38	202.39
स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम	0.40	0.91
वर्कमैन कम्पनसेशन	(0.64)	1.26
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	37.55	34.74
सेवानिवृति कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	28.91	(26.13)
स्कूल एवं संस्थाओं को अनुदान	24.09	25.16
स्पोर्ट्स एवं मनोरंजन	2.84	2.70
कैंटीन एवं शिशुगृह	0.33	0.35
बिजली – शहरी क्षेत्र	106.39	105.91
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का किराया शुल्क	6.98	7.30
अन्य कर्मचारी लाभ	54.81	58.94
कुल	**5,490.31**	**4,401.73**

अन्य कर्मचारी लाभ का विस्तृत विवरण

एलटीसी/एलएलटीसी	12.32	13.32
एलसीएस	4.53	6.64
मकान किराया भत्ता	21.61	21.02
मकान किराया भत्ता	10.34	12.05
अन्य	6.01	5.91
कुल	54.81	58.94

* नोट संख्या 21 का प्वाईंट सं. 2 का फुट नोट देखें।

टिप्पणी :

1. ऊपर 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीडब्ल्यूए – X में 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि से संबंधित 104.75 करोड़ रूपये शामिल हैं।
2. गेच्युटी अधिनियम, 1972 और उसके बाद जारी संसोधन अधिसूचनाओं के अनुसार, 29.03.2018 की प्रभावी तिथि से अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में ग्रेच्युटी प्रावधान में ग्रेच्युटी सीमा में बदलाव के कारण 900.33 करोड़ रुपये की देयता में वृद्धि हुई है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	37.90	30.29
कुल	37.90	30.29

विवरण	नगद में	नगद में भुगतान करना है	योग
(i) परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	4.81	1.14	5.95
(ii) अन्य उपरोक्त के अलावा	30.20	1.75	31.95
कुल	35.01	2.89	37.90

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
भवन	199.61	110.98
संयं. एवं मशीनरी*	110.91	80.48
अन्य	16.63	13.93
कुल	327.15	205.39

अन्य का विवरण

सड़क एवं पुलिया	4.19	6.28
भारी वाहन	1.98	2.54
कार एवं जीप	0.37	0.54
अन्य	10.09	4.57
कुल	16.63	13.93

* 140.07 करोड़ रू. वर्कशॉप खर्च के साथा निबलित (पिछले वर्ष 149.29 करोड़ रू.)

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
परिवहन व्यय		
बालू	0.04	0.17
कोयला	341.57	326.35
भंडार एवं अन्य	0.64	6.76
वैगन लदाई	31.55	29.05
संयं. एवं मशीनरी का किराया	814.32	853.59
अन्य संविदात्मक कार्य	115.95	105.07
कुल	1,304.07	1,320.99
अन्य संविदात्मक कार्य का विवरण		
अन्य संविदात्मक व्यय	58.38	49.27
विविध खनन कार्य	57.46	55.68
अन्य	0.11	0.12
कुल	115.95	105.07

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
ब्याज व्यय		
उधार		
– एमसीएल से ऋण (संबद्ध पार्टी)	90.53	0.29
– अन्य	11.17	1.45
भूमि/खदान बंदीकरण व्यय का उद्धार	68.41	68.11
ग्रुप के अंदर रखा हुआ राशि	—	—
उचित मूल्य परिवर्तन (निबल)	—	—
अन्य	1.90	2.03
कुल	**172.01**	**71.88**

अन्य		
पेंशन निधि पर ब्याज	0.02	0.10
कर्मचारियों के सुरक्षित जमा पर ब्याज	0.51	1.09
अन्य	1.37	0.84
कुल	**1.90**	**2.03**

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 33 : प्रावधान (निबल या प्रतिवर्तित)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
(ए) प्रावधान (के लिए)		
संदेहात्मक ऋण	88.41	120.30
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	1.35	—
भंडार एवं कलपुर्जे	0.09	3.49
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	404.33	367.14
अन्य (सीडब्ल्यूआइपी पर प्रावधान)	8.18	9.63
कुल (ए)	**502.36**	**500.56**
(बी) प्रतिवर्तित प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	97.02	—
संदेहात्मक ऋण एवं दावे	—	24.60
भंडार एवं कलपुर्जे	—	—
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	168.01	25.26
अन्य	—	—
कुल (बी)	265.03	49.86
कुल (ए–बी)	237.33	450.70

टिप्पणी :

वर्ष के दौरान रेफर किये गए नमूनों के प्रतीक्षित परिणाम के लिए कोयला गुणवत्ता असंगति प्रसरण के मद में 236.32 करोड़ रुपये (341.88 करोड़ रुपए) का निबल प्रावधान किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 34 : रद्द किया गया (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
संदेहात्मक ऋण	258.97	332.29
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	258.25	315.34
	0.72	16.95
संदेहात्मक अग्रिम	–	9.85
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	–	6.01
	–	3.84
कोयले का भंडार	–	–
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	–	–
	–	–
अन्य	–	0.01
घटाव : पहले किया गया प्रावधान	–	–
	–	0.01
कुल	**0.72**	**20.80**

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
यातायात व्यय		
घरेलु	19.56	21.04
विदेशी	0.21	0.23
प्रशिक्षण व्यय	6.34	7.43
टेलिफोन एवं पोस्टेज	3.05	2.95
विज्ञापन एवं प्रकाशन	3.76	3.23
ढुलाई शुल्क	0.02	0.04
डेमरेज	25.88	16.17
दान/चंदा	—	—
सुरक्षा व्यय	175.70	156.68
सीआईएल का सेवा शुल्क	63.43	33.69
किराया शुल्क	44.43	44.18
सीएमपीडीआई शुल्क	41.13	23.96
कानूनी व्यय	5.58	8.35
बैंक शुल्क	0.11	0.20
गेस्ट हाउस व्यय	0.71	0.79
परामर्श शुल्क	1.10	3.00
अंडर लोडिंग शुल्क	199.57	142.16
बिक्री पर हानि/हटाया गया/संपत्तियों का सर्वे–ऑफ	3.10	0.58
अंकेक्षणों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण फीस के लिए	0.21	0.28
कर संबंधी मामले	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.21	0.16
व्ययों की प्राप्ति	0.11	0.10
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	2.56	2.29
पुनर्स्थापन शुल्क	40.54	36.55
रॉयल्टी एवं सेस	302.11	818.23
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	—	91.71

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 35 : अन्य व्यय (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
जीएसटी	–	–
किराया	0.52	0.57
दरों एवं करों	8.13	3.98
बीमा	0.90	0.85
विदेशी विनिमय लेनदेन पर हानि	–	–
विनिमय दर में बदलाव से हानि	–	–
लीज किराया	–	–
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.31	2.55
समाप्त किराया/सतही किराया	0.18	0.08
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	9.21	22.87
भूमि एवं फसल क्षतिपूर्ति	–	–
आर एण्ड डी व्यय	0.38	0.22
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	3.36	5.03
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	–	–
विविध व्यय	58.14	72.34
कुल	1,022.55	1,522.49

टिप्पणी :

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास शुल्क, 40.54 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 36.55 करोड़ रुपये) को सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर डेबिट किया गया।

2. होल्डिंग कंपनी सीआईएल द्वारा कोयले के उत्पादन पर @ 10 रुपये प्रति टन (विगत वर्ष 5 रुपये प्रति टन) की दर से लगाए गए सेवा शुल्क की कुल राशि 63.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.69 करोड़ रुपये) जिसका उपयोग खरीदी, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए सीआईएल से प्राप्त डेबिट ज्ञापन के आधार पर किया गया।

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट – 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को पुनर्लिखित	31.03.2017 को पुनर्लिखित
वर्तमान वर्ष	801.15	1,030.65
आस्थगित कर	(247.09)	(46.46)
मैट क्रेडिट इन्टाइटलमेंट	—	—
कुल	554.06	984.19

कर व्यय एवं लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुना कर सामंजस्य

कर पूर्व कुल विस्तृत आय कर	**1,499.16**	**2,390.77**
समायोजन		
पुनर्लिखाव का प्रभाव	—	2.30
अनुषंगी की हानि (जेसीआरएल)	(0.03)	(0.58)
कर पूर्व कुल विस्तृत आयकर (समायोजित)	**1,499.19**	**2,393.65**
34.660 % कंपनी की घरेलू कर दर पर कर (विगत वर्ष 34.608%)	518.84	828.39
कर प्रभाव		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	381.62	134.35
कर छूट प्राप्त आय	(3.66)	(8.05)
विगत वर्ष के सापेक्ष चालू आयकर का समायोजन	(2.88)	84.67
लाभ एवं हानि (टीसीआई पर कर) विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	**893.92**	**1,039.36**
ओसीआई पर कर	92.77	8.71
लाभ एवं हानि विवरण में प्रतिवेदित आयकर व्यय	**801.16**	**1,030.65**
प्रभावी आयकर दर	**34.608%**	**34.608%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं		
अचल संपत्ति से संबद्ध	3.60	0.06
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयताएं	**3.60**	**0.06**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
संदेहात्मक अग्रिम, दावे एवं ऋण हेतु प्रावधान	301.32	311.56
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	635.43	354.30
अन्य	114.43	106.08
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**1,051.18**	**771.94**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(आस्थगित कर देयताएं)	**1,047.58**	**771.88**

31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

			31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(ए)	(i)	लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होने वाले मद		
		पुनर्मूल्यांकन बचत में बदलाव	–	–
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	155.59	20.05
		ओसीआई के द्वारा इक्विटी इन्स्टुमेंट	–	–
		एफवीटीपीएल पर स्थापित वित्तीय देयता का क्रेडिट रिस्क संबंधित अंकित मूल्य परिवर्तन	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (ए)	155.59	20.05
	(ii)	**लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर संबंधित मद**		
		पुनर्मूल्यांकन अतिरिक्त में परिवर्तन	–	–
		परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	64.16	8.32
		ओसीआई के द्वारा इक्विटी इन्स्टुमेंट	–	–
		एफभीटीपीएल पर स्थापित वित्तीय देयता क्रेडिट रिस्क संबंधित अंकित मूल्य परिवर्तन	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (बी)	64.16	8.32
		कुल (सी = ए–बी)	91.43	11.73
(बी)	(i)	**लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत होने वाले मद**		
		विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण से संबंधित विनियोग अंतर	–	–
		ओसीआई से प्राप्त डेट इन्स्टुमेंट	–	–
		संबंधित विनियोग अंतर हेजिंग इन्स्टुमेंट पर लाभ एवं हानि का प्रभावी अंश	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (डी)	–	–
	(ii)	लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत होने वाले आयकर संबंधित मद		
		विदेशी संचालन के वित्तीय विवरण से संबंधित विनियोग अंतर ओसीआई से प्राप्त डेट इन्स्टुमेंट	–	–
		संबंधित विनियोग अंतर हेजिंग इन्स्टुमेंट पर लाभ एवं हानि का प्रभावी अंश	–	–
		ज्वाइंट वेंचर में ओसीआई का शेयर	–	–
		कुल (ई)	–	–
		कुल (एफ= डी–ई)	–	–
		कुल (सी + एफ)	91.43	11.73

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अंकित मूल्य मापन

(ए) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	एफवीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	परिशोधन लागत	एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश	—	—	—	—	—	—
सुरक्षित बॉन्ड	—	—	—	—	—	—
अनुषंगी में अधिमानी शेयर	—	—	—	—	—	—
म्युचुवल फंड	—	—	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—	—	—
ऋण	—	—	0.47	—	—	0.59
जमा एवं प्राप्य	—	—	1557.45	—	—	1090.94
व्यापार प्राप्य	—	—	1745.31	—	—	1673.79
कैश एवं कैश समतुल्य	—	—	162.34	—	—	325.07
अन्य बैंक शेष	—	—	1233.73	—	—	1376.71
वित्तीय देयता						
उधार	—	—	150.00	—	—	2603.78
व्यापार देय	—	—	163.45	—	—	134.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	—	290.59	—	—	292.87
अन्य देयता	—	—	335.48	—	—	302.32

(बी) अंकित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधनों के अंकित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों के आंकलनों को नीचे दिए गए तालिका में दिखलाया गया है (ए) अंकित मूल्य पर मापा गया एवं स्वीकारा गया तथा (बी) अमूर्त लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों में अंकित मूल्यों को दर्शाया गया है। अंकित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में निर्दिष्ट करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत वर्णीत 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का विवरण नीचे दिए गए तालिका में है।

(₹ करोड़ में)

अंकित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पत्ति और देनदारियाँ	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	लेवल I	लेवल II	लेवल III	लेवल I	लेवल II	लेवल III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
म्युचुवल फंड	—	—	—	—	—	—
वित्तीय देयता						
अन्य कोई मद, यदि	—	—	—	—	—	—

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता जिसके लिए अंकित मूल्यों को 31 मार्च 2018 को दिखलाया गया है	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	लेवल I	लेवल II	लेवल III	लेवल I	लेवल II	लेवल III
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
जेभी में इक्विटी शेयर	—	—	—	—	—	—
म्युचुवल फंड	—	—	—	—	—	—
ऋण	—	—	0.47	—	—	0.59
जमा और प्राप्य	—	—	1557.45	—	—	1090.94
व्यापार से प्राप्य	—	—	1745.31	—	—	1673.79
कैश और कैश समतुल्य	—	—	162.34	—	—	325.07
अन्य बैंक में शेष	—	—	1233.73	—	—	1376.71
वित्तीय देयता						
अधिमांग शेयर	—	—	—	—	—	—
उधार	—	—	150.00	—	—	2603.78
व्यापार देय	—	—	163.45	—	—	134.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	—	290.59	—	—	292.87
अन्य देयता	—	—	335.48	—	—	302.32

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई है ।

स्तर I : स्तर 1 अनुक्रम में उदृत्त मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें वैसे म्युचूअल फंड शामिल हैं जिनका उदृत्त मूल्य है तथा अंतिम एनएवी का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है।

स्तर II : वित्तीय साधनों, जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के अंकित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखेजाने योग्य हैं, तब साधन को लेबल ॥ में शामिल किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या एक से अधिक महत्पपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तब साधन को स्तर III में शामिल किया जाता है। यह स्तर III में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(सी) अंकित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में साधनों के उदृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल हैं।

(डी) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुटो का उपयोग कर उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(ई) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्तियाँ, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्षों की वहनीय रकम, व्यापारिक देनदारियों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

- कंपनी मानती है कि प्रतिभूति जमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है। माइलस्टोन भुगतान (सुरक्षा जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय प्रावधानों से इतर अन्य कारणों से रकम का प्रतिधारण किया जाता है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल होने वाले ठेकेदार का प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का अभिप्राय कंपनी के हितों की रक्षा है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा के लेनदेन की लागत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य माना जाता है और बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है। **महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के द्वारा किया जाता है। कंपनी अपने स्वयं के निर्णय से प्रक्रिया का चुनाव करती है तथा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताओं का निर्माण करती है।**

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियाँ

कम्पनी के मुख्य वित्तीय देयताएँ, ऋण एवं उधारों, व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य के द्वारा बने होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालन के लिए वित्त प्रदान करना तथा संचालन की सहायता के लिए गारंटी मुहैया कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों जो कि सीधे इसके संचालन से प्राप्त किए जाते हैं, में ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल होते हैं।

ईंधन आपूर्ति समझौता

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के र्त्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेंनसियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता ;एफएसएद्ध करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं :

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी ;पीपीयूद्ध तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन–पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई–नीलामी योजना

कोयले का ई–नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई–नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय–समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों
से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

31.03.2018 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीने से बकाया	6 महीने से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	1 साल से अधिक का बकाया	कुल
ग्रोस केयरिंग अमाउन्ट	480.06	425.67	591.36	170.13	132.18	167.08	1966.48
अनुमानित हानि दर	3.86	5.06	8.48	17.68	35.22	32.51	11.25
अनुमानित ऋण हानि भत्ता	18.54	21.56	50.13	30.08	46.55	54.31	221.17

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

31.03.2017 को सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्य के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

(₹ करोड़ों में)

काल प्रभावन	2 महीने से बकाया	6 महीने से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक का बकाया	कुल
ग्रोस कैयरिंग अमाउन्ट	491.93	503.26	536.29	295.39	90.72	244.23	2161.82
अनुमानित हानि दर	5.74	10.58	15.78	31.10	46.73	76.83	22.58
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	28.25	53.26	84.62	91.86	42.39	187.65	488.03

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण आंकलल एवं निर्णय दुर्बलता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उपरोक्त प्रदर्शित किए गए क्षति प्रावधान दोष की जोखिम एवं अनुमानित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार हालात साथ ही साथ भावी आंकलनों के आधार पर, कंपनी इन मान्यताओं को बनाने एवं क्षति गणना के लिए आंकड़ों का चयन करने हेतु निर्णय उपयोग करती है।

ए. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अभिप्राय होता है, पर्याप्त नगद तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियों का रखरखाव एं बकाए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना। अंकित व्यवसायों के गतिमान प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता के निर्वहन द्वारा धन जुटाने में लचीलापन का निर्वाह करती है।

प्रबंधन, कंपनी के तरलता स्थिति के अनुमानों (निकासी किए गए उधार सुविधाओं के साथ, नीचे वर्जित) एवं अनुमानित नगद प्रवाहों के आधार पर नगदी एवं नगद समतुल्य का संचालल करती है। यह आमतौर पर कंपनी के द्वारा तय किए गए सीमाओं एवं प्रयासों के अनुसार कंपनी के संचालन में लोकल स्तर पर की जाती है।

बी. बाजार जोखिम

(ए) कैश फ्लो एवं अंकित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख–रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

सी. पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों
से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

कम्पनी का पूंजीगत ढ़ांचा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	1200.00

3. कर्मचारी लाभ : पहचान एवं मापीकरण (भारतीय लेखा मानक – 19)

(i) प्राविडेन्ट फंड

कंपनी, भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर स्थायी योगदान का भुगतान एक अलग ट्रस्ट कोयला खान भविष्य निधि के नाम से करती है। वर्ष के दौरान निधि के लिए 325.97 करोड़ रूपए के योगदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है (नोट – 28)

(ii) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन करती है जिनका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर होता है, जो कि इस प्रकार है :

(ए) निधिक .

- o ग्रेच्युटी
- o अवकाश नगदीकरण

(बी) अनिधिक

- o लाइफ कवर स्कीम
- o सेटलमेंट भत्ता
- o सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o एल टी सी
- o चिकित्सा लाभ
- o आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

दिनांक 31.03.2018 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि 3070.16 करोड़ रूपए है, जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ों में)

मद	01.04.2017 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता	31.03.2018 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	1590.34	798.37	2388.71
अर्जित अवकाश	408.39	(38.01)	370.38
अर्ध वेतन अवकाश	59.36	(20.74)	38.62

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

लाइफ कवर स्कीम	11.22	(1.10)	10.12
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	0.61	6.56	7.17
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	18.16	(1.56)	16.60
सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम	0.16	(0.01)	0.15
एल टी सी	34.21	0.15	34.36
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	149.82	24.32	174.14
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	3.36	1.46	4.82
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	26.20	(1.11)	25.09
कुल	**2301.83**	**768.33**	**3070.16**

(iii) वास्तविकता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नगदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है।

31.03.2018 को ग्रेच्युटी देयता का वास्तविक मूल्यांकन भारतीय मानक लेखा 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ों में)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1590.34	1565.83
चालू सेवा लागत	99.50	115.01
ब्याज लागत	116.34	106.41
योजना संशोधन	900.33	—
वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(113.16)	92.46
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(42.10)	(93.02)
भुगतान किया गया लाभ	162.55	196.35
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2388.71	1590.34

(₹ करोड़ों में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	1561.37	1387.62
ब्याज आय	117.10	100.60
नियोक्ता योगदान	0.24	250.00
भुगतान किया हुआ लाभ	162.55	196.35
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	0.32	19.49
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	1516.49	1561.37

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ों में)

तुलन–पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
निधिक स्थिति	(872.22)	(28.97)
अवधि के अंत में उपेक्षित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	1516.49	1561.37
निधि देयता	2388.71	1590.34

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट की दर	7.71%	7.00%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.71%	7.00%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूर्ति)	अधिकारी - 9.00% कर्मचारी - 6.25%	अधिकारी - 9.00% अधिकारी - 6.50%
मॉर्टलिटी सारणी	आईएएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृति का उम्र	60	60
पूर्व सेवा निवृति एवं असमर्थता	0.30% p.a.	1.00% p.a.

(₹ करोड़ों में)

लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
चालू सेवा लागत	(99.50	115.01
पूर्व सेवा लागत (निहित)	900.33	5.80
निबल ब्याज लागत	(0.75)	5.80
लाभ लागत (लाभ–हानि के विवरण में लिए गए व्यय)	999.08	120.81

(₹ करोड़ों में)

अन्य विस्तृत आय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(113.16)	92.46
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.10)	(93.02)
कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	(155.27)	(0.56)
योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	0.32	19.49
निबल (आय)/लिये गये अवधि में अन्य विस्तृत आय का व्यय	(155.59)	(20.05)

मृत्यु दर सारणी	
उम्र	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282

40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

31.03.2018 को भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण – पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषिक लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	467.75	378.15
चालू सेवा लागत	43.33	50.72
ब्याज लागत	30.14	23.33
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	(23.89)	66.86
अप्रत्याशित अनुभवों के कारण बाध्यताओं पर बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	45.35	61.48
भुगतान किया हुआ लाभ	153.67	112.79
अवधि के अंत पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	409.01	467.75

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
अवधि की प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	276.57	—
ब्याज आय	21.32	6.73
नियोक्ता योगदान	125.13	382.96
भुगतान किया हुआ लाभ	153.67	112.79
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्राप्ति	(2.11)	(0.33)
अवधि की अंत में योजना परिसंपत्ति का अंकित मूल्य	267.23	276.57

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र के पुनर्मिलान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
निधिक स्थिति	(141.77)	(191.18)
अवधि के अंत में उपेक्षित वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	—	—
निधि परिसंपत्ति	267.23	276.57
निधि देयता	409.01	467.75

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय	31.03.2018 को	31.03.2017 को
चालू सेवा लागत	43.33	50.72
निबल ब्याज लागत	8.82	16.59
निबल बीमांकिक लाभ/हानि	23.57	128.68
लाभ लागत(लाभ/हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय)	75.72	195.99

योजना पुर्वानुमान का विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट की दर	7.71%	7.25%
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित प्राप्ति	7.71%	7.25%
क्षतिपूर्ति वृद्धि का दर (वेतन स्फूति)	अधिकारी के लिए 9.00% तथा गैर–अधिकारियों के लिए 6.25%	अधिकारी के लिए 9.00% तथा गैर–अधिकारियों के लिए 6.50%
मृत्यु–दर तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
सेवानिवृति आयु	60	60
पूर्व–सेवानिवृति एवं असमर्थता	0.30% p.a.	1.00% p.a.
स्वैच्छिक सेवानिवृति	उपेक्षित	उपेक्षित

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

मृत्यु–दर तालिका	
उम्र	मृत्यु दर तालिका (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

4. अभिज्ञ मद

(ए) आकस्मिक देयताएं

I. कम्पनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है :

(₹ In Crores)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	766.32	2387.67	—	831.04	3985.03
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	501.20	13543.58	—	114.20	14158.98
3	वर्ष के दौरान दावा निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	597.62	4.33	—	301.68	903.63
	बी. वर्ष के दौरान योग से	—	—	—	—	—
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान	597.62	4.33	—	301.68	903.63
4	31.03.2018 को अंतिम शेष	669.90	15926.92	—	643.56	17240.38

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए ।

कंपनी नें उपर्युक्त मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी,माननीय कोयला प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है. पुनर्रीक्षण प्राधिकरण,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार ने अपने दिनांक

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश(13389.38 करोड़ रूपये) पर स्थगन आदेश दिया है।

II. **गारंटी**

31.03.2018 तक निर्गत बैंक गारंटी रुपये 290.25 करोड़ है (विगत वर्ष 4.10 करोड़ रुपये)

III. **साख – पत्र**

31.03.2018 तक बकाया साख – पत्र 32.58 करोड़ रुपये हैं (विगत वर्ष 46.91 करोड़ रुपये)।

(बी) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते में व्यय हेतु अनुमानित करार राशि

(सी) अन्य प्रतिबद्धताएं : रुपये 8615.11 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 8654.82 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	प्रधान गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज (%)	
			31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पादन	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखण्ड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64.00 %	71.03 %

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यम हेतु अतिरिक्त सूचना

(करोड़ रुपये में)

उद्यम का नाम	निबल सम्पत्ति अर्थात कुल सम्पत्ति घटाव कुल देयताएँ		लाभ या हानि में हिस्सा		ओसीआई में हिस्सा	
	समेकित निबल सम्पत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित ओसीआई के % के रूप में	राशि
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	99.09	3,446.85	100.00	789.54	100.00	91.43
झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड	1.42	49.33	—	(0.03)	—	—
घटाव : अनियंत्रित ब्याज	0.51	17.76	—	(0.01)	—	—
कुल	**100.00**	**3,478.42**	**100.00**	**789.52**	**100.00**	**91.43**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

6. अन्य सूचनाएँ

(ए) सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक के 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी पेश करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सेगमेंट को बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर सेगमेंट में संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचाना जाता है। भारतीय लेखा मानक के 108 के अनुसार में मुख्य संचालन निर्णय कर्ताओं का समूह बोर्ड है।

बोर्ड व्यापार को महत्वपूर्ण उत्पाद पेशकश की दृष्टी मानता है और यह निर्णय लिया कि वर्तमान में कोयला की बिक्री ही एक ही रिपोर्ट योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन और संपत्ति की जानकारी समेकित रिपोर्ट के लाभ और हानि विवरण एवं तुलन पत्र में दी जा रही है ।

गंतव्य राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	11,249.62	शून्य

ग्राहक राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

10 % से ज्यादा राजस्व वाले प्रत्येक पार्टी का नाम	राशि	देश
एनटीपीसी	2,116.80	भारत
अन्य	9,132.82	
कुल राजस्व (निबल)	11,249.62	

स्थानवार वर्तमान परिसम्पत्तियाँ इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

	भारत	अन्य देश
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	7,357.87	शून्य

(बी) अधिकृत शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
रु. 1000/– के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर	1,100.00	1,100.00

(सी) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
		पीएटी	टीसीआई	पीएटी	टीसीआई
i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ (करोड़ रुपये में)	789.52	880.95	1386.70	1398.43
ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख	94 लाख	94 लाख
iii)	रू. में प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड आय (1000/– रू. अंकित मूल्य प्रति शेयर)	839.91	937.18	1475.21	1487.69

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(डी) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

(i) **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री डी. के. घोषऌ निदेशक (वित्त)

श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक)

श्री एस. चन्द्रा, निदेशक (तक./संचा.) (31.03.2018 को सेवानिवृत्त)

श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक (तक./यो. परि.)

श्री रवि प्रकाश, कंपनी सचिव

(ii) स्वतंत्र निदेशकगण

श्री अशोक गुप्ता

श्री भारत भूषण गोयल

(iii) **सरकारी निदेशक**

श्री आशीष उपाध्याय, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

(iv) **स्थायी आमंत्रित**

श्री एस. के. वर्णवाल, सचिव, खनन एवं भूगर्भ विभाग, झारखंड सरकार

श्री एस. के. झा, सीओएम, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ In Crores)

क्र. सं.	अ.प्र.नि. पुणकालिक निदेशकगण एवं कम्पनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.24	2.83
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
	पूर्वाकांक्षित एवं अन्य लाभ	0.16	0.22
(ii)	**रोजगार उपरान्त लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.15	0.19
(iii)	**परिभाषित लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन**		
	ग्रेच्युटी	0.60	0.44
	अवकाश नकदीकरण	0.83	0.86
(iv)	**सेवा समाप्ति/सेवांत लाभ**		
	अवकाश नकदीकरण	—	0.36
	ग्रेच्युटी	0.20	0.20
	कुल	4.19	5.11

नोट :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्ण–कालिक निदेशकों को सेवाभत्तों के अनुसार 2000 रूपए प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा करने हेतु कार का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ In Crores)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i)	सिटिंग फीस	0.22	0.24

31.03.2018 तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पास बकाया अधिशेष

(₹ In Crores)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i)	देय राशि	शून्य	शून्य
(ii)	प्राप्ति योग्य राशि	शून्य	शून्य

(ई) कंपनी के तहत संबद्ध पार्टी लेन–देन

सरकार संबंधी अस्तित्व होने के कारण कंपनी को, संबंधित पार्टी लेन–देन तथा नियंत्रण सरकार के साथ शेष बकाया राशि एवं उसी सरकार के अधरीन दूसरा अस्तित्व के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण से छुट है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अनुषंगियों, जिसमें शामिल है : उच्चतम शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्यय, आर एण्ड डी व्यय, लीज लगान, अतिरिक्त फंड पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क एवं चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगियों के बदले या द्वारा किए गए अन्य खर्च, के साथ लेन–देन में प्रवेश किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं राशि का प्रकटीकरण इस प्रकार है :

(करोड़ों ₹ में)

कम्पनी का नाम	संबंध की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन–देन की राशि
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	होल्डिंग कम्पनी	778.41
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.79
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	2.24
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.44
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	3.30
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	0.95
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	1590.90
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% सीआईएल की अनुषंगी	113.48

(एफ) करारोपण

चालू वर्ष में आयकर हेतु 893.92 करोड़ रू. (विगत वर्ष 1039.36 करोड़ रू.) का प्रावधान किया गया।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(जी) लीज

(i) इम्पीरियल फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 80.19 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मूल्यह्रास 77.69 करोड़ रू. है एवं डब्ल्यूडीवी 2.50 करोड़ रू. (आरक्षित मूल्य) है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 32.16 करोड़ रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	3.84	3.84
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	15.36	15.36
(iii)	पाँच सालों के बाद	12.96	16.80
कुल		**32.16**	**36.00**

(ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के 15.50 एकड़ भूमि को उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 7.90 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 7.90 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 3.06 करोड़ रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	0.17	0.17
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	0.68	0.68
(iii)	पाँच सालों के बाद	2.21	2.38
कुल		3.06	3.23

(iii) ई आई पी एल के साथ लीज समझौता के शर्तों के आलोक में, इसे, कंपनी के परिसंपत्तियों का अधिकार एवं उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अवधि के प्रारंभ में सकल वहन की राशि 4968 करोड़ रू. है। अवधि के अंत में संचयित मुल्यह्रास 4968 करोड़ रू. का है। अवधि के लिए डब्ल्यूडीवी शून्य है। लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने योग्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान की संकलित राशि 1.44 लाख रू. है। भावी लीज भुगतान प्राप्य का विवरण इस प्रकार है :

(लाख ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	एक साल तक	0.12	0.12
(ii)	एक साल के बाद तथा पाँच साल के पहले	0.48	0.48
(iii)	पाँच सालों के बाद	0.84	0.96
कुल		1.44	1.56

(एच) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(आई) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(जे) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी–चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(के) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी–परिसंपत्तियों के अलावा दूसरी परिसंपत्तियों तथा गैर–मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(एल) चालू देयता

जहाँ वास्तविक देयता, मापे नहीं जा सकते वहाँ अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(एम) शेष का स्थायीकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(एन) सीआईएफ के आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(i)	कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii)	कैपिटल गुड्स	63.13	45.22
(iii)	स्टोर्स, कलपुर्जे एवं अवयव	शून्य	2.77

(ओ) विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	0.21	0.23
प्रशिक्षण व्यय	0.02	—
परामर्श शुल्क	—	—
ब्याज	—	—
अन्य	—	—

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(पी) विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय : शून्य

(क्यू) भंडार एवं कलपुर्जों का उपभोग

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल उपभोग का %	राशि	कुल उपभोग का %
(i) आयातित पदार्थ	5.49	0.75%	14.17	2.00%
(ii) स्वदेशी	725.77	99.25%	785.33	98.00%

(आर) महत्वपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट – 2) को पिछली अवधि के उपरांत उपयुक्त रूप से सुधारा/फिर से ड्राफ्ट किया गया है जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के अधिसूचना के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक पाया गया है।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नगद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक – 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले को विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने रू. 2.55 करोड़ की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत होने पर कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन 2014 का डब्ल्यूपी 1754 (सी) दायर की और उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतिम सुनवाई 19.05. 2016 को की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

7.3(ए) ईआईपीएल द्वारा स्व–निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(बी) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012–13 में 94.33 करोड़ रूपया के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से 83.03 करोड़ रुपया ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः 75 करोड़ एवं 25 करोड़ रूपए तदर्थ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, 94.33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, 23.25 करोड़ रूपया का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया था, जिसे 2012–13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 3.26 करोड़ रूपया अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है।

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए थी 0.26 करोड़ रूपया के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है :

(i)	मार्च, 08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वित्तीय विवरण 2012–13 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल, 08 से मार्च 14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013–14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़
(iii)	माननीय ऊर्जा शुल्क के संबंध में पुरानी रखी हुई राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014–15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015–16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी – रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
		₹152.46 करोड़
	घटाव रू तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
	निबल शेष राशि (नोट – 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के 134.20 करोड़ रुपए सहित 302.63 करोड़ रुपए के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(सी) ईआईपीएल के साथ किए गए पावर खरीद समझौता के क्लॉज 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के क्लॉज 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क 90 रूपया प्रति टन था।

तदुनसार, पीपीए के 1.18.3 क्लॉज के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013–14 के अलए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी रेज किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/3530.36 दिनांक 17011.2014 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जूलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू वीएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, 38.69 करोड़ रू. है। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

पावर खरीद समझौता दिनांक 8 फरवरी, 1993 के 2.6 क्लॉज कें अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा डीपीसीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकाय मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्त्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा ह। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। हालाँकि वित्त वर्ष 2015–16 में 38.69 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

वर्ष 2017–18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 वर्ष के दौरान 258.97 करोड़ रू. के अप्राप्य ऋण को अपलिखित कर दिया गया है जिसमें डीवीसी को कोयला विक्रय से 70.76 करोड़ रू. और सेल के विरूद्ध 188.91 करोड़ रू. सम्मिलित है जिसके लिए लेखा में 258.25 करोड़ रू. का प्रावधान मौजूद था।

7.5 मेसर्स गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी को वर्ष 1990 से उपस्कर की आपूर्ति एवं मरम्मति का ठेका दिया गया था। चूंकि कार्य संतोषजनक नहीं था, तो कंपनी ने भुगतान रोक लिया। इसके पश्चात 49.68 करोड़ रू. की मांग के विरूद्ध कंपनी ने 10.09 करोड़ रू. के भुगतान पर सहमति जताई, और उक्त का भुगतान इस वर्ष किया गया है।

7.6 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत 0.44 करोड़ (पिछले वर्ष 0.29 करोड़) रूपए है।

7.7 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.8 दिनांक 12 दिसंबर, 2015 को सीसीएल ने श्री आर. सुब्रहमण्यम, अतिरिक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ झारखंड राज्य में पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (पीपीपी) के तहत तीसरे साझेदारी के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राँची की स्थापना के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। इसके लिए कंपनी ने 3.20 करोड़ रूपए के बैंक गारंटी का कार्यान्वयन किया है।

7.9 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच निांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रूपए की है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। बाद में, जेसीआरएल बोर्ड की 20 मई, 2016 को चतुर्थ बैठक तथा 21 जून, 2016 को हुई वार्षिक आम बैठक के क्रम में, अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर 100 करोड़ रू. कर दिया गया है। तुलन–पत्र की तारीख पर, 32.00 करोड़ रू. में से जेसीआरएल ने कोयला 3.20 करोड़ के शेयरों का आवंटन किया है तथा बाकि बचे हुए शेयरों का आवंटन शेष है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, 1.30 करोड़ एवं 0.005 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2017 को जेसीआरएल का पेड–अप कैपिटल 4.505 करोड़ रू. का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जेसीआरएल को 0.58 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है।

7.10 वर्ष 2015–16 में बरका–सयाल क्षेत्र में 104 फर्जी बिलों के आलोक में रू. 0.80 करोड़ के कथित धोखाधड़ी भुगतान का पता चला है। उक्त मामला सीबीआई के अनुसंधान अंतर्गत एवं लंबित है।

7.11 कंपनी कुछ बिलों पर ग्रेड–स्लीपेज के कारण संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान कर रही है जो कि पूर्व के ट्रेन्ड्स के आधार पर संयुक्त सैम्पलिंग के पुष्टिकरण के लिए लंबित है।

7.12 संपत्ति–सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वास्तविक पावर लागत को उपभोग आधार के बजाय आंतरिक विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्र की इकाईयों में वितरित किया गया है।

7.13 कोल ब्लॉक (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत,कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोयला ब्लॉक के आवंटन और उसके पश्चात 05.12.2017 को हुए डीड ऑफ एडहियरेन्स में पार्टी के रूप में सीसीएल को आवंटन समझौते के अनुपालन में खानों का संचालन और वाणिज्यिक उपयोग करना है । कंपनी (सीसीएल) ने आवंटन के लिए मनोनीत प्राधिकारी के नामित बैंक खाते में 20.65 करोड़ रुपए की अग्रिम फीस का 50% और 9.91 करोड़ रुपये की निश्चित राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) 286.14 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। 31.03.2018 को उपरोक्त जमा पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत है।

7.14 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सीआईवीआईएल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा 286.30 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस ६ समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से 64.55 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है ६ समायोजित की गई है और 221.75 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस ६ समायोजित नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड ६ समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है। ग्राहकों को वापसी भुगतान किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध, कंपनी ने रेल बिक्री के लिए रुपये 176.23 करोड़ रुपये का क्रेडिट नोट जारी किया है और सड़क बिक्री के लिए 82.33 करोड़ रुपये का क्रेडिट नोट अभी जारी किया जाना बाकी है।

7.15 आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध 106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर 71.79 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने ग्राहकों से 61.79 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, और शेष राशि 44.77 करोड़ रुपये वसूली की प्रक्रिया में है।

7.16 कोयला नियंत्रक की मंजूरी के पश्चात पहले पांच वर्षों में प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान गतिविधियों पर किए गए व्यय के बराबर राशि या कुल जमा राशि का 80: एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित, जो भी कम हो,एस्क्रो खाते से वापस लेने का हकदार है । कंपनी एस्क्रो खाते से निकासी के लिए इस खाते पर किए गए राशि की पहचान और पता लगाने की प्रक्रिया में है। इसका समायोजन आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत 9 खानों के पुरोबंध और 1 खदान को बंद करने की मंजूरी दे दी है, जिसने अपना अनुमानित उपयोगी जीवन पूर्ण कर लिया है। इन सभी खानों को बंद कर दिया गया है और अंतिम खदान बंद करने की योजना सीएमपीडीआईएल तैयार कर रहा है। इसके अलावा, 14 खानों की आवधिक समीक्षा के दौरान, जिसका उपयोगी जीवन पांच साल या पांच साल से कम है, यह दर्शाता है कि विभिन्न तकनीकी और परिचालन मुद्दों के कारण इन खानों का शेष जीवन खान बंदीकरण योजना से भिन्न है । लेखांकन नीति के अनुसार, साइट बहाली उपयोगित खानों के उपयोगी जीवन पर अमूर्त है और हर साल लाभ और हानि खाते से लिया जाता है। वर्ष के दौरान, 1.06 करोड़ रुपये की राशि लाभ और हानि खाते में जमा की गई है और इन 10 खानों के संबंध में साइट पुनर्स्थापन व्यय की शेष राशि, जो बंद होने को हैं, 8.59 करोड़ रुपये है जो सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद है , दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित व्यय, साइट पुनर्स्थापन खाते और खान बंदीकरण खाते से अंतिम समायोजन किया जाएगा ।

7.17 पूर्व अवधि के समायोजन के कारण वर्ष / तिमाही के लाभ का पुनर्मूल्यांकन

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्व प्रतिवेदित कंपनी के मालिकों के आरोप्य कुल विस्तृत आय	**503.27**	**1,400.73**
पूर्व अवधि मदों हेतु समायोजन :		
अन्य आय (कमी)	(0.28)	(0.28)
संविदात्मक व्यय (वृद्धि)	—	(0.13)
अन्य व्यय (वृद्धि)	1.49	(1.89)
कुल विस्तृत आय में निबल घटाव	**1.21**	**(2.30)**
कंपनी के मालिकों को आरोप्य कुल विस्तृत आय (पुनर्लिखित)	**504.48**	**1,398.43**
ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटेड) – पुनर्लिखित	**493.70**	**1,475.21**
ईपीएस (बेसिक एवं डायल्यूटेड)	**492.20**	**1,477.48**

नोट – 38 : 31 मार्च, 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ

31.03.2017 तक अन्य इक्विटियों का पुनर्मूल्यांकन (पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को छोड़ अधिशेष)

विवरण	31.03.2017 तक
31.03.2017 तक पूर्व प्रतिवेदित (अंकेक्षित) अन्य इक्विटी (पुनमूल्यांकित अधिशेष को छोड़ अधिशेष)	2,304.97
पूर्व अवधि मद हेतु समायोजन	
वित्तीय वर्ष 2016–17 को पूर्व अवधि से संबद्ध 01.01.2016 को प्रतिधारित आय में घटाव	(6.02)
वित्तीय वर्ष 2016–17 को पूर्व अवधि से संबद्ध 01.01.2016 को प्रतिधारित आय में घटाव (उपरोक्त तालिका देखें)	(2.30)
31.03.2017 तक अन्य इक्विटी (पुनमूल्यांकित अधिशेष को छोड़ अधिशेष) पुनर्लिखित	2,296.65

ए) विगत वर्षों के मानों को भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः लिखा गया है तथा आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया।

बी) नोट – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को, नोट – 3 से 23, 31 मार्च, 2018 तक तुलन पत्र का अंश है और 24 से 37 उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि का विवरण है। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट को दर्शाता है।

(रवि प्रकाश)	(अशोक कुमार)	(डी के घोष)	(गोपाल सिंह)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)–ए	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध नदेशक
		डीआइएन – 06638291	डीआइएन – 02698059

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(फॉर्म पंजीकरण संख्या 302206ई)

ह/–
(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 052722)

स्थान : राँची

दिनांक : 26 मई 2018

प्रपत्र ए ओ सी – 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के सन्दर्भ में)

अनुषंगियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

खण्ड "ए" : अनुषंगियाँ

प्रत्येक अनुषंगी से संबद्ध राशि (करोड़ रु. में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	सम्बन्धित अनुषंगी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागू नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागू नहीं
6.	शेयर पूंजी	:	₹ 50.00 करोड़
7.	भण्डार और अधिशेष	:	₹ 0.67 करोड़
8.	कुल सम्पत्ति	:	₹ 228.42 करोड़
9.	कुल देनदारी	:	₹ 179.09 करोड़
10.	निवेश	:	—
11.	कारोबार	:	—
12.	कर से पहले लाभ	:	₹ 0.03 करोड़
13.	कर का प्रावधान	:	—
14.	कर के बाद लाभ	:	₹ 0.03 करोड़
15.	प्रस्तावित लाभांश	:	—
16.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	64%

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

सेवा में,

सदस्यगण
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस,
राँची।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25 मई, 2018 के पूर्व प्रतिवेदन के स्थान पर है जिसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेशानुसार संशोधित किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में कतिपय सुधारों के मद्देनजर संशोधित प्रतिवेदन जारी किया जा रहा है जिसमें "शेयरहोल्डर्स" के स्थान पर "सदस्य" लिखने एवं जिसमें "अन्य कानूनी एवं नियमनकारी आवश्यकताएँ" के पारा 3 (एच) (।।) में "जिसके लिए कोई भौतिक निकटतम हानि था" का अंजान प्रिंटिंग चूक साथ ही स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक–बी में सुधार भी शामिल है। आगे, हम यह पुष्टि करते हैं कि ये सभी परिवर्तन, सही एवं निष्पक्ष विचार तथा पूर्व में हमारे द्वारा दिए गए राय को प्रभावित नहीं करते हैं साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2018 को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक पर प्रतिवेदन

हमने, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("होल्डिंग कम्पनी") और इसकी सहायक कम्पनी झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (सामुहिक तौर पर कम्पनी या समूह के रूप संदर्भित) के समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के साथ लेखा परीक्षित किया है, जिसमें समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2017 के अनुसार, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित वक्तव्य, कैश फ्लो के समेकित कथन और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण समाप्त हो गया और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद के रूप में "समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण" के रूप में संदभिगत किया गया है)।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कम्पनी के निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित है) की

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
आवश्यकताओं के संदर्भ में वित्तीय विवरण के रूप में इन समेकित भारतीय लेखा मानक की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं जो कि समेकित वित्तीय का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, समेकित नगदी प्रवाह और समूह के इक्विटी में समेकित परिवर्तन लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किये जाते हैं। भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी) सहित, निर्धारित अधिनियम की धारा 133 प्रासंगिक के साथ पठित नियम के तहत जारी किए गये समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व धोखाधड़ी सथ अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए समूह में शामिल कम्पनियों के निदेशक मण्डल शामिल हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान लगाने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव जो लेखा अभिलेखों की सटिकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक की तैयारी और प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक हैं, जो वित्तीय विवरण देते हैं जो सही व निष्पक्ष दृश्य देने को स्वतंत्र हैं। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सामग्री का गलत विवरण, जो कि होल्डिंग के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरण के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है। कम्पनी जैसा कि पूर्वोक्त है।	
लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी	
हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करें, जबकि लेखा परीक्षण कम आयोजन करते हुए हमने इस अधिनियम, लेखा और लेखा परीक्षण मानकों के प्रावधानों और मामलों को ध्यान में रख है जिन्हें ऑडिट में शामिल करने की आवश्यकता है, अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाये गये नियमों के तहत रिपोर्ट।	
हम अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट के अनुसार ऑडिटिंग पर मानक के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण का आयोजन किया गया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन ऑडिट के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या कंसोलिडेटेड भारतीय वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त है या नहीं।	
एक लेखा परीक्षण में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षण सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, लेखा	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
परीक्षक के फैसले पर निर्भर करता है जिसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिम आंकलनों को बनाने में लेखा परीक्षक धारक कम्पनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए एक सही व निष्पक्ष दृश्य प्रदान करता है। एक लेखा परीक्षा में शामिल लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और होल्डिंग कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा किए गये लेखांकन अनुमानों की समरूपता के साथ-साथ समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।	
हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के सबुतों को समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
राय	
हमारे राय में और हमारे सबसे अच्छी राय जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित व वित्तीय विवरणों से इस तहर की आवश्यकता के अनुसार कानून द्वारा आवश्यक जानकारी दी जाती है और आम तौर पर लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2017 तक, समूह की समेकित वित्तीय स्थिति के रूप में भारतीय लेखा मानक सहित भारत में स्वीकार किया गया और अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इसके समेकित नगदी प्रवाह और वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तन समाप्त हो गया।	
मामलों की प्रमुखता	
हम निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :	
(क) वर्ष के दौरान 41 खानों के संदर्भ में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक कोयला खनन के लिए जुर्माने के तौर पर 13389.38 करोड़ रुपए का मांग प्राप्त होना। वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 पैरा 4(ए)(1) देखें।	इसे लेखा टिप्पणी में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है (टिप्पणी 38.4(ए) देखें)।
(ख) प्रगतिशील खान बंदीकरण योजना के एस्क्रो खाते से निकासी हेतु प्रतिभूति राशि के लिए सीएमपीडीआईएल के दावों का निपटारा/प्रस्तुतीकरण नहीं होने के संबंध में।	इसे लेखा टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 38 प्वाइंट संख्या 7.16 देखें)।
(सी) खानों के अंतिम बंदीकरण हेतु अंतिम बंदीकरण योजना का तैयार नहीं होने के संबंध में। उपयोगी–आयु पूरा	इसे लेखा टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 38 प्वाइंट संख्या 7.16 देखें)।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
कर चुकने वाली एक खान तथा बंद हो चुकी 9 खानों के लिए वर्ष के दौरान परिशोधन राशि 1.06 करोड़ रुपए है। "स्थल उद्धार व्यय खाता" एवं "खान बंदीकरण व्यय खाते" में किए जाने वाला समायोजन निर्धारण योग्य नहीं है।	
(घ) "रॉयल्टी एवं सेस" मद में ग्राहकों से बकाया राशि का वास्तविक वसूली तथा इस प्रकार के खाते पर राज्य सरकार को देय राशि के संबंध में।	इसे लेखा के टिप्पणी के अंतर्गत पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है (टिप्पणी 11 एवं 23 देखें)।
अन्य मामले	
हमने वित्तीय विवरण/सहायक कम्पनी की जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिसका वित्तीय वक्तव्य 31 मार्च, 2017 तक 208.25 करोड़ की कुल सम्पत्तियों को दर्शाता है, कुल व्यय 0.37 करोड़, शुद्ध हानि 0.58 करोड़ और शुद्ध नगदी प्रवाह 27.63 करोड़ उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, जैसा समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना गया है। इन वित्तीय वक्तव्यों कम लेखा–जोखा अन्य लेखा परीक्षण द्वारा किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे राय अब तक इस सब्सिडियरी के सम्बन्ध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, केवल उस तरह के अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।	
अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन	
1. अधिनियम के सेक्शन 143 के सब–सेक्शन (11) के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश"), समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होते हैं जैसा कि उक्त आदेश के पैरा – 2 के प्रावधान में निर्दिष्ट है।	
2. अधिनियम, दिशा निर्देशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी उप–निर्देशों की धारा 143(5) के अनुसार, हम इसके बारे में हमारी टिप्पणी, इसके साथ अनुलग्नक – I में वित्तीय विवरणों पर कार्रवाई और प्रकाश डालते हैं।	
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

(क) हमने सभी जानकारियों व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त की है, जो कि हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम है, वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारे राय में, खाते की उचित पुस्तकों के रूप में उपरोक्त समेकित आईएनडी एएस के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा जरूरी होल्डिंग कम्पनी द्वारा तब तक रखा गया है, जब तक यह उन पुस्तकों और वित्तीय वक्तव्यों की हमारी परीक्षा में प्रकट होता है, जो प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है, हमारे ऑडिट का हिस्सा हमारे द्वारा नहीं आने वाले क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है;

(ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखा परीक्षित कम्पनी के क्षेत्रों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित तरीके से पेश किया गया है।

(घ) समेकित बैलेंस शीट, लाभ व हानि का कंसोलिडेटेड वक्तव्य, नगदी प्रवाह का विवरण और इस रिपोर्ट के साथ निपटाये गये इक्विटी में हुए समेकित वक्तव्य, खाते की पुस्तकों और क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय वक्तव्यों के साथ समझौते में हैं। वित्तीय विवरण के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक तैयार करने के उद्देश्य से बनाये गये हमारे द्वारा दौरा किया गया।

(ङ) हमारे राय में, वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इसके तहत जारी संबद्ध नियमों के साथ पढ़ा जाए।

(च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164(2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(छ) समूहों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
"अनुलग्नक–बी" में हमारी रिपोर्ट देखें;	
(ज) अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी के नियम 11 (ऑडिट व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार हमारे राय में, हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार, हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :	
i. समूह ने वित्तीय वक्तव्यों के अतिरिक्त नोट – 38 के तहत अपने लंबित मुकदमों का खुलासा किया है, हालाँकि मुकदमों के प्रभाव समेकित भारतीय लेखा मानक में वित्तीय विवरणें के रूप में दिए जाएंगे और जब यह तय हो जाएगा और संबंधित प्राधिकरण से कम्पनी द्वारा आदेश प्राप्त हो जाएगा।	
ii. समूह के पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे जिसके लिए कोई निकट भविष्य में भौतिक नुकसान हुआ था और	
iii. इस वजह से कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।	

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – ए

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर निर्देश

अनुलग्नक — ए (I)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या कम्पनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टा भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व/लीज दस्तावेज उपलबध है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि का क्षेत्र बताएँ जिसके लिए स्वामित्व/लीज उपलब्ध नहीं हैं।	
हमें दिए गए सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कोल माइंस(राष्ट्रीकरण अधिनियम) 1973 के तहत राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की लीज, वैधानिक आदेश संख्या जीएसआर/345.ई दिनांक 09 जुलाई, 1973, नई दिल्ली द्वारा कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड में निहित थी। राष्ट्रीयकरण के समय लिये गये इस प्रकार की भूमि एवं खनन के अधिकार, स्वामित्व एवं हित, अधिकार–दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है एवं जांच के लिए उपलब्ध नहीं है अतएव हमलोग इसपर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। स्वामित्वः दस्तावेज/कोयला असर क्षेत्र(अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के लिए स्वामित्व का प्रमाण पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा भूमि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है। बाकी मामलों में, स्वामित्व–दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका इसलिए परिमाणन संभव नहीं है।	
2. क्या छूट के किसी मामले में उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि का वेवर/कटौती कर देते हैं? यदि हाँ तो वहाँ के कारण और इसमें शामिल राशि बतायें।	
जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, नीतियों के अनुसार, संदेहजनक ऋण की समीक्षा हर वर्ष की जाती है और खाता बही में आवश्यक प्रावधान किया जाता है/बट्टे खाते में डाला जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोयला विक्रय ग्राहकों के विरूद्ध 258.97 करोड़ रुपये के संदेहात्मक ऋण को निदेशक मंडल की दिनांक 23.04.2018 को आयोजित 458वें बोर्ड बैठक में विधिवत मंजूरी के पश्चात बट्टे खाते में डाला	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	है (वित्तीय विवरणों के नोट – 38 के पारा संख्या 7.4 देखें)।	
3.	क्या सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त उपहारस्वरूप परिसंपत्ति तथा तृतीय पक्षों के पास पड़े हुए संपत्ति सूचि का सही रिकॉर्ड रखा जाता है? **प्रबंधन द्वारा दिये गये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे जाँच–पड़ताल के अनुसार, तीसरी पार्टी के साथ कोई संपत्ति सूची नही है और सरकार या किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त किसी भी प्रकार का उपहारस्वरूप परिसंपत्ति नहीं है।**	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन का अनुलग्नक – ए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

अनुलग्नक —ए(।।)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है? **हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।**	
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है? **हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने एक क्षेत्र के विलय/पुनर्गठन के समय सम्पत्ति और सम्पत्तियों का सत्यापन अभ्यास किया है।**	
3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख–रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें। **हमें दिए गए सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, 64 खानों के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है तथा अद्यतन तिथि तक इन एस्क्रो खातों से किसी प्रकार की राशि नहीं निकाली गई है।**	
4. यदि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13389.38 करोड़ रू. की मांग, 41 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध, कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, माननीय कोल ट्राईब्युनल, जो कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायिक निर्णय प्राधिकरण है, के समक्ष संशोधित याचिका दायर किया है। संशोधन प्राधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपरोक्त मांग के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तथा वित्तीय विवरण के टिप्पणी – 38 के पारा 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता में सम्मिलित किया गया है।	

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा – 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी अनुषंगी जो कि भारत में निगमित है, के वित्तीय प्रतिवेदन पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है, जिसमें उस तारीख पर समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का हमारा अंकेक्षण भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियाँ, जो कि भारत में निगमित हैं, के संबंधित बोर्ड निदेशकगण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने एवं रख–रखाव हेतु जिम्मेदार हैं, जो कि आई. सी. ए. आई. द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के मार्गदर्शन टिप्पणी में लिखे गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रारूप, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और यह पता लगाना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सटिकता व पूर्णता और विश्वसनीयता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आई सी ए आई द्वारा जारी किए गये वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पणी") और ऑडिटिंग के मानकों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण का आयोजन किया गया था और इसे अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया गया था। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों व मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है, कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणों को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाय।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, सामग्री की कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आंकलन करना और आंकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आंकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रभाव पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेन देन और व्यवहार को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन–देन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाए जा रहे हैं और (3) वित्तीय वक्तव्यों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है, की कंपनी की संपत्ति की अनधिकृत, अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन | प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण भौतिक सामग्री हो सकती है और इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, जो कि भारत में निगमित है, सभी भौतिक विषयों में तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के साथ दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी तरीके से संचालित हो रही थी, जो कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में लिखे गए आंतरिक वितरण के अवयवों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के उपर आधारित है।

कृते एस. के. सिंघानिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण संख्या 302206ई

(राजेश कुमार सिंघानिया)
पार्टनर
मेम्बरशीप संख्या 52722

स्थान : राँची
दिनांक : 06 जून, 2018

परिशिष्ट – 1

31.03.2018 को संदेहात्मक वैधानिक देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर का प्रकार	मुकदमों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	संदेहात्मक राशि
रॉयल्टी मुकदमा	45	सर्टिफिकेट ऑफिस, धनबाद, राँची, बोकारो, हजारीबाग	1984–85 से 2016–17	91.27
रॉयल्टी मुकदमा	4	उपायुक्त, हजारीबाग, रामगढ़	1995–96 से 2014–15	2.26
रॉयल्टी मुकदमा	5	आयुक्त, हजारीबाग	1992–93 से 2008–09	4.73
रॉयल्टी मुकदमा	35	उच्च न्यायालय, झारखंड	1987–88 से 2017–18	414.66
रॉयल्टी मुकदमा	6	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	1991–92 से 2008–09	45.38
विक्रय कर मुकदमा	256	वाणिज्य कर अधिकारी – राँची, हजारीबाग, तेनुघाट, रामगढ़	1989–90 से 2015–16	748.86
विक्रय कर मुकदमा	184	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1989–90 से 2017–18	263.04
विक्रय कर मुकदमा	16	जेसीसीटी (ए), राँची	1985–86 से 2012–13	0.66
विक्रय कर मुकदमा	80	आयुक्त वाणिज्य कर, राँची	1988–89 से 2015–16	216.41
विक्रय कर मुकदमा	133	ट्राइब्युनल, राँची	1990–91 से 2014–15	352.25
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	17	आयुक्त, राँची	2004–05 से 2008–09 – 2017–18	107.06
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	3	सीइएसटीएटी, कोलकाता	2004–05 से 2007–08 – 2015–16	1.85
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मुकदमा	5	अन्य		1.03
विद्युत शुल्क मुकदमा	8	डीसीसीटी	2006–07 से 2013–14	1.86
विद्युत शुल्क मुकदमा	7	सीसीटी, राँची	2006–07 से 2011–12	3.07
विद्युत शुल्क मुकदमा	187	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1992–93 से 2013–14	57.56
विद्युत शुल्क मुकदमा	21	ट्राइब्युनल, राँची	1993–94 से 2010–11	2.89
विद्युत शुल्क मुकदमा	8	उच्च न्यायालय, झारखंड	1997–98 से 2004–05	3.18
प्रवेश कर मुकदमा	1	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	2006–07	25.00
आयकर मुकदमा	4	सीआइटी (अपील), राँची	2003–04 से 2015–16	243.47
आयकर मुकदमा	16	सीआइटी (अपील), जमशेदपुर	2004–05 से 2010–11	6.70
आयकर मुकदमा	9	आइटीएटी, राँची	2005–06 से 2013–14	309.27
आयकर मुकदमा	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	1989–90	0.52
	1051	**कुल**		**2903.03**

www.centralcoalfields.in

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
एक मिनीरत्न कम्पनी

दरभंगा हाउस,
राँची – 834 029

सीसीएल प्रेस, राँची में मुद्रित